लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खण्ड 42 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

य : एक रुपया
Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7, मंगलवार, 4 अगस्त, 1970/13 श्रावण, 1892 (शक)
No. 7, Tuesday, August 4, 1970/Sravana 13, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181. अद्रा और इन्द्राबिल स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच मालगाड़ी से विस्फोटक पदार्थों का लूटा जाना	Looting of Explosives from a Goods Train between Adra and Indrabil Stations (South Eastern Railway) ..	1—5
182. छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में लोकनाथन समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Lokanathan Committee and A. R. C. on Small Scale Industries ..	5—8
183. इस्पात का मूल्य	Prices of Steel ..	9—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्य. S. Q. Nos.		
184. कांगड़ा घाटी में रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर शेडों की व्यवस्था	Provision of sheds over platform of Railway Station in Kangra Velley ..	16—17
185. विशाल औद्योगिक समूहों के रूप में उन्हें वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में कम्पनियों द्वारा विरोध	Protest by Companies re : their Categorisation as Larger Industrial Houses ..	17
186. दक्षिण भारत में और अधिक इस्पात कारखानों की स्थापना	Setting up of more Steel Plants in the South ..	18—19
187. मद्रास की स्टैंडर्ड मोटर फैक्ट्री को हुई हानि	Loss incurred by Standard Motors Factory Madras ..	19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
188. एल्लपी होकर क्विलोन तथा कोचीन के बीच रेलवे सम्पर्क स्थापित करने के लिए सवक्षण	Survey for Rail Link between Cochin and Quilon via Aleppy ..	19—20
189. छोटी कार परियोजना के लिए धन जुटाने हेतु डाक तथा तार विभाग के पास जमा जमानत की राशि का उपयोग	Utilisation of Security deposits with P. & T. Deptt. for Financing Small Car Project ..	20—21
190. गांधी नगर और अहमदाबाद के बीच नई रेलवे लाइन	Rail Link between Gandhi Nagar and Ahmedabad ..	21
191. सरकारी क्षेत्र में नई वस्तुओं का निर्माण करना	Fresh items to be taken for Manufacture by Public Sector Undertakings ..	21—22
192. दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी करने की मांग	Demand made for Reduction in Prices of Consumer Goods in Delhi ..	22—23
193. औद्योगिक गृह	Industrial Houses ..	23
194. जम्मू तथा काश्मीर में बिजली उत्पादन परियोजनाएं	Power Generation Projects in Jammu and Kashmir ..	23—24
195. भारतीय रेलवे के आरक्षण विभाग में कदाचार रोकने के उपाय	Measures to Stop Malpractices in Reservation Section on Indian Railways ..	24
196. मोदी औद्योगिक समूह द्वारा चलाये जा रहे उद्योग	Industries run by Modi Industrial Complex..	24
197. शीतल पेय की कीमतें	Prices of Soft drinks ..	25
198. पश्चिम बंगाल में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास कार्यक्रम	Industrial Development Programme in Public and Private Sectors in West Bengal ..	25—26
199. कांग्रेस दल का चुनाव-चिह्न	Election Symbol of Congress Party ..	26—27
200. फ्लैटप्रूफ टायरों के निर्माण के लिए कारखानें की स्थापना	Setting up of a Plant for Manufacture of Flat proof Tyres ..	27
201. नये बड़े उद्योगों द्वारा छोटे पैमाने के क्षेत्र से सहायक उत्पादों की खरीद	Purchase of Ancillary Products from Small Scale Sector by Big Industries ..	27—28
202. री-रोलिंग मिलों को बिलेटों की सप्लाई	Supply of Billets to Re-rollers ..	28
203. हरियाणा उप-चुनाव में चुनाव सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Defiance of Election Rules in Haryana bye-election	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
*204. कागज की कमी	Scarcity of Paper ..	29—30
205. चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइनें बिछाना	Railway lines in Himachal Pradesh during Fourth Five Year Plan ..	30
206. नए इस्पात कारखानों की स्थापना में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग	Association of Private Sector in setting up new Steel Plants ..	30—31
207. सीमेंट से नियंत्रण का हटाया जाना	Decontrol of Cement ..	31
208. औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को हटाना	Removal of Regional disparities in industrial growth ..	31—33
209. इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक मंडल में विदेशी सदस्यों की संख्या में वृद्धि	Increase of foreigners on Board of Directors of Indian Oxygen Limited ..	33—34
210. विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा सिगरेट का निर्यात	Export of Cigarettes by foreign-owned Companies ..	34
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1201. मध्य रेलवे पर रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents on Central Railway ..	34
1202. पश्चिम रेलवे में रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents on Western Railway ..	35
1203. ट्रेन लिपिकों की पदोन्नतियों के अवसर	Channels of Promotion for Train Clerks ..	35
1204. वस्तु भाड़े की दरों में वृद्धि	Increase in Freight Rates ..	35—36
1205. दिल्ली में काल गर्ल गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिए छापे	Raids to Curb Call Girl Racket in Delhi ..	36
1207. उत्तर रेलवे में सहायक रेल पथ निरीक्षकों के रूप में रखे गये व्यक्तियों को वेतन वृद्धि देना	Grant of Increments to those absorbed as Assistant Permanent Way Inspectors on Northern Railway ..	37
1208. अणु शक्ति आयोग द्वारा गढ़ी वस्तुओं के लिए क्रयादेश	Orders for Forging pieces by Atomic Energy Commission ..	37
1209. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्मित चपटा इस्पात	Flat Steel manufactured by Hindustan Steel Ltd. ..	37—38
1210. सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement ..	38—40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1211.	बच्चों तथा माताओं के लिये पोषाहार सम्बन्धी नए कार्यक्रम	New Nutritional Programmes for Children and Mothers ..	40
1212.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of Recommendations of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	40—41
1213.	सिंधियां इन्वेस्टमेंट कम्पनी द्वारा कृष्णराम बलदेव बैंक में लगाई गई पूंजी	Investments made by Scindia Investment Company in Krishnaram Baldev Bank ..	41
1214.	आयकर की अनिर्णीत अपीलें	Pending Appeals of Income Tax ..	41—42
1215.	सोडियम नाइट्रेट की कमी	Shortage of Sodium Nitrate ..	42
1216.	कपाडिया बन्धुओं द्वारा प्रबन्धित फर्में	Concerns managed by Kapadia Brothers ..	42
1217.	मैसर्ज मगनलाल छगनलाल के कुछ समवायों के अंश	Holding of Shares by M/s Maganlal Chhaganlal in Certain Companies ..	43
1218.	मैसर्स आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा ऋण लेना	Borrowings of M/s Ananda Bazar Patrika (Pvt.) Ltd. Calcutta ..	43
1219.	कपड़ा उद्योग में बेकार क्षमता	Idle Capacity in Textile Industry ..	44
1220.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में विस्थापित मुसलमानों का पुनर्वास	Rehabilitation of Muslims displaced at Heavy Engineering Corporation, Ranchi..	44—45
1221.	ईंटों के मूल्यों पर नियन्त्रण	Control on Prices of Bricks	45
1222.	संसद् सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये ज्ञापन पर की गई कार्यवाही	Action taken on the memorandum submitted by M. Ps. to the President ..	45—46
1223.	उड़ीसा में एक इस्पात कारखाने की स्थापना	Establishment of a Steel Plant in Orissa ..	47
1225.	सस्ते पम्पसेटों अथवा डीजल इन्जनों का निर्माण	Manufacture of cheap pumping sets/Diesel Engines ..	47—48
1226.	ट्रैक्टर बनाने वाली फर्मों की उत्पादन क्षमता का कम उपयोग	Under utilisation of production capacity of firms manufacturing Tractors ..	48
1227.	विकलांगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres for the Handicapped ..	48—49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1228.	गुंटूर में मतदान पेटिकाएं छीनकर ले जाने की घटनाएं	Snatching away of Ballot Boxes at Guntur ..	49
1229.	बड़ी लेखा-परीक्षक फर्मों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Big Audit Firms ..	49
1231.	इस्पात का निर्यात	Exports of Steel	49—50
1232.	बिजली के सामान की चोरी	Pilferage of Electrical fittings and fixtures ..	50—51
1233.	पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के लिये भारत दर्शन कार्यक्रम	Bharat Darshan Programme for residents of Hilly Areas ..	51—52
1234.	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का औद्योगिक उत्पादन तथा उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रभाव	Effect of Rise in prices of steel on Industrial production and consumer Commodities ..	52—53
1235.	कटिहार पूर्वोत्तर सीमा (रेलवे) के शंटिंग कर्मचारियों द्वारा अल्पावधि हड़ताल	Lighting Strike by the Shunting staff of Katihar (Northeast Frontier Railway) ..	53
1236.	आरक्षण बुकिंग लिपिकों द्वारा जाली रसीदें जारी करने सम्बन्धी शिकायतें	Complaints re. bogus receipts issued by reservation Booking Clerks ..	53—54
1237.	उड़ीसा में जातिवाद का प्रयत्न	Casteism Prevalent in Orissa ..	54
1238.	माल भाड़ा विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क की देय बकाया राशि	Outstanding dues on account of freight demurrage and wharfage ..	54
1239.	महाप्रबन्धक द्वारा उत्तर रेलवे की कालका शाखा के मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र स्वीकार न करना	Non-acceptance by G.M. of Charter of Demands Submitted by Kalka Branch of the Northern Railway Workers' Union ..	55
1240.	स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, केबिन सहायक स्टेशन मास्टरों और केबिन मास्टरों के पद	Posts of Station Masters, Assistant Station Masters, Cabin Assistant Station Masters and Cabin Masters ..	55—56
1241.	भारतीय रेलों में जंजीर खींचने की घटनाएं	Incidents of Chain Pulling on Indian Railways ..	56—57
1242.	ठेकेदारों द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य बन्द करना	Closing down of Construction work by Contractors at Bokaro Steel Plant ..	57
1243.	एशियन केबल्स द्वारा आयातित कच्चे माल का दुरुपयोग	Misuse of Imported Raw Materials by Asian Cables ..	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1244. इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम, 1969 के अंतर्गत की गई कार्यवाही	Action against Indian Oxygen Limited under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 ..	58
1245. वैदेशिक व्यापार और औद्योविकास मंत्रालयों के बीच विवाद	Controversy between Ministries of Foreign Trade and Industrial Development ..	58—59
1246. दिल्ली में उद्योगों का विकास और विस्तार	Growth and Expansion of Industries in Delhi ..	59
1247. रेलों द्वारा ईंधन के उपभोग में कमी	Reduction in Consumption of Fuel by Railways ..	59—60
1249. रेलवे के कोयले का चोरी छिपे नेपाल को ले जाया जाना	Smuggling of Coal Owned by Railways to Nepal ..	60
1250. रेलवे उत्पादन एककों तथा निर्माण शालाओं के निर्यात संभावनाएं	Export Potential of the Railway Production Units and Workshops ..	60—61
1251. राज्यों में शराब कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences for setting up of Breweries in States ..	61—62
1252. तीसरी श्रेणी के डिब्बों में पंखों तथा बिजली के अन्य उपकरणों का सुचारुरूप से कार्य करना	Proper functioning Fans and Other Electric fitting in III Class compartments ..	62—63
1253. नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए बड़े-बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस जारी करना	Iissue of Licences to Big Business houses for setting up of New Industries ..	63—65
1254. राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में शिकायतें	Complaints re : President's Election ..	65
1255. दिल्ली प्रशासन द्वारा हरिजन कल्याण योजनाओं पर व्यय किया गया धन	Amount spent by Delhi Administration on Harijans Welfare Schemes ..	66—68
1257. नेकोंडा और आलमखानपेट स्टेशनों (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of a Goods Train between Nekonda and Alamkhanpet Station (South Central Railway) ..	68—69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1258.	लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी सैक्सन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) में 203 अप यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of 203 UP Passenger Train on the Lymding-Badarpur Hill Section (North-east Frontier Railway) ..	69
1259.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास	Resettlement of Muslim Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	69—70
1260.	समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के ट्रेन क्लर्कों को गार्ड का प्रशिक्षण देना	Training of Train Clerks of Samastipur Division as Guards (North Eastern Rly) ..	70
1261.	समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) ट्रेन क्लर्कों को स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Train Clerks of Samastipur Division (North Eastern Railway) ..	71
1262.	भारत में मशीनों के प्रयोग के बारे में गणना	Census Re : use of Machines in India ..	71—72
1263.	पश्चिमी रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों से वसूल किया गया अर्थदण्ड	Recovery of Fine from Ticketless Travellers on Western Railway ..	72
1264.	बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant ..	72—73
1265.	देशी कान्टीनेन्टल टाइप स्वचालित रेलवे फाटक	Indigenous Continental Type of Automatic Leval Crossing ..	73
1266.	सियालदह स्टेशन क्षेत्र (पूर्व रेलवे) का विकास	Development of Sealdah Station Area (Eastern Railway) ..	74—75
1267.	दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस का तलमांचो (दक्षिण मध्य रेलवे) स्टेशन पर पटरी से उतर जाना	Derailment of Delhi-Madras Janta Express at Talamanchi Station (South Central Railway) ..	75—76
1268.	राज्यों में पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास	Development of Backward areas in States ..	76
1269.	वर्दियों की सप्लाई के सम्बन्ध में वर्दी संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही	Action on Report of Uniform Committee re : Supply of Uniforms ..	76—77
1270.	कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कागज निर्माताओं का प्रस्ताव	Proposals of Paper manufacturers to increase production of Paper ..	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
1271.	नये इस्पात कारखानों के लिए स्थानों का निरीक्षण — Inspection of sites for New Steel Plants	78
1272.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के सर्वोच्च अधिकारियों का सम्मेलन — Conference of top authorities of Public Sector Steel Plants	79
1273.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण बोर्ड — Social Welfare Boards of States and Union Territories	79—80
1274.	दहेज प्रथा को समाप्त करना — Eradication of Dowry System	80
1275.	माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन का बन्द किया जाना — Clousure of Mining and Allied Machinery Corporation	80
1276.	वस्तुओं और प्रेक्षित माल की हानि के कारण क्षतिपूर्ति का भुगतान — Payment of Compensation for the loss of goods and consignments	81—82
1277.	छोटा उदयपुर (गुजरात राज्य) के डोलो माइट खान उद्योग के लिए रेल के डिब्बों की कमी — Shortage of wagons for Dolomite Mine Industry of Chhota-Udepur (Gujarat State)	82
1278.	दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में कर्मचारी लाभ निधि से छात्रवृत्ति देना — Award of scholarship from Staff Benefit in Khurda Division (S.E. Rly.)	83
1279.	दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा चांदी की छड़ों का गबन किया जाना — Embezzlement of Silver bars by parcel Staff at Delhi Main Station	83
1280.	नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय की कार्मिक शाखा (परसोनेल ब्रांच) में कथित भ्रष्टाचार — Alleged Corruption in Personnel Branch of Office of Financial Advisor and Chief Accounts Officer, Northern Railway, New Delhi	83—84
1281.	यात्रियों और रेलवे कर्मचरियों में सहयोग — Co-operation between travelling public and Railwaymen	84
1282.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में आस्तियां पंजी — Assets register in Durgapur Steel Plant	84—85
1283.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिशें — Recommendations of Asoka Mehta Committee on Khadi and Village Industries Commission	85

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1284. अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन और अखिल भारतीय लघु तथा मध्यम समाचार-पत्र संघ के सदस्यों को रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायत	Rail travel concession to members of All India Newspapers Editors' Conference and All India Small and Medium Newspapers Federation ..	85—86
1285. निर्माताओं द्वारा ट्यूबों के अधिक मूल्य लेना	Charging of excessive prices of tubes by Manufacturers	86
1286. भिलाई इस्पात कारखाने की अयस्क खानों और खदानों के अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें	Corruption complaints against Superintendent, Ore Mines and Quarries of Bhilai Steel Plant ..	86—87
1287. दक्षिण रेलवे के लोको शैड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Loco Employees of Southern Railway ..	87
1288. स्थानीय औद्योगिक कम्पनियों के लाभ पर अधिकतम सीमा	Ceiling on profits of Local Industrial Companies ..	87—88
1289. केरल में मध्यावधि चुनाव	Mid-term elections in Kerala ..	88
1290. सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा अपने-अपने डिजाइन संगठनों की स्थापना	Setting up of own design organisations by Public Sector enterprises ..	88—89
1291. मध्यावधि चुनावों के लिए तैयारियां	Preparations for Mid-term Elections ..	89—90
1292. बोकारो इस्पात कारखाने के लिए रूसी सहायता	Russian Aid for Bokaro Steel Plant ..	90
1293. चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के लिए निर्धारित राशि	Amount Earmarked for Backward Classes in Fourth Five-Year Plan ..	90
1294. जयपुर डिवीजन के (पश्चिम रेलवे) ग्रेड बी के फायरमैनों का अभ्यावेदन	Representation from Firemen Grade 'B' of Jaipur Division (Western Railway) ..	90—91
1295. रेलवे में भ्रष्टाचार की रोक-थाम के लिये विशिष्ट समिति	Special Committee to Prevent Corruption on Railways ..	91
1296. किसी व्यक्ति के मृत्यु के सम्बन्ध में सामुदायिक दावत	Community Feasts in Connection with the Death of a person ..	91
1297. एकाधिकार आयोग का गठन	Formation of Monopolies Commission ..	91—92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1298.	उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत चुनाव याचिकाएं	Elections Petitions Pending in High Courts and Supreme Court ..	92
1299.	सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच	Enquiry Against Cement Allocation and Coordinating Organisation ..	92—93
1300.	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को दिये गये लाइसेन्स	Licences Issued to Indian Oxygen Ltd. ..	93
1301.	इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के सदस्य	Personnel of Board of Directors of Indian Oxygen Ltd. ..	93—94
1302.	संकरी रेलवे लाइनों के लिये इन्जनों और यात्री डिब्बों के निर्माण की योजनाएं	Schemes for production of coaches and Engines for narrow-gauge lines ..	94—95
1303.	राजधानी एक्सप्रेस जैसी अधिक द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलाना	Introduction of faster trains like Rajdhani Express ..	95
1304.	बड़ौदा हाउस उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को निलम्बन अवधि के लिये वेतन का भुगतान न किया जाना	Non-payment of salary to employees working in Baroda House for the suspension period (Northern Railway) ..	95—96
1305.	जापान के सहयोग से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों का उत्पादन	Production of watches by H. M. T. in Collaboration with Japan ..	96
1306.	मशीन निर्माण क्षमता	Machine Building Capacity ..	97
1307.	टेलीफोन की तारों में आत्मनिर्भरता	Self-Sufficiency in Telephone Cables ..	97
1308.	लघु-उद्योगों का संरक्षण	Protection to small-scale industries ..	98
1309.	सफाई कार्य में संलग्न व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने के लिये उपाय	Measures to reduce hardships of persons engaged on Scavanging work ..	98
1310.	बड़े-बड़े व्यापार तथा औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियां	Assets of big business and industrial Houses..	98—99
1311.	लुधियाना, चण्डीगढ़,जगाधरी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Ludhiana Chandigarh, Jagadhri Railway line ..	99
1312.	चण्डीगढ़ में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्राथमिक स्कूल की मांग	Demand for Primary School for Railway for Employees' children at Chandigarh ..	99—100

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1313. भारत के साम्यवादी दल की आसाम राज्य परिषद् द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Assam State Council of C. P. I. ..	100—101
1314. कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने वाले कोयला खानों के मालिकों से कोयले की खरीद	Purchase of coal from Mine-owners who have implemented recommendations of Coal Mines Wage Board ..	101
1315. मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रग एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को इस्पात की चादरों का आवंटन	Allotment of steel sheets to M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Company ..	101
1316. भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स स्टैण्डर्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को इस्पात की चादरों की बिक्री	Sale of Steel Sheets by Indian Oil Corporation to M/s .Standard Drum and Barrel Mfg. Co., Bombay ..	102
1317. गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश	Investment by Private Sector ..	102
1318. लोहे की नालीदार चादरों के कारखाना तथा बाजार मूल्य	Ex-factory and market prices of corrugated Iron Sheets ..	102—103
1319. मनीपुर में लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to small scale Industries in Manipur ..	103
1320. बदरपुर (सिल्चर) से जीरीबेम (मनीपुर) तक नई रेलवे लाइन	New Railway Line from Badarpur (Silchar) to Jiribam (Manipur) ..	103
1321. समाज कल्याण बोर्ड, मनीपुर की कल्याण सम्बन्धी सेवाओं के लिये वर्ष 1970-71 का बजट	Budget for Welfare Services of Social Welfare Board, Manipur for 1970-71 ..	104
1322. मनीपुर में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Manipur ..	105
1323. कोयले की चोरी के कारण घाटा	Loss due to Pilferage of Coal ..	105—106
1324. बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उपकरण	Heavy Engineering Corporation equipment for Bokaro Steel Pant ..	106—107
1325. बड़े औद्योगिक गृहों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम, 1969 से छूट	Exemption of big Industrial Houses from application of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 ..	107

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1326.	पूरी तरह भरे माल डिब्बों द्वारा दूरी तय किया जाना	Coverage of distance by fully loaded Wagons ..	107—108
1327.	इस्पात का निर्यात	Export of Steel ..	108—109
1328.	बलिया रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर रेल-गाड़ियों के पहुंचने के बारे में पूछताछ	Enquires about Arrival of Trains at Ballia Railway Station (North Eastern Railway) ..	109
1329.	राज्यों में ग्रामीण और औद्योगिक सम्पदाओं का निर्माण	Construction of Rural Industrial Estates in States ..	109—110
1330.	हिन्दू धार्मिक धर्मस्व अधिनियम में संशोधन	Amendment of Hindu Religious Endowments Act ..	111
1331.	कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्सन (उत्तर रेलवे) में विक्रेताओं के लिये बनी दुकानों का किराया	Rent of Vendors' Shed on Kangara Velley Railway Station (Northern Railway) ..	111
1332.	पठान कोट रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा छत वाले शेड की मांग	Demand of Porters for a covered Shed at Pathankot Railway Station ..	111—112
1333.	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण इंजीनियरिंग उत्पादों के मूल्य में वृद्धि	Rise in Prices of Engineering Products as result of Rise in Prices of Steel ..	112
1334.	चौथी योजना में टाइपराइटरों की आवश्यकता और उसका उत्पादन	Requirement and Production of Typewriters during Fourth Plan ..	112
1335.	बरौनी के ट्रेन क्लर्कों को गार्ड के पद पर पदोन्नत करने के लिये प्रशिक्षण	Training of Train Clerks of Barauni for promotion as Guard ..	112—113
1336.	डी० मैकरोपोलो का गाडफ्रे फिलिप्स के साथ विलय	Amalgamation of D. Macropolo with Goodfrey Philips ..	113—114
1337.	इम्पीरियल टोबेको कम्पनी और वजीर सुलतान टोबेको कम्पनी की सिगरेट उत्पादन करने की क्षमता	Cigarette Production capacity of Imperial Tobacco Company and Vazir Sultan Tobacco Co. ..	114—115
1338.	पूरा समय कार्य करने वाले प्रबन्धक निदेशकों तथा निदेशकों की उपलब्धियां	Emoluments for fulltime Managing Directors and Directors ..	115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1339.	जमालपुर (पूर्वी रेलवे) में टिकट देने की अपर्याप्त सुविधाएं	Inadequate Booking Clerk facilities at Jamalpur (Eastern Railway)	116
1340.	कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के बारे में विवाद	Dispute aboute Congress Election Symbol ..	116
1341.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को विशेषाधिकार देने वाले संविधान के उपबन्धों का पुनरीक्षण	Review of parts of the Constitution which conferred special privileges on Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	116—117
1342.	3 वर्ष की आयु तक के स्कूल के बच्चों के लिये पौष्टिक भोजन	Nutritive Food for School Children in Age Group 0-3 ..	117
1343.	बड़ी लाइनों और मीटर लाइनों के लिये चार पहियों वाली और आठ पहियों वाली सैलून कारें	Four Wheeler and Eight Wheeler Saloon Cars for Broad Gauge and Metre Gauge Linies ..	117—118
1344.	दिल्ली के सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता सूची के बारे में आपत्ति	Objections to Seniority List of Assistant Station Masters of Delhi	118
1345.	साइकिल उद्योग	Cycle Industry ..	118—119
1346.	राजस्थान में चारा लाने ले जाने के लिये माल-डिब्बों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Wagons for movement of Fodder in Rajasthan ..	119—120
1347.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में हड़ताल	Strike in Public Sector Steel Plants ..	120
1348.	विशाखापत्तनम में लगाये जाने वाले इस्पात कारखाने पर लागत	Cost of proposal Steel Plant at Vishakhapatnam ..	121
1349.	मध्य प्रदेश में सीमेंट का प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपभोग	Per Capita production and consumption of cement in Madhya Pradesh ..	121
1350.	केलों की ढुलाई के लिये रेल के माल-डिब्बे	Wagons for transportation of Bananas ..	121—122
1351.	खंडवा और इटारसी स्टेशनों (केन्द्रीय रेलवे) के बीच गांव वालों की सुविधा के लिये यात्री गाड़ियों के निर्धारित समय में परिवर्तन करना	Adjustment of timings of passenger trains to the convenience of villagers between Khandwa and Itarsi stations (Central Railway) ..	122

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1352.	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन निर्वाचन सम्बन्धी रिट याचिका	Writ petitions about elections pending in Madhya Pradesh Court ..	122
1353.	बोकारों में विदेशी विशेषज्ञ	Foreign experts at Bokaro ..	123
1354.	रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करना	Elimination of Railway Accidents ..	124—125
1355.	पश्चिम बंगाल के संकट-ग्रस्त उद्योगों को कच्चे माल और वित्तीय सहायता का नियतन	Allocation of raw materials and financial aid to sick industries in West Bengal ..	125—126
1356.	पश्चिम बंगाल में दाल के मूल्य	Prices of Dal in West Bengal ..	126
1357.	पश्चिमी बंगाल से कार्यालयों का अन्य राज्यों को स्थानान्तरण	Shifting of offices from West Bengal to other States ..	126—127
1358.	दुर्गापुर बस्ती में तनाव की स्थिति	Tension in Durgapur Township ..	127
1359.	रेलवे में बचत आन्दोलन	Economy Drive on Railways ..	128—129
1360.	चाय, काफी तथा अन्य पेय पदार्थों के मूल्य में परिवर्तन	Revision of prices of Tea, Coffee and other Drinks ..	129
1361.	चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण	Electrification of Railway routes during Fourth Plan ..	130
1362.	रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents ..	130—131
1363.	रेलवे मार्गों पर सूक्ष्मतरंग संचार व्यवस्था	Microwave communication system on routes of Railways ..	131
1364.	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग संघ की प्रमाणीकरण समिति	Certification Committee of All India Khadi and Village Industries Commission ..	131—132
1365.	बिहार में नये उद्योगों की स्थापना	Establishment of new Industries in Bihar ..	132
1366.	रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि	Increase in Railway Accidents ..	133
1367.	नई दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय मूक-बधिर सम्मेलन	Conference of All-India Deaf and Mutes held in New Delhi ..	134
1368.	तीर्थ-स्थानों पर कोढ़ से पीड़ित रोगियों की उपस्थिति	Presence of leprotic patients at places of pilgrimage ..	134—135

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1369.	सियालदह खण्ड (पूर्वी रेलवे) में रेल सेवाओं में सुधार	Improvement of Railway Services in Sealdah Division (Eastern Railway) ..	135
1370.	स्कूटरों के उत्पादन के लिये सेन्टरलैस ग्राइंडिंग मशीनों का आयात	Import of Centreless Grinding Machines for production of Scooters ..	136
1371.	जोनल समितियों के परामर्श से यात्री सुविधा निधियों का उपयोग किया जाना	Utilisation of Passengers Amenities Fund in consultation with Zonal Committees ..	136—137
1372.	होस्पेट और हुबली-मिराज (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of metre-gauge line between Hospet and Hubli, Miraj into broad gauge line (South Central Railway) ..	137—138
1373.	ओखा और विरामगाम तथा पोरबन्दर और विरामगाम के बीच मीटर गेज लाइन को बदलना	Conversion of metre gauge line between Viramgam and Porbandar and Viramgam and Okha ..	138
1374.	निर्यात करने वाली रीरोलिंग मिलों को बिलेटों की सप्लाई	Supply of billets to export re-rollers ..	138—139
1375.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्हील एण्ड एक्सिल्स (पहिये तथा धुरियां) एकक का उत्पादन	Production of Wheels and Axles unit at Durgapur Steel Plant ..	139—140
1376.	इस्पात पर तमिलनाडु सरकार द्वारा रोक	Tamil Nadu's ban on Steel ..	140
1377.	भिलाई इस्पात कारखाने में चोरी की घटनायें	Theft cases in Bhilai Steel Plant ..	140—141
1378.	अपग्रेडेड हैड सिगनेलरों (उत्तर रेलवे) को वेतन की बकाया राशि देना	Payments of arrears to upgraded Head Signallers (Northern Railway) ..	141
1379.	अतिरिक्त वित्तीय लाभ वाले पदों पर काम करने वाले अधिकारी	Officers working against posts carrying additional pecuniary benefits ..	141
1380.	विभिन्न रेलवेज में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदों पर नियुक्त किया जाना	Filling up of posts by persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on various Railways ..	142

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1381. पूर्वोत्तर रेलवे में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षित पद	Reserved Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lying Vacant in North Eastern Railway	142
1382. पोडनपुर सिगनल वर्कशाप का विस्तार	Expansion of Podanpur Signal Workshop ..	142—143
1383. कोयला उद्योग के लिए माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons for Coal Industry ..	143
1384. दक्षिण पूर्व रेलवे में वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं के लिए चल-बुकिंग सेवा आरम्भ करना	Introduction of Mobile Booking Service for Commercial Users on South Eastern Railway ..	143—144
1385. बोकारो इस्पात कारखाने के तकनीकी कर्मचारी	Technical Personnel at Bokaro Steel Plant ..	144
1386. नये इस्पात कारखाने के लिये उपकरणों का उत्पादन	Manufacture of Cumponents for New Steel Plants ..	144—145
1387. भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant ..	145—146
1388. रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले बच्चों के लिये आधे टिकटों की व्यवस्था को समाप्त करना	Abolition of Half Tickets for Childeren travelling on Railways ..	146
1389. छोटे उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Small Scale Industries ..	146
1390. रेलवे को धन का नियतन	Allocation of Funds to Railways ..	147
1391. आगामी आम चुनावों के लिये चुनाव चिन्हों में परिवर्तन	Revision of Election Symbols for next General Elections ..	147
1392. अक्तूबर, 1970 से नई ट्रेनें चालू करने की योजना	Scheme to start new trains from October, 1970 —	148
1393. रेलवे के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission on Railways ..	148
1394. तकनीकी जानकारी के आयात वाले विदेशी सहयोग पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Foreign Collaboration involving Import of Technical Know-How ..	148—149
1395. औद्योगिक लाइसेंस नीति	Industrial Licensing Policy	150
1396. दिल्ली के कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय के कर्मचारी	Staff in the office of Registrar of Companies, Delhi ..	150—151

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1397. श्रमिकों द्वारा उत्पादन और स्टेन्डर्ड मोटर कार के मूल्य	Labour Output and price of Standard Motor Cars	151
1398. हसन मंगलौर रेलवे लाइन पर रेलवे पुलों और रेलवे पुलियों पर पैदल पथ	Footpaths on Culverts and Bridges of Hassan Mongalore Rilway Line ..	151—152
1399. दक्षिण कनारा टाइल उद्योग में संकट	Crisis in South Kanara Tile Industry ..	152—153
1400. बम्बई-मंगलौर तटीय रेलवे लाइन का तेजी से सर्वेक्षण करने की मांग	Demand for speedy survey of Bombay-Mangalore Coastal Railway Line ..	153—154
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to matter of urgent Public Importance—	
उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Mills in U. P. ..	154—160
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	154, 155—156
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmad ..	154—160
दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थिति के बारे में	Re : Situation in Delhi University ..	160
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	160—161
संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक	Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill ..	161—172
खंड 2 से 4	Clauses 2 to 4 ..	166—172
उड़ीसा के लिये एक नये इस्पात कारखाने की मांग पर चर्चा	Discussion Re : Demand for a new Steel Plant for Orissa ..	172—189
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo ..	172—174
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ..	174—177
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	177
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar ..	177—178
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani ..	178—179
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	179—180
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha ..	180
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana ..	180—181
श्री बृजभूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal ..	181

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	..	181—182
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	..	182—183
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	..	183—185
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	..	184—185
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	..	185
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	..	185—186
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	..	186
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	..	186—187
श्री दे० अमात	Shri D. Amat	..	187
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	..	187—189
केरल राज्य के बारे में उद्घोषणा और राज्यपाल की रिपोर्ट	Proclamation in Relation to the State of Kerala and the State Governor's Report	..	190

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 4 अगस्त, 1970 / 13 श्रावण, 1892 (शक)
Tuesday, August 4, 1970/Sravana 13, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अद्रा और इन्द्राबिल स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच मालगाड़ी से विस्फोटक पदार्थों का लूटा जाना

+

*181. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** **श्री जो० ना० हजारिका :**
श्री वेणीशंकर शर्मा : **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोमिया में बुक किये गये विस्फोटक पदार्थों के कुछ बक्सों को 25 जून, 1970 को अद्रा और इन्द्राबिल स्टेशनों (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है तथा तत्पश्चात उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या पहले भी ऐसी घटनायें हुई थी और यदि हां, तो गत दो वर्षों में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहनलाल चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें ब्यौरा दिया गया है।

(ग) जी नहीं। 1968 और 1969 की अवधि में इस क्षेत्र में विस्फोटकों के लूटे जाने की कोई घटना नहीं हुई थी।

विवरण

25-6-70 को लगभग 13 बजे आदरा और इन्द्राबल स्टेशनों के बीच 50-60 बदमाशों ने होज पाइपों को अलग करके एक मालगाड़ी को रोक लिया था। बदमाशों ने एक माल डिब्बे के दरवाजे को तोड़ डाला, जिसमें विस्फोटकों की 350 पेटियां थीं, और उन्होंने पेटियों को निकालना शुरू कर दिया। पहरे की ड्यूटी पर रहने वाले रेल सुरक्षा दल के दो सशस्त्र रक्षक घटनास्थल पर तुरन्त पहुंचे और बदमाशों को ललकारा लेकिन बदमाशों ने रक्षकों को डराया धमकाया और वे पेटियां हटाते रहे। चुराई गई सम्पत्ति लेकर भागने वाले अपराधियों के दल का रक्षकों ने पीछा किया। जब सभी अपराधी एक साथ मिलकर हत्या करने के इरादे से रक्षकों की ओर बढ़े तो उन्होंने आत्म रक्षा और रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए एक-एक राउंड गोली चलायी जिसके परिणाम स्वरूप एक अपराधी मारा गया। इसके तुरन्त बाद बाकी अपराधी चुराई गई अधिकांश पेटियों को खुले मैदान में छोड़कर अलग-अलग दिशाओं में भाग गये। रेल सुरक्षा दल और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और इर्द-गिर्द के इलाकों की तलाशी के दौरान घटना स्थल से 3 किलोमीटर के घेरे में 41 पेटियां बरामद हुई।

अपराधी जितनी पेटियां अपने साथ ले गये उनकी कुल संख्या 53 थीं और 41 पेटियों के बरामद हो जाने के बाद, रिपोर्ट मिली है कि 12 पेटियां गुम हैं। जिन पेटियों में विस्फोटक थे, उन पर "इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, गोमिया-क्लास 3 एक्सप्लोसिव्ज, डिवीजन-1 टार्च ब्रांड" का मार्का था। जिस माल डिब्बे से चोरी हुई थी उसे जांच के लिये रोक लिया गया था। रेलवे सुरक्षा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148/149/461/379/353 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया जिसकी जांच पड़ताल हो रही है।

इस क्षेत्र में 1969 से रेल सुरक्षा दल की एक टुकड़ी पहरा देती रही है जिसमें एक प्रधान रक्षक और 4 रक्षक थे। 1970 के आरम्भ से एक अतिरिक्त टुकड़ी (एक प्रधान रक्षक और चार रक्षक) बढ़ाकर इस पहरे को सुदृढ़ कर दिया गया। एक तीसरी टुकड़ी बढ़ाकर इसे और सुदृढ़ किया गया हैं। और अधिक सतर्कता बरतने के लिए क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गयीं हैं।

Shri Mrityunjay Prasad: I would like to remind the hon. Minister that the explosives belonging to the army were looted last year. Now if you mean that the areas in question were Adra and Indrabil, then in that case your statement might be true. But actually the explosives of the army were looted on the Eastern Railway. But if you consider Adra as Bengal then my saying is true. I would like to know that whatever I have said is right or wrong. Besides, it matters little whether explosives of the army are looted or those materials are looted which are of civilian use. As far as I know the Gomia Explosives Limited manufactures the explosives for mines and tunnels in hills for civilian use. When these explosives reach in the hands of the miscreants it does not matter whether it may be used in destroying somebody's house or may be used in some other destructive works. This will always have an adverse effect. Therefore, I would like to know whether you have made any arrangement for their safety. Are you going to provide 'Rakshak' for such materials as you are doing with the army ?

This incident occurred on 25th June. It is not clear from your statement that any arrest has been made after the inquiry. I would like to know whether you have not got any proof. More than a month has passed since this incident occurred. A criminal was also killed in it. You have a very good opportunity to trace his colleagues after the identification of his body. I would like to know whether you have traced his colleagues and if so, have you arrested somebody ?

This is a matter of chance that two Rakshaks reached on the spot when there was no Rakshak with the train. I would like to know whether you are going to make any arrangement for the safety of such materials in future ?

Shri R. L. Chaturvedi : I have said in reply to the main question that no such incident occurred in this area in 1968 and 1969. But it does not mean that it did not happen in some other areas. If the hon. member desires, I shall also give the details of other places.

This second question is regarding the escort. We should adopt precautionary measures whether it is the property of the private party or explosives. It should be carried properly from one place to another by armed personnel. In this connection I would like to say that at present the only vulnerable sections where we consider that such incidents happen, the escort is provided there and this escort is arranged according to the manpower. In other places this escort is not arranged for. But this is under consideration as to what is to be done about the military materials.

Shri Mrityunjay Prasad : You said that the train was stopped by disconnecting hosepipes. The question arises that how one could catch the moving train and stop it unless he boards the train at the last station. This means that they boarded the train from the beginning. For this what measures you have thought ?

Have you noted for future reference as to which is the sensitive area. Where you will have to deploy escort. The whole area of the Bengal is sensitive area. You may point out any insensitive area in Bengal. Previously it was South Eastern Railway and now it is Eastern Railway. Will you make any such arrangement for the whole Bengal.

The goods trains are carrying away every type of materials but only explosives are looted. This is quite clear. Therefore, will you kindly warn the defence department that they should also remain alert ?

Shri R. L. Chaturvedi : I have said that the train was stopped by disconnecting hosepipes. The hon. member wants to know this whether the man was not sitting in it already and it could not be possible without sitting a person inside the train already. In this connection I would like to say that it is possible that already one or two persons might be sitting quietly. But in that regard the investigation is going on. Nothing can be said about it correctly at the moment. It is also possible that fifty to sixty miscreants came in and boarded the train when it slowed down. But the investigation is going on about all this.

The hon. member has said that why such arrangement is not made for the whole Bengal so that explosives could safely be taken away from one place to another place. The record which I have with me shows that the worst affected area is Gomo and Gaya Section of Bihar. State Government help is sought in it.

An. Hon. Member : Gaya does not come in Bengal..... (**interruption.**)

Shri R. L. Chaturvedi : If there is loot any where and if the hon. members want I can give the figures. But the reality is that the worst affected section is Gomo Gaya. We have increased the patrolling in Indrabil Section, Previously, there were a head Rakshak and four Rakshaks. We have doubled this strength. Again, trippled it. We are trying to do as much as we can.

Shri Mrityunjay Prasad : Whether anybody was arrested or not, no reply has been received about it.

Shri R. L. Chaturvedi : As I have already said that one miscreant was killed. Nobody was arrested. The police is making investigation.

Shri Jagannath Rao Joshi : This is a very serious matter, as hon. Minister said that the incident relates to 25th June but today it is 4 August i.e. the investigation has not been completed after a lapse of one month. The Government is still not aware as to how that train was stopped. I would like to know that for how long this investigation will go on.

Shri R. L. Chaturvedi : There is no doubt in it that this is a serious matter **(interruption.)** We also want that investigation is completed quickly and culprits are arrested and prosecuted. But we are helpless. We could only ask the State Government. Investigation is done by the State Police and this work is entirely done by them. We only report the case.

श्री नम्बियार : ऐसे मामलों में जहां चलती हुई गाड़ियों में डकैती डाली जाती है, क्या ड्राइवरों गार्डों और अन्य कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है जो गाड़ियों का संचालन करते हैं ? ये डकैतियां आधे मार्ग में डाली जाती हैं जहां इन कर्मचारियों को बाहरी सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है । इनकी सहायता अथवा सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है··· **(व्यवधान)** ये मालगाड़ियां होती हैं तथा इनमें यात्रियों के होने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : यह पूरक प्रश्न इस से नहीं उत्पन्न होता है·····

श्री नम्बियार : उनके लिए क्या किया जा रहा है ? आप कैसे कह सकते हैं कि यह पूरक प्रश्न इस सवाल से उत्पन्न नहीं होता है ? ऐसे मामले हुए हैं जहां गार्डों को मार दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न प्रासंगिक है ।

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : हमारे पास एक सेना है जिसे रेलवे सुरक्षा दल कहते हैं और इसे हम जोखिम की प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाते हैं । कुछ क्षेत्रों में अधिक खतरे हैं और इसलिए वहां सदैव रक्षक दिये जाते हैं । जब कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष खतरे में वृद्धि हो रही हो तो भी हम रक्षक देते हैं । लेकिन हर एक गाड़ी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है ।

श्री समर गुह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में माल डिब्बे तोड़ने वाले व्यक्ति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल में शामिल हो गये हैं·····इस बारे में हंसने की क्या बात है, यह तो पश्चिम बंगाल सरकार के रिकार्ड से पता चलता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है ।

श्री समर गुह : इस तथ्य की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कि मालडिब्बे तोड़ने वाले बहुत से व्यक्ति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल तथा नक्सलवादी जैसे राजनीतिक दलों में शामिल हो गये हैं, तब विस्फोटक पदार्थों के लूटे जाने के मामले ने एक गम्भीर राजनीतिक रूप धारण कर लिया है····· **(व्यवधान)** यह उत्तर दिया गया है कि लूटी गई विस्फोटक पदार्थों की 53 पेटियों में से केवल 41 बरामद हुई थीं और 12 अभी भी गुम हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक पेटी में विस्फोटक पदार्थ कुल कितना मात्रा में था और क्या ये विस्फोटक सामग्री राजनीतिक दलों जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के हाथों में चला गया है अथवा नहीं ?

श्री नम्बियार : मैं उसके अज्ञान पर केवल हंस ही सकता हूं; विश्व में घटित होने वाली प्रत्येक बात से वह अनभिज्ञ हैं····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के संबंध में आप अपने कारण नहीं जोड़ सकते हैं। उत्तर दिया गया था कि यह अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। तब आप विचारणीय प्रश्नों को क्यों कर रहे हैं ? मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे अधिकारियों ने इस पूरे मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच पड़ताल के लिये सौंप दिया है कि विस्फोटक पदार्थों की 12 पेटियां कहां गई हैं और क्या ये पेटियां हिंसात्मक उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई हैं।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : पेटियों की कुल संख्या 350 थी जिसमें 53 पेटियों को निकाला गया था। 41 पेटियों को बरामद किया गया था और 12 पेटियां गुम हैं। इस तरह के मामलों को हम केन्द्रीय जांच ब्यूरों को नहीं सौंपते हैं। पहले यह राज्य सरकार के लिये है कि वह जांच करे और तथ्यों की सच्चाई को ढूंढे। मामले पर किस तरह से विचार किया जाये, यह इसके पश्चात् ही सोचा जा सकता है।

श्री समर गुह : पश्चिम बंगाल में हम लोग इस के लिए बहुत चिन्तित हैं क्योंकि विस्फोटक पदार्थों की 12 पेटियां गुम हैं। क्या यह पता लगाना इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या ये पेटियां उग्रवादियों के हाथों में तो नहीं चली गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : केवल पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं अपितु यह मामला पूरे सदन के लिए महत्व रखता है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : जैसा मैंने समझा है, यह प्रश्न विस्फोटक पदार्थों को ले जानी वाली गाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लेने से ही संबंधित नहीं है अपितु कर्मचारी वर्ग, ड्राइवरों और गार्डों की सुरक्षा को बनाए रखने से भी संबंधित है। यह प्रश्न किया गया था कि क्या उन्हें आत्म सुरक्षा के लिये हथियार दिये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें वायरलैस सेट दिये जाते हैं ताकि आकस्मिक संकट की स्थिति में वे सहायता प्राप्ति के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा रेलवे स्टेशन से सम्पर्क स्थापित कर सकें ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जी, नहीं।

Recommendations of Lokanathan Committee and A.R.C. on small Scale Industries

\+

*182. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the recommendations of the Administrative Reforms Commission and the Lokanathan Committee on small scale industries which have been accepted by Government ; and

(b) the reasons for not accepting the rest of the recommendations ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख) . प्रशासनिक सुधार आयोग तथा लोकनाथन समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और उन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, before I ask any question, I would seek your protection. On 24th December, 1969, the report was submitted. On 24th February, 1970, during the last session, the same question was asked and the Government's reply was the same. To-day also the same reply is given by them. Please ask the Government what they are doing ?

Shri Prakash Vir Shastri : It is good that always the Government adopt the same stand.

Mr. Speaker : Please tell me how I can ask the Government. The Rules are silent in this respect.

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker Sir, the position is that in 1965-66, the national income from the small scale industries was to the tune of Rs. 1349 crores, whereas from other industries, it was only Rs. 1207 crores. The total number of employees working in various industries is about 79 lakhs, out of which 60 lakhs are working in small scale industries. The Government have completely neglected such an important sector of our industry. I would like to know whether the Government are aware that the small scale industry is in grave danger and that the reason for this is that the small industries have to purchase raw materials in black market. The Government is allocating the whole quota to big industries. The small scale industries do not even get licence to purchase capital goods. Will the Government fix a definite quota for them and also raise it from eight thousand to twelve thousand in the licensing policy so that they may not have to purchase the capital goods in black markets.

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है । मगर यह मुख्य प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि प्रश्न छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में लोकनाथन समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में है जो सरकार ने स्वीकार की है ।

श्री रंगा : लोकनाथन समिति की एक शिकायत यह थी कि आसानी से कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया जाता । अत: उसने इस संबंध में कुछ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी । अगर मैंने माननीय सदस्य की बात ठीक समझा तो उन्होंने पूछा था कि क्या उक्त कार्रवाई की जा रही है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्होंने वह प्रश्न पूछा होता, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता ।

श्री मं० रं० कृष्ण : पहली बात जो माननीय सदस्य ने कही यह है कि लोकनाथन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने में बहुत अधिक विलम्ब किया गया । असल में लोकनाथन समिति का प्रतिवेदन सरकार को फरवरी, 1970 में प्राप्त हुआ । इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं । इसके अलावा एक शिष्ट मंडल ने, जो जापान गया था, उसी समय एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इन तीनों प्रतिवेदनों में प्राय: एक ही प्रकार की सिफारिशें की गई थीं । इनमें से अधिकांश सिफारिशें अन्य कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं । अत: इस विषय पर एक दस्तावेज तैयार किया गया और मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया । इन सारी चीजों के अलावा, छोटे उद्योगों को नियमितरूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है । छोटे उद्योगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उनका पता लगाना और उसका हल करना एक निरन्तर काम है ।

श्री रंगा : वह फिर वही बातें दुहरा रहे हैं ।

श्री मं० रं० कृष्ण : अगर कोई निश्चित प्रश्न पूछा गया है, तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं । माननीय सदस्य ने प्रतिवेदन को स्वीकार करने में हुये विलम्ब के बारे में पूछा । मैंने

कहा कि सरकार के सामने तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। चूंकि इसमें कई अभिकरण शामिल हैं, अतः उनकी सम्पत्ति भी मिलनी है।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, my question was different. He has said that the report is under consideration and that he had received it on the 24th February. But the Commission had submitted its report on 10 December.....(**interruption**). I had asked him whether the Government would give protection to the small scale industries which are in danger. Will the Government supply them raw materials.

श्री मं० रं० कृष्ण : इस समिति ने कच्चे माल के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की थीं। इसके प्राप्त होने के पहले से ही सरकार कुछ छोटे उद्योगों को खासकर वे जो स्टेनलेस स्टील तांबा आदि से सम्बन्ध रखते हैं। जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे पूरी तरह से अवगत है। उन्हें संरक्षण देने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। उन्हें 300 से 700 करोड़ रुपये तक की उदार वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्हें कार्यकर पूंजी देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हर तरह की सहायता उन्हें दी जा रही है।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, my second question is whether the Government feels that the mounting unemployment in the country can be solved by setting up small scale industries ? In view of the unemployment problem, will the Government give priority and special attention to small scale industries in the fourth plan period ?

श्री मं० रं० कृष्ण : छोटे उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने का हर प्रयत्न सरकार कर रही है। पहले ही लगभग 50 छोटे उद्योगों को आरक्षित किया जा चुका है और अन्य 47 से 50 तक छोटे उद्योंगों को आरक्षण के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है।

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, Sir, the Minister has just now said that the recommendations made by the Lokanathan Committee and the Administrative Reforms Commission are under consideration of the Government. I would like to know whether it is due to the negligence, or the inefficiency of the Government to take immediate decisions or the occasional reshuffling of the Cabinet that the recommendations are even now under consideration ?

श्री मं० रं० कृष्ण : माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रशासन निरंतर रूप से चलता है, मंत्रियों के परिवर्तन से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिफारिशें या सुझाव हमेशा सरकार के पास रहेंगे। जो भी कार्रवाई की जाती है, उस पर मंत्रियों के परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

Shri Bansh Narain Singh : I would like to know as to how much time it will take for the rest of the recommendations to be considered and why they have not been considered so far ?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है जिसका वे जवाब दे चुके हैं।

Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister be pleased to state as to when the proposal regarding the recommendations of the Committee was sent to the Cabinet for final approval ? How much time will be taken to get the approval ? Will the Government make any change in the provisions already existing regarding the small scale industries in the Fourth Plan, based on the recommendations of the committee ? Will the Minister also be pleased to state whether the Government, in view of the setting of small scale industries, will give priority to agro-industries ?

श्री मं० रं० कृष्ण : छोटे-उद्योगों में कृषि-उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि-उद्योगों को संरक्षण देने का हर प्रयत्न किया जा रहा है। ये प्रस्ताव वित्त, वैदेशिक-व्यापार आदि मंत्रालयों

से भी सम्बन्धित हैं। जो सिफारिशें दी गई हैं, वे मूलभूत एवं महत्वपूर्ण हैं। अत: इन मंत्रियों को पहले इसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Shri Yashwant Singh Kushwah : In the light of the recommendations made by the Committee and the Commission etc. will the Government make necessary amendments in the provisions made in the Fourth Plan with regard to small scale industries ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह नियमित रूप से और निरंतर रूप से चलनेवाली बात है। अत: हमें योजना में भी आवश्यक संशोधन करना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : उद्योगों के, खासकर छोटे उद्योगों के विकास की क्षीण सम्भावनाओं का विश्लेषण करते हुये '**स्टेट्समैन**' में एक अर्थशास्त्री ने इसके तीन कारण बनाये। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कच्चे माल की प्राप्ति में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के कारण पूंजी लगाने का उपयुक्त अवसर नहीं रह गया है। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इन कारणों को मानते हैं और यदि ये कारण रहते हैं, तो इनको दूर करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये ?

श्री मं० रं० कृष्ण : छोटे उद्योगों को राशि और मशीनरी के रूप में उदार सहायता दी जाती है। माननीय सदस्य ने एक आम बात कही कि भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार शायद एक या दो क्षेत्रों में चल रहा होगा जहां कच्चे माल की कमी रहती है और इसीलिये वह बहुत अधिक मूल्य में बेचा जाता है। माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि सभी छोटे उद्योगों में कच्चे माल को ब्लैक में खरीदा जाता हैं या तमाम कच्चे माल की बिक्री ब्लैक के जरिये होती है।

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे : प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : यह केवल छोटे उद्योगों में ही नहीं हो सकता। अन्य विभागों में भी यह हो सकता है।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Minister has just now said that a definite question should be asked from him. I want to know whether it is a fact that the Utkal Rubber Manufacturing Co., a small scale industry, had been granted permission by The National Small Scale Industries Corporation on 24th Oct.. 1968, for the import of a few machines, for the manufacture of bicycle tyres and tubes, from Japan. On 7th July, 1970, they have been informed that permission for the import of machinery from Japan can not be granted and that they should purchase indigenous machinery. I want to know from the Hon'ble Minister as to why the permission granted to this company on 24th Oct.1968 was withdrawn ? This is a definite question and it should be replied.

श्री एम० आर० कृष्ण : इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। परन्तु सरकार भी यह सामान्य नीति रही है कि देश में उपलब्ध मशीनरी का न केवल लघु उद्योग धन्धों द्वारा बल्कि बड़े उद्योग धन्धों द्वारा भी प्रयोग किया जाना चाहिये।

Shri Rabi Ray : I would furnish the papers. You may kindly look into them.

इस्पात का मूल्य

+

*183. **श्री प० गोपालन :** **डा० एम० सन्तोषम् :**
श्री मुहम्मद इस्माइल: **श्री उमानाथ :**
श्री पीलू मोडी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खुले बाजार में इस्पात के अत्यन्त ऊंचे मूल्यों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने तथा खुले बाजार के इस्पात के मूल्यों में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या सरकार इस्पात के मूल्यों पर फिर से सांविधिक नियन्त्रण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). सरकार को पता है कि बाजार में मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों से काफी अधिक है । विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्र के खुले बाजार के मूल्यों में काफी अन्तर है परन्तु वे सामान्यत: संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों से न्यूनाधिक मात्रा में अधिक है ।

(ग) और (घ). वास्तव में यह अन्तर इस्पात बाजार में व्याप्त कमी की स्थिति का ही द्योतक है । वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाने, उत्पादन को बढ़ाने और देशीय उपलब्धि में कमी को आयात द्वारा पूरा करने के लिये सरकार द्वारा उपाय किये जा रहे हैं । इन उपायों का वांछित प्रभाव होने में कुछ समय लगेगा । इन उपायों से वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर ही मूल्य नियन्त्रण करना आवश्यक हो सकता है ।

श्री प० गोपालन : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि इस्पात की ऊंची कीमतें होने का एक प्रमुख कारण इस्पात की अत्यधिक कमी है । कीमतें कम करने के लिये बहुत अधिक मात्रा में आयात करने का उनका विचार है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कीमतों पर और वितरण प्रणाली पर सांविधिक नियन्त्रण लागू करने के मार्ग में क्या वास्तविक कठिनाई है ? दूसरा प्रश्न यह है कि चूंकि मंत्री महोदय ने यह स्वीकार कर लिया है कि देश में इस्पात की कमी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि विदेशों से जिस कीमत पर इस्पात का आयात किया जा रहा है, उससे कहीं कम कीमत पर छड़ों का निर्यात किया जा रहा है ? अगर ऐसा है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जब हमारे देश में इस्पात का गम्भीर अभाव है, तो छड़ों के निर्यात किये जाने का क्या कारण है ? सांविधिक नियन्त्रण लागू करने में क्या वास्तविक कठिनाई है ? मैं इन सभी प्रश्नों के बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस समय इस्पात उद्योग में जो समस्यायें अथवा कमियां हैं, सांविधिक नियन्त्रण उन सबका हल नहीं है । प्रश्न तो यह है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को

काफी मात्रा में इस्पात उपलब्ध हो, हमारा निर्यात व्यापार विनियमित हो और कीमतें कम हों। कीमतों का नियन्त्रण करने और वितरण को विनियमित करने के लिए अगर हमारे पास अन्य उपचारात्मक उपाय उपलब्ध हों, तो मेरे विचार में ऐसी स्थिति में सांविधिक नियन्त्रण लागू करना उचित नहीं है, जैसाकि माननीय सदस्य महोदय ने सुझाया है।

माननीय सदस्य द्वारा, छड़ों के निर्यात के बारे में उल्लिखित अन्य प्रश्न के बारे में, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि उन्हें सही सूचना प्राप्त नहीं है ? पिछले साल से हमने छड़ों का निर्यात पूरी तरह से बन्द कर दिया है.....

श्री नम्बियार : आप यह कैसे कह सकते हैं ? आपने पिछले साल से छड़ों का निर्यात बन्द नहीं किया है। मुझे पता है कि अभी तक आप निर्यात करते रहे हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह पिछले कुछ समझौतों से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन यह है कि कुछ समझौते पहले के थे जिनका पालन करना था और उनके बारे में ही निर्यात किया गया। उन्हीं समझौतों का पालन किया जा रहा है। अन्य प्रकार की छड़ों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

श्री प० गोपालन : उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है। मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार बाजार प्रणाली पर ही निर्भर रहेगी अथवा इस्पात की कीमतों को कम करने के लिये अन्य किसी प्रस्ताव पर भी वह विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम नई वितरण नीति बना रहे हैं, जो अक्तूबर से लागू हो जायेगी। नई नीति के लागू हो जाने से, मेरे विचार में, देश में व्याप्त अभाव की स्थिति समाप्त होगी और वितरण प्रणाली का उचित प्रकार से विनियमन होगा।

श्री प० गोपालन : इस्पात पर नियन्त्रण हटाने के बाद से, हम पाते हैं कि कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है। कुछ वस्तुओं की कीमत तो चालीस अथवा पैंतालिस प्रतिशत तक बढ़ गई है.....

श्री नम्बियार : 100 प्रतिशत तक....

श्री प० गोपालन : संयुक्त संयंत्र समिति जैसी एजेन्सियों की प्रबन्ध-व्यवस्था पर नौकर-शाहों और उद्योगपतियों का नियन्त्रण है।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही कुछ सूचना देते हैं और कुछ पूछते हैं। आप सीमापूरक प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

श्री प० गोपालन : श्रीमान् जी, इस पर मुख्य रूप से नौकरशाहों और उद्योगपतियों का नियन्त्रण है। चूंकि यह एक बेकार व्यवस्था है, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस विशिष्ट व्यवस्था को निलम्बित अथवा समाप्त करेंगे, जिससे कि उद्योगपति इस्पात की कीमतों को इतना ज्यादा न रख सकें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : उद्योगपति नहीं, बल्कि सरकार उद्योग से परामर्श करके सभी प्रश्नों पर निर्णय करती है। वास्तविक उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार तीनों मिलकर नीतियों को निर्धारित करते हैं।

श्री नम्बियार : उद्योगपतियों का वहां बोल बाला है। संयुक्त संयन्त्र समिति में टाटा हैं।

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं यह बताना चाहूंगा कि इस्पात के बारे में समग्र नीति का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। पिछली बार भी हमने 75 रु० प्रति टन की वृद्धि करने की अनुमति दी थी। राष्ट्रीय विकास के लिये इस्पात एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस्पात की कीमत को उचित स्तर पर रखा जाता है। इन उत्पादों के मूल्य का निर्धारण संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा किया जाता है। अब हमारी नई नीति के अन्तर्गत, संयुक्त सयन्त्र समिति को सभी सम्बद्ध जरूरतें प्राप्त होंगी। इस्पात प्राथमिकता समिति उच्चाधिकार प्राप्त समिति है और वह निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवंटन का निर्धारण करती है। यद्यपि अभी सांविधिक मूल्य नियन्त्रण नहीं है, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऊंची कीमत अथवा लाभ वह व्यक्ति वसूल करता है जो वास्तविक उपभोक्ता को इस्पात का वितरण करता है। इसलिये, हमारा प्रयास यह है कि यह विशिष्ट व्यवस्था समाप्त हो और यथा सम्भव अधिकाधिक मात्रा में इस्पात उपलब्ध हो।

Shri Ram Charan : Mr. Speaker, Sir. I want to know from the Hon'ble Minister whether Government would make arrangements, for proper distribution of steel—as he has stated that there is shortage of steel and I think there are three types of users—actual, bogus and retail sellers, but actual consumers do not get the steel, whereas bogus users are 80% of total users. I would like to know whether Government is making suitable arrangements for proper distribution to ensure that black-marketing is done away with and there is equitable distribution to all the persons. One person gets one thousand tons, where as the other is not able to get even two tons and steel is being sold at double the cost in Motia Khan.

Shri Mohammed Shafi Qureshi : The Government has formulated its new policy to ensure that the actual users get the raw-material to the maximum extent possible. The new policy would also do away with bogus marketing and black marketing. I would also like to tell the hon'ble member for his information that we have not only distributed the steel to the actual users, but we have also raised the value of actual users' licence by fifty percent.

श्री राम चरण : जाली उपभोक्ताओं के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : If the hon'ble member brings any bogus users to our notice, appropriate action would be taken against them.

श्री एस० एन० मिश्र : क्या टाटा बन्धुओं द्वारा अपने गोदामों से सीधे ही अत्यधिक ऊंची कीमत पर इस्पात बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : टाटा बन्धुओं द्वारा इस प्रकार सीधी बिक्री किये जाने के बारे में कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं और सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether it is a fact that the Government have recently increased the prices of steel due to pressure, especially from private companies.

Secondly what would be the effect of the increase in the prices of steel on the profits of Public Sector Steel Plants ?

Thirdly, whether Government would also nationalise this industry in view of the unstable trends of the market ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : So far as nationalisation of this industry is concerned, there is no question of nationalisation. Secondly, as the hon'ble Member has stated

that the prices have been increased at the instance of big industrialists, it is absolutely wrong. In fact, the middlemen used to earn profits. A slight increase has been allowed on account of expenditure on revolution of plants and replacement of equipments.

श्री स० कुण्डू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि टाटा जैसे बड़े बड़े इस्पात कारखानेदारों के दबाव में आकर सरकार को कीमतें बढ़ाने के लिये बाध्य किया गया और कीमतों को बढ़ाते समय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि विकसित देशों में बहुत ज्यादा वेतन दिया जाता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इस्पात उत्पादों का यह व्यापार सभी भ्रष्टाचारों का अड्डा है और अगर हां, तो क्या सरकार का विचार इस व्यापार के राष्ट्रीयकरण करने का है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि कुछ नकली फर्में, नकली उपभोक्ता केन्द्र और जाली उपभोक्ता होते हैं जो परमिट प्राप्त करते हैं और परमिटों को कार्यालय में ही बेच देते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस्पात की कीमत में वृद्धि का सम्बन्ध है, सदन को स्थिति का पता है और सदन ने इसे स्वीकार किया हैं। विचारणीय विषय यह था कि इस्पात एक ऐसा कच्चा माल है जिस पर समस्त विकास निर्भर करता है, इसलिये कीमतों को बहुत अधिक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए···

श्री रंगा : यह सब वह पहले ही कह चुके हैं। एक ही बात को वह बार-बार क्यों दुहरा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : अगर सदन यह चाहता है कि मैं उत्तर न दूं, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री स० कुन्दू : मैंने प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, न कि टाटा और बिड़ला के एजेन्टों का। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री ब० रा० भगत : कीमत में 75 रु० प्रति टन की वृद्धि को उचित समझा गया और इससे इस्पात उद्योग की मांगें और जरूरतें पूरी हो जायेंगी। जहां तक इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण और उसमें चोर बाजारी का प्रश्न है, आज भी अपने यार्डों के बारे में हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी इस्पात का सीधे ही आवंटन करती है। जो यार्ड छोड़े गये हैं—वे केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के टाटा और इण्डियन आयरन से सम्बन्धित है। हमारा यह प्रयास है कि व्यापारियों और वास्तविक उपभोक्ताओं को इस्पात के आवंटन में हिन्दुस्तान स्टील स्टाकयार्ड का अनुकरण करें और इससे स्थिति में सुधार होगा।

श्री पीलु मोडी : मुझे कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आप तभी कह सकते हैं, जब मैं आपका नाम लूं।

श्री पीलु मोडी : मैं यह चाहता हूं कि आप मुझे अभी बोलने का मौका दें, क्योंकि मेरा नाम के प्रश्नकर्त्ताओं में है।

श्री नम्बियार : वह बहुत देर से आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बारी के समय उपस्थित नहीं थे।

श्री पीलु मोडी : जैसे ही श्री नम्बियार आपके स्थान पर हस्तक्षेप करना बन्द कर देंगे, मैं बोलना प्रारम्भ करूंगा।

श्री नम्बियार : मैं तो यह कोशिश कर रहा था कि मुझे उनसे पहले बोलने का मौका मिले ।

अध्यक्ष महोदय : आप सबकी सहायता के लिये बहुत बहुत धन्यवाद, परन्तु जब मुझे जरूरत हो, तब आप मदद करें जब मैं यहां पर उपस्थित हूं, तब मदद करने की जरूरत नहीं । कृपया बैठ जाइये । मैं आपको बाद में बुलाऊंगा ।

श्री पीलु मोडी : मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता । अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं । आप देखेंगे कि मेरा नाम प्रश्न में सम्मिलित किया गया है । अगर आप प्रश्न के भाग (ग) को देखें, तो आप पायेंगे कि मैं कभी भी इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछ सकता था, और सदस्यों के नामों को समूहबद्ध करने और हमारी पार्टी के सदस्यों को श्री गोपालन और श्री उमा नाथ जैसे संदेहास्पद व्यक्तियों के साथ रखने से कितनी गड़बड़ी हो सकती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सचिवालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी सदस्य इस प्रकार के प्रश्न पूछें जो बहुप्रयोजनीय हों, तो उन्हें इस प्रकार के एक ही विषय के प्रश्नों को समूह-बद्ध नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से तब जबकि प्रश्न का गूढ़ार्थ कुछ और हो जैसे कि इस प्रश्न में है ।

श्री नम्बियार : यही तो मैं कहना चाहता था कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाय, क्योंकि सभी प्रकार से गलत फहमी पैदा कर दी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह विशाल गठबन्धन नहीं है ?

Shri Bibhuti Misra : Mr. Speaker, 85% of the total population of this country is agriculturists. This Government imposes control on the farm products and realises food-grains from farmers, but I want to know whether Government has made any agency to provide farmers iron, steel and cement, which are used by farmers for agricultural purposes, at reasonable prices ? At present even the Minister is a farmer....(**Interruptions**). You do not know it, I know it ....(**Interruptions**). I want to know whether a separate organisation has been made by the Government so that farmers may be able to get the steel at reasonable prices for agricultural purposes ?

Shri B. R. Bhagat : The provision of steel to farmers for agricultural purposes has been given high priority. One solution may be the setting up of more and more Hindustan Steel stock yards so that actual consumers i. e. farmers may get the steel. Secondly, we have accorded high priority to the provision of steel for the manufacture of agricultural equipments, whether manufactured by small scale enterpreneurs or big enterpreneurs. In addition to this, the Director of Industries of various State Governments send the demands for steel equipments for small scale industries and for agricultural purposes. We consider those demands and try to make provision as far as possible.

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पीलु मोडी द्वारा पूछे गये प्रश्न की मूल प्रति को देखा है : "क्या भारत सरकार ने सभी किस्म के इस्पात पर फिर से नियन्त्रण लागू कर दिया है ?" सूची में प्रश्न का भाग (ग) इस प्रकार है : "क्या सरकार इस्पात की कीमतों पर सांविधिक नियन्त्रण पुनः लागू करने पर विचार करेगी ?"

श्री पीलु मोडी : मुझे आशा है कि आपको दोनों बातों का फर्क पता चल गया होगा । क्या मैं इसे स्पष्ट करूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में बहुत थोड़ा फर्क है ।

श्री पीलु मोडी : मैं आपके कमरे में इस पर बात करूंगा ।

श्री नम्बियार : जिस प्रश्न का नोटिस उन्होंने दिया था, वह अब उन्हें याद नहीं रहा और अब उससे बचना चाहते हैं ।

श्री स० कुण्डू : मैंने नकली उपभोक्ताओं के बारे में पूछा था, परन्तु उन्होंने उत्तर नहीं दिया । नकली और जाली उपभोक्ताओं के बारे में उनका क्या उत्तर है ? उन्हें उत्तर तो देना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : I want to know from the Hon'ble Minister whether he is aware of the fact that according to the report of Estimates Committee some of the companies manufacturing drums and barrels have increased their manufacturing capacity through unfair means. As a result, they get steel at a control price of Rs. 1400 per tonne and they sell it at Rs. 3300 per tonne i. e. there is a difference of Rs. 1900 per tonne. According to the report submitted by the committee they have increased their capacity in contravention of the rules. What is the reason that although two years have passed, yet no action has been taken against them. This has resulted in loss of revenue to the Governments. While farmers are not getting steel at a cheaper rate, these unscrupulous and bogus people, who have increased their capacity through illegal means, are getting the steel alright. I would like to know from the hon'ble Minister whether he would assure the house that strict action would be taken against them and their quota would be stopped ?

An Hon'ble Minister : Not at all.

Shri B. R. Bhagat : The Hon'ble Member has said that manufacturers of drums and barrels who get the steel sell it in black market instead of manufacturing drums and barrels, and earn huge profits illegally and in contravention of the rules. It is a very serious matter and we would certainly inquire into it.

Shri Madhu Limaye : The Estimates Committee has observed that their quota has been regularised against the rules. I want to know whether their quota would be cancelled. Would it be given to the farmers ?

Shri B. R. Bhagat : We would seriously consider the recommendations of the Estimates Committee and would take appropriate action thereafter.

Shri Hukam Chand Kachwai : Have some courage after all.

Shri B. R. Bhagat : I have already said that we would seriously consider the recommendations of the Estimates Committee and would take appropriate and necessary action.

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पीलु मोडी के प्रश्न का फिर से अध्ययन किया है । उन्होंने यह सूचना मांगी थी कि 'क्या सरकार ने फिर से नियन्त्रण लागू किया है ।' प्रश्न के भाग (ग) में यह कहा गया है कि 'क्या वे इस पर विचार करेंगे ।' इसका मतलब तो यह हुआ जैसे आप इसे कह रहे हैं । इसमें काफी फर्क है । मुझे इसके लिये खेद है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : चाहे नकली लाइसेंस हो अथवा वास्तविक और सही लाइसेंस हो, मगर जिस बात को नजरअन्दाज किया जा रहा है, वह यह है कि उपभोक्ता को स्टील चाहिए और वही कीमत अदा करता है और उसे वह बाजार भाव पर ही उपलब्ध हो पाती है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री वेदव्रत बरुआ : सरकार के सामने केवल दो विकल्प हैं। उपभोक्ता को वितरण सहित समग्र वितरण को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने घाटे में क्यों रहें ? कीमतों को बढ़ा दो और उस कीमत पर उपभोक्ता खरीद सकता है।

श्री ब० रा० भगत : उपभोक्ता उद्योगों में है, जो जरूरी वस्तुओं के निर्यात के लिये इंजीनियरिंग का सामान बनाते हैं ; किसान भी उपभोक्ता है, जिसे कृषि उपकरणों के लिये इसकी जरूरत होती है। उपभोक्ता की एक अन्य श्रेणी आम आदमी है, जिसे थोड़ी मात्रा में, मकान बनाने आदि के लिये पांच या दस टन की जरूरत होती है। हमारा प्रयास तो अन्तिम वर्ग के व्यक्तियों के लिये है, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है अर्थात् हिन्दुस्तान स्टील अथवा सरकारी क्षेत्र के अन्य दो कारखानों से उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री के लिये स्टाकयार्डों के वृद्धि की जाय।

दूसरे मुझे यह कहना है कि स्टाकयार्डों के माध्यम से सीधे ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने वाले स्टील में हम वृद्धि कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : दो बातें ऐसी हैं जो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के मन में चिन्ता उत्पन्न कर रही है। क्या मन्त्री महोदय को पता है कि हमारे ही लौह अयस्क से जापान हमारे इस्पात की अपेक्षा कम कीमत पर इस्पात का उत्पादन कर रहा है और हमारे इस्पात की कीमतें विश्व में सर्वाधिक हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच विशेषज्ञों से करवा रही है कि उत्पादन-लागत को कैसे कम किया जाय ?

दूसरा प्रश्न उचित वितरण का है। वितरण अभी असमान है और यह एक निस्सन्देह तथ्य है कि सरकार चुनाव के लिए पैसे इकट्ठे करने की वजह से, इस्पात ही नहीं बल्कि दवाओं और अन्य वस्तुओं की कीमतों के साथ खिलवाड़ कर रही है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार वास्तव में कीमतें घटाने और देश-वासियों की आवश्यकताओं पर आधारित उचित तथा समान वितरण प्रणाली अपनाने का है।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस्पात-लागत मूल्य का प्रश्न है, यह सच है कि इस्पात की प्रतिटन पूंजीगत लागत ऊंची है क्योंकि हमारे देश में न केवल इस्पात संयंत्र हैं बल्कि अन्य नगर-क्षेत्र तथा कई दूसरे तत्व भी हैं। जहां तक इस्पात की प्रतिटन औसत लागत का प्रश्न है, हमारा उत्पादन लागत दूसरे देशों, जिसमें जापान भी शामिल है, की तुलना में कम है या बराबर है। बात यह है कि हमारे औद्योगिक इस्पात संयंत्र निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहे हैं। दुर्गापुर उन संयंत्रों में से एक है। यदि इस्पात संयंत्र निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन करे तो निश्चित है कि हम तुलनात्मक कम लागत पर इस्पात का उत्पादन कर सकेंगे और उन्हें लाभकर बनाया जा सकेगा।

जहां तक मूल्य का प्रश्न है, मैं यह बात जोरदार शब्दों में दोहराना चाहता हूं कि इस्पात मूल्य को नियत करते समय परोक्षरूप से चुनाव में होने वाले व्यय को ध्यान में रखा जाता है। मुझे जानकारी नहीं कि यह सब कैसे होता है।

श्री पीलु मोदी : मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य इस मामले में प्रवीण हैं। (**व्यवधान**) वह छान-बीन कर सकते हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : अन्तिम उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि जबकि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की निर्धारित क्षमता 90 प्रतिशत है तो सरकारी क्षेत्र संयंत्रों में यह निर्धारित क्षमता लगभग 60 से 70 प्रतिशत ही क्यों है ? इसका क्या कारण है ?

श्री ब० रा० भगत : मुख्य कारण उत्पादन है। जैसा कि आप को ज्ञात है कि दुर्गापुर की उत्पादन की निर्धारित क्षमता लगभग 30 प्रतिशत है। अन्य बातों को छोड़कर इसी कारण से हमारे आंकड़े कम हैं।

श्री पीलु मोडी : भिलाई की क्या स्थिति है ?

श्री ब० रा० भगत : इसकी निर्धारित क्षमता सही है।

श्री पीलु मोडी : निर्धारित क्षमता कितनी है ? (व्यवधान) मैं आप को बता दूं कि भिलाई की निर्धारित क्षमता केवल 75 प्रतिशत है।

श्री स० कुण्डू : माननीय मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। निर्धारित क्षमता की बात तो अलग, भिलाई प्राप्य क्षमता, संयंत्र क्षमता तक भी नहीं पहुंचा है। (**व्यवधान**)

श्री ब० रा० भगत : संयंत्र क्षमता और निर्धारित क्षमता में अन्तर है। अन्य संयंत्रों की तुलना में मैं जानता हूं कि भिलाई अच्छी प्रकार चल रहा है।

श्री पीलु मोडी : मैं आप को फिर सूचित कर दूं कि रूरकेला की स्थिति बेहतर है।

Shri Lakhan Lal Kapoor : Mr. Speaker, Sir, I want to ask one specific question. Is it not true that the Billets and steel Rollers Mills Association which are got registered through J. P. C. are being supplied steel and billets in large quantity whereas small scale industries which are not got registered are not supplied steel and billets. Is it also true that bogus firms are selling iron and billets in double rates in the market and as a result of this consumers have to pay double rates for small scale industry's products. If so, whether you will reduce the quota fixed for Mill owners and give to small scale industries ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There are two kinds of Member of S. R. N. A. One is who got quota for billets and other are Mill owners who run their factories with scrap. But now Government have given a decision that those who run their re-rolling Mills with scrap are also eligible to become a member of S. R. N. A. and they can take the same kind of benefit as it is enjoyed by the factories using billets. Government have made new policy to regulate the distribution of billets and we will see that the finished products of re-rolling mills using billets should be available to consumers at fair price.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Provision of Sheds over Platforms of Railway Stations in Kangra Valley

*184. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at present there are several Railway stations in the Kangra Valley where no sheds have been provided over the Platforms ;

(b) if so, the number of such stations; and

(c) the action Government propose to take to provide sheds over the platforms?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) Yes, Sir.

(b) Twenty two.

(c) Platform shelter is not a basic amenity but an additional amenity which is provided on a programmed basis, in consultation with the Railway Users' Amenities Committee after taking into account the traffic dealt with at the station, the need for the same vis-a-vis other stations, where such an amenity may be lacking, and also the availability of funds.

Provision of platform shelter at the 22 stations on this section is not considered justified for the present level of traffic, more so as the waiting halls existing at these stations provide sufficient shelter to the travelling public.

विशाल औद्योगिक समूहों के रूप में उन्हें वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में कम्पनियों द्वारा विरोध

*185. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक 40 कम्पनियों ने सरकार से विरोध प्रकट किया है कि वे औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में दर्ज बड़े औद्योगिक गृहों को श्रेणी में नहीं आती ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जिन कम्पनियों ने सरकार से विरोध प्रकट किया है, उनके क्या नाम हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनके दावों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तेईस कम्पनियों ने, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट की सूची अनुसार अपने को वृहद उद्योग गृहों में सम्मिलित करने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये हैं।

(ख) उन तेईस कम्पनियों के नाम युक्त एक सूची, सदन के पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3829/70]**

(ग) और (घ). तीन अभ्यावेदन खारिज कर दिये गये हैं। अन्य अभ्यावेदन, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा उद्विकसित मानदण्डों के निर्देश सहित, परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर है।

दक्षिण भारत में और अधिक इस्पात कारखानों की स्थापना

*186. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सारिणी से बहुत पीछे है तथा अन्य कारखानों की तुलना में इसमें इस्पात की उत्पादन लागत भी बहुत अधिक होगी ;

(ख) क्या दुर्गापुर कारखाना भी श्रमिकों में असंतोष तथा अनुशासनहीनता के कारण घाटे में चल रहा है तथा बाजार में इस्पात की मांग की तुलना में सामान्यतः देश में इस्पात की कमी है ;

(ग) क्या उक्त संदर्भ में, सरकार दक्षिण भारत में अन्य तीन इस्पात कारखानें स्थापित करने के प्रश्न पर फिर से विचार करेंगी क्योंकि इसके साथ साथ लौह अयस्क की भी कमी है ; और

(घ) क्या सरकार इस्पात उद्योग में व्याप्त खराबियों का विश्लेषण करेगी तथा अधिक कारखानें बनाने के बजाय वर्तमान कारखानों को सुचारुरूप से चलायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने की संशोधित निर्माण अनुसूची के अनुसार पहली धमन भट्टी को दिसम्बर, 1971 के अन्त तक और पूर्ण प्रथम चरण को लगाने का काम मार्च, 1973 तक पूरा हो जायेगा। संशोधित निर्माण अनुसूची के अनुसार भिन्न-भिन्न कामों के लिये निश्चित किये गये लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति में जून 1970 में कुछ कमियां रही हैं। आशा है कि निर्माण अनुसूची के अनुसार कार्य पूरा करने के लिये किए जा रहे अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप त्रुटियां उत्तरोत्तर कम हो जायेंगी और प्रायोजना का संशोधित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सकेगा। जहां तक इस्पात की लागत का सम्बन्ध है, कारखाना अभी निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में है और सही-सही मूल्यांकन करना कठिन है।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में कच्चे लोहे की कोई कमी नहीं है। इसको देखते हुए और प्रत्याशित मांग और पूर्ति के अन्तर को देखते हुए सरकार ने तीन नये इस्पात कारखानें लगाने का निर्णय किया है।

(घ) जैसा कि 'परफोर्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील लि०' नामक पुस्तिका में (जिसकी प्रति 5 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी) बताया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों की कार्य कुशलता को सुधारने और हानियों को रोकने तथा कम करने के लिये बहुत से उपाय किये गये हैं। उत्पादन को बढ़ाने और इसके रास्ते में बाधक कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर करने के लिये भी सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस बात को देखते हुए कि इस्पात कारखानों को पूरी क्षमता प्राप्त करने में काफी समय

लगता है, यह आवश्यक है कि वर्तमान इस्पात कारखानों की मौजूदा कठिनाइयों पर काबू पा लेने से पूर्व ही नये इस्पात कारखानों की स्थापना के लिये कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाये, अन्यथा इस्पात की कमी और भी अधिक होती चली जायेगी और काफी समय तक चलती रहेगी ।

मद्रास की स्टैन्डर्ड मोटर फैक्ट्री को हुई हानि

*187. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री राम चरण : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास की स्टैंडर्ड मोटर फैक्टरी काफी समय से बन्द पड़ी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारी घाटा होने के कारण यह फैक्टरी बन्द हुई है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस फैक्टरी को वर्ष-वार कितना घाटा उठाना पड़ा है ; और

(घ) सरकार ने मोटर बनाने वाले इस कारखाने को समर्थ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है जिससे उत्पादन न रुके और श्रमिक भी काम पर लग जायें ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) फर्म से प्राप्त सूचना के अनुसार बार बार होने वाले श्रमिक आन्दोलनों तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें कारखाना बन्द करना पड़ा । सरकार ने हाल ही में एक जांच निकाय नियुक्त किया है जो कि उन परिस्थितियों की पूर्ण जांच करेगा जिनके कारण कारखाना बन्द करना पड़ा ।

(ग) 1966 से 1968 में फर्म ने निम्नलिखित लाभ या हानि की घोषणा की थी :-

1966	लाभ 4,12,148 रु०
1967	लाभ 10,15,507 रु०
1968	हानि 2,00,539 रु०

1969 की जानकारी उपलब्ध नहीं ।

(घ) इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले पगों पर विचार भाग (ख) में उल्लिखित जांच निकाय के प्रतिवेदन की प्राप्ति तथा उसके परीक्षण के पश्चात ही किया जायेगा ।

एल्लपी होकर क्विलोन तथा कोचीन के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण

*188. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्लपी होकर कोचीन तथा क्विलोन के बीच रेल सम्पर्क स्थापित

करने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है ;

(ख) सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया जायेगा ; और

(ग) योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). 7-7-1970 को 83,324 रु० की अनुमानित लागत से अलप्पी के रास्ते एर्णाकुलम (कोच्चिन के निकट) से कापनकुल्म (क्विलन के निकट) तक एक तटीय रेलवे लाइन के लिए एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा रहा है और लगभग 6 महीने में पूरा हो जायेगा। सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने और उसका परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

छोटी कार परियोजना के लिए धन जुटाने हेतु डाक तथा तार विभाग के पास जमा जमानत की राशि का उपयोग

*189. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम्बेसडर, फियेट, स्टैंडर्ड कारें, जीप कार तथा स्कूटर खरीदने के इच्छुक लोगों की भारतीय डाक तथा तार विभाग के पास जमानत के रूप में अलग अलग कुल कितनी राशि जमा है ;

(ख) क्या पहले प्राप्त हो चुकी जमानत की राशि का और डाक तथा तार विभाग को भविष्य में प्राप्त होने वाली जमानत की राशि का उपयोग प्रस्तावित छोटी कार परियोजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित छोटी कार परियोजना के लिए जमानत की राशि से जुटाए गए धन के उपयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 31 मार्च, 1970 को बिभिन्न विक्रेताओं के पास कारों तथा स्कूटरों के लिए अनिर्णीत पड़े आर्डरों की संख्या इस प्रकार है :

कारें	
एम्बासेडर	27,954
फिएट	36,467
स्टैण्डर्ड हेराल्ड	389
स्कूटर	2,67,537

मोटर कार (वितरण तथा विक्री) नियंत्रण आदेश, 1959 के उपबन्धों के अधीन कार के प्रत्येक आर्डर पर डाकखाने में 2000 रु० जमा करना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूटर

(वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण और आदेश 1960 के अन्तर्गत स्कूटर के प्रत्येक आर्डर पर डाकखाने में 250 रु० जमा करना आवश्यक है। इस आधार पर 31 मार्च, 1970 को डाकखानों में जमा की गई कुल राशि इस प्रकार होगी :-

(i) एम्बासेडर कारों की बुकिंग के लिए	5,59,08,000 रु०
(ii) फिएट कारों की बुकिंग के लिए	7,29,34,000 रु०
(iii) स्टैंडर्ड हैराल्ड कारों की बुकिंग के लिए	7,78,000 रु०
(iv) स्कूटरों के बुकिंग के लिए	6,68,84,250 रु०

जीप के आर्डर के लिए डाकखाने में कुछ भी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग). डाकखानों में जमा की गई अन्य राशियों की भांति इन जमानती राशियों को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए देश के समग्र साधनों में पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है और इस तरह, जमा की गई इन राशियों को प्रस्तावित छोटी कार परियोजना के लिए उपलब्ध अतिरिक्त वित्तीय साधनों के रूप में नहीं समझा जा सकता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांधी नगर और अहमदाबाद के बीच नई रेलवे लाइन

*190. **श्री मनुभाई पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में राज्य सरकारों की कौन-कौन सी नई राजधानियां ऐसी हैं जहां रेलवे लाइनें मौजूद हैं ;

(ख) क्या गुजरात सरकार की नई राजधानी गांधी नगर रेल द्वारा अहमदाबाद या मेहसाना से जुड़ी हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां बड़ी लाइन है या छोटी लाइन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो गांधी नगर को रेल द्वारा अहमदाबाद से जोड़ने की कोई योजना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पंजाब और उड़ीसा की नई राजधानियां अर्थात चंडीगढ़ और भुवनेश्वर के लिये रेलवे लाइन मौजूद है।

(ख) और (ग). गांधी नगर के लिए खोडियार स्टेशन है, जो पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मेहसाना मीटर लाइन खण्ड पर स्थित है।

(घ) जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र में नई वस्तुओं का निर्माण करना

*191. **श्री मणिभाई जे० पटेल** :

श्री शिव नारायण :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की किन नई वस्तुओं का निर्माण सरकारी क्षेत्र के

उपक्रमों द्वारा किये जाने का विचार है और इन कारखानों के कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ;

(ख) शिशु आहार का निर्माण करने जैसे कारखानों के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबन्ध हैं और दोनों क्षेत्रों में उनके उत्पादन के क्या लक्ष्य होंगे ।

(ग) सरकारी क्षेत्र द्वारा सूक्ष्म यन्त्रों का निर्माण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचियां, जिनमें उन्होंने सरकारी क्षेत्र में निर्माण के लिये उपयुक्त वस्तुओं का सुझाव दिया है, सरकार को प्राप्त हो गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). यह सिद्धान्तरूप से निर्णय कर लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र को उन नये क्षेत्रों तक विस्तृत किया जाय जहां उत्पादन तथा मांग में पर्याप्त अन्तर विद्यमान है अथवा आगामी कुछ वर्षों में हो जाने की सम्भावना है । इसमें सरकारी कारखानों में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के प्रश्न पर विचार सम्मिलित है । इन वस्तुओं का चयन अभी विचाराधीन है और इसके पूर्व कि विनियोजन के बारे में निश्चय किया जाये विस्तृत सम्भाव्यताओं, उत्पादन लक्ष्यों और इस प्रकार की अन्य बातों पर अन्तिम निर्णय सम्बद्ध उत्पादन मंत्रालयों द्वारा किया जाना है । यह पहले ही निर्णय ले लिया गया था कि सरकारी वित्तीय संस्थान इस हेतु स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के वित्तीय सहायता प्रदान करने के आवेदनों पर उन्हीं शर्तों पर विचार करेंगे जिन पर कि वह गैर सरकार पार्टियों को प्रदान करते हैं ।

दिल्ली में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी करने की मांग

*192. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री सूरज भान :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री शारदा नन्द :**

क्या **औद्योगिक विकास, तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागरिक परिषद् दिल्ली, की ओर से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के बारे में हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और बजट से पूर्व तथा बजट पेश होने के 3 माह पश्चात् उन वस्तुओं की कीमतें क्या थीं ;

(ग) प्रत्येक वस्तु की कीमत घटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) उपभोक्ता वस्तुओं में लाभ की ऊंची दर पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्ययाही किये जाने का विचार है ; और

(ङ) इस समस्या की जांच के लिये सरकार द्वारा कोई अध्ययन दल नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). जी, हां । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । (अनुबंध 1 और 2) । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–3830/70]**

(घ) और (ङ). जहां-कहीं यह महसूस किया जाता है कि किसी भी उपभोक्ता वस्तु पर अधिक लाभ लिया जा रहा है तो उस विशिष्ट उद्योग के लागत ढांचे तथा तुलन पत्र (बैलंस शीट) की तुरन्त जांच की जाती है। जैसी आवश्यकता होती है, आगामी कार्रवाई के लिये विस्तृत रूप से जांच करने हेतु औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों, वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा तथा प्रशुल्क आयोग आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों का उपयोग किया जाता है। इस समय उक्त ब्यूरो अन्य बातों के साथ-साथ बाल बनाने के ब्लेड तथा ड्राई सेलों जो कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं, की लागत ढांचे की जांच-पड़ताल कर रहा है। इसके अलावा, जहां-कहीं यह आवश्यक समझा जाता है, वहां केन्द्र, विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन अत्यधिक लाभ कमाने, जखीरे बाजी तथा चोर बाजारी करने के खिलाफ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को लागू करती है।

औद्योगिक गृह

*193. **श्री अ० कु० गोपालन :**

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशाल औद्योगिक गृहों की श्रेणी में आने वाले औद्योगिक गृहों की संख्या क्या है ;

(ख) इस प्रकार के औद्योगिक गृहों के नाम और उनकी परिसम्पत्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने विशाल औद्योगिक गृहों की श्रेणी में आठ और औद्योगिक गृहों को भी सम्मिलित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन औद्योगिक गृहों के नाम और उनकी परिसम्पत्तियां क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने केवल 20 औद्योगिक गृहों को बड़े औद्योगिक समूहों की श्रेणी में रखा है। उनके नाम और आस्तियां औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट के परिशिष्ट II -क (I) में दिये गये हैं, जिसकी प्रतियां पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी हैं। सरकार ने इस वर्गीकरण को मान लिया है।

जम्मू तथा काश्मीर में बिजली उत्पादन परियोजनाएं

*194. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल द्वारा किये जाने वाले विलम्ब के कारण जम्मू तथा काश्मीर में बिजली उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सप्लाई में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) वर्तमान क्रयादेश के अनुसार हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि०, भोपाल को अपर सिंध हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रायोजना को 11 मेगावाट के केवल दो हाइड्रो एककों का सम्भरण करना है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० द्वारा जम्मू और काश्मीर सरकार को इन एककों का संभरण करने में, हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि० को कम्बाइन्ड स्पीड रिंग तथा पिक्ड रिंग कास्टिंग की देशीय संभरणकर्ता द्वारा देर में पूर्ति होने के कारण, कुछ विलम्ब हुआ है। इन एककों के सम्भरण में हुए विलम्ब से जम्मू और काश्मीर राज्य की विद्युत जनित्रण परियोजनाओं की प्रगति पर गम्भीर प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है। यथा शीघ्रसम्भरण करने के लिये हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

भारतीय रेलवे के आरक्षण में कदाचार रोकने के उपाय

*195. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री झारखंडे राय :
श्री जि० मो० बिस्वास :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे के आरक्षण विभाग में कदाचार रोकने के उद्देश्य से कुछ उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या उपाय किये गए और उनका परिणाम क्या निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अनाचार का उन्मूलन सरकार के लिए लगातार चिन्ता का विषय बना है और वह रेलों में शायिकाओं और सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित लेन-देनों में होने वाले अनाचार को रोकने के लिये उत्तरोत्तर उपाय करती आ रही है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए जो उपाय अपनाये गये हैं, वे सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–3831/70]**

Industries Run by Modi Industrial Complex

*196. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of industries being run by the Modi Industrial complex together with the dates of their establishment and the amount of capital invested at the time of their establishment, industry-wise, and the details of their present capital, industry-wise;

(b) the composition of the Board of Directors of this Industrial complex ; and

(c) whether it is a fact that all the members of the Board of Directors belong to the same undivided family and they are running business under different names ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (c). Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

शीतल पेय की कीमतें

*197. **श्री दे० अमात :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री अदिचन : **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय की कीमतों पर नियंत्रण रखने की बात को ध्यान में रखते हुये "कोका कोला", "गोल्ड स्पाट", "फन्टा" आदि शीतल पेयों की लोकप्रिय किस्मों की उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य और लाभ की गुंजाइश के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक पेय की औसत उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य तथा लाभ की गुंजाइश क्या है ; और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है ; और

(ग) चीनी की कीमतों के एक बड़ी सीमा तक कम हो जाने के बावजूद शीतल पेय की इन किस्मों की कीमतें पीछे किन परिस्थितियों के कारण बढ़ाई गई थीं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). हल्के पेयों (सोफ्ट ड्रिंक्स) की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। फिर भी कीमतें कम करने की सम्भावनाओं पर विचार करने की दृष्टि से, उत्पादन लागत, लाभ की सीमा तथा फुटकर विक्रेताओं के कमीशन आदि सहित विभिन्न कारकों पर विभिन्न प्रकार के हल्के पेय उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। तथा उनमें 3 पैसे प्रति बोतल कीमत कम करने के लिये आग्रह भी किया गया है । चीनी की कीमत में गिरावट आई है लेकिन चूंकि क्राउन कार्कों, साइट्रिक एसिड, शीशे की बोतलों और कार्बन डाइआक्साइड जैसी अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने तथा परिवहन प्रभार के बढ़ाने और ब्रैन्डेड एरेटेड वाटर पर लगाये गये करों के फलस्वरूप हल्के पेयों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास कार्यक्रम

*198. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक औद्योगिक विकास कार्यक्रम क्या है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में पश्चिमी बंगाल में बड़े उद्योगों के औद्योगिक विकास के लिये सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक कितना-कितना अनुमानित विनियोजन और परिव्यय होगा ;

(ग) पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक योजनाओं के कुल विनियोजन में केन्द्रीय विनियोजन कितना होगा ; और

(घ) इन योजनाओं की क्रियान्विति से रोजगार के नये अवसरों में किस प्रकार से वृद्धि होगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र में, हल्दिया रिफाइरी तथा हल्दिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट नामक दो नई औद्योगिक प्रायोजनाओं की स्थापना करने की व्यवस्था है । इनके अतिरिक्त दुर्गापुर फर्टिलाइजर्स, दुर्गापुर एलौय स्टील प्लांट तथा हिन्दुस्तान केबल्स जैसी अन्य प्रयोजनाओं को पूरा करने / विस्तार करने के लिये भी व्यवस्था की गई है ।

चौथी योजना के कार्यक्रम में राज्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं पर पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है तथा पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम, बृहत औद्योगिक क्षेत्र योजना तथा राज्य वित्तीय निगम के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में प्रेरक हस्तःक्षेप करने की भी व्यवस्था है । दुर्गापुर केमिकल्स राज्य की एक चल रही प्रमुख औद्योगिक परियोजना है जिसके लिये राज्य की चतुर्थ योजना में पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

चौथी योजना की अवधि में पश्चिम बंगाल की सरकारी क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक योजनाओं पर होने वाली कुल अनुमानित विनियोजन 159.46 करोड़ रुपये है । जिसमें से 150 करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में होगा ।

चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र में नए उद्योगों के स्थापना स्थल उन पर होने वाला विनियोजन आदि गैर-सरकारी उद्यमियों की पहल पर निर्भर करता है, अतः निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले नये उद्योगों के विषय में बता सकना सम्भव नहीं है ।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं व्यापक स्तर पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करेंगी तथा उनकी स्थापना से रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा की जाती है ।

कांग्रेस दल का निर्वाचन प्रतीक

*199. **श्री श्रीगोपाल साबू :**

श्री शिव चरण लाल :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने दो बैलों की जोड़ी वाला प्रतीक पुरानी अथवा नई कांग्रेस को देने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैलों की जोड़ी के प्रतीक का सम्बन्ध गाय से होने के कारण भारत के जन-साधारण से इसका भावात्मक सम्बन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रतीक को किसी भी दल को न देने के बारे में सरकार को कोई सुझाव भेजे गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) जी हां ।

(ख) यह अपनी-अपनी राय की बात है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फ्लैटप्रूफ टायरों के निर्माण के लिये कारखाने की स्थापना

*200. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **डा० राम सुभग सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लैटप्रूफ टायरों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उस पर कितना धन लगाया जायेगा ;

(ग) क्या उसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(घ) प्रस्तावित कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). फ्लैटप्रूफ टायर तथा ट्यूबें बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नए बड़े उद्योगों द्वारा छोटे पैमाने के क्षेत्र से सहायक उत्पादों की खरीद

*201. **श्री भगवान दास :** **श्री के० रमानी :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़े उद्योगों पर इस बात के लिये जोर देने का निर्णय किया है कि वे अपनी समस्त सहायक वस्तुएं छोटे पैमाने के उद्योगों से खरीदें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस निर्णय का कारण क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में बड़े उद्योगों की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). आधुनिक बड़े उद्योगों को विभिन्न प्रकार के हिस्सों, पुर्जों तथा सहायक साज-सामान की आवश्यकता पड़ती है जिसे उन्हें या तो मौजूदा कारखानों या इस प्रयोजन के लिये विशेषरूप से स्थापित सहायक एककों से प्राप्त करना लाभदायक होता है क्योंकि वे स्वयं

अपने कारखाने में मूल एकक में निर्मित माल की अपेक्षा सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। यह भी सरकार की लघु उद्योगों की सामान्यरूप से तथा सहायक एककों को विशेषरूप से प्रोत्साहित करने की नीति के अनुरूप है। सरकार द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के विद्यमान बड़े औद्योगिक उपक्रमों का सहायक उद्यमों से विशेषकर उनसे जो लघु क्षेत्र में हैं, पुर्जे तथा हिस्सों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहां तक नये उद्यमों का संबंध है, सरकार यह चाहेगी कि इनकी स्थापना करने वाले लाइसेन्स के लिये आवेदन पत्र देते समय यह स्पष्ट बताएं कि वे सहायक एककों से कौन-कौन से हिस्से व पुर्जे खरीदना चाहेंगे और सामान्यतः लाइसेन्स केवल अन्य वस्तुओं के निर्माण तक ही सीमित रखा जायेगा।

री रोलिंग मिलों को बिलेटों की सप्लाई

*202. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख इस्पात कारखानों से बहुत कम बिलेट भेजे जाने के कारण इस्पात री रोलिंग उद्योग को संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि री रोलिंग मिलों को बिलेटों की सप्लाई गत 6 महीनों से निरन्तर कम होती जा रही है और अब इसके सप्लाई की अवस्था शोचनीय हो गई है ;

(ग) क्या स्टील री रोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ इण्डिया ने इस सम्बन्ध में तत्काल राहत देने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा संयुक्त समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). पुनर्बेलकों को बिलेट के प्रेषण में दिसम्बर, 1969 से अप्रैल, 1970 तक जो कमी होती जा रही थी, उसमें मई, 1970 में कुछ सुधार हुआ।

(ग) जी, हां।

(घ) पुनर्बेलकों की कठिनाई दूर करने के विचार से उत्पादकों को अधिकार दे दिया गया है कि वे अपने देशीय कोटे के बकाया को पूर्ति के रूप में भारी राउन्ड और स्कवेयर की सप्लाई करें। प्रेषणों में कमी अंशतः टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की धमन भट्टियों की रीलाइनिंग के कार्यक्रम के कारण भिलाई में कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण हुई थी। अब इन पर काबू पा लिया गया है और अब स्थिति के सुधारने की आशा है। अगर दुर्गापुर और बर्नपुर में औद्योगिक सम्पर्क में सुधार हो जाये, इन कारखानों में और उत्पादन बढ़ने लगे तो स्थिति में और भी सुधार की आशा की जा सकती है।

हरियाणा उप-निर्वाचन में निर्वाचन सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

*203. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब पलवल में 24 मई, 1970 को हरियाणा विधान सभा के लिये एक प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिये मतदान हुआ था तो वहां निर्वाचन सम्बन्धी नियमों का खुले आम उल्लंघन किया गया था और राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा मतदाताओं को बलपूर्वक मतदान केन्द्रों पर ले जाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भविष्य में नियमों के इस प्रकार उल्लंघन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कागज की कमी

*204. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की कमी की समस्या का समाधान करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने कागज की कमी को दूर करने के लिये निम्नलिखित अभ्युपाय किये हैं :

(1) हल्के वजन के छपाई और लिखाई के काम में आने वाले कागज की सीमान्तिक कमी को पूरा करने के लिये कागज मिलों पर 1969-70 के पहले की उत्पादन पद्धति।

(2) इस क्षेत्र के प्रगति का बराबर पुनर्मूल्यांकन करने के विचार से तथा उपभोक्ताओं को समुचित पूर्ति निश्चित कराने हेतु सही तरीके अपनाने के लिये एक तदर्थ समिति का गठन करना ;

(3) वर्तमान कागज मिलों के परामर्श से एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करना जिससे कागज मशीनों को तेजी में लाकर तथा संतुलन उपकरण प्रदान करके कागज

के उत्पादन में आगामी 12-14 महीनों में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करना ।

(4) उन क्षेत्रों में जहां कच्चा माल उपलब्ध है अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहन देना ।

(5) सरकार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन प्रा० लि० के अधीन नागालैण्ड और आसाम में 80,000 मो० टन अतिरिक्त कागज बनाने की क्षमता स्थापित कर रही है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइनें बिछाना

*205. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में, जिसका क्षेत्र 35,000 वर्ग किलोमीटर है, कितने किलोमीटर रेलवे लाइन (बड़ी लाइन और छोटी लाइन) है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में और अधिक रेलवे लाइनों के बिछाने की कोई योजना है और यदि हां, तो उनकी लम्बाई कितनी होगी और वे कहां-कहां बिछाई जायेंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उनको नांगल बांध से, जिसकी दूरी 12 किलोमीटर है, रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने के बारे में विचार कर रही है, और क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना राज्यवार नहीं बल्कि केवल क्षेत्रवार संकलित की जाती है । 31 मार्च, 1969 को आमानवार और रेलवेवार चालू मार्ग किलोमीटर लाइन का ब्यौरा भारतीय रेलों पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट का पूरक-सांख्यिकीय विवरण 1968-69 के विवरण 8 में दिया गया है । इसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) रेलों का विकास कार्यक्रम प्रत्याशित यातायात की जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाता है । चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया । लेकिन धन की कमी के कारण चौथी योजना के दौरान केवल कुछ ही ऐसी लाइनों का निर्माण शुरू किये जाने की सम्भावना है जिनका औचित्य रक्षा या उच्च अग्रता वाले विकास कार्य के आधार पर बनता है । नयी लाइनों के जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती हो ।

(ग) जी नहीं । 1956-57 में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था और उस सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला था कि इस लाइन का निर्माण लाभप्रद नहीं होगा ।

नए इस्पात कारखानों की स्थापना में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग

*206. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में नए इस्पात कारखानों की स्थापना

में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने का है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यदि माननीय सदस्य का आशय नये इस्पात कारखानों के लगाने में गैर-सरकारी क्षेत्र के आर्थिक सहयोग से है तो उत्तर है, जी, नहीं । परन्तु यदि आशय गैर-सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरी, रूपांकन, उपकरणों की सप्लाई और स्थल निर्माण में सहयोग से है तो उत्तर हां में है ।

(ख) और (ग). जहां तक उपर्युक्त भाग (क) के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है शक्यता और प्रयोजना प्रतिवेदन को तैयार करने और इन्जीनियरी कामों के लिये परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । प्रत्येक प्रायोजना के विस्तृत प्रायोजना-प्रतिवेदन के सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद ही उपकरणों की प्राप्ति का प्रश्न उठेगा ।

सीमेंट से नियन्त्रण का हटाया जाना

*207. **श्री द० रा० परमार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में सीमेंट पर से नियन्त्रण हटा लेने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप गत तीन महीनों में गुजरात में सीमेंट की खुदरा कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है और गुजरात में सीमेंट के फुटकर मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार अभी भी प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को हटाना

*208. **श्री हेम बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक विकास क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि असम जैसे राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या बढ़ती जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिये ठोस कदम उठा रही है ।

(ख) क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिये सरकार द्वारा किये गये अभ्युपाय निम्न प्रकार है :

(1) अपेछाकृत पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना ।

आवश्यक तकनीकी तथा आर्थिक माप दण्डों को त्याग न करते हुये अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना की आवश्यकता को सर्वदा ध्यान में रखा गया है ।

(2) औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधायें जैसे बिजली, पानी तथा संचार सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और कारखानों के स्थलों को विकसित कर भावी उद्यमियों को बिक्री/पट्टे पर दी जाती है ।

(3) अल्प विकसित क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना ।

औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेंस प्रदान करते समय अल्प विकसित क्षेत्रों के हकों को ध्यान में रखा जाता है ।

(4) राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा उद्योगों का विकास तथा संवर्धन ।

लगभग सभी राज्य सरकारों ने औद्योगिक विकास निगमों की स्थापना की है जो कि राज्य स्वयं अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के सहयोग से उद्योगों की स्थापना करते हैं तथा उनका संवर्धन करते हैं ।

(5) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के प्रारम्भ करने के लिये अनुदान तथा उपदान की स्वीकृति ।

सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये निर्धारित 9 राज्यों में प्रत्येक के 2 जिलों में और अन्य राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से प्रत्येक में एक-एक जिले में ऐसे नए एककों जिनकी अचल पूंजीगत विनियोजन 50 लाख रु० से अधिक न हो, के लिये अचल पूंजीगत विनियोजन के 10वें भाग के बराबर उपदान प्रदान करने का निर्णय किया गया है। 50 लाख रुपये से अधिक विनियोजन वाली योजनाओं तथा परियोजनाओं पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

(6) पिछड़े क्षेत्रों में विकासमान उद्योगों के लिये वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती व्यवहार ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिये वित्तीय संस्थानों ने रियायतें देने का निर्णय किया है।

(7) ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की स्थापना ।

इन औद्योगिक बस्तियों से ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कई आधुनिक लघु उद्योगों के संवर्धन में सहायता मिली है ।

(8) उत्पादन केन्द्रों की पहचान तथा विकास ।

ऐसे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान तथा विकास के सघन प्रयास किये गये हैं जो कि अब तक उद्योगों को आकर्षित नहीं कर पाये हैं यदि वहां आधारभूत अवस्थापना की सुविधा या पर्याप्त विभवपूर्ण है ।

(9) कृषि परक उद्योगों का विकास ।

हाल की हरित क्रांति को ध्यान में रखते हुये चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि परक उद्योगों के विकास का विशद कार्यक्रम बनाया गया है ।

(10) जिलों में सघन आन्दोलन ।

लघु उद्योगों के संवर्धन के लिये जिलों में सघन आन्दोलनों का आयोजन किया जा रहा है ।

(11) ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम का चालू किया जाना ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार अवसरों का विस्तार, ग्रामीण धन्धों में विविधता लाना, ग्रामीण लोगों की आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा उनके शहरी केन्द्रों की ओर विकास को कम करना है ।

(12) छोटे कारीगरों के कार्यक्रम का चालू किया जाना ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण कलाओं तथा हस्तकलाओं के पुनर्जीवित करने और ग्रामीण कारीगरों के कौशल को ऊंचा करने के प्रयास किये जातें हैं ।

(ग) सरकार आसाम में शिक्षित बेरोजगारी समस्या से अवगत है । आसाम सरकार इंजीनियरों, तकनीशियनों आदि को रियायती दरों तथा उदार शर्तों पर ऋण देने के उद्देश्य से आसाम उद्योगों को सहायता अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमों को उदार बनाने की संभावनाओं की जांच कर रही है ।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशकमंडल में विदेशी सदस्यों की संख्या में वृद्धि

*209. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **डा० रानेन सेन :**

क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सदस्यों में (गैर-स्थानिक सदस्यों सहित) विदेशियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या में वृद्धि किस आधार पर की गई है;

(ग) क्या श्री कीथ हार्टले को 1 सितम्बर, 1969 से अतिरिक्त पारिश्रमिक तथा लाभ देकर, इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड का संयुक्त प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन्हें कितना अतिरिक्त पारिश्रमिक तथा लाभ दिये गये हैं; और

(ङ) ऐसे अतिरिक्त पारिश्रमिक तथा लाभ देने का क्या औचित्य है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमन्, चार से छै तक।

(ख) निदेशकमंडल की संख्या की वृद्धि 12 से 13 की गई थी, जो कम्पनी के पार्षद नियमों के अनुसार, अधिकतम अनुमति के अन्तर्गत थी, तथा जिसके लिये कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था।

(ग) हां, श्रीमान्। कम्पनी ने 1 सितम्बर, 1969 से उसके पद को, कम्पनी के सहायक प्रबन्ध निदेशक से, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक में परिवर्तित करने का अनुमोदन, उसके पारिश्रमिक में कोई फेर बदल न करने की इच्छा सहित, चाहा था। अतः कम्पनी का प्रस्ताव, कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 268 के अन्तर्गत अनुमोदित कर दिया गया।

(घ) और (ङ). उपरोक्त (ग) की दृष्टि से, उत्पन्न नहीं होते।

विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा सिगरेट का निर्यात

*210. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी स्वामित्व की सिगरेट कम्पनियां, जो अन्तर्राष्ट्रीय किस्म की सिगरेटों का उत्पादन करने का दावा करती हैं, अपनी किसी ब्राण्ड की सिगरेटों का निर्यात करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी सिगरेटों का निर्यात किया गया तथा इस किस्म की कितने मूल्य की सिगरेटों का निर्यात किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियों द्वारा किए गए निर्यात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सम्पूर्ण देश के लिये व्यापारिक आंकड़े एक साथ ही होते हैं। सिगरेटों का ब्राण्डवार निर्यात भी उपलब्ध नहीं है।

Railway Accidents on Central Railway

1201. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that took place on the Central Railway from 1st January, 1970 till date ;

(b) the value of loss to the Railway property as a result thereof ;

(c) the number of persons killed and injured in these accidents ;

(d) the number of accidents that took place due to negligence of the Railway employees or due to technical defects separately ; and

(e) the number of accidents that have been enquired into?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1-1-1970 to 30-6-1970 there were 57 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Central Railway.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 35,85,000/-.

(c) In these accidents 4 persons were killed and 14 injured.

(d) and (e). All the 57 train accidents were inquired into. Thirty-four of these cases were due to the failure of railway staff and 7 due to failure of railway equipment.

Railway Accidents on Western Railway

1202. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that took place on the Western Railway from lst January, 1970 till date ;

(b) the value of loss to the Railway property as a result thereof ;

(c) the number of persons killed and injured in these accidents ;

(d) the number of accidents that took place due to negligence of the Railway employees or due to technical defects separately ; and

(e) the number of accidents that have been enquired into ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) During the period 1-1-1970 to 30-6-1970 there were 45 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Western Railway.

(b) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 3,08,000/-.

(c) In these accidents 35 persons were killed and 25 injured.

(d) and (e). All the 45 train accidents were inquired into. Twenty eight of these cases were due to failure of railway staff and 8 due to failure of railway equipment.

ट्रेन-लिपिकों की पदोन्नतियों के अवसर

1203. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रेन-लिपिकों की पदोन्नतियों के अवसर प्रदान करने के बारे में पी० एन० एम० की बैठक में एक निर्णय किया गया है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने 28 मार्च, 1970 को एक पत्र संख्या ई (एन० जी०) 169/पी० एम० आई० /217 जारी किया है ;

(ग) क्या इन निर्देशों को सभी रेलवेज में लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पत्र के जारी होने के बाद से 30 जून, 1970 तक कितने ट्रेन-लिपिकों की पदोन्नतियां की गई हैं, तथा उन रेलवे जोनों के नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वस्तु भाड़े की दरों में वृद्धि

1204. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 में रेलवे वस्तु-भाड़े की दरों में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है और कुछ मामलों में तो वर्ष 1947 की दरों की तुलना में ये दुगुनी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1947, 1963 तथा 1970 में प्रत्येक श्रेणी के वस्तु-भाड़े की दरों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें हुई वृद्धि के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1947 से रेलवे की भाड़ा दरों में कई बार संशोधन किया गया है और जैसा कि 10-3-1970 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न 2349 के उत्तर में बताया गया था, संशोधन सदा अर्ध्वमुखी नहीं किये गये थे। कुछ मामलों में दरों में अधोमुखी समायोजन भी किये गये थे। तथापि यह सच है कि 1968-69 में प्रति मीटरिक टन किलोमीटर लिये जाने वाली औसत दर 1947-48 में ली जाने वाली औसत दर से लगभग दुगुनी थी। 1969-70 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1948 से पहले विभिन्न रेलों द्वारा ली जाने वाली भाड़ा दरों में एकरूपता नहीं थी। एक जैसी भाड़ा दरें 1-10-1948 से लागू की गई थीं। अतः तुलना के प्रयोजन के लिए 1947 की भाड़ा दरों का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए उसके बजाय 1-10-1948 वाली भाड़ा दरों का ब्यौरा दिया जा रहा है।

संलग्न अनुबन्ध 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में दिये गये विवरणों में कुछ प्रमुख दूरियों के लिए 1-10-1948, 1-4-1957, 1-4-1967 और 1-4-1970 को विभिन्न श्रेणियों के माल डिब्बा भारों के परिवहन के लिए भाड़ा दरें दिखायी गयी हैं।

भाड़ा दरों में वृद्धि सामान तथा भण्डार की कीमतों के बढ़ जाने और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप रेलों के संचालन व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3832/70]**

दिल्ली में 'काल गर्ल' गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिये छापे

1205. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1970 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों में, दिल्ली में 'काल गर्ल' गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिये कितने छापे मारे गये, गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं तथा किन-किन क्षेत्रों में किन-किन तारीखों को ये छापे मारे गये;

(ख) क्या यह सच है कि जब 10 जुलाई, 1970 को पुलिस ने अशोक रोड स्थित आन्ध्र राज्य अतिथि-गृह पर छापा मारा तो दो महिलाओं को मदिरा पिये हुए तथा अर्द्धनग्न पाया गया था; और

(ग) स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन अधिनियम को उचित ढंग से लागू न करने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उनसे प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उत्तर रेलवे में सहायक रेल-पथ निरीक्षकों के रूप में रखे गये व्यक्तियों को वेतन वृद्धि देना

1207. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री उत्तर रेलवे में सहायक रेल-पथ निरीक्षकों के रूप में रखे गये व्यक्तियों को वेतन वृद्धि देने सम्बन्धी 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'क' पर रखे हुए विवरण में दी गयी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3833/70]**

अणुशक्ति आयोग द्वारा गढ़ी वस्तुओं के लिये क्रयादेश

1208. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अणुशक्ति आयोग ने राणा प्रताप सागर तथा कालपकम परमाणु शक्ति संयंत्रों में उपयोग के लिये गढ़ी वस्तुओं के लिये एक क्रयादेश दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किये गये करार का ब्योरा क्या है तथा यह क्रयादेश कितने मूल्य का था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना प्रतिमास केवल 50 गढ़ी वस्तुओं की ही डिलीवरी दे सकता है जबकि उन्होंने 150 वस्तुओं का वचन दिया था ;

(घ) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) परमाणु परियोजनाओं को सुचारु ढंग से चलने देने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने गढ़ी वस्तुओं की नियमित सप्लाई के लिये क्या कार्यवाही की है, और यदि नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा निर्मित चपटा इस्पात

1209. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा राणा प्रताप सागर तथा कालपकम स्थित दो परमाणु संयंत्रों के लिये निर्मित चपटे इस्पात के उत्पादों का स्तर निर्धारित स्तर से इतना नीचे का था कि अणुशक्ति आयोग को अपनी परियोजना के कार्यक्रम को बनाये रखने के लिये कनाडा से उन उत्पादों का आयात करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के चपटे तथा ढांचा इस्पात उत्पादों का आयात किया गया ;

(ग) निर्धारित स्तर से बहुत कम स्तर के उत्पादों के उत्पादन से सरकार को कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या यह सच है कि अणु शक्ति आयोग द्वारा हैवी इलैक्ट्रिकल्स को 150 टन के भारी टर्बोसेट के निर्माण के लिये दिया गया क्रयादेश अभी पूरा होता दिखाई नहीं देता तथा इसके कारण कालपकम के पूरा होने में अनावश्यक विलम्ब होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन आदेशों की डिलीवरी संभवतः किस तारीख तक हो जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सीमेंट का उत्पादन

1210. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1969 के दौरान सीमेंट का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ तथा कुल कितनी खपत हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर में चण्डीगढ़ के समीप पिंजौर में केवल सीमेंट का एक ही बड़ा कारखाना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नये कारखाने स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि काफी मात्रा में सीमेंट उपलब्ध होने पर भी, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कारखानों से सीमेंट लाने हेतु बन्द रेल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब सीमेंट से वंचित रह जाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सीमेंट के आने जाने की व्यवस्था को सुचारु करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). उत्तरी क्षत्र में इस समय कुल 8 सीमेंट के कारखाने हैं, इनमें से 2 हरियाना, 1 उत्तर प्रदेश, 4 राजस्थान तथा 1 जम्मू तथा काश्मीर में हैं। उत्तर प्रदेश के एक दूसरे कारखाने में 1971 में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश के पौंटा में 2 लाख मी० टन क्षमता वाला एक दूसरा कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(घ) अप्रैल से जून, 1970 की अवधि में देश के उत्तरी तथा पूर्वी भाग में अस्थायी कमी

रही है, यह कमी मुख्य रूप से मालगाड़ी के डिब्बों, श्रमिक कठिनाइयों के साथ-साथ यांत्रिक कठिनाइयों आदि के कारण हुई है।

(ङ) सीमेंट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के लिये पर्याप्त माल-गाड़ी के डिब्बे उपलब्ध हों, इस सम्बन्ध में रेल प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है।

विवरण

भारत में 1969 की अवधि में सीमेंट का कुल उत्पादन और खपत राज्यवार इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	उत्पादन	खपत
		(आंकड़े हजार मी० टन में)	
1.	आसाम	69	319
2.	आंध्र प्रदेश	1369	918
3.	बिहार	1690	983
4.	गुजरात	1866	1275
5.	केरल	53	454
6.	मध्य प्रदेश	2028	502
7.	मैसूर	1269	750
8.	तमिलनाडु	2239	1204
9.	उड़ीसा	656	284
10.	हरियाणा	513	359
11.	राजस्थान	1472	468
12.	उत्तर प्रदेश	391	1589
13.	जम्मू तथा काश्मीर	10	77
14.	महाराष्ट्र	—	1636
15.	पंजाब	—	654
16.	पश्चिम बंगाल	—	1126
17.	गोवा, दमन तथा दिव	—	62
18.	दादरा और नगर हवेली	—	2
19.	मणिपुर	—	16
20.	नागालैंड	—	11
21.	नेफा	—	5
22.	त्रिपुरा	—	12

क्रम संख्या	राज्य	उत्पादन	खपत
		(आंकड़े हजार मी० टन में)	
23.	चण्डीगढ़	—	80
24.	दिल्ली	—	389
25.	हिमाचल प्रदेश	—	62
26.	पांडीचेरी	—	20
27.	अण्डमान तथा निकोबार	—	15
28.	लकादीव	—	—
	योग:—	13625	13272

(इसमें 44,510 मी० टन सफेद सीमेंट का भी उत्पादन शामिल है जिसकी खपत नहीं हुई)

बच्चों तथा माताओं के लिये पोषाहार सम्बन्धी नये कार्यक्रम

1211. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीकी सहायता मिशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष एजेंसियों की सहायता से आगामी तीन वर्षों के लिये बच्चों तथा माताओं के लिये पोषाहार सम्बन्धी नये कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के लिये एजेंसी-वार तथा वर्ष-वार इनका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तोपोषित एक योजना शुरू की गई है। इसे भविष्य में आयोजना योजना के रूप में जारी रखे जाने की सम्भावना है। भारत सरकार तथा केयर संस्था के बीच पहले से विद्यमान समझौते के आधार पर उस संस्था से सी० एस० एम०/दुग्ध पाउडर इत्यादि के रूप में सहायता को छोड़कर इस कार्यक्रम के लिये कोई विदेशी सहायता स्वीकार नहीं की जा रही है। पोषण योजना का ब्योरा अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3834/70]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों को लागू करना

1212. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की सिफारिशों को लागू करने के बारे में 5 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2217 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के सतरहवें

प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में उनके क्या विचार हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा 1967-68 की अपनी रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों पर कुछ ही राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपने विचार भेजे हैं। अन्य राज्य सरकारों इत्यादि ने केवल अन्तरिम उत्तर भेजे हैं और राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवधिक स्मरण-पत्र भेजे जा रहे हैं। सिफारिशें जब प्राप्त होंगी, तो उन पर विचार किया जा सकेगा।

Investments made by Scindia Investment Company in Krishnaram Baldev Bank

1213. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the firms in which the Scindia Investment Company has made investments on the guarantee of the shares held by them in the Krishnaram Baldev Bank ; and

(b) the information available with Government in this regard and Government's reaction thereto ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b). Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

आयकर की लम्बित अपीलें

1214. **श्री वासुदेवन नायर :** **डा० रानेन सेन :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री कं० हाल्दर :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकरण न्यायपीठों की संख्या में वृद्धि के बावजूद पिछले तीन वर्षों से लम्बित अपीलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) इस समय अधिकरणों के समक्ष कुल कितनी अपीलें लम्बित हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इन अपीलों पर शीघ्र निर्णय लिये जायें ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यद्यपि गत तीन वर्षों में अधिकरण की और अधिक न्यायपीठों की स्थापना की गई है, फिर भी अपीलों के संस्थित किये जाने में भारी वृद्धि हो जाने पर उन्हें उसी रफ्तार से निपटाते रहना अधिकरण के लिये संभव नहीं हो सका है।

(ख) 1-7-70 तक 78,846।

(ग) अधिकरण में बढ़ी हुई संख्या में लम्बित अपीलों को उसी रफ्तार से निपटाने के लिये विभिन्न प्रशासनिक उपाय समय-समय पर किये जा रहे हैं। जैसे ही और जब आवश्यक समझा जाये अधिकरण की और अधिक न्यायपीठें स्थापित की जा सकती हैं।

सोडियम नाइट्रेड की कमी

1215. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल कच्चे माल सोडियम नाइट्रेट की कमी के कारण ऐसे सभी छोटे कारखाने जो पैट्रोलियम नाइट्रेट तथा अन्य ऐसे सम्बद्ध रसायन तैयार करते थे जिनका उपयोग कांच के कारखानों तम्बाकू सुखाने के कारखानों और बारुद तथा विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने वाले कारखानों में होता है, व्यावहारिक रूप से बन्द हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को पूरी तरह बन्द होने से रोकने के लिये पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध कराने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) विकास आयुक्त, लघु उद्योग को लघु एककों के पास से सोडियम नाइट्रेट पर्याप्त मात्रा में न मिलने के बारे में कई अभ्यावेदन मिलते रहे हैं। किन्तु एककों के बन्द होने की कोई भी सूचना नहीं मिली है।

(ख) राज्य व्यापार निगम से सोडियम नाइट्रेट, जोकि उनके माध्यम से आयात की जाने वाली वस्तुओं में से एक है, के आयात तथा उसके विभिन्न राज्यों के इस रसायन के वितरण के लिये अनुरोध किया गया ताकि प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले एकक अपना नियमित उत्पादन प्रारम्भ कर सकें। आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक से भी अनुरोध किया गया है कि वह लघु एककों को माल दिये जाने के अनुमति पत्र जारी करने की प्रक्रिया में जिसके द्वारा राज्य व्यापार निगम इस रसायन का वितरण करेगा, युक्ति संगत सुधार करने पर विचार करें।

कपाडिया बन्धुओं द्वारा प्रबन्धित फर्में

1216. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नामों की सूची क्या है जिनका प्रबन्ध अब कपाडिया बन्धुओं द्वारा किया जाता है ;

(ख) प्रत्येक फर्म में कपाडिया बन्धुओं के कितने शेयर हैं ; और

(ग) इनके द्वारा प्रबन्ध किये जाने से पूर्व इन फर्मों की वित्तीय स्थिति कैसी थी और उसके बाद कैसी है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मैसर्ज मगनलाल छगनलाल के कुछ समवायों के अंश

1217. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज मगनलाल छगनलाल द्वारा "किल्लिक निक्सन" का प्रबन्ध सम्भालने से पूर्व मगनलाल छगनलाल के प्रत्येक भागीदार के नाम में कितनी धनराशि जमा थी ; तथा कितनी धनराशि नामे थी ;

(ख) उन्होंने कब से 'नेशनल रेयन' के शेयर प्राप्त करने आरम्भ किये तथा उन शेयरों की अदायगी किस प्रकार की गई ;

(ग) इस कम्पनी के प्रत्येक भागीदार ने 'नेशनल रेयन' के कितने कितने शेयर खरीद रखें हैं ;

(घ) क्या नेशनल रेयन के शेयर उनके परिवार के सदस्यों के पास भी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक ने किस रूप में अदायगी की ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) से (ङ). सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मैसर्स आन्नद बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लि० कलकत्ता द्वारा ऋण लेना

1218. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1970 के अन्त तक कलकत्ता की आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लिमिटेड ने कितना ऋण लिया हुआ था ;

(ख) उक्त तारीख को बकाया ऋण कितना था ;

(ग) किन स्रोतों से इस कम्पनी ने ऋण लिये और उन स्रोतों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कम्पनी ने जो ऋण प्राप्त किये हैं उनकी वसूली के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). मै० आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लि०, कलकत्ता, द्वारा देने के लिये शेष ऋण, इसके 31 दिसम्बर, 1969 की वर्ष समाप्ति के वार्षिक लेखाओं में, 65,79,631.32रु० दिखाये गये थे । यह सम्पूर्ण राशि, यूनाइटेड बैंक आफ इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, से प्राप्त की गई थी तथा यह जी० पी० नोट्स, भूमि व भवन तथा मशीनरी आदि के ऊपर प्राप्त की गई थी ।

(घ) इस कम्पनी की कथित बैंक के साथ, 70 लाख रुपयों की अधिकतम सीमा तक, अधिकर्षण, नकद जमा, बट्टे के लेख, गारन्टी आदि के द्वारा, वित्तीय व्यवस्थापन की एक व्यवस्था है । इन ऋणों के लौटाने के लिये कोई निश्चित तारीख नहीं है । कम्पनी द्वारा समय समय पर, ऋण लौटाये जाते तथा नवीन व्यवस्थापन किये जाते रहे हैं ।

कपड़ा उद्योग में बेकार क्षमता

1219. **श्री अदिचन :**

श्री दे० अमात :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मशीन निर्माता संघ ने शिकायत की है कि उद्योग में बेकार क्षमता बढ़ती जा रही है ;

(ख) मूल्य के रूप में कुल अधिष्ठापित स्थापित क्षमता कितनी है तथा इसमें से कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) क्या कपड़ा मशीनों का निर्यात होता है और यदि हां, तो वर्ष 1968, 1969 और 1970 में अब तक इनका कितना निर्यात हुआ ; और

(घ) अपने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये इस उद्योग को यदि कोई प्रोत्साहन दिया गया है तथा दिये जाने का विचार है, तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) कुल वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 45 करोड़ रुपये और 1969 में उत्पादन 19.66 करोड़ रुपये का हुआ है उत्पादन में वृद्धि की प्रवृति दिखाई दे रही है तथा 1970 में 25 करोड़ रुपये का उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ग) 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में सूती वस्त्र मशीनों तथा सहायक सामान का निर्यात क्रमश: 0.94 करोड़, 1.83 करोड़ तथा 5.93 करोड़ रुपये का हुआ ।

(घ) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार हकदारी की सीमा तक आग्रेम लाइसेंस जारी करना ; नकद सहायता देना, प्रति पूर्ति लाइसेंस देना तथा जहां निर्यात पहले ही किया जा चुका हो तथा करों की वापसी करना सरकार प्रत्येक उपर्युक्त अवसर पर एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देशों के ध्यान में इस बात को ला रही है कि भारत अपने यहां निर्मित मशीनों से उन देशों में सम्पूर्ण सूती कपड़ा मिलें स्थापित करने के लिये समर्थ और सक्षम है । इस उद्देश्य को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के राजकीय व्यापार निगम ने एक विशेष कपड़ा मशीन प्रभाग खोला है ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में विस्थापित मुसलमानों का पुनर्वास

1220. **श्री मु० आ० खां :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में हुए गंभीर साम्प्रदायिक दंगों के कारण स्थापित मुसलमानों को पुनर्वास देने के लिये एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जब पुनर्वास कार्य सुचारू रूप से चल रहा था तो राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सरकारी भूमि में परेड और ड्रिल करना और उत्तेजना पूर्ण नारे लगाना आरंभ कर दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप पुनर्वास कार्य अचानक बन्द हो गया;

(घ) क्या विशेषाधिकारी ने गृह-कार्य और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालयों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों तथा उनके प्रभाव की सूचना दे दी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : (क) 1967, में रांची में साम्प्रदायिक दंगों के कारण भारी इंजीनियरी निगम की बस्ती में रहने वाले कुछ मुस्लिम कर्मचारी अपने क्वार्टर छोड़ गये थे और उन्हें अस्थायी तौर पर दो क्षात्रावासों में, जो शिल्पी प्रशिक्षार्थियों के लिए थे, ठहराया गया था । उनको बस्ती में वापस भेजने के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं । 1970के आरम्भ में कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर आए हुए एक वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारी को पुनर्वास के कार्य के लिए नामित किया गया था । यह कार्य उसे उसकी सामान्य ड्यूटी के अलावा दिया गया था ।

(ख) किसी विशेष पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा प्रदर्शन करने के बारे में कोई सूचना नहीं है । परन्तु मुस्लिम और दूसरे कर्मचारियों के क्वार्टरों की आयोजित अदला-बदली के विरुद्ध जून, 1970 के आरम्भ में बहु-संख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों ने प्रदर्शन किए थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उक्त अधिकारी ने भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित प्रदर्शनों की सूचना दी थी ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Control on Prices of Bricks

1221. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enforce control on the prices of bricks through out the country as has been done in the case of Delhi ; and

(b) if so, the decision of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). There is no proposal under consideration of the Government to enforce control on the prices of bricks in the country.

Action taken on the Memorandum Submitted by M. Ps. to the President

1222. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10419 on the 20th May, 1970 regarding memorandum submitted by M. Ps. to the President and state :

(a) further action being taken in regard to the proposals that have been approved and the decision taken in regard to the proposals which were under consideration ; and

(b) if no decision has been taken so far, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) and (b).

Resolution No. 5. In addition to the Housing Schemes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, a proposal has been sanctioned recently by the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development under which a Revoloing Fund with a corpus of Rs. 200 crores would be built up over a number of years for accelerating housing and urban development activities in the country. The Fund will be operated by a Government Company registered under the Companies Act, 1956. The accelerated building activities will benefit the entire population including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Resolution No. 7. Government have already taken several measures with a view to increasing the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services with the result that Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are now available to fill all the vacancies reserved for them not only in I. A. S. and I. P. S. but in other Central Service also recruitment to which is made on the basis of the Combined Competitive Examination. As regards the Public Sector Undertakings, the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, are taking certain positive steps to improve the representation of these classes in the services under these Undertakings.

Resolution No. 8. An examination in which only Scheduled Castes and Scheduled Tribes are permitted to appear would go against the Supreme Court's judgement in the case of Devadasan versus Union of India. The percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts filled by direct recruitment and by promotion have recently been increased taking into account the population of these classes in the total population according to the 1961 Census.

Resolution No. 10. Appointments to the high posts of Governors, Ambassadors etc. are made only on the basis of merit and there is no reservation for these posts. As regards the U. P. S. C., the Government have already decided that it would be desirable to appoint Scheduled Castes as members of the U. P. S. C. As regards the State Public Service Commissions, the State Governments have either appointed Scheduled Castes/Scheduled Tribes as members of these Commissions or have stated that they would keep the suggestion in view while making future appointment to these commissions.

Resolution Nos. 9 and 10. The instructions issued by the Army Headquarters enjoin on the recruiting organisations to give preference to Scheduled Castes and Scheduled Tribes provided they are suitable **vide** the statement laid on the Table of the Lok Sabha in reply to parts (b) and (c) of the Starred Question No. 595 answered on 11th December 1967.

Resolution No. 16. This is still under consideration.

उड़ीसा में एक इस्पात कारखाने की स्थापना

1223. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

श्री बेधर बेहेरा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समारोह की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रपति ने चौथी योजना के दौरान एक नये इस्पात कारखाने की स्थापना सम्बन्धी उड़ीसा के दावे का समर्थन किया है तथा उन्होंने उड़ीसा के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया है कि वह इस बारे में प्रधान मंत्री से विचार विमर्श करेंगे ; और

(ख) क्या ऐसे विचार विमर्श के फलस्वरूप कोई निर्णय कर लिया गया है, यदि हां, तो क्या ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस विषय पर राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है ।

Manufacture of Cheap Pumping Sets/Diesel Engines

1225. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have started producing cheap pumping sets or diesel engines for irrigating the small holdings of farmers ;

(b) if so, the details regarding their prices and working capacity ; and

(c) whether these implements are being produced in the public sector or the private sector and the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna): (a) This item is not being produced in the public sector at present.

(b) Does not arise.

(c) These items are not being produced in the public sector. They are however at present 30 units in the large scale sector for the manufacture of diesel engines having a total annual capacity of 1,26,130 numbers. Similarly there are 38 units in the organised sector for the manufacture of power driven pumps with an annual capacity of 2,62,351 numbers. There are a few units who are manufacturing both diesel engines as well as pumps. The names and addresses of those units indicating their production during 1969 is as under :—

Name of the unit	*Production during 1969*	
	Diesel engines Nos.	Pumps. Nos.
1. M/s. P.S.G. Industrial Institute, Coimbatore	1,684	29,600
2. M/s. Kirloskar Oil Engines Poona	64,357	1,23,575*

*M/s. Kirloskar Brothers is one of the units under the management of M/s. Kirloskar Oil Engines Ltd. Poona, and the production is by the above unit.

In addition to the above, two more units namely M/s. Ruston and Hornsby India Ltd. Poona, and M/s. Dhandhayuthapani Foundry Limited., Coimbatore are also covered under the above category. The former is producing diesel engines alone whereas the latter produces only pumps.

The diesel engines used in the pumping sets for irrigation purposes generally range from 3 to 30 HP. For small-irrigation purposes, the pumping sets are fitted with an engine having HP varying from 3 to 15 HP. The price for a 3 HP pumping set is about Rs. 2,400/- whereas the price for a pumping set of 15 HP is round about Rs. 6,200/-. The price quoted above is for pumping sets produced in the organised sector. There are also about 319 units manufacturing various types of pumping sets in the small-scale sector. Their total annual production is about 4.04 lakh Nos. The units are at present working with approximately 50% capacity. Pumps upto 10 HP are being manufactured in this sector. The major concentration of the pump manufacturing units is in Madras, Gujarat, Punjab, Maharashtra and Haryana.

As regards diesel engines the small scale sector is procucing units upto 5 to 20 HP. There are about 600 units manufacturing diesel engines mostly concentrated in Gujarat, Maharashtra, U. P. and Punjab. The total production of all these units would not be more than 37,000 Nos. per annum.

Under-Utilisation of Production Capacity of Firms Manufacturing Tractors

1226. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Eicher Tractors of India Limited, Hindustan Tractors Limited, Escorts Limited, Tractors and Farm Equipment Limited and the International Tractors Company of India Limited can manufacture tractors only upto half of their licensed capacities ;

(b) whether it is also a fact that these companies are not working to their installed capacities ; and

(c) if so, the steps which are being taken by Government to check such tendencies of these companies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M.R. Krishna) : (a) to(c). At present the installed capacity of the five tractor manufacturing units is only 25,000 Nos. per annum as against their licensed capacity of 30,000 Nos. per annum. During 1969, while the total production was 18,092 tractors the performance of M/s International Tractors Co. of India Ltd., Bombay, has been more than 50% of the licensed capacity ; whereas in the case of M/s Tractors and Farm Equipment Ltd., Madras, M/s Hindustan Tractors Ltd., Baroda and M/s Eicher Tractors India Ltd., Faridabad the performance was less than 50%. The production of M/s Escorts Ltd., Faridabad has been almost upto their licensed capacity.

In order to step up the production of tractors, these units have been given facilities to import components and raw materials in accordance with their manufacturing programme.

Training Centres for the Handicapped

1227. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of places where Government or private institutions are running training centres for the handicapped persons in order to make the disabled/persons earn their livelihood, and the nature of treatment being provided therein ;

(b) the arrangement made to provide artificial organs or the required appliances either free or on concessional rates or on full charges to the trained handicapped persons; and

(c) the details of the successful efforts being made for providing livelihood to trained handicapped persons ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) Education, training and rehabilitation of the handicapped is the primary responsibility of State Governments who run a large number of training centre. The Government of India have, however, established a comprehensive National Centre for the Blind at Dehradun which offers training to adult blind men and women. The Training Centre for the Adult Deaf, Hyderabad offers training in engineering and non-engineering occupations to deaf boys and girls.

(b) The Defence Ministry has established an Artificial Limb Centre at Poona and the Department of Health an All-India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay which manufacture artificial limbs and other aids. In addition, the National Centre for the Blind, Dehradun manufactures appliances needed for the education of the blind which are sold a concessional rates.

(c) Nine special employment exchanges for the physically handicapped established in different parts of the country have upto 31-3-1970 placed 7,024 persons who are blind, deaf, orthopaedically handicapped or suffer from respiratory disorders.

गुंटूर में मतदान पेटिकाएं छीनकर ले जाने की घटनाएं

1228. **श्री हेम बरुआ** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुंटूर जिले के कई गांवों में मतदान पेटिकाएं छीन कर ले जाने की कई घटनाएं सरकार की नोटिस में आई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन घटनाओं की जांच करवाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। (ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बड़ी लेखा-परीक्षक फर्मों का राष्ट्रीयकरण

1229. **श्री अदिचन** : क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी बड़ी लेखा परीक्षक फर्मों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इस्पात का निर्यात

1231. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन इस्पात की वस्तुओं की मदवार मूल्य क्या है जिनका 1968-69 और

1969-70 में सरकारी उपक्रमों के इस्पात कारखानों में उत्पादन किया गया था तथा निर्यात किया गया था ;

(ख) 1970-71 और 1971-72 में उन वस्तुओं के निर्यात करने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) किन वस्तुओं की विदेशों में कड़ी स्पर्धा है और सरकार ने इस समस्या का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इन वस्तुओं की निर्यात दर में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1968-69 और 1969-70 में हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा उत्पादित और निर्यातित लोहे और इस्पात से अर्जित हुई विदेशी मुद्रा का ब्योरा इस प्रकार है :

(जहाज तक निष्प्रभार मूल्य दस लाख रुपये)

	1968-69	1969-70
कच्चा लोहा	158.1	201.8
पिण्ड	—	4.7
बिलेट	30.3	15.7
रेल की पटरी	34.9	69.0
छड़ और गोल छड़	17.3	14.3
तार छड़	—	13.1
ढांचे	161.8	136.7
	402.4	455.3

(ख) 1970-71 में लोहे के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है। 1971-72 के लिये लक्ष्यों के निर्धारण पर उपयुक्त समय पर विचार किया जायगा ।

(ग) और (घ). रेल की पटरी और कच्चा लोहा ऐसी वस्तुएं हैं जिनको इस समय विदेशों में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए उठाये गये कदमों में बाजारों का विविधीकरण, विभिन्न देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार माल तैयार करने, उधार की सुविधाएं और दूसरे प्रोत्साहन शामिल हैं। निर्यात की मात्रा दूसरी बातों के साथ-साथ देश में निर्यात के लिए उपलब्ध माल पर निर्भर है। देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात की काफी कमी है, अतः आन्तरिक मांग को ध्यान में रखकर ही निर्यात का विनियमन किया जाएगा। इन कमियों को देखते हुए ऐसा लगता है, कि 1970-71 में उतना निर्यात नहीं होगा जितना कि 1969-70 में हुआ है।

बिजली के सामान की चोरी

1232. **श्री मृत्युजय प्रसाद :**

श्री छ० म० केवारिया :

श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है आमतौर से तो यात्री रेल-गाड़ियों में तथा कभी-कभी एक्सप्रैस तथा

अन्य तीव्रगामी रेल गाड़ियों में बत्तियां तथा पंखे नहीं होते, और यदि ये चीजें लगी भी होती हैं तो वे काम नहीं करती होतीं ;

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में तथा वर्ष 1970-71 में 30 जून, 1970 तक चोरी के कारण बिजली के सामान की कितने मूल्य की हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सभी सवारी डिब्बों में आमतौर से पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाती है। फिर भी, कभी-कभी फिटिंग्स की चोरी, उपस्कर की खराबी, सामानों की कमी और अनुरक्षण सम्बन्धी गलतियों के कारण खराबियां पैदा हो जाती हैं।

(ख) रेलें इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि फिटिंग्स को अच्छी हालत में रखा जाये और इनके अनुरक्षण में सुधार लाने और उठाईगीरी और चोरियों को कम करने के लिये बेहतर सुरक्षात्मक प्रबन्ध करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

(ग) वर्ष	शुद्ध हानि की रकम
	रु०
1969-70	8.14 लाख
1970-71 (जून तक)	2.48 लाख

Bharat Darshan Programme for Residents of Hilly Areas

1233. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there are many places in hilly regions in the country whose residents have yet to see motor vehicles and the Railway trains etc. and they are ignorant of the fact that we have our own Government in the country in place of British regime ;

(b) whether Government would arrange to acquaint them through mobile cinemas about our country and the progress made by the country ;

(c) whether Government would consider allowing prominent persons of those regions to undertake the Bharat Darshan tours at Government expense ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). The Government are making every endeavour to reach the remotest corners of the country through various media of publicity and communication.

(c) In order to promote better understanding and to foster goodwill between people living in the border areas and the people of the rest of the country, the Directorate of Field Publicity of Information and Broadcasting Ministry has been sponsoring conducted tours of representative non-officials from the border areas to the other parts of the country. 18 such tours have been organised by that Directorate of Field Publicity from the following areas :—

(1) Assam Hill areas	3
(2) Andaman and Nicobar Islands	1

(3)	Jammu & Kashmir	4
(4)	Nagaland-Manipur	2
(5)	Nefa	3
(6)	Himachal Pradesh	1
(7)	Rajasthan border areas	1
(8)	Tripura border areas	2
(9)	Uttar Pradesh	1

(d) Does not arise.

Effect of Rise in Prices of Steel on Industrial Production and Consumer Commodities

1234. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shi Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the impact of increase in the prices of steel on industrial production and consumer goods in the beginning of this year ;

(b) the names of the industries thus affected ;

(c) whether the targets fixed for the Fourth Plan in regard to the various industries would also be affected ; and

(d) if so, to what extent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). The increase in the prices of different categories of steel were allowed with effect from 1st January 1970, taking into account the uncompensated cost increases, wage increases and the need to augment the internal resources of the steel companies to finance replacement and modernisation programmes.

Out of 32 of the more important seel consuming industries of which the production data have been compared for the period January-April 1970, with those for the corresponding months of 1969, it has been noticed that the production during January-April 1970, was higher than that during January-April 1969 in respect of 18 industries. These include cast iron pipes, electrical steel sheets, forged hand tools, mining machinery, diesel engines (vihicular type), cement machinery, ball and roller bearings, wire ropes, machine tools, weighing machines, electric motors, commercial vehicles, motor cycles, scooters, mopeds, bicycles, electrical fans and hurricane lanterns. The production in the remaining 14 industries studied, such as steel pipes and tubes, steel castings, bolts, nuts and rivets, hacksaw blades, steel files, tractors, diesel engines(stationary), sugar machinery, tea machinery, power driven pumps, railway wagons, H. T. bolts and nuts, 3-wheelers and razor blades during January-April 1970 show a decline. The decline in production in these industries, however, cannot be directly attributed to the increase in steel prices ; the reasons for the decline have been diverse, ranging from the order book position to scarcity of raw materials.

(c) and (d). By and large, the rise in prices of different categories of steel is not expected to have any direct effect on the production targets of various industries, under the Fourth Plan.

In fact, in the programme of industrial development, production of steel is an important element and the price increases allowed are calculated to assist towards the achievement of the targets for steel production.

कटिहार पूर्वोत्तर सीमा (रेलवे) के शंटिंग कर्मचारियों द्वारा अल्पावधि हड़ताल

1235. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कटिहार के शंटिंग कर्मचारियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा पोइंट्समैन पर सख्त आक्रमण किये जाने का विरोध करते हुए 28 मई, 1970 को 6 घण्टे की अल्पावधि हड़ताल की थी ;

(ख) क्या इस आक्रमण के लिये उत्तरदायी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, रेलवे सुरक्षा विशेष दल द्वारा एक पांइटमैन पर किये गये कथित हमले के विरोध में ।

(ख) और (ग). रेलवे सुरक्षा विशेष दल के अभियुक्त रक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया था और मामले की जांच की जा रही है ।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

आरक्षण बुकिंग लिपिकों द्वारा जाली रसीदें जारी करने सम्बन्धी शिकायतें

1236. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री के० रमानी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1970 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित कुछ समाचार के अनुसार कुछ आरक्षण बुकिंग लिपिकों द्वारा जाली रसीदें जारी करने के बारे में, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों के साथ हजारों रुपये का धोखा किया गया है, बम्बई में यात्रियों की शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जनता की ओर से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) रेलवे पुलिस ने ऐसे कितने मामले दर्ज किये हैं ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। एक धोखेबाज द्वारा 1223 रुपये की फर्जी आरक्षण रसीदें जारी किये जाने का आरोप है।

(ख) दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) दोनों मामले रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज किये गये हैं।

(घ) अपराधी का पता नहीं चला है और अभी मामले की जांच हो रही है।

उड़ीसा में जातिवाद का प्रयत्न

1237. **श्री महेन्द्र माझी :** **श्री मीठालाल मीना :**
श्री दे० अमात : **श्री अजमल खां :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री गु० च० नायक :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि उड़ीसा के कतिपय जिलों में जातिवाद की प्रथा अपने निकृष्टतम रूप में प्रचलित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा है।

(ख) उड़ीसा सरकार को इस मामले में सम्बोधित किया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

माल भाड़ा, विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क की देय बकाया राशि

1238. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में, खण्ड-वार, वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में माल भाड़े, विलम्ब शुल्क तथा स्थान शुल्क के रूप में पृथक-पृथक कुल कितनी देय धनराशि बकाया है ;

(ख) उक्त अवधि में जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को 50,000 रुपये से अधिक ऐसी बकाया राशि की अदायगी से मुक्त रखा गया था उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं के क्या नाम हैं जिनकी ओर उपरोक्त (क) भाग में वर्णित धनराशि प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये से अधिक बकाया है ; और

(घ) इतनी बड़ी धनराशियों के बकाया रह जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें वसूल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Non-Acceptance by G. M. of Charter of Demands Submitted by Kalka Branch of the Northern Railway Workers' Union

1239. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Manager, Northern Railway visited Kalka Railway Station on the 26th June, 1970 on his way to Kashmir ;

(b) if so, whether it is also a fact that the Kalka-branch of the Northern Railway Workers' Union (Regd.) had tried to hand over a charter of demands to him but he refused to take it ;

(c) if so, the justification for not accepting the said charter;

(d) whether it is further a fact that the General Manager made derogatory remarks against the President of India, the Prime Minister and the Railway Minister in the presence of members of the Union ;

(e) whether it is further a fact that the President of the Union, who is a Member of Parliament, has written a letter to the President of India, the Prime Minister and the Railway Minister in this regard ; and

(f) if so, whether any action has been taken or is proposed to be taken against him after instituting an enquiry in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) The General Manager of Northern Railway was at Kalka on 26th June enroute to Simla to attend an official meeting.

(b) and (c). In accordance with the procedure in force, no correspondence is entered into with unrecognised Unions. Since the Northern Railway Workers' Union is an unrecognised Union, the staff were advised to send their grievances by adopting the normal procedure.

(d) No, Sir.

(e) Yes, Sir.

(f) In view of replies to (b), (c) and (d) the question does not arise.

स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, कैबिन सहायक स्टेशनमास्टरों और कैबिन मास्टरों के पद

1240. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को 250-325 रुपये तथा इससे अधिक के वेतन मानों में जोन और डिवीजन-वार स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, केबिन सहायक स्टेशन मास्टरों और केबिन मास्टरों के पदों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या इसमें से कुछ पदों पर एवजी परिवहन सहायक नियुक्त किये गये हैं और यदि हां, तो जोन-वार और डिवीजन-वार उनकी कुल संख्या क्या है ;

(ग) स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों, केबिन सहायक स्टेशन मास्टरों के 250-325 रुपये के वेतन मान के पदों पर कार्य कर रहे एवजी परिवहन सहायकों में से कितने व्यक्तियों को आरम्भिक रूप से सहायक स्टेशन मास्टरों के पद पर भर्ती किया गया था ; और

(घ) 31 मार्च, 1970 को जोन और डिवीजन-वार उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित

कितने पदों को स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की श्रेणी में पदोन्नति करके भरा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Incidents of Chain Pulling on Indian Railways

1241. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Onkar Lal Berva :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Jaganath Rao Joshi : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of incidents of chain-pulling that took place on Indian Railways during the last one year and their details Railway-wise ;

(b) the Railway-wise details of the loss suffered as a result of chain pulling ;

(c) the action taken by Government to check the incidents of chain pulling and the result thereof ; and

(d) other positive steps Government propose to take to check the incidents of chain-pulling ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a)

Railway	**No. of Incidents of alarm chains pulling from June 1969 to May, 1970**
	No.
Central	12,753
Eastern	64,097
Northern	47,404
North Eastern	91,205
Northeast Frontier	12,584
Southern	4,580
South Central	12,094
South Eastern	21,786
Western	6,222
Total :	2,72,725

(b) The loss which is mainly by way of detention to trains, cannot be precisely estimated.

(c) The following steps are being taken to prevent the incidence of alarm chain pulling :—

(i) conducting educative campaigns in the press, through posters, cinema slides, etc., and by announcements on the public address system provided at important stations ;

(ii) creating consciousness among the students about the evil of alarm chain pulling through the heads of the institutions as well as through senior Railway Officers giving lectures in the institutions ;

(iii) posting of plain clothed TTEs and Railway Protection Force men in 3rd class compartments ;

(iv) conducting surprise checks by anti-alarm chain pulling squads, consisting of TTEs and Railway Protection Force personnel, on some railways ;

(v) arranging surprise checks for ambushing of miscreants at places noted for unauthorised chain pulling;

(vi) making cash awards upto Rs. 100/-, to those who help the Railway administrations in detecting and prosecuting the offenders in courts of law.

However, effective action in combating this evil is possible only with the positive co-operation of the passengers which is lacking at present. The results achieved are therefore not encouraging.

(d) The measures indicated against (c) above are being pursued vigorously. Efforts are also being made to deal with the problem with the active co-operation of Voluntary Organisations of Social Workers. It is also proposed to amend Section 108 of the Indian Railways Act to provide a minimum fine of Rs. 25/- for the first offence and minimum punishment of one month's imprisonment for second and subsequent offences of unauthorised pulling of alarm chains. A Bill for this purpose was introduced in the Parliament in March, 1970.

ठेकेदारों द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य बन्द करना

1242. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री रामावतार शास्त्री : **डा० रानेन सेन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात परियोजना के कुछ ठेकेदारों ने अपने निर्माण कार्य के बड़े भाग को या तो बन्द कर दिया है या छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस गतिविधि से परियोजना की प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ठेकेदारों द्वारा लिये गये कार्य का निष्पादन समय-सूची के अनुसार हो ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). लगातार श्रमिक झगड़ों के कारण हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स-ट्रक्शन लि० के संविरचकों द्वारा लगाए गये दो कारखाने बन्द हो गये हैं। इसके अतिरिक्त बोकारो स्टील लि० के कुछ ठेकेदारों ने भी कुछ काम छोड़ दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन दो मामलों में ठेकेदार संविरचन कार्य बोकारो इस्पात नगर से बाहर स्थित अपने मूल कारखानों में करेंगे। छोड़ा गया काम उन अभिकरणों को सौंपा गया है जो उन्हें समय -अनुसूची के अनुसार पूरा करने के लिये तैयार हैं और कुछ काम बोकारो स्टील लि० द्वारा स्वयं किया जा रहा है।

"एशियन केबल्स" द्वारा आयातित कच्चे माल का दुरुपयोग

1243. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जनार्दनन :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने "एशियन केबल्स" द्वारा आयातित कच्चे माल के दुरुपयोग किये जाने संबंधी आरोपों की जांच इस बीच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). मामले की अभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छानबीन की जा रही है ।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

1244. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जनार्दनन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). वर्तमान में सरकार, इन्डियन आक्सीजन लि० के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही आयोजित नहीं कर रही है ; परन्तु यदि इस कम्पनी से सम्बन्धित, कोई विषय, कथित अधिनियम के उपबन्धों को आकर्षित करता है, तो इस पर कानून की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार होगा ।

वैदेशिक व्यापार तथा औद्योगिक विकास मंत्रालयों के बीच विवाद

1245. **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रामावतार शास्त्री :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक समूहों से संबद्ध फर्मों को निर्यात के हित में उत्पादन बढ़ाने

की अनुमति देने संबंधी प्रश्न के बारे में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय तथा उनके मंत्रालय के बीच विवाद इस बीच हल किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, विवाद किस प्रकार हल किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). विदेशी व्यापार और औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालयों के विचार लाइसेन्स निर्यातोमुख एककों को लाइसेन्स देने के मामले में माने जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों में सम्मिलित किये गये थे। उन्हें दोनों मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दिया था। इस संबंध की प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3835/70]**

दिल्ली में उद्योगों का विकास और विस्तार

1246. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन की नीति दिल्ली में उद्योगों के विकास और विस्तार पर विपरीत प्रभाव डाल रही है ;

(ख) क्या दिल्ली कारखाना मालिक संघ ने सरकार से कोई शिकायत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जानकारी दिल्ली प्रशासन से मांगी गई है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलों द्वारा ईंधन के उपभोग में कमी

1247. **श्री जि० मो० बिस्वास :** **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री जागेश्वर यादव :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे विभाग को अपने ईंधन के उपयोग में कमी करने को कहा है ;

(ख) रेलवे के ईंधन खपत पर आने वाला वार्षिक व्यय कुल कितना है ; और

(ग) सरकार मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय करके कितनी बचत करने की आशा रखती है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1968-69 में कोयले और डीजल तेल पर हुआ कुछ खर्च नीचे बताया गया है :

कोयला	103.88 करोड़ रुपये ।
डीजल तेल	39.23 करोड़ रुपये ।
जोड़	143.11 करोड़ रुपए ।

(ग) सम्भावित बचत का अनुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता।

रेलवे के कोयले का चोरी छिपे नेपाल को ले जाया जाना

1249. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री झारखण्डे राय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी मात्रा में कोयले को चोरी छिपे भारत से नेपाल ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्य की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) नेपाल की सीमा से लगे स्टेशनों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे उत्पादन एककों तथा निर्माणशालाओं की निर्यात संभावनाएं

1250. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री लताफत अली खां :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री अदिचन :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उत्पादन एककों और निर्माणशालाओं की निर्यात संभावनाएं इस बीच बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे विशिष्ट वस्तुएं क्या क्या हैं; और

(ग) क्या भारतीय रेलवे परामर्श सेवाओं से भी काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). देश की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्पादन एककों और वर्कशापों के इस समय के समूचे रेलवे डिब्बे, इंजन आदि के कुल

उत्पादन की आवश्यकता देश में ही है। वर्तमान क्षमता में से ही इनका निर्यात करना होगा। रेलवे उत्पादन एककों ने वर्तमान क्षमता में से बर्मा, थाइलैंड और ताईवान को यात्री डिब्बों के और सीरिया, नाइजीरिया और बर्मा को कुछ इंजनों के क्रयादेश पूरे किये हैं।

(ग) सलाहकार सेवाएं अधिकांश रूप में निशुल्क अथवा विभिन्न देशों के सहायता/आदान प्रदान कार्यक्रम के बदले में होती हैं। इन सेवाओं से विदेशी मुद्रा की आय नहीं होती है, हां इनसे भारत से रेलवे डिब्बों और उपकरणों के निर्यात के लिये अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है।

राज्यों में शराब कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसस देना

1251. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ;
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम चरण :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में शराब के कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन लोगों को लाइसेंस दिये गए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बियर बनाने के लिए केवल निम्नलिखित पार्टियों को ही आशय-पत्र जारी किए हैं, जिनकी क्षमता और राज्यों के नाम प्रत्येक के नाम के सामने दिए गये हैं। उनमें से किसी को अभी तक औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है क्योंकि जारी किये गये आशय-पत्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पार्टी का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (हेक्टोमीटर में)
1. श्री ए० के० घोष, रांची।	बिहार	40,000
2. मे० शा वैलेस एण्ड कं०, नई दिल्ली।	महाराष्ट्र	50,000
3. श्री एन० के० कोहपाव, तुलसीपुर, कटक।	उड़ीसा	50,000
4. डा० डी० कुमार तथा श्री एम० एम० महाजन।	दिल्ली	50,000
5. हरियाना राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि०, चंडीगढ़।	हरियाना	50,000
6. श्री एम० के० जाजोडिया, नई दिल्ली।	आंध्र प्रदेश	50,000
7. श्री प्रहलाद राय डालमिया, कानपुर।	राजस्थान	50,000
8. मे० ब्रेवरीज इण्डिया प्रा० लि०, कोट्टायम।	केरल	50,000

पार्टी का नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (हेक्टोमीटर में)
9. पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, लि०, चंडीगढ़ ।	पंजाब	50,000
10. मै० मधु ब्रेवरीज (एम० पी०) प्रा० लि०, नई दिल्ली ।	मध्य प्रदेश	25,000
11. मे० जसवंतराय मणिलाल तथा पेस्टोन्जी एफ० घडियाली, बम्बई ।	जम्मू तथा काश्मीर	50,000
12. श्री एम० ओ० एच० इकबाल, पांडिचेरी ।	पांडिचेरी	25,000

तीसरी श्रेणी के डिब्बों में पंखों तथा बिजली के अन्य उपकरणों का सुचारु रूप से कार्य करना

1252. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री बलराज मधोक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में तीसरी श्रेणी के बहुत से डिब्बों में या तो कोटे के पूरे पंखे नहीं लगे हुए हैं या डिब्बों में लगाये गये पंखे खराब हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि तीसरी श्रेणी के डिब्बों में बिजली के उपकरणों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही शिकायतों को तुरन्त दूर किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि पंखों आदि के चलने और उनके रख रखाव के मामले में तीसरी श्रेणी के डिब्बों को प्राथमिकता दी जाए ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सामान्यतः सभी डिब्बों में पंखे के पूरे कोटे की व्यवस्था है और इस बात को देखने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है कि वे ठीक रहें। परन्तु ऐसे अवसर भी आते हैं जब रेलें थोड़ी सप्लाई और बड़े पैमाने पर चोरी और उठाईगीरी आदि के कारण कुछ डिब्बों में सारे पंखों की व्यवस्था करने में असमर्थ रहती हैं। आजकल, सवारी डिब्बों के पंखों की भारी कमी है क्योंकि सप्लाई का अधिकतम भाग निर्माताओं से आता है जिनके कारखाने भावुक क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां हड़तालों/तालाबन्दी के कारण उत्पादन में काफी कमी हुई है। फिर भी, यथासम्भव सप्लाई के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने का प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) रेलें इस बात की बहुत इच्छुक हैं कि सवारी डिब्बों के पंखों को ठीक हालत में रखा जाये। इसे सुनिश्चित करने के लिए, उनके अनुरक्षण में सुधार करने और उठाईगीरी तथा चोरी कम करने के लिए बेहतर सुरक्षा प्रबन्धों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से कार्रवाई की गयी है।

(ग) तीसरे दर्जे के डिब्बों सहित डिब्बों के बिजली फिटिंग्स के समुचित अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उठाये जाने वाले कुछ कदम नीचे दिये गये हैं :

(1) प्रारम्भिक और पर्यन्त स्टेशनों पर बत्तियों और पंखों की अच्छी तरह जांच की जाती है। विशेष रूप से इन फिटिंग्स की देखभाल करने के लिए अलग पर्यवक्षकों को नियुक्त किया गया है।

(2) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा रेकों की बार-बार जांच की जाती है।

(3) मार्ग में होने वाली खराबियों को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण मध्यवर्ती स्टेशनों पर कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

(4) उन गाड़ियों में, जहां पंखों को बिल्कुल ठीक हालत में रखने के लिए अधिकतम कठिनाई हो रही हो, बिजली फिटरों के गाड़ियों में यात्रा करने के प्रबन्ध किये गये हैं ताकि खराबी होते ही वे उसे ठीक कर सकें।

(5) खराब या कम पुर्जों के तत्काल बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए फालतू पुर्जों के काफी स्टाक की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(6) जनता की शिकायतों की अच्छी तरह जांच की जाती है और लापरवाह पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(7) गाड़ी बत्ती में हर तरह से सुधार लाने के लिए आवधिक विशेष अभियान और गाड़ी बत्ती सप्ताह मनाये जाते हैं।

नये उद्योगों की स्थापना करने के लिए बड़े बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस जारी करना

1253. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिनको एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति विधेयक पास करने के पश्चात् नये लाइसेंस दिये गये थे अथवा नये उद्योग आरम्भ करने के लिये या वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने के लिये अनुमति दी गई थी ;

(ख) प्रत्येक मामले में, सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त नये उद्योगों अथवा विस्तार कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ;

(ग) विधेयक पास करने के पश्चात् इतनी जल्दी इन गृहों को उक्त अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम, 1960 को अब तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त विधेयक को पास करने के पश्चात् कितने नये लाइसेंस जारी किये गये, बड़े व्यापार गृहों तथा लघु उद्योगों को कितने विस्तार की अनुमति दी गई थी, कितने लाइसेंस अथवा कितनी विस्तार अनुमति दी गई ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ङ). मोनोपोलीज एण्ड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज बिल को 27 दिसम्बर, 1969 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा इसके उपबन्धों को 1 जनवरी, 1970 से लागू किया गया। इस कानून के अलावा नई औद्योगिक लाइसेंस नीति 19 फरवरी, 1970 से लागू हुई जिसके अधीन 20 बड़े औद्योगिक गृहों तथा कुछ अन्य कोटि के औद्योगिक उपक्रमों की भूमिका को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। 1-1-70 से 30-6-1970 की अवधि में कुल 67 औद्योगिक लाइसेंस तथा 150 आशय-पत्र नये उद्योगों की स्थापना तथा पर्याप्त विस्तार जिनकी परिभाषा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नियमों में दी गई है, के लिये जारी किये गये। इनमें से पहले जारी किये गये दो आशय-पत्रों को लाइसेंस में परिणत कर दिया गया तथा 9 आशय-पत्र "बड़े" औद्योगिक गृहों अथवा उनसे नियन्त्रित उपक्रमों को दिये गये। शेष 65 लाइसेंस तथा 141 आशय-पत्र अन्य उपक्रमों को जारी किये गये। जारी किये गये लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) यद्यपि मोनोपोलीज एण्ड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति 27 दिसम्बर, 1969 को प्राप्त हुई इसे तुरन्त लागू न किया जा सका क्योंकि इस सम्बन्ध में वांछित नियमों और उन्हें लागू करने विषयक अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य अधिकारियों से परामर्श करके लिपिबद्ध कर अन्तिम रूप देना था तथा अधिनियम लागू करने से सम्बन्धित पेचदगियों का पता लगाना था।

1-1-70 से 30-6-70 तक की अवधि में बृहत्तर औद्योगिक गृहों को जारी किए गए लाइसेंसों और आशय-पत्रों के ब्योरे को प्रदर्शित करने वाला विवरण

औद्योगिक गृह का नाम	उपक्रम का नाम	उत्पादन की वस्तु का नाम
	लाइसेंस	
थापड़	मै० मालवा सुगर वर्क्स कं० लि०	चीनी (पर्याप्त विस्तार)
एन्ड्रयूले	मै० एन्ड्रयूले एण्ड कं० लि०	स्विच गीयर वस्तुएं (पर्याप्त विस्तार।
	आशय-पत्र	
जे० के० सिंहानिया	मै० मध्य प्रदेश इण्डस्ट्रीज लि०	मिडगेट इलैक्ट्रोड्स (नया उपक्रम)
थापड़	मै० बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लि०	कास्टिक सोडा, तरल क्लोराइन तथा हाइड्रोलिक एसिड (नया उपक्रम)
टाटा	मै० टाटा केमिकल्स लि०	सोडा ऐश (पर्याप्त विस्तार)
टाटा	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०	जिगें, फिक्श्चर प्रेस टूल आदि (पर्याप्त विस्तार)
गोयनका	मै० नेशनल स्टैंडर्ड डंकन लि०	स्टील वायर टायर बीड वायर्स (पर्याप्त विस्तार)

औद्योगिक गृह का नाम	उपक्रम का नाम	उत्पादन की वस्तु का नाम
गोयनका	मै० एण्डो इण्डियन जूट मिल्स कं० लि०	कालीन हेतु कपड़ा (पर्याप्त विस्तार)
साराभाई	मै० सुहरिद जिगी लि०	बुटेजोलिडीन (पर्याप्त विस्तार)
मफतलाल	मै० स्टैण्डर्ड मिल्स कं० लि०	कास्टिक सोडा क्लोराइन, हाई-ड्रोक्लोराइड एसिड (पर्याप्त विस्तार)
बिरला	मै० वैले जूट कं० लि०	कालीन हेतु कपड़ा (पर्याप्त विस्तार)

राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में शिकायतें

1254. **श्री क़ंवर लाल गुप्त :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री रामावतार शर्मा : **श्री सूरज भान :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति के हाल के निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिये कोई विधान पेश करने का है ; और यदि हां, तो कब ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) अतारांकित प्रश्न सं० 4033 के उत्तर में जो 16 दिसम्बर, 1969 को दिया गया था शिकायत करने वालों के नाम और उनकी शिकायतों के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया था ।

(ग) राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में आशा की जाती है कि शीघ्र ही दे दिया जायगा । उसके सम्पूर्ण पाठ का अध्ययन करने के बाद, यदि आवश्यक समझा गया तो निर्वाचन आयोग इस निमित्त सिफारिशें करेगा ।

(घ) और (ङ). अब ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा हरिजन कल्याण योजनाओं पर व्यय किया गया धन

1255. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने हरिजन कल्याण योजनाओं पर 1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1967 और 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1970 तक कितना व्यय किया है ;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपरोक्त अवधि में पूरी की गई हरिजन कल्याण सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा गत दो वर्षों में हरिजन कल्याण सम्बन्धी कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें गृह-कार्य मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेजी गई योजनाएं भी शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई हैं ; और

(घ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में हरिजनों की दशा सुधारने के लिये दिल्ली प्रशासन का अगले दो वर्षों के लिए क्या कार्यक्रम है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) दिल्ली के नगर निगम समेत दिल्ली प्रशासन द्वारा उक्त अवधियों में हरिजनों के कल्याण पर निम्नलिखित राशियां खर्च की गईं :

(1) 1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1967 तक—52.511 लाख रुपये

(2) 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1970 तक—77.898 लाख रुपये

(ख) उपरोक्त अवधियों के दौरान निष्पादित की गई योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1967 तक	**1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1970 तक**
1. आवास उपदान	1. वही
2. मकानों के लिये जमीनें	2. वही
3. अनुसूचित जातियों को व्यवसायिक तथा तकनीकी छात्रवृत्तियां	3. वही
4. लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए उपदान ।	4. वही
5. गैर-सरकारी संगठनों को सहायक अनुदान ।	5. वही
6. हरिजन बच्चों के लिए आश्रम स्कूल	6. वही
7. विष्ठा को सिर पर ढोने की प्रथा का समाप्त करना तथा मेहतरों और संमार्जकों की रहने सहने तथा काम करने की अन्य परिस्थितियों में सुधार	7. वही

1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1967 तक	1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1970 तक
8. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां	8. ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों को पेयजल सुविधाओं में सुधार ।
	9. अनुसूचित जातियों की लड़कियों को गुणाधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
	10. मकानों के लिये जमीनों की योजना के अधीन हरिजनों के लिए तिहार गांव में भूमि का विकास ।
	11. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां ।
	12. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को तैयार करना ।
	13. अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास ।
	14. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन गंदी बस्तियों में सुधार ।

(ग) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1968-69 तथा 1969-70 में दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्र को निम्नलिखित हरिजन कल्याण योजनाएं भेजी गईं :

1. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के वृद्ध व अशक्त तथा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता ।
2. हरिजन विधवाओं को वित्तीय सहायता ।
3. अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास ।
4. मूल्यांकन सेल की स्थापना ।
5. धोबियों तथा बालमीकियों के लिए मकान ।
6. हरिजनों को दी जाने वाली पेय जल सुविधाओं में सुधार ।
7. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए अल्प समय के पाठ्यक्रम ।
8. हरिजन लड़कियों को गुणाधारित छात्रवृत्तियां ।
9. आवास उपदान ।
10. गृह-स्थल ।
11. अनुसूचित जातियों को व्यवसायिक तथा तकनीकी छात्रवृत्तियां ।

12. गैर-सरकारी संगठनों को सहायक अनुदान ।

13. लघु उद्योगों के लिए सहायता ।

14. मेहतरों के बच्चों के लिए आश्रम स्कूल ।

15. दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजन गंदी बस्तियों का सुधार ।

16. तिहार गांव में भूमि का विकास ।

17. मेहतरों तथा संमार्जकों के काम की तथा रहने सहने की परिस्थितियों में सुधार तथा विष्ठा को सिर पर ढोने की प्रथा का उन्मूलन ।

18. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां ।

19. अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास ।

संख्या 1-5 पर दी गई योजनाओं को छोड़कर उपरोक्त शेष सभी योजनाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है । संख्या 1-5 तक की योजनाओं को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि अन्य क्षेत्रों में वैसी ही योजनाएं उपलब्ध थीं अथवा सीमित धन को देखते हुए उनकी नीची अग्रता थी ।

(घ) अगले दो वर्षों में हरिजनों के कल्याण के लिये निम्नलिखित नई योजनाएं दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन थीं ।

(1) गंदे व्यवसाय में लगे हरिजनों के लिए फ्लश शौचालय की व्यवस्था करना ।

(2) उनके घरों की मरम्मत के लिए 500 रुपए प्रति मकान उपदान देना ।

(3) दिल्ली में अनुसूचित जातियों की उन लड़कियों के लिए छात्रावास स्थापित करना, जिनके अपने घरों में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं ।

(4) संघ राज्य क्षेत्र में चौपालों की मरम्मत के लिए पंचायतों को सहायक अनुदान ।

(5) हरिजनों के बच्चों के लिए दो नर्सरी स्कूल खोलना ।

(6) अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता ।

(7) आश्रम स्कूल शुरू करना ।

(8) हरिजनों की आसान किश्तों पर किराया-क्रय आधार पर देने के लिए 5000 रु० प्रति मकान की दर से 1000 मकानों का निर्माण ।

नेकोंड़ा और आलमखानपेट स्टेशनों (दक्षिण-मध्य रेलवे) के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

1257. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के काजीपेट-दोरनाकल सैक्शनों के नेकोंडा तथा आलम-खानपेट स्टेशनों के बीच 22 जून, 1970 को एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 49,000 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

लुमडिंग-बदरपुर पहाड़ी सैक्शन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) में 203 अप यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना

1258. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लुमडिंग-बदरपुर पहाड़ी सैक्शन में चलने वाली 203 अप यात्रीगाड़ी 27 जून, 1970 को पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति घायल हुए ; और

(घ) घायलों को मुआवजे की कितनी राशि दी गई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 27-6-70 को जब 203 अप सवारी गाड़ी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को दिहाखो स्टेशन की लाइन नम्बर 2 पर प्रवेश कर रही थी, तब यह गाड़ी बन्द साइडिंग पर चली गयी । इसके परिणामस्वरूप गाड़ी का इन्जन और पहले दो सवारी डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये और तीसरा डिब्बा पटरी से उतर गया ।

(ग) इस दुर्घटना में 12 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक इन्जन कर्मचारी सहित दो को सख्त चोटें आयी ।

(घ) ड्यूटी पर घायल होने वाले दोनों रेल कर्मचारियों को उनकी अनुपस्थिति के लिये अस्पताली छुट्टी की जायेगी और उनकी स्थायी अंगहानि (यदि कोई हुई हो) किस सीमा तक हुई है, इसका निर्णय हो जाने के बाद कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें आवश्यक मुआवजा दिया जायेगा । घायल यात्रियों की ओर से अभी तक मुआवजे का कोई दावा नहीं मिला । जब दावे किये जायेंगे तब सम्बन्धित पदेन दावा आयुक्त उन्हें तय करेंगे ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वासन

1259. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास करने के बारे में 19 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले ही पुनर्वासित वास्तविक संख्या के सम्बन्ध में भारी इन्जीनियरिंग निगम,

रांची के मुसलमान कर्मचारियों के 'धीरे-धीरे' पुनर्वासन के अद्यतन परिणाम क्या हैं ;

(ख) मुसलमान कर्मचारियों के लिये रखे गये कितने मकान अनधिकृत रूप से कितने समय से दूसरों के कब्जे में हैं ;

(ग) अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों से खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या मुसलमान कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री को, जब वे रांची गई थीं, अपने पुनर्वासन सम्बन्धी समस्या के बारे में अभ्यावेदन दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पहले किये गये आंवटनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है । बस्ती में दूसरे स्थान पर कुछ और क्वार्टरों का आवंटन करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). सबसे पहले सितम्बर, 1969 में 208 क्वार्टरों पर, जो पहले मुस्लिम कर्मचारियों को दिए गये थे, चोरी छिपे अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया था । उस समय से कई कर्मचारियों से इन क्वार्टरों को खाली करवाने के लिये बिजली और पानी काटने और/अथवा कानूनी और अनुशासनिक कार्यवाही, जिसमें निलम्बन, और आरोप-पत्र जारी करने के आदेश भी शामिल हैं, प्रतिरोधक कार्यवाही की गई है । इसके परिणामस्वरूप अब तक 72 क्वार्टर खाली हो चुके हैं । परन्तु अभी 136 क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा है । इन क्वार्टरों को खाली करवाने के लिये भी कार्यवाही जारी है ।

(घ) और (ङ). प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किये गये कुछ अभ्यावेदन इस मंत्रालय को विचारार्थ भेजे गये हैं । कारपोरेशन इस कठिन और नाजुक समस्या को सुलझाने के लिये मुस्लिम कर्मचारियों की कठिनाइयों को पूरी तरह ध्यान में रख रही है ।

Training of Train Clerks of Samastipur Division as Guards (North Eastern Railway)

1260. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Train Clerks working for the last six-seven years in the Samastipur Division of the North-Eastern Railway are not being sent for receiving training of Guards while the running of Goods trains is often suspended due to the shortage of Guards ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that certain Trains Clerks who have not put in five years of service in the aforesaid Division have received Guards' training ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, but no Goods Trains have been suspended due to shortage of Guards.

(b) Trains Clerks and officiating Senior Trains Clerks having completed 5 years of service are eligible to opt for Guards training and only such optees are sent for training in order of seniority.

(c) and (d). One Trains Clerk who had not put in 5 years service was sent by mistake for Guards training.

समस्तीपुर डिवीजन (पूर्वोत्तर रेलवे) के ट्रेन क्लर्कों को स्थायी बनाया जाना

1261. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उक्त डिवीजन में गत पांच-छः वर्षों से स्थाई पदों पर कार्य कर रहे वरिष्ठ ट्रेन क्लर्कों को अभी तक स्थाई नहीं बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) 1963 से गार्ड 'सी' के रूप में काम करने वाले 14 वरिष्ठ गाड़ी क्लर्कों के मामले न्यायाधीन हैं । अन्य 6 वरिष्ठ गाड़ी क्लर्कों ने गार्ड के पद के लिये विकल्प दिया है और वे गार्ड के पद पर काम कर रहे हैं ।

भारत में मशीनों के बारे में गणना

1262. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री अदिचन :**
श्री जि० मो० बिस्वास : **डा० रानेन सेन :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के सम्बन्ध में एक गणना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गणना प्रतिवेदन में उल्लिखित स्थिति के महत्व पूर्ण पहलू क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत में अधिष्ठापित मशीन टूल्स की संख्या 382,000 से कुछ अधिक है । इनमें से 57.7 प्रतिशत बड़े पैमाने के क्षेत्र में तथा 42.3 प्रतिशत छोटे पैमाने के क्षेत्र में हैं । बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में अधिष्ठापित आयातित और देशीय मशीन टूल्स की अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार है :

	आयातित	**देशीय**
बड़े पैमाने के उद्योगों का क्षेत्र	53.2 प्रतिशत	46.8 प्रतिशत
लघु उद्योग क्षेत्र	13.6 प्रतिशत	86.4 प्रतिशत

1968 में अधिष्ठापित, आयातित और देशीय मशीन टूल्स और 1949 में स्थापित किए गए मशीन टूल्स की तुलनात्मक स्थिति का प्रतिशत इस प्रकार है :

	1949	**1968**
भारतीय	36.4 प्रतिशत	63.6 प्रतिशत
आयातित	65.7 प्रतिशत	34.3 प्रतिशत

अधिष्ठापित मशीन टूल्स में से केवल 36.3 प्रतिशत दस वर्ष पुराने हैं तथा 16.1 प्रतिशत मशीनें 20 वर्ष पुरानी हैं ।

अन्य कोटि की मशीनों की अधिष्ठापित पद्धति निम्न प्रकार है :

प्रतिशत में

	लघु उद्योग क्षेत्र		भारी उद्योग क्षेत्र	
	भारतीय	आयातित	भारतीय	आयातित
धातु काटने वाली मशीनें	47.6	52.4	86	14
धातु बनाने वाली मशीनें	40.3	59.7		
जोड़ने वाली मशीनें	52.5	47.5	76	24

Recovery of Fine from Ticketless Travellers on Western Railway

1263. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Sharda Nand :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of ticketless travellers caught on the Western Railway since 1st January 1970 ;

(b) the total amount of fine recovered from them ; and

(c) the total amount of fine imposed by the Special Magistrates appointed in connection with the drive to check ticketless travelling ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The number of persons detected travelling without tickets on the Western Railway during the period 1.1.1970 to 30.6.1970 was 1,49,520.

(b) and (c). The amounts of excess charges and fines recovered from them during the same period were as under :

(i) Amount of excess charges	Rs. 10,29,940/-
(ii) Fines imposed by Railway Magistrates and recovered	Rs. 44,807/-

बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण

1264. **श्री दे० अमात :**
श्री अदिचन :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जुलाई, 1970 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार बोकारो इस्पात 1973 के मध्य तक बाजार में उपलब्ध नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके और आगे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब और इसकी स्थापना लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). 1.7 मिलियन टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन के लिये प्रथम चरण को संशोधित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार कारखाने की प्रथम धमन-भट्टी को दिसम्बर, 1971 के अन्त तक और सम्पूर्ण प्रथम चरण के मार्च, 1973 तक पूरा होना है। इन निर्धारित तिथियों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। प्रायोजना का निर्माण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार सिविल इंजीनियरी के काम में और संरचनात्मकों और उपकरणों की प्राप्ति और उनके लगाने के कामों में तीव्रता लाई जा रही है।

देशी कान्टीनेन्टल टाइप स्वचालित रेलवे फाटक

1265. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी कान्टीनेन्टल टाइप स्वचालित रेलवे फाटक स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) मध्य, पूर्व, उत्तर और दक्षिण रेलों में से प्रत्येक रेलवे के एक-एक चुने हुए चौकीदार वाले समपार पर परीक्षण के रूप में गाड़ी आने पर अपने आप उठने-गिरने वाला आधा बैरियर लगाया जायेगा।

यह बैरियर सड़क की केवल आधी चौड़ाई को बायीं ओर से रोकेगा। दूसरा आधा भाग खुला रखा जायेगा ताकि बैरियर बन्द करते समय जो सड़क वाहन रेल की पटरी पर रह गये हों, वे बाहर निकल सकें। उठने वाले बैरियर के साथ चमकती हुई बत्तियों और चेतावनी देने वाली घंटियों की व्यवस्था रहेगी। जब गाड़ी फाटक से पूर्व निर्धारित दूरी पर पहुंचेगी तब सड़क से आने-जाने वालों को गाड़ी के आने और बैरियर के बन्द होने की चेतावनी देने के लिये बत्तियां चमकने लगेंगी और घंटियां बजने लगेंगी।

(ग) जी हां।

सियालदह स्टेशन क्षेत्र (पूर्व रेलवे) का विकास

1266. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह स्टेशन क्षेत्र पूर्व रेलवे के विकास सम्बन्धी योजना को कब तैयार किया गया था ;

(ख) योजना किसने तैयार की, और योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या योजना से सम्बन्धित अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी; और

(घ) इसको अब तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). पूर्व रेलवे ने बहुत पहले 1958 में सियालदह क्षेत्र में यातायात की परिचालन व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी अन्य सम्बन्धित हितों के परामर्श से एक प्रस्ताव तैयार किया था। अन्ततोगत्वा 1963 में इस प्रस्ताव के समन्वय का काम कलकत्ता महानगर योजना संगठन को सौंपा गया। अनेक बार विचार-विमर्श करने के बाद 1964 में रेलवे सहित सभी सम्बन्धित पक्षों ने कलकत्ता महानगर योजना संगठन द्वारा तैयार की गयी योजना का अनुमोदन कर दिया। तब 55 लाख रुपये की लागत से इस योजना को निष्पादन करने का कार्यभार राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया।

लेकिन मार्च, 1968 में पूर्व रेलवे को राज्य मंत्रिमण्डल के 1967 के इस विनिश्चय की सूचना दी गयी कि पहले के प्रस्ताव में संशोधन किया जाये। कलकत्ता महानगर योजना संगठन ने संशोधित प्रस्तावों से युक्त योजना को जून, 1969 में तैयार किया। इन संशोधित प्रस्तावों की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) आचार्य पी० सी० राय रोड के मार्ग परिवर्तन, ट्राम टर्मिनस स्थल के स्थानान्तरण और इस क्षेत्र के दक्षिणी कोने में बैलियाघाट बस डिपो की व्यवस्था करने के लिये स्टेशन के सामने रेलवे के वर्तमान परिचलन क्षेत्र के 1,50,000 वर्ग फुट स्थान का उपयोग।

(2) मार्ग-परिवर्तित आचार्य पी० सी० राय रोड और ट्राम पटरियों के नीचे एक 60 फुट चौड़ा सुरंग मार्ग और मुख्य सुरंग मार्ग के मध्यस्थल से निकलता हुआ 20 फुट चौड़ा एक शाखा सुरंग मार्ग।

(3) स्टेशन की प्रस्तावित इमारत से दक्षिणी स्टेशन से प्रस्तावित बैलियाघाट बस डिपो के फर्शी क्षेत्र तक क्रमशः 20-20 फुट चौड़े 2 सुरंग मार्ग।

(4) सेन्ट्रल स्टेशन के दक्षिण की ओर 53 निजी कारों और टैक्सियों; माल गोदाम के दक्षिण की ओर धीमी गति से चलने वाले 18 वाहनों; पार्सल शैड के सामने

की ओर 10 वाहनों; और परिचलन क्षेत्र के दक्षिणी कोने पर 21 वाहनों को खड़ा करने के लिये स्थान ।

(5) स्टेशन की नयी इमारत के सामने एक दोहरा बैरियर जिसमें बैरियरों के बीच पैदल चलने वालों के लिये एक तंग (12′ × 18′ चौड़े) फर्शी क्षेत्र की व्यवस्था ।

(ग) कलकत्ता महानगर योजना संगठन की संशोधित योजना रेलवे को स्वीकार्य नहीं है ।

(घ) कलकत्ता महानगर योजना संगठन की अस्थायी रूप से तैयार की गयी यह योजना व्यावहारिक नहीं है और इसमें रेलवे के हितों की उपेक्षा की गयी है । कलकत्ता महानगर योजना संगठन का प्रस्ताव 1964-65 में किये गए यातायात सर्वेक्षण पर आधारित है जिसका अब महत्व नहीं रह गया है । साथ ही सियालदह नार्थ और सियालदह साउथ दोनों के लिये 60 फुट का एक सांझा सुरंग मार्ग न केवल अपर्याप्त है बल्कि इससे यात्रियों के लिये गम्भीर रूप से रुकावट पैदा हो जायेगी और सियालदह स्टेशन का कार्य-संचालन असम्भव हो जायेगा ।

इस क्षेत्र की रेलवे भूमि को रेलवे की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं और शीघ्र परिवहन प्रणाली सहित भविष्य के विकास कार्यों के लिये सुरक्षित रखना होगा । परिचलन क्षेत्र के किसी भाग को, जिसका कि इस समय भी बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, केवल कलकत्ता महानगर योजना संगठन के प्रस्ताव के अनुसार ट्रामों और बसों के टर्मिनल की व्यवस्था करने के लिये छोड़ देना वांछनीय नहीं होगा जबकि इनके लिये निकटस्थ पुलिस कोर्ट क्षेत्र में आसानी से व्यवस्था की जा सकती है ।

इसलिये रेलों ने कलकत्ता महानगर योजना संगठन को एक वैकल्पिक योजना भेजी है और सम्बन्धित प्राधिकारियों की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रेस का तचमांची (दक्षिण मध्य रेलवे) स्टेशन पर पटरी से उतर जाना

1267. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण, मध्य रेलवे के बीट्टागुंटा-गुटूर सेक्शन पर तचमांची स्टेशन पर 20 मई, 1970 को दिल्ली-मद्रास एक्सप्रेस गाड़ी पटरी से उतर जाने के परिणाम-स्वरूप कई लोग मारे गये तथा घायल हुये थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने यात्री मारे गये तथा घायल हुए;

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था; और

(घ) दुर्घटना के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गये और दो घायल हुये जिनमें से एक व्यक्ति को गम्भीर चोटें आयीं।

(ग) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी, जिनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल पथ की खराबी के कारण हुई थी।

(घ) इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराये गए व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

राज्यों में पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास

1268. **श्री वि०कु० मोडक :**
श्री भगवान दास :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद के इस प्रस्ताव से सहमत हो गई है कि प्रत्येक पिछड़े हुए राज्य से दो जिलों को चुना जाये और उनकों गहन विकास के लिए भूमि, विद्युत, जल आदि पर 10 प्रतिशत राज सहायता दी जाय;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों तथा उनके जिलों के नाम क्या हैं जिनको ऐसी सहायता प्राप्त होगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार, राज्यों के दो चुने हुए जिलों में तथा अन्य राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के एक जिले में जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े समझे गये हैं नए विनियोजन करने वाले एककों को आर्थिक सहायता देने वाले प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के ब्यौरे को सक्रिय रूप से तैयार कर रही है।

(ग) ऐसी स्थिति में, राज्यों तथा जिलों के नाम अभी बता सकना सम्भव नहीं है।

वर्दियों की सप्लाई के सम्बन्ध में वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

1269. **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री नम्बियार :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्दियों की सप्लाई के सम्बन्ध में रेलवे उपमंत्री को पत्र संख्या ई० (डब्ल्यू) 68 एल० जी० 3-18 दिनांक 6 मार्च, 1970 में दी गई सलाह के अनुसार वर्दी सम्बन्धी समिति ने 4 मार्च, 1970 को रेलवे बोर्ड को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड ने सिफारिशों पर क्या अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ग) यदि कोई देरी है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड सक्रिय रूप से विचार कर रहा है ।

कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कागज निर्माताओं का प्रस्ताव

1270. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 58 कागज निर्माताओं से कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रस्तावों की जांच करने के लिये मंत्रालय तकनीकी विकास महानिदेशालय, कागज मशीनरी निर्माताओं और उद्योग के प्रतिनिधियों की एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या प्रस्तावों की इस बीच जांच की जा चुकी है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ङ). कागज निर्माताओं से उत्पादन में वृद्धि करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक तकनीकी समिति गठित की गई है :—

1. श्री आबिद हुसेन, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय ।	अध्यक्ष
2. डा० ए० सीतारमैया, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय ।	सदस्य
3. श्री आर० पी० भार्गव, स्टार पेपर मिल, सहारनपुर ।	सदस्य
4. डा० आर० एल० भार्गव, वेस्ट कास्ट पेपर मिल लि० ।	सदस्य
5. डा० के० के० तलवार, पेपर प्राडक्ट्स लि० ।	सदस्य
6. श्री इन्दरजीत सिंह, उत्कल मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स, उड़ीसा ।	सदस्य

7. श्री आर० के० सेठ, सदस्य
इण्डिया पेपर पल्प कम्पनी ।

8. श्री एस० सी० बनर्जी, सदस्य
औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय ।

9. श्री वी० पोद्दार, सदस्य
रोहतास इण्डस्ट्रीज, ।

10. सेक्रेटरी, संयोजक ।
हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (प्रा०) लि० ।
(सरकारी उपक्रम)

आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट/सिफारिशें 30 सितम्बर, 1970 तक प्रस्तुत कर देगी ।

नये इस्पात कारखानों के लिए स्थानों का निरीक्षण

1271. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री मणि भाई जे० पटेल :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हास्पेट, सलेम तथा विशाखापत्तनम् में तीन नये इस्पात कारखानों सम्बन्धी स्थान चयन समिति ने स्थानों के निरीक्षण का कार्य इस बीच आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और तब से इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या भूमि, जल, तथा विद्युत की उपलब्धता सम्बन्धी आंकड़े सप्लाई करने के लिये राज्यों को भेजे गये पत्रों के उत्तर सम्बन्धित राज्यों से इस बीच प्राप्त हो गए है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). स्थान चयन समितियों ने जून और जुलाई, 1970 में हास्पेट, सलेम और विशाखापत्तनम के तीनों क्षेत्रों का दौरा किया है । इन दौरों से पूर्व राज्य सरकारों ने उनको भेजे गये एक प्रपत्र में सभी आधार सामग्री और जानकारी समिति के विचारार्थ भेज दी थी । राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के दौरान स्थान के चयन का निर्णय करने के लिये कुछ और आधार सामग्री की आवश्यकता मालूम हुई । तमिलनाडु की सरकार ने आधार सामग्री दे दी है जबकि दूसरी दोनों राज्य सरकारों से इसके शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है । विचार विमर्श के परिणाम-स्वरूप मैसूर राज्य की सरकार ने हास्पेट क्षेत्र में 30000 एकड़ का क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कहा गया है । आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों ने क्रमश: 1966 और 1964 में क्षेत्र अधिसूचित कर दिये थे ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के सर्वोच्च अधिकारियों का सम्मेलन

1272. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के सर्वोच्च अधिकारियों की समस्याओं का पता लगाने के लिये उनका सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सम्मेलन में विचार किये जाने वाले मामलों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण बोर्ड

1273. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समाज कल्याण मण्डल हैं तथा इन मण्डलों के अध्यक्ष तथा सचिवों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन्हें कितना वार्षिक परिव्यय दिया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक को प्रतिवर्ष भारत सरकार से कितना धन मिलता है ;

(ग) क्या सरकार को इन मण्डलों के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि खराब प्रबन्ध आदि के कारण ये मण्डल उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं जिनके लिए इनकी स्थापना की गई थी ;

(घ) क्या सरकार के इन मण्डलों को कार्य और व्यय पर नियंत्रण रखने के लिये कोई प्रभावकारी प्रबन्ध करेगी और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार को आज तक कितने मण्डलों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं तथा इन मण्डलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जिनमें समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड हैं, तथा बोर्डों के अध्यक्षों और कार्यालय मंत्रियों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध 1 पर संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1970-71 के लिये राज्य बोर्डों के गैर-योजना खर्च के लिये बजट आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण तथा वर्ष 1969-70 के दौरान योजना मदों (राज्य बोर्डों द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम) पर खर्च दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ; देखिये क्रमश: अनुबन्ध 2 तथा 3 । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–3836/70]**

(ग) कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें मिली थीं, उनकी जांच की गई थी और उपचारात्मक कार्यवाही की गई थी ।

(घ) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के कार्य तथा खर्च का पर्यवेक्षण करने के लिये पहले से ही पर्याप्त प्रबन्ध है ।

(ङ) राज्य सलाहकार बोर्डों के 5 अध्यक्षों तथा 3 कार्यालय मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतें मिली थीं और उन पर उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

दहेज प्रथा को समाप्त करना

1274. **श्री वेदव्रत बरुआ : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में निर्वाह मूल्य के बढ़ जाने के कारण दहेज प्रथा गम्भीर अभिशाप बन गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रथा की वृद्धि और इसकी अनवरतता का मुकाबला करने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 इसी दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि दहेज का देना या लेना रोका जा सके ।

माईनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को बन्द किया जाना

1275. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री पी० विश्वम्भरन् :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्ता :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थिति माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन को बन्द करने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकारी उपक्रम समिति ने माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर, के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कारखाने को बन्द कर देना ही अच्छा होगा ताकि राजकोष से और अधिक धन-उत्सारण न हो ।

वस्तुओं और प्रेक्षित माल की हानि के कारण क्षतिपूर्ति का भगतान

1276. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जि० मो० बिश्वास :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व वर्षों की तुलना में गत वर्ष सरकार द्वारा वस्तुओं और प्रेषित माल की छुट पुट चोरी के कारण दी गई क्षति पूर्ति में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा दी गई क्षति पूर्ति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इस क्षतिपूर्ति के भुगतान में वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने क्षतिपूर्ति की मात्रा को कम करने के लिये वस्तुओं और प्रेषित माल की छुट पुट चोरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में रेलों द्वारा ढोये गये परेषणों की उठायीगीरी के कारण दी गई क्षतिपूर्ति के लिये दावों में जो वृद्धि हुई वह इस प्रकार है :—

वर्ष	रेलों द्वारा ढोये गये माल की उठायीगीरी के कारण दी गई क्षतिपूर्ति की रकम रु०
1967-68	3,47,78,025
1968-69	4,33,76,371
1969-70	4,87,29,602

(ग) क्षतिपूर्ति के लिये दावों के भुगतान में वृद्धि आंशिक रूप से माल की कीमतों में वृद्धि के कारण है और आंशिक रूप से देश के कुछ भागों में कानून और व्यवस्था में सामान्य खराबी के कारण है।

(घ) रेलों द्वारा ढोये गये परेषणों की चोरी और उठायीगीरी रोकने के लिये किये गये अधिक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) चलती हुई गाड़ियों में चोरी रोकने के लिये कीमती माल ढोने वाले माल डिब्बों में उपयुक्त रिबेट लगाना और ई० पी० तालों की व्यवस्था ;

(ii) चीनी, अनाज, दालों और तिलहन आदि जैसे मालडिब्बा भार परेषणों के लिये जहां अपेक्षित हो, निभार की व्यवस्था पर जोर देना ;

(iii) ब्रेकयानों, सामानयानों और पार्सल यानों आदि में ताले लगाना सुनिश्चित करना ;

(iv) भेद्य खंडों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण मालगाड़ियों पर अनुरक्षी व्यवस्था ;

(v) भेद्य और बड़े यार्डों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों द्वारा गश्त लगाने की व्यवस्था ;

(vi) यानान्तरण स्थलों पर मालडिब्बों से माल उतारने और यानान्तरण के पहले माल से लदे सभी माल डिब्बों के रिबेट और मुहरों की जांच की व्यवस्था ;

(vii) बदनाम स्थानों का पता लगाने के लिये विभिन्न रेलों पर स्टेशनों के चुने हुए जोड़ों पर एक पायलट योजना शुरू की गई है जिसमें यानान्तरण स्थल भी शामिल है जहां ऐसे माल पर कड़ा पर्यवेक्षण किया जाता है जिसके चढ़ाने और उतारने में उठायीगीरी की आशंका रहती है ;

(viii) रेलों के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो और रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा अपराध आसूचना इकट्ठी करना और अचानक छापे मारना ताकि अपराधियों और रेलवे सम्पत्ति अधिनियम, 1966 (गैर कानूनी कब्जा) के अन्तर्गत चोरी का माल रखने वालों का पता लगाया जा सके ।

(ix) रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ताकि अपराधियों और चोरी का माल रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके ।

छोटा उदयपुर (गुजरात राज्य) के डोलोमाइट खान उद्योग के लिए रेल के डिब्बों की कमी

1277. **श्री द० रा० परमार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल के डिब्बों की कमी से गुजरात राज्य में छोटा उदयपुर के डोलोमाइट खनन उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) छोटा उदयपुर से खनिज उत्पादों के भेजने के लिए रेल के डिब्बों की औसत मासिक आवश्यकता कितनी है; और

(घ) अप्रैल, मई और जून, 1970 में महीनेवार, कितने डिब्बे दिये गये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) छोटी लाइन के लगभग 750 माल डिब्बे प्रति माह ।

(घ) अप्रैल, मई और जून, 1970 में औसतन प्रति माह छोटी लाइन के 883 माल डिब्बे लादे गये ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में कर्मचारी लाभ निधि से छात्रवृत्ति देना

1278. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में कर्मचारी लाभ निधि से वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा मण्डल में कर्मचारी हित-निधि से जितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	नयी छात्रवृत्तियां	पुरानी छात्रवृत्तियां जिन्हें जारी रखा गया
1967—68	10	24
1968—69	11	24
1969—70	11	26

दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा चांदी की छड़ों का गबन किया जाना

1279. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा चांदी की छड़ों के गबन किये जाने के बारे में 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7820 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथ्यों का पता लगाने के लिए विभागीय जांच शुरू की गयी है और वह जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं ।

नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारों के कार्यालय की कार्मिक शाखा (परसोनेल ब्रांच) में कथित भ्रष्टाचार

1280. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय की कार्मिक शाखा (परसोनेल ब्रांच) में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है और इस शाखा से सम्बन्ध अधिकारी स्थानान्तरण के मामले में कर्मचारियों से घूस ले रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे के परिपत्र सं० 240 ई/ओ iii (ई०) दिनांक 3 फरवरी, 1968 (क्रम संख्या 4208) के अनुसार वरिष्ठ अधीनस्थों को एक डिवीजन में 5 वर्ष रहने के पश्चात् दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो मंडलीय लेखा कार्यालय, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में पांच वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे अधीक्षकों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनको अब तक स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न कारणों से यह विनिश्चय किया गया था कि 5 वर्ष की अवधि के बाद कर्मचारियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित करने से सम्बन्धित हिदायतों को लेखा विभाग के कर्मचारियों पर कड़ाई से न लागू किया जाय।

(ग) एक।

(घ) कर्मचारी को प्रशासनिक हित में रोक रखा गया है।

यात्रियों और कर्मचारियों में सहयोग

1281. **श्री हेम बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में सहयोग लाने के लिये कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये उपाय क्या हैं तथा रेलवे प्रशासन को दक्षतापूर्ण ढंग से चलाने में इन उपायों से कितना लाभ हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) यात्रियों और रेल प्रशासन के बीच निकट सम्पर्क कायम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, क्षेत्रीय/मंडल परामर्श समितियों आदि जैसी अनेक रेल उपयोग-कर्ता परामर्श समितियां कार्य कर रही हैं। इन संगठनों के साथ नियमित बैठकें होती हैं। इसके अलावा, समाज सेवा संगठनों के स्वयं सेवकों का बिना टिकट यात्रा करने और खतरे की जंजीर खींचने की जांच-पड़ताल करने, यात्रियों को स्टेशनों पर पीने के पानी की सप्लाई करने आदि जैसे कार्यों में सहयोग प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यात्रियों के साथ अति शिष्ट व्यवहार करने तथा उनकी सहायता करने की आवश्यकता पर कर्मचारियों को लगातार प्रबोधित किया जाता है, जनता और रेल कर्मचारियों के बीच सहयोग को सुनिश्चित करने और रेल उपयोग कर्ताओं को अधिक से अधिक सन्तोषपूर्ण सेवा प्रदान करने में ये उपाय मददगार रहे हैं।

अभी हाल में एक स्थायी स्वयंसेवी सहायता समिति का निर्माण किया गया है ताकि सामान्यतया सभी स्तरों पर जनता और रेल कार्मिकों से अधिकतम सहयोग प्राप्त कर रेलों के कार्य में सुधार किया जा सके।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में आस्तियां पंजी

1282. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों के पास कोई आस्तियां-पंजी नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई स्वचालित मशीनें लापता हैं ;

(ग) क्या सरकार ने आस्तियों की पड़ताल करने का प्रयत्न किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). हिन्दुस्तान स्टील लि० पूर्णरूपेण स्वायत्तशासी कारपोरेशन है। कम्पनी के लेखा परीक्षक इसके हिसाब किताब की नियमित रूप से लेखा परीक्षा करते हैं। और भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के अधीन लेखा परीक्षा बोर्ड द्वारा हिसाब किताब की उप-लेखा परीक्षा की जाती है। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने सूचित किया है कि उनके पास कारखाने में तथा नगर में सभी आस्तियों का ब्यौरेवार एक रजिस्टर है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें

1283. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में 7 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5505 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त समिति की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) अभी विचाराधीन है।

अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन और अखिल भारतीय लघु तथा मध्यम समाचार पत्र संघ के सदस्यों को रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायत

1284. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड अखिल भारतीय समाचार पत्र, सम्पादक सम्मेलन के सदस्यों को अपने सम्मेलन और अन्य बैठकों में भाग लेने के लिये रेलवे यात्रा सम्बन्धी रियायत दे रहा है ;

(ख) यह सुविधा कब से दी गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सुविधा अखिल भारतीय लघु तथा मध्यम समाचार पत्र संघ के सदस्यों को नहीं दी गई ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) 1950

(ग) जी हां।

(घ) सामाजिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक महत्व की केवल कुछ ही अखिल भारतीय संस्थाओं को वार्षिक सम्मेलनों के लिये रेल किराये में रियायत दी जाती है। नीति के तौर पर किसी विशेष गतिविधि क्षेत्र की केवल एक ही प्रमुख संस्था की रियायत दी जाती है और अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन को पहले ही यह सुविधा दी जा रही है। यह रियायत भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ को भी दी जा रही है। वित्तीय कारणों में रेल किराये की रियायत का क्षेत्र-विस्तार नहीं किया जा रहा है।

निर्माताओं द्वारा ट्यूबों के अधिक मूल्य लेना

1285. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जी० आई० अथवा ब्लैक पाइपों के निर्माता रूरकेला और हिन्दुस्तान स्टील लि० के दुर्गापुर इस्पात कारखानों से रेल तक निष्प्रभार गंतव्य स्थानों के लिये 1102 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से स्कैल्प अथवा पत्ती प्राप्त करते हैं ;

(ख) प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से ट्यूबों की उत्पादन लागत क्या है ;

(ग) क्या रेल तक निष्प्रभार गंतव्य स्थानों के लिये ब्लैक पाइप की चालू दर लगभग 2400 रुपये प्रति मीट्रिक टन है ;

(घ) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के लघु उद्योग संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें देश में ट्यूब निर्माताओं द्वारा अधिक लाभ कमाने के बारे में शिकायत की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार ट्यूबों के मूल्य पर नियंत्रण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) स्कैल्प का वर्तमान मूल्य 1112 प्रति मी० टन और एच० आर० कायल का 1102 रु० प्रति टन है।

(ख) प्रत्येक फर्म द्वारा बनाई जाने वाली ट्यूबों की लागत में अन्तर होता है और यह कई कारणों पर निर्भर करता है जैसे श्रम का मूल्य, कच्चे सामान का मूल्य, बनाने की योग्यता तथा लाभ की सीमा। इस उत्पाद की सरकार ने अभी तक कोई जांच नहीं कराई है।

(ग) ब्लैक पाइपों की वर्तमान दर प्रति मी० टन 2190 रु० से 2370 रु० हैं जो 15 मी० मी० से 80 मी० मी० तक परास वाले विभिन्न पाइपों पर निर्भर करती हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) मामला विचाराधीन हैं तथा आवश्यक समझे जाने वाले अभ्युपाय किये जायेंगे।

भिलाई इस्पात कारखाने की अयस्क खानों और खदानों के अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

1286. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की अयस्क खानों तथा खदानों के अधीक्षक के

विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। सरकार को एक शिकायत मिली है जिसमें भिलाई इस्पात कारखाने की कच्चे लोहे की खानों तथा खदानों के अधीक्षक के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे।

(ख) और (ग). हिन्दुस्तान स्टील लि० आरोपों की जांच कर रही है, अत: इस समय ब्योरों के बारे में बताना ठीक नहीं होगा।

Strike by Loco Employees of Southern Railway

1287. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Loco employees of the Southern Railway had gone on strike on the 12th and 13th May, 1970 ;

(b) if so, the reasons therefor and the extent of loss incurred thereby ; and

(e) the steps that were taken by Government to avert the strike ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). A section of Loco Running staff Southern Railway reported sick enmasse and accordingly refrained from discharging their normal duties, from 10th to 15th May, 1970 on the reported failure to take steps to redress their grievances relating to their service conditions and alleged non-implementation of certain assurances given to them during the earlier agitation of the staff in July, 1968.

There had been a loss of revenue to the Railways to the tune of one crore rupees roughly.

(c) It was explained to the staff that their general demands which have also been raised by the recognised Federations are at different stages of negotiation and their grievances relating to local issues would be looked into ; the agitation was withdrawn from the afternoon of 15th May, 1970.

Ceiling on Profits of Local Industrial Companies

1288. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the local industrial companies are earning huge profits ; and

(b) whether Government have taken any steps to put a ceiling on the same ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) Profitability ratios for the companies in the private corporate sector, to which presumably the Hon'ble Member refers, based on Reserve Bank's study pertaining to 1501 non-financial public limited companies representing 81% of the public limited private corporate sector, are as under :

	1965-66	1966-67
1. Gross profits as percentage of total net assets	9.6	9.3
2. Gross profits as percentage of net sales	10.8	10.5
3. Profits after tax as percentage of net worth	8.8	8.8

(b) No statutory ceilings have been fixed on the profits of the companies. The Government has, however, adopted various measures with a view to keeping in check the making of

undue profits by the undertakings. Prices of essential commodities are controlled under the Essential Commodities Act of 1955. The Government has recently liberalised policies pertaining to grant of industrial licences under Industrial Development and Regulation Act, 1951 with a view to increasing competition in the market. The Government have constituted a Bureau of Industrial Costs and Prices in the Department of Industrial Development to tender advice to Government on the various issues pertaining to cost reduction and improvement of industrial efficiency, and pricing problems in relation to industrial costs. Again Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 enables the Government to prevent, to an extent, undertakings from charging high prices in relation to their cost of production. All these and other measures will help in maintaining the rate of profits at a reasonable level.

केरल में मध्यावधि निर्वाचन

1289. **श्री देवेन सेन :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में शीघ्र ही मध्यावधि निर्वाचन कराये जायेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस उद्देश्य से हाल ही में केरल का दौरा किया था जहां उन्होंने इस बारे में विभिन्न राजनैतिक तथा अन्य नेताओं से विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 10 जुलाई, 1970 को त्रिवेंद्रम् में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन मुख्य रूप से केरल राज्य में निर्वाचन कराने के लिये सबसे उचित तारीख के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के विचारों का पता लगाने के लिये बुलाया । इस प्रसंग में उन्होंने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर कि विधान सभा की अन्तिम बैठक 25 मार्च, 1970 को हुई थी और संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के उपबन्धों की इस अपेक्षा की ओर आकर्षित किया कि विधान सभा की किन्हीं दो बैठकों के बीच छः माह से अधिक समय नहीं बीतना चाहिये । उन्होने यह भी वचन दिया कि कोई भूल जो निर्वाचक नामावलियों में हो गई हो, यदि उन्हें बता दी जाये तो उसकी जांच की जा सकती है और उसे सुधारा जा सकता है । राजनीतिक दलों से यह निवेदन किया गया था कि वे उन व्यक्तियों के नामों की सूचियां 28 जुलाई, 1970 तक भेज दें जिनके नाम सम्मिलित किये जाने हैं या निकाले जाने हैं और बाद में यह तारीख 30 जुलाई, 1970 तक बढ़ा दी गई थी ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा अपने अपने डिजाइन संगठनों की स्थापना

1290. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री अदिचन : **श्री जनार्दनन् :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सलाहकार फर्मों पर आश्रित न रहने के लिये निजी डिजाइन संगठनों

की सरकारी क्षेत्र के मुख्य उपक्रमों की स्थापना के लिये प्रारम्भिक रूप से छः मुख्य सरकारी उपक्रमों को चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये चुने गये उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ये उपक्रम अपने निजी डिजाइन संगठन अनुमानतः कब तक स्थापित करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिश (सं० 21) का अनुसरण करते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि सरकारी उपक्रमों को अपने यहां पर्याप्त डिजाइन संगठन स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों से एकत्रित की गई जानकारी से पता चला है कि इन उपक्रमों के काम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। सरकार के उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में विद्यमान डिजाइन संगठनों की पर्याप्तता का अध्ययन करने के लिये निम्नलिखित 6 प्रमुख योजनाओं का चयन किया गया :

1. हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड ।
2. माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन ।
3. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ।
4. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ।
5. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ।
6. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ।

(ग) जैसा ऊपर बताया गया है कि क्षेत्रीय अध्ययन के लिये चुने गये उपक्रमों में डिजाइन संगठन विद्यमान हैं ।

मध्यावधि निर्वाचनों के लिए तैयारियां

1291. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री दण्डपाणि :
श्री नारायणन :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री पी० सी० अदिचन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग देश में मध्यावधि निर्वाचनों के सम्बन्ध में पूरी तैयारियां कर रहा है ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग सरकार के निदेशों से ऐसा कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में बढ़ती हुई राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार मध्यावधि निर्वाचन कराने पर विचार कर रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीजगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूसी सहायता

1292. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस से कायदे के अनुसार सहायता प्राप्त न होने के कारण बोकारो इस्पात कारखाने में कार्य योजना वृद्धि समय सारिणी से बहुत पीछे पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस इस्पात कारखाने को निश्चित अवधि में पूरा करने तथा देरी के कारण होने वाली अनावश्यक हानि को टालने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

सोवियत सहायता प्राप्त करने में कोई देरी या कठिनाई नहीं होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Amount Earmarked for Backward Classes in Fourth Five Year Plan

1293. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the amount disbursed to the Backward Classes and the purposes for which it was disbursed during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether it is a fact that the number of students has gone up whereas the amount of grants has gone down ; and

(c) if so, the reasons therefor and the positive steps being taken to increase the amount ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) A provision of Rs. 142.38 crores has been made in the Fourth Five Year Plan for schemes for the Welfare of Backward Classes.

(b) and (c). The number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students receiving post-matric scholarships has increased. The total amount available for award of these scholarships has also increased. The Central grant in the Fourth Plan represents the increase in expenditure over the year 1968-69 (i. e. pre-Fourth Plan) level which is committed to the States' non-plan budgets.

Representation from Firemen Grade 'B' of Jaipur Division (Western Railway)

1294. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any representation was submitted to Government in March, 1969 by the Firemen, Grade 'B' of the Jaipur Division of the Western Railway ; and

(b) if so, the steps taken by Government to redress their grievances ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) Yes.

(b) The position was reviewed and entire cadre of Shunters 'B' except Leave Reserve posts was provided with eligible Firemen 'B' on the basis of Seniority-cum-suitability regardless of literacy.

Special Committee to Prevent Corruption on Railways

1295. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have, through any special Committee, explored some special measures in regard to corruption prevalent on the Railways ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). A high power Committee known as the Railway Corruption Enquiry Committee under the Chairmanship of Acharya J. B. Kripalani went into the problem of corruption on the Railways in great depth in 1953-55 and submitted a detailed report containing 152 recommendations. Most of the recommendations were accepted and implemented. Arising out of one of the recommendations, full fledged Vigilance Organisations were created on all the Railways and in the Railway Board to deal with complaints of corruption and bribery and suggest remedial measures. Another Committee known as the Santhanam Committee on Prevention of Corruption appointed in 1962 by the Minister for Home Affairs, studied the problem of corruption in the Central Government (including the railways) and made a number of recommendations relating to the Railways most of which were accepted and implemented. As a result the Vigilance Organisations on the Indian Railways were considerably re-organised and adequately strengthened.

Community Feasts in connection with the Death of a Person

1296. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be plased to state :

(a) whether it is a fact that the custom of arranging community feasts as a part of ceremonies connected with the death of a person is prevalent on a large scale among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Rajasthan ;

(b) if so, whether Government would consider to impose a ban on this custom so that poor people may get rid of this wrong custom ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) to (c). The Government of Rajasthan have been addressed in the matter. Their reply is awaited.

एकाधिकार आयोग का गठन

1297. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग के गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) आयोग में नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम क्या है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ?

(ख) यह, अधिनियम की शर्त के अनुसार, अध्यक्ष तथा सदस्यों के, पदों की तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के पश्चात कार्य प्रारंभ करेगा।

(ग) इस आयोग में, माननीय न्यायाधीश ए० एन० अल्गिरी स्वामी, न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय, अध्यक्ष, एवं श्री डी० सुब्रामैनियम, (प्रत्यक्षकरों के केन्द्रीय बोर्ड के निरीक्षण निदेशक) तथा डा० एच० के० प्रान्जपे (भारतीय जनता प्रशासन संस्थान के प्रोफेसर) सदस्य हैं।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लम्बित निर्वाचन अर्जियां

1298. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मध्यावधि निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों से उत्पन्न हुए निर्वाचन विवादों के कितने मामले लम्बित हैं; और

(ख) इनमें से कितने मामले एक वर्ष से अधिक की अवधि से लम्बित हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:—

	मध्यावधि निर्वाचन	उप-निर्वाचन
उच्च न्यायालयों में लम्बित निर्वाचन अर्जियां	8	3
उच्चतम न्यायालय में लम्बित अपीलें	18	2

(ख) 9 निर्वाचन अर्जियां और 4 अपीलें क्रमश: उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं जिनको एक वर्ष से अधिक समय हो गया है।

सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच

1299. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री सरजू पाण्डेय :
डा० रानेन सेन :

क्या **समवाय कार्य** मंत्री 21 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन के विरुद्ध जांच अब पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ख). कम्पनी रजिस्ट्रार को, धारा 293क के उल्लंघन के लिये उत्तरदायी, कम्पनी तथा निदेशकों पर मुकदमा दायर करने के अनुदेश दे दिये गये हैं।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस

1300. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री जि० मो० बिस्वास : **डा० रानेन सेन** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड को अब तक दिए गए लाइसेंसों का विवरण क्या है;

(ख) अब तक इस कम्पनी ने कितने लाइसेंसों का उपयोग किया है;

(ग) क्या इस कम्पनी ने और लाइसेंसों के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 1-1-1956 से 30-6-1970 की अवधि में मे० इण्डियन आक्सीजन लि० को कुल 46 लाइसेंस जारी किए गए हैं। जारी किए गए सभी लाइसेंसों के ब्यौरे वीक्ली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज; दि वीक्ली इण्डियन ट्रेड जर्नल एण्ड दि मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) दो के अलावा जारी किए सभी लाइसेंस कार्यान्वित किए गए हैं। 1967 में जारी किया गया एक लाइसेंस तथा 1970 में जारी किया गया दूसरा लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ). इस कम्पनी से 7 अन्य आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 6 अब रद्द कर दिए गए हैं तथा एक पर विचार किया जा रहा है। 6 आवेदन पत्रों में से जोकि रद्द कर दिए गए हैं, इनमें दो-दो आवेदन पत्र नाइट्स आक्साइड तथा धुली हुई एसिटिलीन का उत्पादन करने तथा एक एक आवेदन पत्र आक्सीजन तथा नाइट्रोजन का उत्पादन करने के लिए थे।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के सदस्य

1301. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री कं० हाल्दर** :
श्री जि० मो० बिस्वास : **डा० रानेन सेन** :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड ब्रिटेन के नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में किसी अन्य संगठन का कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है; और

(घ) यदि हां, तो उन संगठनों तथा उनके नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 30 सितम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के संतुलन पत्र के अनुसार के निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा ब्यौरा इस प्रकार है:

श्री एन० टांडेकर	800 शेयर
श्री ए० के० सेन	100 ,,
मिस्टर के० हार्टले	100 ,,
श्री एच० घोष	242 ,,
श्री के० गोपालकृष्ण	133 ,,
मिस्टर आर० सी० हेस्केथ जोन्स	100 ,,
मिस्टर जे० एस० हटचीसन	100 ,,
श्री ए० के० मुकर्जी	100 ,,
मिस्टर एल० ई० स्मिथ	100 ,,
श्री एम० ए० श्रीनिवासन	294 ,,
मिस्टर एस० आर० स्टीफन्स	100 ,,
श्री वी० एन० स्वामी	428 ,,
श्री पी० सी० बार	योग्यता शेयर प्राप्त किये जायेंगे

(ख) कम्पनी के निदेशक बोर्ड में ब्रिटिश आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है:

श्री ए० के० सेन
मिस्टर के० हार्टले
मिस्डर हेस्केथ जोन्स
मिस्टर जे० एस० हटचीसन
मिस्टर एल० ई० स्मिथ

(ग) और (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Schemes for Production of Coaches and Engines for Narrow Gauge Lines

1302. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of the scheme for building coaches and engines for narrow-gauge lines *in* order to meet their demand ; and

(b) the extent to which the requirements are expected to be met by this scheme ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Provision has been made in the Fourth Plan for the following Narrow-Gauge Locomotives and Coaches :

(i) Locos	—	10 diesels
(ii) Coaches	—	168
(iii) Rail Cars	—	20

(b) Requirements will be met by and large by acquisition of the Rolling Stock mentioned above. These are, however, being reassessed in the light of the recommendations of the Uneconomic Branch Lines Committee's Report.

"राजधानी एक्सप्रेस" जैसी अधिक द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलाना

1303. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) और अधिक मार्गों पर राजधानी एक्सप्रेस की तरह अति द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलाने के बारे में उनके मन्त्रालय का कार्यक्रम क्या है;

(ख) किस क्षेत्रीय रेलवे में और किस प्राथमिकता में ऐसी योजनाओं में प्रगति हो रही है; और

(ग) क्या नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की साप्ताहिक आवधकिता की दैनिक सेवा के रूप में बढ़ाये जाने की कोई सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). राजधानी एक्सप्रेस की तरह की तेज गाड़ियां नयी दिल्ली-बम्बई सेण्ट्रल मार्ग (उत्तर, मध्य और पश्चिम रेलवे) पर 120 कि० मी० की अधिकतम रफ्तार से और दिल्ली-अहमदाबाद (मीटर लाइन) मार्ग (उत्तर और पश्चिम रेलवे) पर 100 कि० मी० प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलाने के लिए जांच और परीक्षण का काम जारी है।

(ग) नयी दिल्ली और हावड़ा के बीच गाड़ियां सप्ताह में दो बार चलती हैं और इसे बढ़ाकर प्रतिदिन की गाड़ी बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

बड़ौदा हाउस उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को निलम्बन अवधि के लिए वेतन का भुगतान न किया जाना

1304. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जुलाई-अगस्त, 1965 के आन्दोलन में भाग लेने वाले बड़ौदा हाउस के कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे मामलों को वापस लेने का निर्णय किया था;

(ख) क्या यह सच है कि 28 जुलाई, से 21 सितम्बर, 1965 तक की निलम्बन अवधि को ड्यूटी समझा गया था और अधिकांश कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था तथा उनको उक्त अवधि के लिए पूरा वेतन दिया गया था;

(ग) क्या ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध चल रहे मामलों को वापस ले लिया गया था परन्तु उनकी निलम्बन अवधि के लिए वेतनों का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा संख्या क्या है और उनकी उचित वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और उनको किस तारीख तक वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). अदालत से वापस लिये गये, कर्मचारियों के 36 मामलों में से निम्न-लिखित पांच कर्मचारियों के मामलों में पूरा भुगतान नहीं किया गया :

1. श्री बद्री दास शर्मा, क्लर्क
2. श्री जगदीश लाल लूथरा, क्लर्क
3. श्री वेद प्रकाश गुप्ता, क्लर्क
4. श्री रणधीर सिंह, ट्रेसर और
5. श्री आर० के० भटनागर, क्लर्क

इनके मामलों में निलम्बन अवधि को समर्थ प्राधिकारी द्वारा उसी रूप में रहने दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था कि उनकी निलम्बन अवधि को देय छुट्टी मान लिया जाये ।

(ङ) यदि इन कर्मचारियों ने ऐसे मामलों में लागू होने वाले नियमों के अनुसार अनुरोध किया होता तो इन पांचों कर्मचारियों की निलम्बन अवधि को देय छुट्टी के रूप में नियमित किया जा सकता था । लेकिन उनसे इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

जापान के सहयोग से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों का उत्पादन

1305. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री रवि राय :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री जनार्दनन :**
श्री अदिचन : **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा जापान के सहयोग से घड़ियों के उत्पादन को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्तुत की गई योजना पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा जापान के सहयोग से घड़ियों के उत्पादन के बढ़ाने सम्बन्धी योजना को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

मशीन निर्माण क्षमता

1306. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मशीन निर्माण की पर्याप्त क्षमता न होने के कारण 'प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेक्टर' के शीघ्र विकास में बाधा उपस्थित हो रही है ; और

(ख) मशीन निर्माण क्षमता सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के उत्पादन का वर्तमान क्षमता इस प्रकार की मशीनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है ।

(ख) प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की कुछ योजनाएं सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं । सरकार ने हाल ही में उदाहरण के रूप में एक सूची प्रकाशित की है जिनमें कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई गई हैं जिनकी मांग बनी रहेगी और उनमें अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने या विनियोजन करने की गुंजाइश है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें उस सूची में सम्मिलित हैं ।

टेलीफोन के तारों में आत्मनिर्भरता

1307. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत टेलीफोन की तारों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) मे० हिन्दुस्तान केबल्स लि० के रूपनारायणपुर स्थित कारखाने में ड्राई कोर टेली-कम्यूनिकेशन केबल बनाने की 3,200 कि० मी० वार्षिक उत्पादन क्षमता को दोहरी पाली के आधार पर 8,000 कि० मी० तक बढ़ाया जा रहा है ।

(ii) एर्नाकुलम, केरल की मे० ट्रैको केबल कम्पनी लि० की प्रति वर्ष 1000 कि० मी० केबल बनाने की क्षमता के लिये आशय-पत्र जारी कर दिया गया है ।

(iii) सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5,000 कि० मी० टेली कम्यूनिकेशन केबल बनाने की अतिरिक्त क्षमता अधिठापित करने का प्रस्ताव है ।

लघु उद्योगों को संरक्षण

1308. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को सांविधिक रूप में संरक्षण देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकार द्वारा जापान भेजे गये प्रतिनिधिमंडलों दोनों ने ही अपनी रिपोर्टों में लघु उद्योगों को कानूनी रूप में संरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उस पर राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।

सफाई कार्य में संलग्न व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उपाय

1309. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफाई कार्य में संलग्न व्यक्तियों की दीनता और कठिनाइयों को कम करने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). हां, श्रीमान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ह्वील बैरो/हाथ गाड़ियां खरीदने के लिये स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देकर विष्ठा को सिर पर ढोने की प्रथा को समाप्त करने की एक योजना शुरू की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना से "मेहतरों तथा संमार्जकों के काम करने तथा रहने-सहने की परिस्थितियों में सुधार करने" की योजना को, जिसमें उपरोक्त योजना भी शामिल है, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन ऊंची प्राथमिकता वाली योजना के रूप में हाथ में लिया गया है। इस योजना के लिये राज्य सरकारों को द्वितीय योजना, तृतीय योजना और 1966-67 से 1968-69 तक दी गई वित्तीय सहायता तथा चतुर्थ योजना के लिये आवंटित किया गया धन अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3837/70]**

बड़े-बड़े व्यापार तथा औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियां

1310. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस वर्षों के दौरान बड़े-बड़े व्यापार तथा औद्योगिक गृह और बड़े हो गये हैं ;

(ख) ऐसे गृहों की कितनी संख्या है जिनकी परिसम्पत्तियां बीस करोड़ रुपयों से भी अधिक की हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन गृहों के अस्तित्व को उस समाज व्यवस्था के प्रतिकूल समझती है जिसका निर्माण करने का सरकार दावा करती है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकाधिकार जांच आयोग ने, 1963-64 में, 75 व्यापारिक गृहों की परिसम्पत्तियां 2606 करोड़ रुपये दिखाई थी। इन 75 औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियां, उनकी संरचना के आधार पर, 1967-68 में अपनी रिपोर्ट में दत्त कमेटी द्वारा कुल 4032 करोड़ रुपया दिखाई गई।

(ख) श्री बी० दत्ता द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, दत्त समिति द्वारा संधारित, औद्योगिक गृहों की संरचना के आधार पर, 48 औद्योगिक गृहों की परिसम्पत्तियां, 1967-68 में, 20 करोड़ रुपयों से अधिक की थीं।

(ग) सर्व-साधारण के अहितार्थ, आर्थिक शक्तियों के संकेन्द्रण से बचाने से सम्बन्धित एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के उद्देश्यों तथा उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

लुधियाना-चण्डीगढ़-जगाधरी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

1311. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित लुधियाना-चण्डीगढ़-जगाधरी रेलवे लाइन का नये सिरे से सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पंजाब तथा हरियाना राज्यों और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने सर्वेक्षण लागत का अपना भाग जमा कर दिया है ; और

(ग) सर्वेक्षण कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और इसे कब पूरा किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) सर्वेक्षण का काम शुरू करने के लिये प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है। सर्वेक्षण लगभग एक वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

चण्डीगढ़ में रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल की मांग

1312. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारी अपने बच्चों के लिये एक प्राथमिक स्कूल के खोले जाने की मांग करते रहे हैं ;

(ख) क्या बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये कई मील पैदल चल कर मणिमाजरा जाना पड़ता है ; और

(ग) क्या उन्होंने मण्डलीय बैठक में यह घोषणा की थी कि प्राथमिक स्कूल को स्थापित किया जाएगा और यदि हां, तो क्या इसे इस वर्ष स्थापित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। मणिमाजरा चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन से 1½ मील के अन्दर है।

(ग) उत्तर रेलवे की औपचारिक सलाहकार समिति की 8-5-70 की बैठक के अभिलेख में ऐसी कोई घोषणा उपलब्ध नहीं है।

भारत के साम्यवादी दल की आसाम राज्य परिषद द्वारा ज्ञापन

1313. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के साम्यवादी दल की आसाम राज्य परिषद की ओर से रेलवे मंत्री को जून 1970 में उनकी एक दिन की आसाम यात्रा के दौरान गोहाटी में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर मद-वार सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है और इसकी क्रियान्विति के लिये क्या समय सीमा नियत की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ग) ज्ञापन में उठाये गये मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विवरण

(1) बड़ी लाइन का गोहाटी तक विस्तार।

(2) रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सभी मशीनीकरण योजनाओं को रद्द किया जाय और जो पहले कार्यान्वित कर दी गई थीं उन्हें तुरन्त वापिस लिया जाय।

(3) (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, असम के सब महत्वपूर्ण केन्द्रों पर आसामी के माध्यम से पढ़ाने के लिये स्कूल खोले जायें जिनमें प्राइमरी स्कूल भी शामिल हैं।

(ख) मालीगांव के प्रस्तावित हाई स्कूल को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को ले लेना चाहिए।

(4) तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 1-4-67 की संवर्ग स्थिति को फिर से कायम रखना।

(5) उन नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को, जो 5-7 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर काम कर रहे हैं, नियमित किया जाये।

(6) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर अपर्याप्त आवासीय सुविधाएं और जो कर्मचारी हकदार हैं, उनके लिये तत्काल निर्माण करने की आवश्यकता।

(7) असम प्रतिपूरक भत्ते में संशोधन ।

(8) वहां पर मजदूरी की चालू निम्न दर को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मचारियों को पर्याप्त अन्तरिम राहत देना ।

कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने वाले कोयलाखानों के मालिकों से कोयले की खरीद

1314. **श्री अदिचन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केवल उन कोयलाखानों से कोयला खरीदती है जिन्होंने प्रादेशिक श्रम आयुक्त (सी) से इस आशय का प्रमाण पत्र दिया है कि उन्होंने कोयला खान मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) जिन कोयलाखानों ने रेलवे प्राधिकारियों को ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं उनके नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलों को कोयला सप्लाई करने वाली उन कोयला खानों के नाम दिये गये हैं जिन्होंने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3838/70]**

मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को इस्पात की चादरों का आवंटन

1315. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री स्टैण्डर्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को इस्पात की चादरों के आवंटन के बारे में 28 अप्रैल, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 7771 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी और कितना समय लगेगा और इतने विलम्ब के कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). दस वर्षों से अधिक अवधि के बारे में जानकारी मांगी गई है और विभिन्न अधिकारियों/फर्मों को लिखना पड़ा है । कुछ जानकारी एकत्र कर ली गई है और शेष अभी प्राप्त होने वाली है । जैसे ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी वैसे ही सम्पूर्ण जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स स्टैण्डर्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी बम्बई को इस्पात की चादरों की बिक्री

1316. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई को 1300 टन इस्पात की चादरें बेची हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उपयुक्त मात्रा में इस्पात चादरों का उपयोग किया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश

1317. **श्री प्र० के० देव :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश में हाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1970 के 'स्टेटसमैन' में छपी इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 1968 तथा 1969 की अवधि की तुलना में 1970 के पूर्वार्द्ध में पूंजी जारी करने में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

(ख) और (ग). दिनांक 16 जून, 1970 को 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है । परिवर्द्धित लाइसेंस नीति केवल मार्च, 1970 से प्रभावी रूप से लागू की गई है अत: इतनी जल्दी विनियोजन के वातावरण पर विशेषकर 1 करोड़ रु० से कम वाले विनियोजनों पर जो परिवर्द्धित छूट सीमा है, कुछ शर्तों के अधीन विस्तृत प्रभाव का मूल्यांकन करना कठिन है ।

लोहे की नालीदार चादरों का कारखाना तथा बाजार मूल्य

1318. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न इस्पात कारखानों में लोहे की नालीदार चादर का कारखाने पर प्रतिटन मूल्य कितना है ;

(ख) जून और जुलाई 1970 में इस्पात सहित भारत के मुख्य नगरों में लोहे की नालीदार चादर का मार्किट में प्रतिटन मूल्य कितना था ; और

(ग) वर्ष 1969 और 1970 में अब तक मनीपुर में नालीदार चादरें बेचने वाली फर्मों

द्वारा कुल कितनी नालीदार चादरें मनीपुर में लाई गई और उपर्युक्त नालीदार चादरें कितने मूल्य पर बेची गई हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सभी बड़े इस्पात कारखानों की नालीदार जस्ती चादरों की कीमत एक हैं। मूल्य निर्माणी-वाह्य-मूल्य नहीं है, अपितु गंतव्य स्थान तक रेल तक निष्प्रभारी मूल्य है। टैस्टेड क्वालिटी के लिये वर्तमान बेस प्राइस 1866 रुपये प्रति टन है।

(ख) जून और जुलाई में इम्फाल में नालीदार जस्ती चादरों के बाजार-मूल्य 2900 रुपये और 3100 रुपये मीटरी टन के बीच था। जून और जुलाई, 1970 में कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास में 500 से लेकर 900 रुपये प्रति टन तक अधिक मूल्य लेने के समाचार मिले हैं।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

मनीपुर में लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

1319. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में लघु उद्योगों को सहायता देने वाली वित्तीय एजेंसियों के क्या नाम हैं, और 1969-70 में लघु उद्योगों को अब तक ब्योरेवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) 1970-71 में मनीपुर के ऐसे उद्योगों को सहायतार्थ कितने धन का नियतन किया गया है और हथकरघा उद्योग को ब्योरेवार कितने धन का नियतन किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). मणिपुर प्रशासन से सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बदरपुर (सिल्चर) से जीरीबेम (मनीपुर) तक नई रेलवे लाइन

1320. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर (सिल्चर) से जीरीबेम (मनीपुर) तक तथा इससे आगे तक नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अब तक कोई निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) धन की कमी होने और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इस प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा सकता।

समाज कल्याण बोर्ड मनीपुर की कल्याण सम्बन्धी सेवाओं के लिये वर्ष 1970-71 का बजट

1321. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण बोर्ड, मनीपुर की कल्याण सम्बन्धी सेवाओं के लिये वर्ष 1970-71 का प्रस्तावित बजट कितना है ;

(ख) मनीपुर के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों में कल्याण सम्बन्धी सेवाओं के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है और उनमें क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ; और

(ग) बोर्ड द्वारा वर्ष 1969-70 में मनीपुर में विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्रों में किये गये कार्य का ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मनीपुर में कल्याण सेवाओं के लिए 3,75,500 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड/राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केवल अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के कल्याण के लिये ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है ।

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1970-71 के दौरान अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 26.18 लाख रुपये की राशि तथा अनुसूचित जातियों के लिये 0.58 लाख रुपये की राशि खर्च करने का विचार है । (देखिये ब्योरा अनुबंध 1 पर) ।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए राज्य बोर्डों के कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं हैं ।

विवरण

	रुपये लाख की राशियों में
(क) **अनुसूचित आदिम जातियां**	
1. मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां	1.38
2. लड़कियों के छात्रावास	0.40
3. आदिम जातीय विकास खण्ड	24.00
4. सहकारिता	0.40
जोड़ (क)	26.18
(ख) **अनुसूचित जातियां**	
1. मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां	0.08
2. मेहतरों तथा संमार्जकों की काम की तथा रहने सहने की परिस्थितियों में सुधार ।	0.50
जोड़ (ख)	0.58

मनीपुर में सीमेंट की कमी

1322. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के इम्फाल मार्केट में पिछले कुल महीनों से सीमेंट की कमी है जिससे जनता को बहुत असुविधा हुई है ;

(ख) क्या कमी तथा चोर बाजारी के कारण सीमेंट के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिए मनीपुर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) मनीपुर में पिछले कुछ महीनों के दौरान सीमेंट की इस कमी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जनवरी से जुलाई, 1970 के मध्य मणिपुर में सीमेंट की अस्थायी कमी हो गई थी ।

(ख) मणिपुर सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से आगे मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई और न ही सीमेंट की काला बाजारी करने की कोई खबर है ।

(ग) तथा (घ). रेलवे वैगनों की उपलब्धि न होने तथा बुकिंग अवरोधों के कारण यह अस्थाई कमी हुई थी । आवश्यक संख्या में वैगनों के आवंटन के लिए कदम उठाए गए हैं तथा अब स्टाकिस्टों को सीमेंट प्राप्त हो गया है । स्थिति में आगे सुधार हो जाने की आशा की जाती है ।

कोयले की चोरी के कारण घाटा

1323. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की चोरी के कारण रेलवे को प्रति वर्ष अत्यधिक धन की हानि होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह हानि इस लिए होती है कि इंजन में कोयले का लदान करने के पश्चात् इसकी खपत के बारे में जांच-पड़ताल करने का कोई त्रुटि रहित तरीका नहीं है ;

(ग) क्या होने वाली इस हानि का कोई वर्षवार अनुमान लगाया है ; और

(घ) इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । इंजनों टेंडरों के कोयला-कोष्ठ में समापन चिह्न की व्यवस्था होती है । यात्रा समाप्ति के बाद इन समापन चिह्नों के द्वारा कोयले की खपत का निर्धारण किया जाता है ।

(ग) टिकिया चोरी के कारण होने वाली क्षति का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ) रेलों पर नीचे लिखे निवारक उपाय किए जाते हैं :

(1) रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा कोयले की विशेष गाड़ियों के साथ मार्ग रक्षी के रूप में चलना।

(2) लदान और उतराई के स्थलों पर कोयले की गाड़ियों की संयुक्त जांच-पड़ताल करना।

(3) कोयले की टिकिया चोरी सम्बन्धी आसूचना इकट्ठी करने और जिम्मेवार गिरोहों का पता लगाने के लिये विभिन्न बदनाम स्थलों पर सादे पोशाक में कर्मचारियों को तैनात करना।

(4) प्रमुख कोयला शैडों / खातों और लोको शैडों पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना।

(5) लदान और तौल के स्थलों पर रेलवे सुरक्षा दल और यांत्रिक विभाग द्वारा संयुक्त जांच करना ताकि इंजनों के कम परिचालन के कारण कोयले की खपत अधिक न होने पाये।

(6) कोयले की टिकिया चोरी में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों पर कानून के दण्डात्मक धाराओं और रेल सम्पत्ति (यू० पी०) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करना।

(7) बड़े-बड़े और प्रमुख यार्डों में आरक्षी टुकड़ियों और गश्त की व्यवस्था करना।

(8) कोयला उतारने-चढ़ाने वाले मजदूरों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना।

(9) इंजन शेडों में कोयले का ठीक-ठीक चट्टा लगाना।

(10) 1-5-1970 से अखिल भारतीय कोयला बचत अभियान चालू किया गया है जो अभी चल रहा है।

बोकारो के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के उपकरण

1324. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो कारखाने के लिये आवश्यक उपकरणों का निर्माण करने की स्थिति में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने को सामान सप्लाई करने में होने वाले विलम्ब से इसकी निर्माण सम्बंधी समयसारिणी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके निर्माण में और अधिक विलम्ब होगा ; और

(ग) यदि हां, तो बोकारो कारखाने को कितना सामान सप्लाई करने का बचन है और क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिये इनको पूरा करना सम्भव होगा यदि नहीं, तो बोकारो इस्पात कारखाने को सामान की सप्लाई सम्बन्धी आवश्यकता को किस प्रकार उपकरणों का निर्माण करने वाले विभिन्न कारखानों को दिया जायेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). भारी इन्जीनियरी निगम, बोकारो स्टील लि० को ठेकों के अनुसार सामान और संरचनात्मकों की पूर्ति करने में पूरी तरह सक्षम है। यह 1971-72 तक 72,235 टन उपकरण और 1970-71 तक 27,210 टन संरचनात्मकों की पूर्ति करने के लिये वचनबद्ध है। वर्तमान स्थिति यह है कि ठेके के अन्तर्गत प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति जितनी आवश्यक थी उतनी नहीं हो सकी है। फिर भी बाकी माल शीघ्रातिशीघ्र सप्लाई करने और आगे साज सामान को समय पर सप्लाई करने के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में विलम्ब न हो।इस उद्देश्य से भारी इंजीनियरी निगम ने कुछ आर्डर दूसरे देशीय संभरकों को दे दिये हैं और कुछ आधुनिकतम और जटिल साज सामान का आयात करने की व्यवस्था भी की गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि पिछली कमियों को जल्दी से पूरा नहीं किया गया और भविष्य में कार्यक्रम के अनुसार साज सामान की आपूर्ति नहीं की जाती तो बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण को समय के अनुसार पूरा करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बड़े औद्योगिक गृहों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम, 1969 से छूट

1325. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विपणन के बारे में सरकारी तौर पर आयोजित अध्ययन में बड़े औद्योगिक गृहों के एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथाएं अधिनियम, 1969 से छूट देने की जोरदार सिफारिश की गई है ताकि वे निर्बाध रूप से अपना उत्पादन बढ़ा सकें तथा समुद्र पार बिक्री को अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ;

(ख) क्या सरकार ने सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). औद्योगिक विकास सेवा द्वारा की गई, "भारत का निर्यात बाजार" पर अध्ययन की एक प्राथमिक रिपोर्ट, विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा चर्चा के लिये प्राप्त हुई है। अन्तिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है, जिसमें की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

Coverage of distance by Fully Loaded Wagons

1326. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any rule in the Railways regarding coverage of 600-700 miles distance by a fully-loaded wagon within a week ;

(b) if so, whether it is a fact that this rule is not being observed ;

(c) whether any memorandum has been received from Shri Laxmi Bhushan Varshnaya and Sons, Paper Merchants, Jabalpur, in this regard ; and

(d) if so, the complaints listed in the memorandum and the steps being taken to redress them ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). Railways have set a stiff target of 250 kms per day for transit of B.G. wagons plus one day for loading. It is not, however, possible to achieve this target in every case as transit time on the Railways is not only dependent on distance but is also affected by other factors, such as the location of the loading station, quantum of traffic offering for a particular direction, pattern of movement i. e. whether in block rakes facilitating long distance marshalling, the number of intermediate handling yards where the wagon is dealt with, the extent of saturation of line capacity on the route involved and also dislocation of traffic due to strikes, bandhs, theft of telecommunication wires/cables etc.

To keep a watch on the transit of consignments, sample surveys are regularly being conducted on important routes to analyse the transit time of consignments **vis-a-vis** the accepted yard-stick and remedial action taken where necessary. The results of sample surveys conducted during March to June indicate that about 75% of wagon load consignments on important routes reached destination within the target time. The balance was delayed due to factors mentioned above and also, in some cases, due to wagons being damaged for mechanical defects enroute, misdespatch etc.

(c) and (d). Yes, a complaint was recently received regarding delay to wagons loaded with paper consignments from Saharanpur to Jabalpur with a suggestion to improve the transit time to save wagon capacity. The complaint of delay to wagons in transit is under investigation by Northern and Central Railways.

इस्पात का निर्यात

1327. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों को तैयार लोहे और इस्पात का निर्यात करने में जून, 1970 तक कितनी प्रगति हुई ;

(ख) चालू वर्ष 1970-71 में कुल कितने लोहे और इस्पात का निर्यात किया जाना है और गत तीन वर्षों में निर्यात किये गये लोहे और इस्पात की मात्रा की तुलना में यह मात्रा कम है या अधिक ; और

(ग) यह देखने के लिये कि निर्यात से हमारा खनिज भंडार खाली न हो जाये और हमारे इस्पात कारखानों का विस्तार होता रहे, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अप्रैल से जून, 1970 की अवधि में 125,578 टन कच्चे लोहे और 146,761 टन इस्पात का निर्यात किया गया था ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में लोहे और इस्पात के निर्यात की मात्रा निम्नलिखित थी :

1967-68	1968-69	1969-70 (टनों में)
12.27 लाख	16.23 लाख	13.48 लाख

1970-71 के निर्यात के लक्ष्य के बारे में अभी विचार किया जा रहा है । आंतरिक मांग बढ़ जाने के कारण ऐसी आशा है कि 1969-70 के स्तर से कम मात्रा का निर्यात किया जायेगा ।

(ग) देश में लोह खनिज का पर्याप्त भण्डार है, जो निर्यात के बावजूद भी इस्पात उद्योग के वर्तमान विस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ।

Enquiries about arrival of Trains at Ballia Railway Station (North Eastern Railway)

1328. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when enquiries regarding the arrival of trains are made at the Railway Stations, particularly at the Ballia Railway Station, the reply that is generally given is that the control pump is out of order ;

(b) if so, whether any steps are under contemplation of Government to keep the control pump in order ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Presumably the Member is referring to the control phone installed at Ballia station.

It is not a fact that the reply to enquiries regarding the arrival of trains generally given is that the control phone is out of order. However, control phones do sometimes go out of order. During the year ending 30.6.70, there were two complaints pertaining to Ballia Railway Station regarding enquiries not replied due to control phone being out of order.

(b) and (c). Yes. The main reason for the control circuit being out of order is theft of the copper conductors provided by the P&T Department on rental basis for the Railways. To combat this, the Railway is going in for its own alignment with Aluminium Conductor Steel Reinforced wires on this section.

राज्यों में ग्रामीण और औद्योगिक सम्पदाओं का निर्माण

1329. **श्री हेम राज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अब तक कुल कितनी ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं का निर्माण हुआ है ;

(ख) उनमें से कितनी बेकार पड़ी हैं और कितनी बस्तियों का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) बेकार पड़ी ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) 100 ; राज्यवार विवरण अनुबन्ध में दिये गये हैं ।

(ख) 35 बेकार पड़ी हैं तथा 65 में काम चल रहा है ।

(ग) कुछ शेडों का अनाज इत्यादि रखने के लिये भण्डार के रूप में प्रयोग किया जा

रहा है और कुछ अन्य का प्रयोग अस्थायी तौर पर सैनिकों तथा सिपाहियों के निवास के लिये किया जा रहा है ।

विवरण

राज्य का नाम	प्रयोग में	बेकार पड़ी हुई	सुविधा रहित बस्तियां	निर्माणाधीन
आन्ध्र प्रदेश	7	—	—	3
आसाम	1	—	—	—
बिहार	—	2	2	3
दादरा और नगर हवेली	1	—	—	—
गोआ	1	—	—	—
गुजरात	—	2	—	—
हरियाना	4	5	—	—
हिमाचल प्रदेश	4	2	—	—
जम्मू और कश्मीर	8	1	—	2
केरल	6	—	—	—
महाराष्ट्र	—	—	—	2
मध्य प्रदेश	—	2	—	9
मनीपुर	—	—	—	1
उड़ीसा	1	—	—	—
पाण्डीचेरी	1	—	1	—
पंजाब	3	13	2	—
राजस्थान	4	—	—	—
तमिल नाडु	6	—	—	—
त्रिपुरा	2	—	—	1
उत्तर प्रदेश	13	8	5	4
पश्चिम बंगाल	3	—	—	—
	65	35	10	25

1 सुविधाओं सहित तैयार कुल ग्रामीण बस्तियां — 65+35=100

2 सुविधाओं से रहित तैयार कुल ग्रामीण बस्तियां — 10

3 निर्माणाधीन कुल ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां — 25

हिन्दू धार्मिक विन्यास अधिनियम में संशोधन

1330. **श्री हेमराज :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दू धार्मिक विन्यास अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई विधि बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हिन्दू धार्मिक विन्यास अधिनियम कही जाने वाली कोई भी केन्द्रीय अधिनियमिति नहीं है। किन्तु हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन यथोचित विधान द्वारा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन (उत्तर रेलवे) में विक्रेताओं के लिए बनी दुकानों का किराया

1331. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुल कितनी दुकानें विक्रेताओं के लिए बनी हुई हैं ; तथा प्रत्येक स्टेशन पर उनकी संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके निर्माण से पूर्व विभाग से निर्धारित किराये के भुगतान के लिए अनुमति ले ली गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अब विक्रेताओं से पहले की अपेक्षा दुगुने से तिगुने तक किराया मांगा और लिया जा रहा है और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी खण्ड पर ज्वालामुखी रोड और कोपड़लाहड़ स्टेशनों पर खोंमचे वालों के लिए शेड बनाये गये हैं।

(ख) जी हां, लेकिन किराये में समय समय पर संशोधन किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

पठानकोट रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा छत वाले शेड की मांग

1332. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट रेलवे स्टेशन के कुलियों ने रेलवे विभाग को अभ्यावेदन भेजा है कि पठानकोट में भारी वर्षा से बचाव के लिये एक शेड बनाया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) पठानकोट स्टेशन के लाइसेंसदार भारिक यात्रियों के लिए बनाये गये तीसरे दर्जे के वर्तमान प्रतीक्षालयों और प्लेटफार्म शेडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिये अलग से एक शेड बनाने की जरूरत नहीं है।

Rise in Prices of Engineering Products as a result of Rise in prices of Steel

1333. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government have given permission for raising the price of steel ; and

(b) whether the Engineering industry are raising the prices of their products as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) With effect from 1.1.1970 prices of various categories of steel products have been increased by an average of Rs. 77.50 per tonne by JPC, with the approval of Government.

(b) Yes, Sir. Certain engineering industries are reported to have raised the prices of their products.

Requirement and Production of Typewriters during Fourth Plan

1334. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether the requirement of small and big typewriters during the Fourth Plan has been assessed ;

(b) whether the production of typewriters has been allowed to that extent ; and

(c) if so, the names of the typewriter manufacturing Companies which have been so permitted with the production capacity thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The Planning Commission has estimated that the demand of typewriters at the end of the Fourth Plan may be fixed at 1 lakh Nos. including 15,000 portable typewriters.

(b) and (c). Against the targetted capacity of 1 lakh Nos. by the end of the Fourth Plan, the licensed / approved capacity is 1,02,000 Nos. A statement showing the names of the typewriters manufacturing companies with their licensed and installed capacities and production is attached. **[Placed in Library. See No. LT-3839/70]**

बरौनी के ट्रेन क्लर्कों को गार्ड के पद पर पदोन्नत करने के लिए प्रशिक्षण

1335. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेन क्लर्कों को गार्ड के पद पर पदोन्नत करने के लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या ट्रेन क्लर्कों को गार्ड के पद पर नियुक्त करने से पूर्व कोई प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ;

(घ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी स्टेशन के एक ट्रेन क्लर्क को गार्ड के प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ;

(ङ) क्या उपरोक्त ट्रेन क्लर्क ने अर्हता के लिये आवश्यक अवधि की सेवा पूरी कर ली है ; और

(च) यदि नहीं, तो उस गार्ड के प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) केवल वही ट्रेन्स क्लर्क जो कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, 'सी' ग्रेड गार्ड के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) जिस ट्रेन्स क्लर्क के बारे में प्रश्न किया गया है उसे प्रशासन की गलती से जनवरी, 1970 में गार्ड के प्रशिक्षण के लिये भेज दिया गया था। इसलिए उसका नाम उन ट्रेन्स क्लर्कों की सूची में से निकाल दिया गया है जिन्हें गार्ड के रूप में प्रशिक्षण के योग्य समझा गया है।

डी० मेकरोपोलो का गाडफ्रे फिलिप्स के साथ विलय

1336. **श्री मधु लिमये** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० मेकरोपोलो (सिगरेट बनाने वाली कम्पनी) का गाडफ्रे फिलिप्स के साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा गया है ;

(ख) क्या विलय के सम्बन्ध में गाडफ्रे फिलिप्स द्वारा डी० मेकरोपोलो को यह कह कर दबाव डाला गया था कि भविष्य में वे उनके विक्रेता एजेंट अथवा वितरक के रूप में कार्य नहीं करेंगे ;

(ग) क्या इस विलय में विदेशी मुद्रा को लौटाने का मामला भी है ;

(घ) क्या शेयर होल्डरों के एक गुट द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद रिजर्व बैंक ने इस समझौते को मंजूरी दे दी थी ;

(ङ) क्या समवाय कार्य विभाग ने इस विलय का पहले ही विरोध किया है या करेगा क्योंकि यह मामला मुख्य रूप से विदेशी कम्पनी द्वारा एक ऐसी कम्पनी को अपने साथ मिलाने का है जिससे अधिकांश शेयर भारतीयों के और क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा लौटाने का भी मामला है, यदि नहीं, तो इस विलय का विरोध न करने के क्या कारण हैं ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकीकरण का प्रार्थना-पत्र, बम्बई के न्यायसंहत के उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उसे माननीय उच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान की थी।

(ख) डी० मैक्रोपोलो, एण्ड कम्पनी के एक निदेशक श्री नारियल वाला ने, कम्पनी के हिस्सेदारियों को लिखे गये अपने पत्र में उल्लेख किया था कि वह कारण, जिनके लिये, प्रस्तावित योजना, हमारी कम्पनी के निदेशकों के बहुमत के द्वारा समर्थित की गई व हिस्सेदारियों द्वारा सिफारिश की गई, यह है, कि हमारी कम्पनी तथा गाडफ्रे फिलिप्स इन्डिया लि० के मध्य किया गया एक-मात्र विक्रेता अभिकर्ता समझौता, 30 जून, 1970 को समाप्त हो जायेगा, तथा कि गाडफ्रे इन्डिया लि० ने कहा है कि उक्त तारीख के पश्चात इस समझौते का पुनः नवीनीकरण नहीं होगा, अतः आय व लाभ का एक वृहद अंश कम्पनी को खोना पड़ेगा, श्री नारियल वाला ने, उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के अवसर पर कम्पनी को सूचित किया कि वह इस मामले पर विवाद करने की इच्छा नहीं रखते।

(ग) हां, श्रीमान।

(घ) यह विषय अभी तक वित्त मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

(ङ) कम्पनी विधि बोर्ड ने, एकीकरण की योजना के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित एक आपत्ति सहित, न्यायालय के नोटिस में कुछ आपत्तियां लाते हुए, उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था लेकिन न्यायालय ने, भारतीय रिजर्व बैंक तथा किन्हीं भी अन्य प्राधिकारियों से, किसी भी ऐसे विषय में, जिसमें ऐसा अनुमोदन, अपेक्षित हो, से अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में, एकीकरण योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी।

इम्पीरियल टोबेको कम्पनी और वजीर सुलतान टोबेको कम्पनी की सिगरेट उत्पादन करने की क्षमता

1337. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिगरेट बनाने की पर्याप्त अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन इम्पीरियल टोबेको कम्पनी और वजीर सुलतान टोबेको कम्पनी (दोनों विदेशी कम्पनियां) के हाथों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में कुल वर्तमान क्षमता और उत्पादन में इन कम्पनियों अथवा उससे सम्बद्ध वजीर सुलतान टोबेको कम्पनी जैसी कम्पनियों के कितने कितने शेयर हैं ;

(ग) क्या ये विदेशी कम्पनियां कमजोर अथवा निष्क्रिय भारतीय फर्मों को इस क्षेत्र से बाहर करने के लिये कदाचार में प्रवृत्त होती हैं ;

(घ) भारतीय फर्मों को क्षेत्र से बाहर करने के लिये उनका कदाचार किस हद तक बढ़ गया है और उसका वास्तविक देशी निर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) इन कदाचारों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री म० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). देश में 1969 में सिगरेटों का उत्पादन और सम्पूर्ण प्रतिष्ठापित क्षमता तथा इम्पीरियल टोबेको कम्पनी और वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी के शेयरों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). एक भारतीय सिगरेट कम्पनी अर्थात नेशनल टोबेको कम्पनी द्वारा सहायता के लिये की गई विशेष प्रार्थना पर ऐसा बताया जाता है कि इम्पीरियल टोबेको कम्पनी, समय समय पर नेशनल टोबेको कम्पनी द्वारा निर्मित कुछ ब्रांडों को लेती रही है ।

(ङ) मामले के सभी पहलुओं की जांच की जायेगी ।

विवरण

संख्या लाखों में

सिगरेटों की कुल अधिष्ठापित क्षमता	1969 में सिगरेटों का कुल उत्पादन	निम्नलिखित की अधिष्ठापित क्षमता		उत्पादन	
		इम्पीरियल टोबेको कम्पनी	वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी	इम्पीरियल टोबेको कम्पनी	वजीर सुल्तान कम्पनी
576880	597140	242400	88800	300380	118420

पूरा समय कार्य करने वाले प्रबन्धक निदेशकों तथा निदेशकों की उपलब्धियां

1338. **श्री मधु लिमये** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धक एजेंसी प्रणाली समाप्त होने के बाद प्रबन्धकों द्वारा पूरा समय काम करने वाले अपने प्रबन्धक निदेशकों तथा अन्य निदेशकों के लिये अत्यधिक उपलब्धियां सुनिश्चित करवाये जाने के बारे में संसद सदस्यों तथा बहुत से शेयर होल्डरों से समवाय-कार्य विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कम्पनियों की सूची क्या है और पूरा समय कार्य करने वाले निदेशकों की उपलब्धियों के बारे में उनके प्रस्ताव क्या हैं ;

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में समवाय विधि बोर्ड का निर्णय क्या है ;

(घ) क्या इन सभी समझौतों को मंजूर करवाने के लिए मंत्रालय पर कोई दबाव डाला गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दबाव का ब्यौरा क्या है ?

समवाय-कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना संग्रह की जा रही है वह यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(घ) नहीं, श्रीमान ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जमालपुर (पूर्वी रेलवे) में टिकट देने की अपर्याप्त सुविधाएं

1339. **श्री मधु लिमये :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के जमालपुर जंक्शन पर टिकट देने की अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में महिला यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में रेलवे को कोई अभ्यावेदन मिला है क्योंकि केवल एक टिकट क्लर्क को एक ही समय दो खिड़कियों पर टिकट जारी करने पड़ते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिये रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को तीसरे दर्जे के टिकट जारी करने के लिये तीन टिकट खिड़कियां हैं । इनमें से एक 24 घंटे खुली रहती है और दूसरी प्रातःकाल 8 बजे से 10.00 बजे तक और शाम को 15.00 बजे से 18.00 बजे तक तीसरी टिकट खिड़की सप्ताह के अन्त में रेल कर्मचारियों को रियायती टिकटें जारी करने के लिये खोली जाती है, ताकि जनता के लिये खोली गई टिकट खिड़कियों पर लम्बी लाइन न लगने पायें । टिकट जारी करने की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है और महिलाओं के लिये एक अलग टिकट खिड़की खोलने का औचित्य नहीं है ; उनके लिये अलग से लाइन लगाने की सुविधा है ।

कांग्रेस के निर्वाचन प्रतीक के बारे में विवाद

1340. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वन्द्वी दलों के बीच निर्वाचन प्रतीक सम्बन्धी विवाद के बारे में क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जांच पूरी कर ली है और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उक्त जांच कब तक पूरी होगी और उसकी रिपोर्ट कब तक दे दी जायेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों को विशेषाधिकार देने वाले संविधान के उपबन्धों का पुनरीक्षण

1341. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के उन उपबन्धों का पुनरीक्षण करने पर विचार किया है

जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को विशेषाधिकार दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान नीति से केवल निहित स्वार्थों को प्रोत्साहन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और सभी पात्र व्यक्तियों को रियायतें देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 को पारित किये जाने के दौरान इस समूचे प्रश्न का पुनर्विलोकन किया गया था ।

(ख) यह मत का मामला है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

3 वर्ष की आयु तक के स्कूल के बच्चों के लिये पौष्टिक भोजन

1342. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 3 वर्ष की आयु तक के स्कूल के बच्चों के लिये पौष्टिक भोजन के बारे में 21 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में 3 वर्ष की आयु तक के पांच लाख बच्चों के लिये और नगरों की गन्दी बस्तियों में पांच लाख बच्चों के लिये पौष्टिक भोजन सप्लाई करने के सम्बन्ध में बनाये गये कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ; और

(ख) बच्चों को दूध सप्लाई करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ चल रही बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस योजना का ब्योरा अनुबन्ध में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०3840/70]**

(ख) अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद तथा मद्रास नगरों की गंदी बस्तियों में इस कार्यक्रम के लिये सरकारी डेरियों से घटी दरों पर डबल टोंड दूध की प्रदाय के लिये कृषि विभाग से समझौता हो गया है ।

बड़ी लाइनों और मीटर लाइनों के लिये चार पहियों वाली और आठ पहियों वाली सैलून कारें

1343. **श्री शशि भूषण** : क्या **रेलवे मंत्री** बड़ी लाइनों और मीटर लाइनों के लिये चार पहियों वाली और आठ पहियों वाली सैलून कारों के बारे में 21 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ब्योरा नीचे दिया गया है—

सैलूनों की संख्या

	बड़ी लाइन				मीटर लाइन			
	8 पहिये		4 पहिये		8 पहिये		4 पहिये	
	वातानुकूल	गैर वातानुकूल	वातानुकूल	गैर वातानुकूल	वातानुकल	गैर वातानुकूल	वातानुकूल	गैर वातानुकूल
31-12-59 को	3	2	—	—	—	—	—	—
13-12-69 को	3	2	—	—	—	—	—	—

(ग) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली के सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता सूची के बारे में आपत्ति

1344. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मंत्री उत्तर रेलवे के दिल्ली प्रभाग के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थाई करने तथा उनकी वरिष्ठता के बारे में 7 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली के सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों से आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और उन पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित हो गई है और कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में अभी और कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कर्मचारियों द्वारा उठायी गई आपत्तियों की जांच सम्बन्धित मण्डल प्राधिकारियों की सलाह से की जा रही है । यह कहना अभी सम्भव नहीं है कि विनिश्चय लेने में ठीक ठीक कितना समय लगेगा ।

साइकिल उद्योग

1345. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइकिल उद्योग प्रति वर्ष उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक (मेक) की कितनी कितनी साइकिलों का निर्माण हुआ ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों में भारतीय साइकिलों की बड़ी मांग है और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीय साइकिलों की मांग है ; और

(घ) क्या साइकिल उद्योग स्थानीय और निर्यात की मांग पूरा करने में सक्षम है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) जी, हां ।

(ख) विगत तीन वर्षों में बड़े पैमाने के उद्योगों में साइकिलों का उत्पादन इस प्रकार था :

वर्ष	तैयार साइकिलें (संख्या)	
1967	16,94,260	
1968	19,52,176	
1969	19,32,611	(7.5 लाख रु० तक की आस्तियों के सन्यन्त्र तथा मशीनों वाले कुछ एककों का स्थानान्तरण लघु उद्योग में कर दिये जाने से उत्पादन में गिरावट आई है) ।

लघु उद्योग क्षेत्र का उत्पादन 1966 में 3 लाख से बढ़कर 1968-69 में 5.44 लाख हो गया । मार्क के अनुसार उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी, हां ।

भारतीय साइकिलें तथा पुर्जों का जिन प्रमुख देशों में निर्यात किया जाता है, वे ये हैं :

इण्डोनेशिया	मलावी	तंजानिया	ब्रिटेन	जाम्बिया
ईरान	नाइजीरिया	थाइलैण्ड	अमरीका	
इराक	सिंगापुर	यूगांडा	पश्चिम जर्मनी	
कीनिया	सूडान	संयुक्त अरब गणराज्य	यूगोस्लाविया	

(घ) जी, हां ।

राजस्थान में चारा लाने ले-जाने के लिये माल डिब्बों का उपलब्ध न होना

1346. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई-जून, 1970 में राजस्थान के अकालग्रस्त जिलों को माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण चारे की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान के अकालग्रस्त जिलों के लिये पंजाब, हरियाणा

तथा दिल्ली से चारा प्राप्त किया गया था परन्तु माल डिब्बों की कमी के कारण उसे समय पर नहीं भेजा जा सका था;

(ग) यदि हां, तो कितने माल डिब्बे मांगे गये थे और इस प्रयोजन के लिये कितने माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे ;

(घ) इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिये माल डिब्बे उपलब्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस गलती के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : राजस्थान में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को चारे की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन, राजस्थान सरकार से लदान-कार्यक्रम मिलने में कुछ विलम्ब हुआ। विशेष माल गाड़ियों में पर्याप्त रूप से ढुलाई की व्यवस्था करने के लिये लदान के स्थानों पर मांग-पत्र भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले थे और फुटकर लदान करना पड़ा। इन तथ्यों के बावजूद मई और जून, 1970 में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से राजस्थान के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को चारे की ढुलाई के लिये मीटर लाइन के 5165 माल डिब्बों की मांग थी जबकि 4764 डिब्बों का लदान किया गया जिनमें अप्रैल, 1970 के अन्त तक निकासी की प्रतीक्षा में खड़े मालडिब्बे भी शामिल थे।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में हड़ताल

1347. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री राम चरन :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार जिन जिन सरकारी इस्पात के कारखानों के कर्मचारियों ने हड़ताल की, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक बार, प्रत्येक कारखाने में उक्त अवधि में कितने कितने श्रमिकों ने हड़ताल की;

(ग) प्रत्येक बार कारखाने-वार वे कितने दिन तक हड़ताल पर रहे ;

(घ) प्रत्येक बार किन कारणों से हड़ताल हुई; और

(ङ) उक्त अवधि में प्रत्येक कारखाने को हड़ताल से कितनी-कितनी हानि हुई ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकारी क्षेत्र के भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के सभी इस्पात कारखानों में (जिनमें दुर्गापुर का मिश्र इस्पात कारखाना भी शामिल है) हड़तालें हुई हैं।

(ख) से (ङ). इस सूचना के प्राप्त करने में जितना समय और श्रम लगेगा उतना लाभ नहीं होगा।

Cost of proposed Steel Plant at Visakhapatnam

1348. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether any estimate has been prepared about the cost of the proposed Steel Plant at Visakhapatnam ;

(b) whether any prior estimate had been made that in case the plant is set up at Bailadilla (M. P.) its cost would be much less and it would also be more economical and beneficial in future ; and

(c) if so, the details in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir. The preliminary cost estimate would be known only after the feasibility report is prepared.

(b) and (c). Do not arise.

Per Capita Production and Cousumption of Cement in Madhya Pradesh

1349. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the present per capita consumption of cement in Madhya Pradesh and the production of Cement in the State at present ;

(b) whether it is a fact that the number of cement factories in the State is inadequate in view of the consumption of cement ; and

(c) if so, whether Goverment propose to extend financial assistance to the State Government during the Fourth Five Year Plan to increase cement production in the State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) The per capita consumption of cement in Madhya Pradesh during 1969 was 12.61 k. gms. and the production of cement within the State during that year was 20 lakh tonnes.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Wagons for Transportation of Bananas

1350. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the traders had to transport banana by road due to non-availability of Railway wagons in time ; and

(b) if so, whether Government would ensure that wagons are made available in time for the transportation of Bananas ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. There has been no short supply of wagons during the current season. In fact, 954 wagons have been loaded with bananas for the period from 1.6.70 to 27.7.70 as compared to 212 wagons loaded during the corresponding period of 1969. It is only traffic for very short distances which is offered by road and this traffic comprises of only about 1% of the total traffic offered by rail.

(b) Yes. Railways have taken suitable steps to make wagons available in time for the transportation of bananas and banana traffic offered in bulk is being cleared by special trains.

Adjustment of timings of passenger trains to the convenience of villagers between Khandwa and Itarsi stations (Central Railway)

1351. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the villagers residing near the small Railway Stations between Khandwa and Itarsi especially those living between Itarsi and Banapura stations have represented that with the withdrawal of the Bhusawal—Itrasi Passenger train, they are facing great inconvenience ;

(b) whether it is also a fact that they have demanded that in case it is not possible to resume the said Passenger train, the timings of one of the existing Passenger trains may be so adjusted as to suit their convenience ; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Re-introduction of the cancelled 349 Dn/350 Up passenger trains has not been found justified on considerations of traffic. The desired adjustment in the present train timings is also not operationally feasible, but to make up for the loss of service an Express train has been provided stoppage at Khirkiya, Banapura, Bir and Harsud stations of the section.

Writ petitions about elections pending in Madhya Pradesh Court

1352. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Writ Petitions filed in the Madhya Pradesh High Court in connection with 1967 General Elections and whether all such writ petitions have since been disposed of ;

(b) if not, the number of writ petitions still pending disposal ;

(c) the number of writ petitions filed in the Madhya Pradesh High Court in connection with mid-term elections and the number out of them disposed of ; and

(d) whether some of the writ petitions are still pending disposal in the High Court ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) No writ petition was filed in the Madhya Pradesh High Court in connection with 1967 General Elections. 49 election petitions (4 relating to the House of the People and 45 relating to the State Legislative Assembly) in connection with 1967 General Election were filed in the Madhya Pradesh High Court. All those petitions have been disposed of.

(b) Does not arise.

(c) and (d). As there was no mid-term election in Madhya Pradesh, the question of any writ petition being filed or pending thereof does not arise.

बोकारो में विदेशी विशेषज्ञ

1353. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में इस समय कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम और अधिक से अधिक कितना वेतन दिया जाता है और फर्नीचर सहित मुफ्त निवास, कार तथा इसी प्रकार की अन्य क्या क्या परिलब्धियां उन्हें दी गई हैं और इन सुविधाओं का बाजार भाव पर कुल मूल्य कितना है ;

(ख) इन पदों में से कितने पदों पर भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ या इन विदेश के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त भारतीयों को नियुक्त किया जा सकता है; और

(ग) ऐसे सभी पदों पर, जिन पर अब विदेशी नियुक्त है, भारतीयों को नियुक्त करने में कितना समय लगेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून, 1970 के अन्त में बोकारो इस्पात कारखानों में 157 सोवियत विशेषज्ञ काम कर रहे थे। उनको दिया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम वेतन इस प्रकार है :

(रूबल)

	पद नाम	मासिक वेतन	मासिक प्रति पूर्ति	तबादला भत्ता
अधिकतम	मुख्य अभियंता	380	468	140
न्यूनतम	वरिष्ठ फोरमैन प्रशिक्षक	116	248	74

बोकारो इस्पात कारखाने को प्रत्येक विशेषज्ञ को सुसज्जित आवास प्रदान करने के लिये 33,000 रुपये का पूंजीगत खर्च पड़ता है। इसके अतिरिक्त करार के अनुसार सामान्य सुविधाएं जैसे स्कूल, क्लब, कैन्टीन और चिकित्सा की सुविधाएं भी दी गई है जिन पर लगभग 15.5 लाख रुपये के खर्च का अनुमान है। आफिस के काम के लिये मुफ्त यातायात की सुविधा भी प्रदान की गई है। बाजार के अनुसार इन सुविधाओं के मूल्य का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग). सोवियत विशेषज्ञों को कारखाने के निर्माण और परिचालन के लिये परामर्श सम्बन्धी सेवाएं बोकारो इस्पात कम्पनी के प्रबन्धक मण्डल से विचार विमर्श करके समय समय पर ली जाती है। सोवियत संगठन मेसर्स त्याज प्रोमेक्सपोर्त जिन्हें कारखाने के संतोषजनक निर्माण और चालू करने के लिये परामर्श और पर्यवेक्षण की सेवाएं प्रदान करनी है उत्तरदायित्व के अनुसार विदेशी विशेषज्ञों की संख्या न्यूनतम रखी जाती है। सोवियत विशेषज्ञों के कार्य के साथ भारतीय इंजीनियर भी पूर्ण रूपेण घनिष्ट रूप से सम्बद्ध होते हैं।

रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करना

1354. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने अथवा कम करने के लिये क्या अग्रेतर उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों को क्रियान्वित किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किये गये निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण रेल कर्मचारियों की चूक होता है, इसलिये रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठन, रेल गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जागृत करने और यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि उन्हें निर्धारित संरक्षा नियमों का समुचित ज्ञान हो। इसके अलावा, यह देखने के लिये कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और कोई लघु-प्रणाली न अपनायें, मौके पर जांच की जाती है। सभी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच की जाती है और जिम्मेदार पाये गये लोगों को निवारक दण्ड दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी जांच से कोई अन्य कमी अथवा त्रुटियां पायी जायें तो यह देखने के लिये कार्रवाई की जाती है कि ऐसा फिर न हो। जहां तक व्यावहारिक पाया गया है, सुधरी सिगनलिंग और अन्तर्पाश व्यवस्था, रेल पथ सर्किटिंग आदि के रूप में तकनीकी सुधार किये गये हैं।

(ख) सम्भवत:, आशय उन समितियों से है जिन्हें सरकार ने, दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और उन्हें कम करने के उपाय सुझाने के लिये नियुक्त किया था। कुंजरू समिति (रेल दुर्घटना समिति, 1962) और वांचू समिति (रेल दुर्घटना जांच समिति 1968) दोनों ने अपनी रिपोर्टें दो भागों में दी थीं। इन रिपोर्टों की प्रतियां और उनकी विभिन्न टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों की प्रतियां निम्नलिखित तारीखों को संसद् के दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दी गई थीं।

	जिस तारीख को दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी गयी
(i) रेल दुर्घटना समिति, 1962 की रिपोर्ट का भाग I	दिसम्बर, 1962
(ii) रेल दुर्घटना समिति, 1962 की रिपोट के भाग I पर अभिमत	जनवरी, 1962
(iii) रेल दुर्घटना समिति, 1962 की रिपोर्ट का भाग II	नवम्बर, 1963
(iv) रेल दुर्घटना समिति, 1962 की रिपोर्ट के भाग II पर अभिमत	फरवरी, 1964
(v) रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 की रिपोर्ट का भाग I	दिसम्बर, 1968

	जिस तारीख को दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी गयी
(vi) रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 की रिपोर्ट का भाग I पर अभिमत	फरवरी, 1969 में बजट-पत्रों के साथ
(vii) रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 की रिपोर्ट का भाग II	अगस्त, 1969
(viii) रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 की रिपोर्ट के भाग II पर अभिमत	फरवरी, 1970

रेल दुर्घटना समिति, 1962 ने अपनी रिपोर्ट के दोनों भागों में कुल 377 सिफारिशें और 85 टिप्पणियां दी थीं। इन सिफारिशों में से अधिकांश पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं जिनमें कुछ ऐसी भी हैं जो निरन्तर किस्म की हैं। केवल 23 सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं—कुछ तो अन्तिम चरण में हैं। ये सिफारिशें ऐसी हैं जिनका कार्यान्वयन केवल कार्यक्रम के आधार पर हो सकता है बशर्ते उसके लिये धन उपलब्ध हो अथवा ऐसी हैं जिन पर अन्य संगठनों द्वारा कार्रवाई होना अपेक्षित है।

रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 ने अपनी रिपोर्ट के दोनों भागों में कुल 544 सिफारिशें और 185 टिप्पणियां दी हैं। इन सिफारिशों पर रेल मंत्रालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत के आधार पर पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और उनके कार्यान्वयन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

पश्चिम बंगाल के संकट-ग्रस्त उद्योगों को कच्चे माल और वित्तीय सहायता का नियतन

1355. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कं० हाल्दर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने अनेक संकट-ग्रस्त उद्योगों को पुनर्जीवित करने तथा समाप्त प्रायः उद्योगों का पुनरुत्थान करने के लिये केन्द्र सरकार से और अधिक उदारता से कच्चे माल और पर्याप्त वित्तीय सहायता का नियतन करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारत सरकार का ध्यान कुछ कच्चे सामान की आवश्यकता की ओर खींचा है जिनमें इस्पात, 20 गेज से पतली इस्पात की चद्दरें, विलायक तेल तथा धुनाई मशीनों के लिये अपेक्षित कुछ कच्चे माल आदि हैं। यह देखने के लिए कि कितनी सहायता दी जा सकती है ब्योरे का सुनिश्चय किया जा रहा है। इसके वित्तीय पक्ष

पर रिजर्व बैंक तथा अन्य सम्बन्धित हित वालों के साथ एक बैठक करने का प्रस्ताव है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने बन्द कपड़ा मिलों को पुनः चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

(ग) इन मामलों पर सम्बन्धित मंत्रालयों में विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में दाल के मूल्य

1356. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 25 जून, 1970 तक पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, हावड़ा और 24 परगना जिले के मुख्य कार्यालय में दाल के थोक और फुटकर भाव क्या क्या रहे;

(ख) भावों में उतार-चढ़ाव के कारण क्या थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि (17 जून, 1970 तक) पूर्वी रेलवे के माल गोदाम तथा हावड़ा स्टेशन पर माल डिब्बों में लगभग 7250 टन दाल रुकी पड़ी थी, हालांकि सम्बद्ध व्यापारियों से अपना माल छुड़ा लेने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया था ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) 2-1-1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह से 26-6-1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक कलकत्ता में दालों के साप्ताहिक थोक मूल्यों को बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध-1) (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है। बृहत्तर कलकत्ता, हावड़ा तथा 24 परगना के भातपाड़ा तथा कमरहटी केन्द्रों में दालों के साप्ताहिक खुदरा मूल्यों को बताने वाला एक दूसरा विवरण भी (अनुबन्ध-2) (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3841/70]**

(ख) अप्रैल और मई, 1970 के प्रथम दो सप्ताहों में दालों के मूल्यों में सामान्य मंदी रबी की नई दाल आ जाने से हुई है। 8 मई 1970 से 26 जून, 1970 के बीच कुछ दालों के मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से फसली है क्योंकि ये महीने विशेष रूप से खरीफ की दालों की कम सप्लाई की अवधि है।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिमी बंगाल से कार्यालयों का अन्य राज्यों को स्थानान्तरण

1357. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मई 1970 तक कितनी कम्पनियों ने अपने कार्यालय पश्चिमी बंगाल से अन्य राज्यों में स्थानान्तरित कर लिए हैं;

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) स्थानान्तरण से कितने श्रमिक और कर्मचारी प्रभावित हुये हैं ; और

(घ) प्रत्येक कम्पनी ने स्थानान्तरण किन कारणों से किया ?

समवाय कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). मै० इन्वेन्टर्स इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन प्राइवेट लि० तथा इन्डियन इलेक्ट्रीकल मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेसन नाम की दो कम्पनियों ने जनवरी से मई, 1970 के मध्य अपने पंजीकृत कार्यालय, पश्चिमी बंगाल से महाराष्ट्र को स्थानान्तरित किये थे, तथा एक तीसरी, मै० साहूमिनरल्स एण्ड प्रोपर्टीज लि० नाम को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के राजस्थान को स्थानान्तरण की बाबत कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, दिनांक 29-5-70 को आदेश जारी किया है।

(ग) कम्पनियों के लिये उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के बारे में, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देना अपेक्षित नहीं है ।

(घ) इन्वेन्टर्स इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन प्रा० लि० ने अपने पंजीकृत कार्यालय के पश्चिमी बंगाल से महाराष्ट्र को स्थानान्तरण के लिये, यह कारण दिया है कि कम्पनी की निर्माण शाखा तथा प्रशासकीय कार्यालय बम्बई में स्थित है । मैं साहूमिनरल्स एण्ड प्रोपर्टीज लि० के सम्बन्ध में, पश्चिमी बंगाल से इसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान को स्थानान्तरण के कारणों में, राजस्थान सरकार के द्वारा कम्पनी के जयपुर में संगमरमर का खनन कार्य और विवायन के कारखाने की स्थापना के लिए तथा कम्पनी के पक्ष में संगमरमर तथा खनन कार्य क्षेत्र के पट्टे का अनुमोदन करना है । मै० इन्डियन मैन्यूफैक्चर्स ऐसोसियेसन की बाबत सदन के पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

दुर्गापुर बस्ती में तनाव की स्थिति

1358. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर बस्ती में तनाव की स्थिति है ;

(ख) क्या इससे नगर के सामाजिक जीवन पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1970 को स्टेट्स मैन में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). सरकार ने 17 जून, 1970 को स्टेट्समैन में छपा समाचार देखा है । दुर्गापुर इस्पात कारखाने और बस्ती में औद्योगिक सम्पर्क अच्छे न होने के कारण इस्पात नगर में रहने वाले लोगों में असुरक्षा की भावना है और लोगों की मनः स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । हिन्दुस्तान स्टील लि० का प्रबन्धक वर्ग मजदूरों के साथ बात-चीत द्वारा तथा राज्य सरकार की सहायता से औद्योगिक सम्पर्कों को बेहतर बनाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है ।

रेलवे में बचत आन्दोलन

1359. **श्री जो० ना० हजारिका :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दंडपाणि : **श्री सामिनाथन :**
श्री मयाबन : **श्री नारायणन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में 1970-71 में 13 करोड़ रुपये की बचत का लक्ष्य पूरा करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न जोनों के महाप्रबन्धकों से सुझाव मांगे गये हैं ; यदि हां, तो सुझावों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या बचत आंदोलन के परिणामस्वरूप यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती होने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो रेलवे में मितव्ययिता लाने के लिये किये जा रहे प्रमुख उपायों का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) लक्ष्य पूरे एक वर्ष के लिये है जिसके दौरान कार्यक्रम की सभी मदों के सम्बन्ध में क्रियान्वयन शुरू हो जाना था । इस संदर्भ में विभिन्न उपायों में से कुछ महत्वपूर्ण मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) खर्च में किफायत लाने के लिये उपयुक्त उपाय अपनाने के प्रश्न पर विभिन्न बैठकों आदि में महाप्रबन्धकों से बातचीत की गई है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के मामले में वे पहले से सजक हैं । सभी क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में पहले से ही खर्च में कमी करने के लिये सभी सुझावों की सावधान सावधानी पूर्वक जांच करने और जहां व्यावहारिक हो, उनके क्रियान्वयन के लिये एक संगठित विभाग मौजूद है ।

(ग) खर्च में किफायत करने के लिये की गई कार्रवाहियों के फलस्वरूप यात्री और कर्मचारी सुविधाओं में कमी आने की कोई सम्भावना नहीं है । रेलों पर खर्च में किफायत लाने के उपायों की रूपरेखा मोटे तौर पर संलग्न विवरण में बताई गई है ।

विवरण

भारतीय रेलों पर 1970-71 में 13 करोड़ रु० की किफायत लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किये जा रहे विभिन्न उपायों में से कुछ महत्वपूर्ण मदों की सूची नीचे दी जा रही है :—

1. भारतीय रेलों पर 1-5-1970 और 15-6-1970 से क्रमशः एक कोयला बचाओं अभियान और डीजल तेल की खपत में कमी करने का अभियान चलाया गया है । यद्यपि अभी तक किफायत से होने वाले किसी पुष्ट परिणाम के बारे में बताने के लिये उचित समय नहीं आया है फिर भी, अभी तक की गई प्रगति उत्साहवर्धक रही है ।

2. रेलों में दक्षता में वृद्धि करने, हानि से बचने, खर्च में कमी करने और आमदनी में वृद्धि करने आदि के लिये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले विभिन्न सुझावों की

जांच करने के लिये अन्य बातों के साथ ही रेल मंत्रालय में एक विशेष कक्ष खोला गया है।

3. भाप के इन्जनों में कमी करने के लिये भाप इन्जनों के उपयोग की आवधिक समीक्षा।

4. और अधिक कुशलता लाने और संचालन व्यय में कमी करने के लिये कार्य अध्ययन का काम किया जा रहा है।

5. बेहतर सूची नियंत्रण और भंडार के खर्च में किफायत करने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

6. परिचालन में सुधार लाने के लिये परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग किया जा रहा है।

7. रेल कारखानों में उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

8. रेलों पर हानि और क्षति की घटनाएं कम करने के लिये निवारक उपायों का सुझाव देने के लिये अगस्त, 1969 में रेलवे दावों पर एक व्यक्ति विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

9. रेलों पर बिना टिकट यात्रा, कोयले की उठाईगीरी, डीजल तेल, रेलवे परेषणों आदि के कारण अपव्यय रोकने के लिये जोरदार नियंत्रण और जांच के जरिये विभिन्न अभियान शुरू किये गये हैं।

चाय, काफी तथा अन्य पेय पदार्थों के मूल्य में परिवर्तन

1360. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि रेलवे उपहारगृहों में चाय, काफी तथा अन्य पेय पदार्थ भी ऊंचे दामों पर परोसे या बेचे जाते हैं जब कि चीनी के मूल्य 50 प्रतिशत कम हो गये हैं ;

(ख) क्या मूल्यों में हाल ही में संशोधन किया जाने वाला है या रेलवे प्रशासन या उनका मंत्रालय इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार कर रहा है कि खाद्य तथा पेय पदार्थों के मूल्य, उन पदार्थों के बनाने में काम आने वाले सामान के बाजार भाव के अनुरूप हों ; और

(ग) यात्रियों के लाभार्थ ऐसे निर्णय शीघ्र ही और समय-समय पर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) चाय-काफी और अन्य पेय पदार्थों की कीमतें उचित हैं, न कि ऊंची हैं।

(ख) रेलवे की खान-पान की स्थापनाओं में चाय, काफी, अन्य पेय और खाद्य पदार्थों के मूल्यों की तत्कालीन बाजार दर के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

भोजन के मूल्य का अखिल भारतीय आधार पर मानकीकरण किया गया है और वह इसी तरह की खान-पान की बाहरी स्थापनाओं में लिये जा रहे मूल्य के अनुरूप है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण

1361. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे मार्गों के विद्युतीकरण की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चौथी योजना के दौरान, पहले स्वीकृत की गई परियोजनाओं में से 680 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा करने और नई विद्युतीकरण योजनाओं में से लगभग 2000 मार्ग किलोमीटर पर काम प्रारम्भ करने का विचार है। इनमें से विरार-साबरमती खण्ड (442 मार्ग किलोमीटर) के विद्युतीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। किरन्दुल-बालतेरू (471 मार्ग कि० मी०) और पांसकुड़ा-हल्दिया (71 मार्ग कि० मी०) खण्डों का विद्युतीकरण 1970-71 के बजट में शामिल किया गया है। इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है कि चौथी योजना के विद्युतीकरण कार्यक्रम में किन अन्य खण्डों को शामिल किया जाना चाहिये।

रेल दुर्घटनाएं

1362. **श्री राम किशन गुप्त** :

श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1970 से 30 जून, 1970 तक (जोन-वार) हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुये ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) भारत की सरकारी रेलों पर 1-1-70 तक की अवधि में 415 रेल दुर्घटनाएं हुईं जिनका ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है :

रेलवे	टक्कर	पटरी से उतर जाना	समपार की दुर्घटनाएं	गाड़ियों में आग लगना	जोड़
मध्य	7	46	3	1	57
पूर्व	4	14	3	1	22
उत्तर	7	52	9	3	71
पूर्वोत्तर	4	18	9	–	31
पूर्वोत्तर सीमा	3	44	4	–	51
दक्षिण	3	47	8	–	58
दक्षिण मध्य	2	38	6	1	47
दक्षिण पूर्व	–	27	5	1	33
पश्चिम	4	35	5	1	45
जोड़–भारत की सरकारी रेलें	34	321	52	8	415

(ख) प्रत्येक कोटि की दुर्घटना में होने वाले हताहतों की संख्या नीचे दी गई है :–

दुर्घटना की कोटि	मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
टक्कर	12	109
पटरी से उतरना	2	43
समपार की दुर्घटनाएं	61	111
गाड़ियों में आग लगना	—	—
जोड़	75	263

रेलवे भागों पर सूक्ष्मतरंग संचार व्यवस्था

1363. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या रेलवे की संचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे मार्गों पर सूक्ष्मतरंग संचार व्यवस्था के विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों के ट्रंक मार्गों पर अब उत्तरोत्तर लगाई जा रही माइक्रोवेव रेडियो दूर-संचार प्रणाली से क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों को मंडल मुख्यालयों और महत्वपूर्ण परिचालन स्थलों को जोड़ने वाले विश्वासनीय, उपयुक्त और सुधरे परिचालन सम्बन्धी सर्किटों की व्यवस्था हो जाने की आशा है, जिससे परिचालन कुशलता बढ़ेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक माइक्रोवेव रेडियो दूर-संचार के एक मिले जुले जाल की व्यवस्था हो जाने की आशा है जो रेलवे बोर्ड को सभी क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों के साथ और क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों को मंडल मुख्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण परिचालन स्थलों के साथ सम्बद्ध कर देगी ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग संघ की प्रमाणीकरण समिति

1364. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणीकरण समिति ने 300 संस्थाओं में से 115 संस्थाओं को उनके प्रमाणपत्र रद्द करने का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ;

(ग) बिहार की संस्थाएं कौन-कौन सी हैं जिनके नाम नोटिस जारी किये गये हैं ; और

(घ) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के एक विशेष टेस्ट लेखापरीक्षक दल ने बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; यदि हां, तो लेखापरीक्षक दल के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और सरकार इस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में नये उद्योगों की स्थापना

1365. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तिमरूप से तैयार चतुर्थ योजना में सामान्यत: सम्पूर्ण बिहार और विशेषत: उत्तरी बिहार के औद्योगिक विकास की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ख) चौथी योजना के अनुसार बिहार में कौन से नये उद्योग चालू किये जायेंगे ; और

(ग) चतुर्थ योजना अवधि में, यदि कोई नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की गईं, तो उनमें कितनी धनराशि लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार समेत विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं, उनके प्रकार, स्थान तथा प्रस्तावित विनियोजन के बारे में उल्लेख 'फोर्थ फाइव इयर प्लान रिपोर्ट' के पृष्ठ 326-360 में किया गया है । चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं में से बरौनी उर्वरक बिहार के उत्तरी क्षेत्र में होगा बरौनी पेट्रो कैमिकल कौम्प्लैक्स जो उत्तरी बिहार में है उसमें भी प्रारम्भिक काम की शुरुआत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में करने का प्रस्ताव है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों के औद्योगिक कार्यक्रम के लिए 7 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दे दी गई है । बिहार सरकार ने इस परिव्यय का विस्तृत योजनावार ब्यौरा अभी तक नहीं भेजा है ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं के स्थापित किये जाने का सम्बन्ध है, यह मुख्यरूप से गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों की पहल पर छोड़ दिया गया है । गैर-सरकारी क्षेत्र में नए उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए विभिन्न तकनीकी आर्थिक पहलुओं जिसमें आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने की आवश्यकता शामिल है, पर विशेष रूप से महत्व दिया जाता है ।

रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि

1366. **श्री कोलाई बिरुआ :** **श्री मयावन :**
श्री दंडपाणि : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1970 के पश्चात रेलवे की दुर्घटनाओं में पुनः वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे दुर्घटनाओं की जांच निष्कर्षों से पता लगा है कि रेलवे दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलतियों के कारण हुईं ;

(ग) 28 अप्रैल, 1970 को लखनऊ में 31 अप बरौनी-कानपुर यात्री गाड़ी की 24 डाउन कानपुर-सीतापुर एक्सप्रेस से जो टक्कर हुई, क्या उसके लिए भी रेलवे कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे कर्मचारियों की गलतियों के कारण दुर्घटनाएं न होने पायें ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं । मई और जून, 1970 में भारत की सरकारी रेलों पर गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों की सड़क यातायात से टक्कर और गाड़ियों में आग लगने की 146 दुर्घटनाएं हुईं जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 179 दुर्घटनाएं हुई थीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता । फिर भी मनुष्य की गलती ही दुर्घटनाओं का अकेला सबसे बड़ा कारण है ।

(ग) रेल संरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त के अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

(घ) रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठन गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जागृत करने और यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि उन्हें निर्धारित संरक्षा नियमों का समुचित ज्ञान हो । इसके अलावा यह देखने के लिए कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और कोई लघु प्रणाली न अपनायें, मौके पर जांच की जाती है । सभी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच की जाती है और जिम्मेवार पाये गये लोगों को निवारक दण्ड दिये जाते हैं । इसके अतिरिक्त यदि जांच से किसी अन्य कमी अथवा त्रुटि का पता चलता है तो कार्यवाही की जाती है ताकि ऐसा फिर न होने पाये । जहां तक व्यावहारिक पाया गया है, सुधरी सिगनल अन्तर्पाश व्यवस्था, रेल पथ सर्किटिंग आदि के रूप में तकनीकी सुधार किये गये हैं ।

नई दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय मूक-बधिर सम्मेलन

1367. **श्री सामिनाथ :** **श्री मयाबन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री नि० र० लास्कर :**
श्री नारायणन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 जून, 1970 को अखिल भारतीय मूक-बधिर सम्मेलन नई दिल्ली, में आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी ;

(ग) क्या सम्मेलन ने सरकार से इस समुदाय को शिकायतों पर ध्यान देने की अपील की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सम्मेलन की सिफारिशों की जांच की गई है और क्या उन्हें क्रियान्वित किया गया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां । दिल्ली बधिर-मूक कल्याण सोसाइटी के तत्वाधान में 9 तथा 10 जून, 1970 को नई दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था ।

(ख) तथा (ग). सोसाइटी से प्राप्त प्रस्तावों की एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3842/70]**

(घ) जी नहीं, क्योंकि सोसाइटी ने सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को सरकार के संबंधित विभागों को नहीं भेजा है । इसके अतिरिक्त, अधिकतर सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखती हैं ।

तीर्थ स्थानों पर कोढ़ से पीड़ित रोगियों की उपस्थिति

1368. **श्री समर गुह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न तीर्थ स्थानों पर कोढ़ से पीड़ित रोगी भिखारियों के रूप में दिखाई देते हैं ;

(ख) क्या कोढ़ की बीमारी के फैलने का एक कारण ये लोग हैं ;

(ग) क्या कोढ़ी तथा अन्य रोगी भिखारियों के कारण धार्मिक स्थानों के वातावरण की पवित्रता नष्ट होती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे रोगियों के इलाज के लिये केन्द्र स्थापित करने एवं उन्हें धार्मिक स्थानों से हटाने के बारे में विचार करेगी ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) वे तीर्थयात्रियों के लिए खतरे का कारण नहीं हैं, परन्तु वे अपने ही वर्गों में संक्रामण बनाए रखते हैं।

(ग) उनका गलियों में रहना अवांछनीय है।

(घ) उनकी चिकित्सा की सुविधायें राज्य प्रशासन के क्षेत्र के भीतर आती हैं और वे समस्त देश में उपलब्ध हैं।

सियालदह खण्ड (पूर्वी रेलवे) में रेल सेवाओं में सुधार

1369. **श्री कं० हाल्दर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के विभिन्न खण्डों में रेल-सेवाओं में आ रही लगातार गिरावट की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) बिजली के तारों की चोरी के कारण इन खण्डों की सेवाओं में होने वाली बार-बार गड़बड़ी से उन यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, जो अधिकांशतः कलकत्ता स्थित कार्यालयों में कार्य करते हैं ;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के बीच अनेक मुठभेड़ें हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। बिजली के तारों की चोरी उन विभिन्न कारणों में से एक है जिन से रेल सेवाएं अक्सर अस्त व्यस्त हो जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) रेल प्रशासन द्वारा चोरी निरोध जम्परों और तांबे के तारों की जगह अल्म्यूनियम और इस्पात के तारों, जिनकी चोरी की सम्भावना कम होती है, की व्यवस्था की गई है।

रेल सम्पत्ति की चोरी, क्षति और गुंडागर्दी से बर्बाद होने से बचाने और ऐसी स्थिति संभालने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल को अधिक संख्या में नियुक्त किया जा रहा है। शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था करने वाली राज्य पुलिस से निकटतम सम्पर्क रखा जा रहा है ताकि उनकी सहायता प्राप्त की जा सके।

इसके साथ साथ रेलवे सम्पत्ति को क्षति और बर्बादी पहुंचाने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था के लिए संसद में एक विधेयक भी पेश किया जा रहा है।

रेल प्रशासन यात्रियों की उचित मांगें पूरी करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। गुण्डा-गर्दी आदि के सभी मामले रेल प्रशासनों द्वारा फौरन राज्य सरकार राज्य/पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाये जाते हैं ताकि जहां सम्भव हो अराजकता की रोक-थाम करने और पुनः सामान्य स्थिति लाने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए वह हस्तक्षेप कर सकें।

रेलवे दृष्टिकोण समझाने और रेल उपभोक्ताओं तथा समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों और प्रचार के अन्य साधनों का भी लाभ उठाया जाता है।

स्कूटरों के उत्पादन के लिए सेन्टरलेस ग्राइंडिंग मशीनों का आयात

1370. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'वेस्पा' और 'लेम्ब्रेटा' स्कूटरों के निर्माताओं ने सेन्टरलेस ग्राइंडिंग मशीनों के आयात के लिये आवेदन दिये हैं और इन मशीनों की सहायता से वे अपना उत्पादन दुगना कर सकते हैं और साथ ही स्कूटर पर आने वाली लागत को 50 प्रतिशत कम कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जोनल समितियों के परामर्श से यात्री सुविधा निधियों का उपयोग न किया जाना

1371. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 से 1969-70 तक जोनवार यात्री-सुविधा निधियों में कितनी-कितनी राशि दी गई और उनमें से कितनी-कितनी का उपयोग किया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि जोनल समितियों के परामर्श से उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित यात्री-सुविधा निधि नाम से कोई निधि नहीं है । सम्भवत: उनका आशय विकास निधि से है जिससे अन्य बातों के साथ साथ यात्रियों और अन्य रेल उपयोगकत्ताओं के लिए सुविधा के कामों पर होने वाला खर्च किया जाता है । यात्रियों और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा के कामों के लिए आवंटित और उपयोग की गयी रकम संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) सामान्यत: सुविधा कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने से पहले रेल उपयोगकर्ता सुविधा समितियों का परामर्श ले लिया जाता है । परन्तु निधि के उपयोग के लिए ऐसे परामर्श की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काम की प्रगति, सामान की उपलब्धि आदि को देखते

हुए खर्च की व्यवस्था करना रेल प्रशासन के विवेक पर होता है।

विवरण

(लाख रुपये में)

रेलवे	1967-68		1968-69		1969-70	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
मध्य	39	38	26	39	40	90
पूर्व	55	44	46	38	44	57
उत्तर	45	39	29	36	37	59
पूर्वोत्तर	32	29	23	66	21	23
पूर्वोत्तर सीमा	19	23	23	20	19	18
दक्षिण	43	29	20	1,02	21	36
दक्षिण मध्य	33	34	16	32	36	43
दक्षिण पूर्व	62	40	36	24	23	32
पश्चिम	62	38	46	35	41	58
रेलवे बोर्ड	—	—	1,30*	—	1,18	—
जोड़ :	3,90	3,14	3,95	3,92	4,00	4,16

*तीसरे दर्जे के डिब्बों में अधिक आरामदेह बैठने के स्थान की व्यवस्था करने के लिए कम हुई क्षमता को बदलने के लिए अतिरिक्त डिब्बों के लिए व्यवस्था पहले रेलवे बोर्ड के अधीन की जाती है और बाद में उसे उन क्षेत्रीय रेलों को अन्तरित कर दिया जाता है जिन पर इन डिब्बों का उपयोग किया जाना होता है।

होस्पेट और हुबली-मिराज (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1372. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे पर होस्पेट और हुबली मिराज के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और उस पर क्या अनुमानित लागत आयेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) (क) से (ग). होस्पेट-हुबली-मार्मोगाओ, मिरज-लोंडा और अलनावर-डांडेली मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने से सम्बन्धित सर्वेक्षण 1964-65 में किया जा चुका है और लगभग 565 कि० मी० लम्बे इस खण्ड के परिवर्तन पर लगभग 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लेकिन आमान परिवर्तन के लिए इसका औचित्य तभी बनेगा जब इस

लाइन पर अयस्क का संचलन एक लाख मीटरिक टन से अधिक होने लगेगा जिसके लिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त है। फिर भी, लाइन बदलने के इस काम को आमान परिवर्तन से सम्बन्धित रेलवे की उस संदर्शी योजना में शामिल कर लिया गया है जो अगले दस वर्षों की अवधि में या इसके आस-पास क्रियान्वित की जायेगी।

औखा और विरामगाम तथा पोरबन्दर और विरामगाम के बीच मीटर गेज लाइन को बदलना

1373. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औखा और विरामगाम तथा पोरबन्दर और विरामगाम के बीच लगभग 500 किलोमीटर लम्बी मीटर गेज/रेलवे लाइन के बदले जाने पर 44.24 करोड़ रुपये का व्यय होने की संभावना है, जिसे रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). वीरमगाम से ओखा और कानालुस से पोरबन्दर तक सीधे मीटर लाइन मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है जांच पूरी होने के बाद ही आमान परिवर्तन के इस कार्य के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

आमान-परिवर्तन का यह काम इसकी मंजूरी की तारीख से लेकर लगभग पांच वर्षों में पूरा होगा।

(घ) दूसरे देशों में समपारों पर सड़क यातायात की समुचित संरक्षा के साथ उसके रुके रहने का समय कम करने के लिए जो तरीके लागू हैं उनका विस्तृत अध्ययन अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ द्वारा किया गया था और इस विषय पर उन्होंने क्षेत्रीय रेलों के साथ अच्छी तरह विचार विमर्श किया है। इस अध्ययन और इस पर रेल प्रशासनों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर भारतीय रेलों के लिए आधे बैरियरों सहित या उनके बिना स्वचल समपारों की आवश्यकताओं का अध्ययन नामक एक व्यापक प्रलेख तैयार करके रेलों को भेजा गया है।

निर्यात करने वाली रीरोलिंग मिलों को बिलेटों की सप्लाई

1374. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया किस्म के (आफ-ग्रेड) बिलेटों से निर्मित नरम इस्पात की सरियों और शलाखों का निर्यात नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो क्या 28 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7733 के उत्तर में दी गई जानकारी से निर्यातक रीरोलिंग मिलों को बिलेटों की सप्लाई के बारे में गलत धारणा बनती है; और

: (ग) उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए निर्यातक रीरोलिंग मिलों को परीक्षित तथा अपरीक्षित दोनों प्रकार के दिये गये बिलेटों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ऐसे मामलों को छोड़ कर, जहां इसके निर्यात के लिए सरकार ने विशेष अनुमति दी है।

(ख) 2-12-1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (ख) में निर्यातक पुनर्बेलकों को 1969-70 के पहले 6 महीनों में कुल सप्लाई किए गए बिलेटों की मासिक क्रम से सप्लाई के बारे में पूछा गया था, तदनुसार उत्तर में कुल प्रेषण (आफ ग्रेड को मिलाकर) दिये गये थे। जाहिर है कि पुनर्वेलकों ने परीक्षित बिलेटों का उपयोग निर्यात के लिए और विशेष अनुभाग आदि बनाने के लिए किया है और आफ ग्रेड बिलेटों का उपयोग घरेलू खपत के लिए छड़ और गोल छड़ बनाने के लिए किया है।

(ग) निर्यातक पुनर्वेलकों को 1969-70 के पहले 6 महीनों (अप्रैल-सितम्बर, 1969) में परीक्षित और अपरीक्षित किस्म के माल की सप्लाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है। परीक्षित बिलेट निर्यात के लिये तथा विशेष अनुभाग बनाने के लिए सप्लाई किए जाते है :

मास	परीक्षित	आफ ग्रेड	योग
अप्रैल, 1969	24,962	7,128	32,090
मई, 1969	28,021	7,268	35,289
जून, 1969	29,784	7,717	37,501
जुलाई, 1969	31,054	8,910	39,964
अगस्त, 1969	25,833	7,371	33,204
सितम्बर, 1969	25,469	2,996	28,465
	165,123	41,390	206,513

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्हील एण्ड एक्सिल्स (पहिये तथा धुरियां) एकक का उत्पादन

1375. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्हील एण्ड एक्सिल्स एकक के उत्पादन के सम्बन्ध में 3 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पहिये तथा धुरी एकक में जब उत्पादन हो रहा था, उस समय पहियों और धुरियों के वर्षवार आयात सम्बन्धी ब्योरा इस बीच एकत्र कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). पहियों की जोड़ियों, पहियों और धुरियों के आयात के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है जो इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (हजार रुपये)
1962-63	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
1963-64	42,083	4,04,74
1964-65	19,020	2,00,92
1965-66	7,168	99,91
1966-67	7,291	1,33,82
1967-68	2,447	57,78
1968-69	4,330	76,35

इस्पात पर तमिलनाडु सरकार द्वारा रोक

1376. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** इस्पात पर तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाई गई रोक के सम्बन्ध में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2264 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

भिलाई इस्पात कारखाने में चोरी की घटनाएं

1377. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री भिलाई इस्पात कारखाने में हुई चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में 7 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5471 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (ख) से (घ) तक में जो जानकारी मांगी गई थी, वह प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां। अतारांकित प्रश्न संख्या 5471 के, जिसका उत्तर 7 अप्रैल, 1970, को दिया गया था, भाग (ख) से (घ) में पूछी गई सूचना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(ख) 1965 से 1969 के वर्षों में हुई कारखाने की सम्पत्ति की चोरियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	सुरक्षा दल द्वारा रजिस्टर्ड किए गए मामलों की संख्या	चोरी हुए माल का लगभग मूल्य	बरामद हुए माल का लगभग मूल्य
1965	212	45,858.10 रु०	27,837.62 रु०
1966	263	92,162.41 रु०	34,715.20 रु०
1967	368	99,452.05 रु०	32,807.00 रु०
1968	384	2,82,657.55 रु०	58,909.00 रु०
1969	245	92,843.20 रु०	32,989.00 रु०

(ग) और (घ). जब कभी कारखाने का कोई कर्मचारी/सुरक्षा विभाग का सदस्य कारखाने की सम्पत्ति की चोरी के मामले में पकड़ा जाता है उसकी सूचना पुलिस को कानून के अनुसार कार्यवाही करने हेतु दे दी जाती है लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं और प्रायः छोटी मोटी चोरियों के होते हैं। इस बात को देखते हुए मामले की नये सिरे से जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

Payments of Arrears to Upgraded Head Signallers (Northern Railway)

1378. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6257 on the 14th April, 1970 regarding the payment of arrears to the upgraded Head Signallers (Northern Railway) and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The arrears referred to have been paid.

(c) Does not arise.

Officers working against posts carrying additional pecuniary benefits

1379. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2258 on the 10th March, 1970 regarding Officers working against posts carrying additional pecuniary benefits ; and state :

(a) whether the required information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) Details are given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-3843/70]**

(c) Does not arise.

Filling up of posts by persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on various Railways

1380. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1577 on the 12th May, 1970 regarding filling up of posts by persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on various Railways and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). As detailed statistics are required, the information is still being collected and will be laid on the Table of the Sabha, as early as possible.

Reserved Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lying Vacant in North Eastern Railway

1381. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5485 on the 7th April, 1970 regarding reserved posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes lying vacant in the North Eastern Railway and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Please see annexure. **[Placed in Library See No. LT—3844/70.]**

(c) Does not arise.

पोडनपुर सिगनल वर्कशाप का विस्तार

1382. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोडनपुर सिगनल वर्कशाप का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को, इस क्षेत्र के शीघ्रता से होने वाले विकास और रेलवे में दूरसंचार तथा सिगनलिंग व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुये इस प्रकार का विस्तार करने के लिये वहां के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). पोद्दनूर के रेलवे सिगनल कारखाने में अब तक यांत्रिक सिगनल उपस्कर का निर्माण होता था । उसके बदले अब वहां उत्तरोत्तर, आधुनिक बिजली सिगनल उपस्कर के निर्माण का काम शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्वांइट मशीन टोकन रहित ब्लाक उपकरण और एसोसियेटेड रिले का विकास किया जा रहा है । सिगनल मशीन

और संरक्षा सिगनल रिले जैसी अन्य वस्तुओं के विकास का काम निकट भविष्य में प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कोयला उद्योग के लिये माल डिब्बों की कमी

1383. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि कोयला उद्योग के लिये माल डिब्बों की अत्यधिक कमी के कारण कोयला खानों के बाहर बहुत अधिक कोयला जमा हो गया है तथा कई कोयला खानों ने अपना उत्पादन कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो माल डिब्बों की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी की पूर्ति के लिये सरकार ने यदि कोई कदम उठाये हैं तो वे क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) कोयले के लदान के लिये विशेष रूप से पश्चिम बंगाल—बिहार कोयला क्षेत्रों से माल डिब्बों की कमी के सम्बन्ध में कुछ प्रेस रिपोर्टें नोटिस में आयीं हैं ।

(ख) मांग और लदान की विस्तृत छान बीन से पता चला है कि चालू वर्ष के लदान में गिरावट, माल डिब्बों की कमी की अपेक्षा मुख्यत: उपभोक्ता की मांग में कमी होने के कारण आई है । इस्पात संयंत्र और धुलाई कारखानों की मांगों में गिरावट बिल्कुल स्पष्ट है । अन्य उपभोक्ताओं जैसे रेल इन्जन के लिये कोयला और ईंट पकाने के उद्योग के लिये कोयले की मांग में भी कमी हुई है ।

(ग) इस्पात संयंत्र और सफाई कारखाने के लिये कोककर (कोकिंग) कोयले के सम्बन्ध में, इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय द्वारा कुछ उपाय किये जा रहे हैं । अन्य अकोककर (नान कोकिंग) कोयले के बारे में, कोयले के लिये अधिक मांग बढ़ाने की बात है । इसके संचलन के लिये परिवहन की व्यवस्था करने में रेलों को सामान्यत: कोई कठिनाई नहीं होगी । हड़तालों और कानून और व्यवस्था की स्थिति में आम गिरावट के कारण पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से कोयले के लदान को हाल में बड़ा धक्का लगा है । तदपि सामान्य स्थिति के फिर से होने पर स्थिति में सुधार की सम्भावना है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं के लिये चल-बुकिंग सेवा आरम्भ करना

1384. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं के लिये आरम्भ की गई चल-बुकिंग सेवा सफल सिद्ध हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलों को इस प्रकार की सेवा आरम्भ करने की सलाह दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रीय रेलों ने इस सेवा को अपनाया है और किन्होंने इसे नहीं अपनाया है और इसे न अपनाने के क्या कारण बताये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, दक्षिण-पूर्व रेलवे ने दिसम्बर, 1966 में कलकत्ता क्षेत्र में चल बुकिंग सेवा शुरू की थी और वह सफल सिद्ध हुई है ।

(ख) अन्य क्षेत्रीय रेलों से कहा गया था कि वे इसी तरह की सेवाएं शुरू करने की वांछनीयता पर विचार करें ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) पूर्व और दक्षिण रेलों द्वारा कलकत्ता और मद्रास क्षेत्रों में यह योजना शुरू भी की जा चुकी है । पश्चिम रेलवे भी शीघ्र ही बम्बई में यह योजना शुरू कर रही है ।

बाकी क्षेत्रीय रेलों ने अपने यहां इस योजना को चालू करने का पर्याप्त औचित्य नहीं समझा ।

बोकारो इस्पात कारखाने के तकनीकी कर्मचारी

1385. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य में लगे हुए भारतीय तथा रूसी तकनीकी कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) सोवियत तकनीशियन कब से काम कर रहे हैं ;

(ग) सोवियत एवं भारत के तकनीकी कर्मचारियों पर, पृथक-पृथक औसत मासिक व्यय कितना होता है ; और

(घ) उक्त इस्पात कारखाने के निर्माण में भारत में बनाई गई मशीनरी एवं अन्य सामग्री की तुलना में सोवियत संघ में बनाई गई मशीनरी एवं अन्य सामग्री पर कुल कितना व्यय हुआ ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ). आवश्यक सूचना बोकारो स्टील लि० और हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कन्सट्रक्शन लि० से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नये इस्पात कारखाने के लिये उपकरणों का उत्पादन

1386. **श्रीमती इलापाल चौधरी** :
श्री एम० नारायण रेड्डी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होसपेट, सेलम तथा विशाखापत्तनम में स्थापित किये जाने

वाले तीन नए इस्पात कारखानों के निर्माण में पूर्णरूप से भारत में बनाए गये उपकरणों का ही उपयोग किया जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत पुर्जों का आयात किया जाना होगा ;

(ग) आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं का ब्योरा क्या है तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) इस्पात कारखाने के भागों के निर्माण में भारत कब तक आत्मनिर्भर होगा ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). नए इस्पात कारखानों के लिये अधिकतर साज-सामान देश से ही लिया जायेगा। यह साज-सामान सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों से लिया जायेगा। आयात किये जाने वाले संघटकों के बारे में तभी पता चल सकेगा जब विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन जिसमें अपेक्षित साज सामान के ब्योरे दर्ज होंगे, तैयार हो जायेगा।

(घ) जबकि इस्पात कारखानों के लिये अधिकांश साज-सामान उत्तरोत्तर देश में ही उपलब्ध होने लगेगा, इसमें पूरी तरह आत्मनिर्भर होना, जिसमें बाहर से कुछ भी न मंगवाना पड़े न तो सम्भव है और न मितव्ययिता की दृष्टि से वांछनीय ही है। और समृद्ध देशों ने भी इसके लिये प्रयत्न नहीं किया है।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

1387. **श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशी तथा आयातित दोनों प्रकार के उपकरणों तथा गलन-रोधी उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब होने के कारण भिलाई इस्पात कारखाने के 35,00,000 मीट्रिक टन से 42 लाख मीट्रिक टन तक के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम को तथा सितम्बर, 1970 में चालू होने वाली छोटी भट्ठी को स्थगित करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के सम्बन्ध में पूरे तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). सरकार ने भिलाई इस्पात कारखाने की 25 लाख टन की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का 42 लाख टन तक विस्तार करने की अभी अनुमति नहीं दी है यद्यपि इस प्रस्ताव पर विचार लगभग पूरा हो चुका है।

छठी धमन भट्ठी लगाने के काम में मुख्यतः देशीय स्रोतों से साज-सामान की प्राप्ति में विलम्ब के कारण देरी हुई है। मुख्यत: साज-सामान कोक भट्ठियों, धमन भट्ठियों कच्चा लोहा ढालने की मशीनों और सिन्टिंग संयंत्र के लिये है। साज-सामान की आपूर्ति में शीघ्रता करने के लिये देशीय संभरकों-हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन और माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी

कारपोरेशन के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं, और लगातार पुनरावलोकन किया जाता है। शीघ्र सप्लाई करने के लिये दूसरे प्राधिकारियों के साथ भी बैठकें की गई हैं और रूस से अधिकां श उपकरण और उष्मसह आ गए हैं।

रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले बच्चों के लिये आधे टिकट की व्यवस्था को समाप्त करना

1388. **श्री अदिचन :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामावतार शर्मा : **श्री ओंकार सिंह :**
श्री शारदानन्द : **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों पर बच्चों के लिए आधे टिकटों की व्यवस्था को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का सही स्वरूप क्या है तथा इसे समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). हाल में इस आशय का एक सुझाव मिला है कि इस समय तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की रेल यात्रा के लिए कोई किराया न लेने और तीन वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधा टिकट लेने की जो व्यवस्था है, उसकी बजाय 7½ वर्ष तक की आयु के बच्चों से कोई किराया न लेने और उससे अधिक आयु वालों से पूरा किराया लेने की व्यवस्था शुरू की जाय। इस सुझाव की अभी जांच की जा रही है और किसी ठोस प्रस्ताव को अभी तक कोई पक्का रूप नहीं दिया गया है।

छोटे उद्योगों के लिये लाइसेन्स जारी करना

1389. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तामिल-नाडु के नवीनतम निर्णय की ओर आकर्षित हुआ है कि राज्य के छोटे उद्योगों को लाइसेन्स देने में पन्द्रह दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए ;

(ख) लघु उद्योग मण्डल/विकास आयोग द्वारा इस प्रकार लाइसेन्स देने की कौन सी प्रणाली इस समय केन्द्रीय सरकार में प्रचलित है ; और

(ग) तामिलनाडु सरकार के इस निर्णय के संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). लघु उद्योगों के लिए लाइसेन्स जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न लघु उद्योग मण्डल तथा न विकास आयुक्त द्वारा इस प्रकार के लाइसेन्स जारी किये जाते हैं। तमिलनाडु सरकार से उसके ऊपर लिखे निर्णय के बारे में सूचना मांगी गई है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेलवे को धन का नियतन

1390. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :**

श्री रवि राय :

श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चौथी योजना के लिये योजना के रूप में 250 करोड़ रुपये की मांग की है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में असमर्थता व्यक्त कर दी है कि जब तक उसे यह धन नहीं दिया जायेगा तब तक वह न ही नई रेलवे लाइनें चालू कर सकेगा और न ही छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यह संकेत दिया गया है कि सामान्य राजस्व से 250 करोड़ रुपये की रकम की आवश्यकता मुख्यत: इस बात के लिये पड़ेगी ताकि रेलें 1525 करोड़ रुपये की योजना जैसा कि अभी बनाई गई है, के कार्यान्वयन के लिये अपने साधनों के अन्तर को पूरा कर सके । लेकिन इस मामले में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं । लेकिन उपलब्ध निधि से स्वभावत: नई रेलवे लाइनों का निर्माण और आमान परिवर्तन भी किया जायेगा ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

आगामी आम चुनावों के लिए चुनाव चिह्नों में परिवर्तन

1391. **श्री न० र० देवघरे : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी आम चुनावों हेतु विभिन्न दलों को नियत चुनाव चिह्नों में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चिह्नों के आरक्षण और आवंटन तथा इससे सम्बन्धित मामले चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं । चिह्नों को राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों के उम्मीदवारों को ही आरक्षित किया जाता है जब तक कि दल समाप्त नहीं हो जाता अथवा यह दल स्वयं अन्य चिह्न की मांग नहीं करते अथवा दल में फूट अथवा आन्तरिक झगड़े के कारण उसका परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है ।

अक्तूबर, 1970 से नई ट्रेनें चालू करने की योजना

1392. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अक्तूबर, 1970 से नई ट्रेनें चालू करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्योरा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). 2 अक्तूबर, 1970 से नई गाड़ियां चलाने की कोई योजना नहीं है । नयी शीतकालीन समय सारणी 1 अक्तूबर, 1970 से लागू होती हैं । जो भी अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जाने वाली हैं, ये सभी 1 अक्तूबर, 1970 से चलेंगी । प्रत्येक समय सारणी में हम लोग नयी गाड़ियां चालू करते हैं या वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाते हैं जो साधनों की उपलब्धता या मांगों की किस्म पर निर्भर करता है । इस समय सारणी में भी हम ऐसा करने की आशा क रते हैं, लेकिन इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

रेलवे के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1393. **श्री न० र० देवघरे :**

श्री भोलानाथ मास्टर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे के सम्बन्ध में आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रेलवे पर अपनी रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने 49 सिफारिशें की हैं लेकिन उन्हें मुख्य और सहायक कोटियों के रूप में नहीं रखा है । फिर भी, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में पहले से रखी हैं ।

(ख) अभी नहीं । इन सिफारिशों की जांच विभिन्न चरणों में की जा रही है ।

तकनीकी जानकारी के आयात वाले विदेशी सहयोग पर प्रतिबन्ध

1394. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी जानकारी के आयात वाले विदेशी सहयोग पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिबन्धों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इन प्रतिबन्धों के कारण सहयोग समझौते रुके पड़े हैं ;

(घ) क्या सरकार को तकनीकी जानकारी रखने वाली किसी भारतीय फर्म से उम्मीद है कि वह नई प्रतियोगी फर्मों को तकनीकी जानकारी देगी ; और

(ङ) वास्तविकता पूर्ण नीतियों का निर्धारण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे प्रतिबन्धात्मक नियमों के कारण नये उद्योगों की स्थापना को ठेस न पहुंचे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). भारत में आने वाली तकनीकी जानकारी तथा पूंजी के प्रश्न पर सरकार की समग्र आर्थिक नीतियों तथा भारत में हो चुके प्रौद्योगिक विकास के संदर्भ में विचार करना होता है। सरकार निरन्तर ही विदेशी तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग की आवश्यकता और महत्व का, विशेषकर निर्माण के जटिल क्षेत्रों में, ध्यान रखती है। यद्यपि, सरकार की मूलभूत नीति वही रहती है, फिर भी देश में स्थापित हो चुके दृढ़ औद्योगिक आधार तथा हमारे अपने निर्मित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ पुनर्नवीकरण भी किया गया है। परिणामस्वरूप, विदेशी सहयोग वाले आवेदन पत्रों को स्वीकृति करने के प्रकरणों में अधिक सावधानी बरती जा रही है। यथा शीघ्र भारतीय एककों द्वारा ऐसी जानकारी को ग्रहण करने तथा भारतीय उत्पादनकर्ता एककों द्वारा पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के सुनिश्चय के लिये सामान्यत: आजकल तकनीकी सहयोग के करार उत्पादन प्रारम्भ करने से 5 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति किये जाते हैं। यथा संभव इस बात का भी सुनिश्चय किया जाता है कि सहयोग करारों से निर्मित उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध न लगे और यदि आवश्यक हो तो सभी सम्बन्धितों द्वारा पारस्परिक सहमति की शर्तों पर, विदेशी सहयोगियों तथा सरकार के अनुमोदन के अधीन करारों में अन्य भारतीय कम्पनी को जानकारी देने की अनुमति की व्यवस्था होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उसी या उसी प्रकार के उत्पादों के लिये तकनीकी जानकारी के बार-बार आयात को रोकने की दृष्टि से, सरकार अवश्य आशा करती है कि अधिष्ठापित एकक जिनके पास अपेक्षित जानकारी है, उप लाइसेंसिंग आधार पर, पारस्परिक सहमति की शर्तों पर तथा सरकार के अनुमोदन के अधीन उस जानकारी को नये उद्यमियों को बांटे।

(ङ) विदेशी प्रौद्योगिक को देश में मंगाने के सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न कदम उठाये जा चुके हैं। विदेशी विनियोजन बोर्ड के गठन हो जाने तथा विदेशी सहयोग के लिये सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रकाशन से विदेशी विनियोजन / सहयोग के लिये आये आवेदन पत्रों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जा रहा है। विदेशी सहयोगियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं तथा प्रोत्साहन पहले से ही प्राप्त हैं। इन सुविधाओं में आते हैं :—देश में एक बार आई हुई विदेशी पंजी के प्रति कोई भेदभाव न बरतना, लाभों, लाभांशों, रोयल्टी तथा तकनीकी जानकारी की फीस आदि को प्रेषित करने में स्वतंत्रता करारोपण से बचाना, आय को दोहरे कराधान से बचाना तथा लाभांशों, रोयल्टी और जानकारी की फीस पर कराधान के मामले में विदेशी कम्पनियों और विनियोजकों को छूट देकर विभिन्न रूप से सहायता पहुंचाना, तकनीशियनों को आयकर में छूट देकर आदि।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

1395. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत, कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिये लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था पहले समाप्त कर दी गई थी परन्तु अब फिर लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ; और

(ग) उन उद्योगों के विकास पर इसका क्या असर पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच आयोग की सिफारिशों तथा कुछ ही व्यावसायिक समूहों के हाथ में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि कुछ विशिष्ट उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दिए जाने की बजाय यह छूट किसी उपक्रम में किये जाने वाले विनियोजन के परिमाण पर आधारित हो और यह तभी उपलब्ध हो जबकि वह उपक्रम किसी बड़े औद्योगिक समूह विदेशी कम्पनी अथवा प्रमुख उपक्रम से सम्बन्धित अथवा नियन्त्रित न्हीं, और साथ में यह शर्त भी पूरी हो कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता किसी परिभाषित सीमा के अन्दर हो। इसके अनुसार ऐसे उद्योग जिन्हें पहले लाइसेंस प्राप्त करने से छूट थी अब फिर लाइसेंसीकरण के अधीन हो गये हैं ; और साथ ही ऐसे उपक्रमों, जिनकी भूमि भवन, संयंत्र तथा मशीनों के रूप में अचल आस्तियां 1 करोड़ रु०. तक है, को लाइसेंसीकरण से कुछ शर्तों के अधीन मुक्त कर दिया गया है बशर्ते वे उपरोक्त तीनों श्रेणियों से सम्बन्धित अथवा नियन्त्रित नहीं। इस प्रकार की उदारता से ऐसे उद्योगों, जिन्हें पहले लाइसेंसीकरण से छट प्राप्त थी के काफी एकक अब भी लाइसेंसीकरण से मुक्त रहेंगे और उनकी स्थापना बिना लाइसेंस के की जा सकती है।

दिल्ली के कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय के कर्मचारी

1396. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कर्मचारी आवश्यकता से कम हैं और विशेषकर नई कम्पनियों के अनुच्छेदों की जांच करने वाले अनुभाग के अधिकारियों पर काम भार बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो नई कम्पनियों के निर्माण में शीघ्रता लाने के लिये, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). यह तथ्य, कि कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कर्मचारी वर्ग की न्यूनता थी, इस विभाग के नोटिस में लाया गया था,

व इसने आन्तरिक कार्य अध्ययन पार्टी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय के लिये कुछ पदों की स्वीकृति दी थी। इस कार्य को पूरा करने के लिये कुछ आन्तरिक कर्मचारी वर्ग की व्यवस्थापनायें भी की गई थीं।

श्रमिकों द्वारा उत्पादन और स्टैन्डर्ड मोटर कार के मूल्य

1397. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिकों के वेतन में वृद्धि और मजदूरों की 'धीरे काम करो' नीति के कारण स्टैन्डर्ड मोटरकार के मूल्य में 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है और यदि नहीं, तो क्या कारखाने के सामान्य वर्गों के मजदूरों के श्रमभार एवं उनकी मजदूरी और मद्रास के अन्य उद्योगों के श्रमिकों को मजदूरी एवं श्रमभार की तुलनात्मक जांच की जायेगी ;

(ख) क्या जो जांच आयोग पहले से ही कार्य कर रहा है, उसको इस कारखाने के श्रमिकों के श्रमभार एवं मजदूरी को ब्रिटेन के मूल कारखाने के श्रमिकों के श्रमभार एवं मजदूरी से सम्बद्ध करने के लिये कहा जायेगा और यदि नहीं, तो मजदूरों की मांग की कैसे परीक्षा की जा सकती है ; और

(ग) यदि सरकार इस कारखाने को अपने हाथ में लेती है, तो क्या वह अपनी उत्पादन लागत के बारे में विचार करेगी और प्रकाश में लायेगी और बतायेगी कि वह किस तरह वर्तमान प्रबन्धकों की अपेक्षा कम होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). यह ज्ञात नहीं है कि स्टैन्डर्ड कार के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि तथा श्रमिकों के झगड़ों के कारण हुई है और किस सीमा तक हुई है। तथापि हाल ही में नियुक्त किये गये जांच करने वाले निकाय से कह दिया गया है कि वह उन परिस्थितियों की पूरी-पूरी जांच करें जिनके कारण स्टैन्डर्ड कार बनाने वाले कारखाने को बन्द करना पड़ा था।

(ग) सरकार ने अभी तक कारखाने को लेने के प्रश्न पर विचार नहीं किया है।

मंगलौर-हसन रेलवे लाइन पर रेलवे पुलों और रेलवे पुलियों पर पैदल पथ

1398. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री दक्षिण कनारा जिले में मंगलौर-हसन रेलवे लाइन पर रेलवे पुलों और रेलवे पुलियों पर पैदल पथ के बारे में 19 मई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब पहरेदार न हों, तो पुलों का प्रयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा में कैसे सुधार लाया जा सकता है ;

(ख) कितने गर्डर पुल हैं और आवश्यक गर्डरों में कितने प्रतिशत का निर्माण किया जा चुका है ; क्या निर्माण किये गये गर्डरों का अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है, यदि हां,

तो पैदल पथ को मजबूत करने के लिये, मंगलौर-हसन रेलवे लाइन में आवश्यक गर्डरों की अतिरिक्त लागत क्या होगी ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पैदलपथ द्वारा यात्री अपने सामान सहित सुविधा से रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं, रेलवे विभाग यह कैसे समझता है कि 4 लाख रुपये का परिव्यय अलाभकर है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का यह विचार है कि व्यय करने का पर्याप्त लाभ नहीं है और इसीलिये क्या राज्य सरकारों से यह पूछने का विचार है कि क्या वे खर्च में सहयोग देने के लिये तैयार हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जिन पुलों पर पैदल पथ नहीं हैं, उन्हें उपयोग करने की जनता को अनुमति नहीं है। यदि कोई अतिक्रमण करने वाला फिर भी पुल पार करता है तो अपनी जोखिम पर।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) रेलवे पुलों पर जनता के लिये पैदल पथों की व्यवस्था करना रेलों की सामान्य नीति नहीं है।

(घ) यदि किन्हीं पुल विशेष के लिये राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हो तो उस पर यथोचित विचार किया जायेगा।

दक्षिण कनारा टाइल उद्योग में संकट

1399. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कनारा जिले में उन टाइल कारखानों की संख्या क्या है, जिनमें पिछले मौसम में काम नहीं हुआ और इनमें से उन कारखानों की संख्या क्या है जो भविष्य निधि की राशि जमा न कराने के कारण किये गये अभिग्रहण के कारण बन्द हो गई ;

(ख) पिछले मौसम में अपनी क्षमता से कम काम करने वाले कारखानों की संख्या क्या है ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि टाइलों की मांग अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, क्या मंत्रालय ने ग्रामीण आवास के लिये ऋण और अनुदान की व्यवस्था करने के प्रश्न पर वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार के साथ चर्चा की है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) चूंकि छोटे कारखानों की खराब स्थिति बड़े कारखानों के व्यापार नाम और वित्तीय व्यवस्था के कारण है, क्या उनका मंत्रालय टाइल बोर्ड अथवा टाइल विपणन सहकारी समिति के गठन की सम्भावना की जांच करने का आदेश देगी ; और

(ङ) कारखानों के बन्द होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी, जब तक उद्योग पुनर्जीवित न हो जाये क्या सरकार तब तक के लिये टाइल उद्योग को भविष्य निधि अंशदानों से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) चतुर्थ योजना काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई सभी सामाजिक आवास योजना राज्य क्षेत्र में विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई हैं और केन्द्रीय सहायता विकास की मदों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध किये बिना 'मुश्त ऋणों' और 'मुश्त अनुदानों' के रूप में दी जाती है । राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जिनमें ग्रामीण आवास का कार्यक्रम भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों द्वारा धन का आवंटन उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है । स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय (निर्माण और शहरी विकास विभाग) को, जो ग्रामीण आवास के लिये धन की व्यवस्था करता है, ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जिससे वह अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर राज्यों से बातचीत कर पाती । यद्यपि उसने समय समय पर राज्य सरकारों पर जोर दिया है कि वे ग्रामीण आवास के अन्तर्गत अपना परिव्यय बढ़ा दें ।

(घ) और (ङ). जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझा जाएगा, इस विषय की जांच की जाएगी ।

बम्बई-मंगलौर तटीय रेलवे लाइन का तेजी से सर्वेक्षण करने की मांग

1400. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-मंगलौर तटीय रेलवे के सर्वेक्षण के लिये 18 महीनों की अवधि की क्या आवश्कता है जब कि यह सूचना मिली है कि हमारे इन्जीनियरों ने ईरान में 400 किलो मीटर रेलवे लाइन का दो महीनों में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया था तथा उसका प्रतिवेदन आम चुनावों से पहले ही एक वर्ष में क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा सकता ;

(ख) ऐसी हिदायतें देने के क्या कारण हैं कि लाइन तट के इतनी निकट रखी जाये कि जितने तक वह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो और उसे किसी भी हालत में घाट के समुद्र की तरफ के किनारों पर रखा जाये ;

(ग) क्या लाइन की आर्थिक सम्भावनाओं का उचित मूल्यांकन करने के लिये सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों को हिदायत हो जायेगी कि वे इस मार्ग के सम्बन्ध में वाणिज्य मंडलों की सलाह लें ;

(घ) क्या आर्थिक व्यवहार्यता का निर्णय करते समय सर्वेक्षकों से कहा जायेगा कि वे इस बात पर विचार करें कि लाइन को बम्बई से आरम्भ करें अथवा मंगलौर से; और

(ङ) क्या यह सच है कि मंगलौर से उदीपी तक सर्वेक्षण किया जा चुका है ; और यदि हां, तो क्या इसका उचित उपयोग किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सम्भवत: प्रश्न का सम्बन्ध भारतीय दल के रेल अधिकारियों द्वारा ईराक में अभी हाल में किये गये अध्ययन से है । यह अध्ययन उस देश के समतल भूभाग में तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन के रूप में 4 महीने में किया गया था । लेकिन आप्टा (बम्बई के निकट) मंगलूर नई लाइन का 800 कि० मी० लम्बे भाग पर

इंजीनियरी टोह सर्वेक्षण के साथ-साथ एक ब्योरेवार यातायात सर्वेक्षण करना है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण सर्वेक्षण कार्य का मौसम भी सीमित है। अतएव इस नई लाइन के सर्वेक्षण की अवधि लम्बी है और इस कार्य को एक बर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता।

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि यह नई लाइन तटीय क्षेत्रों की सेवा करेगी। सर्वेक्षण के समय अति किफायती संरेखण का कार्य विभिन्न संरेखण सम्बन्धी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(ग) यातायात सर्वेक्षण के समय राज्य सरकार और अन्य प्रमुख निकायों से परामर्श करने के बाद, सदैव ही उस क्षेत्र के यातायात के सम्भावनाओं का ब्योरेवार अनुमान लगाया जाता है। इस विषय में किसी विशेष अनुदेश की आवश्यकता नहीं है।

(घ) उभयसिरों से निर्माण सम्बन्धी इस लाइन के आर्थिक पक्ष पर तब विचार किया जायेगा जब इस बात का निर्धारण किया जायेगा कि यातायात की दृष्टि से किन-किन क्षेत्रों की यह लाइन सेवा करेगी।

(ङ) मंगलूर से उदीपी तक एक नई लाइन के लिये 1927-28 में सर्वेक्षण किया गया था। वर्तमान सर्वेक्षण के समय उन सर्वेक्षणों के आंकड़ों का उपयोग किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति दिये जाने का समाचार।"

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : श्रीमान्, जैसा कि सदन को मालूम ही है, उत्तर प्रदेश में चीनी-उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह विचार रहा है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केवल केन्द्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विचार किया और मेरे पूर्वाधिकारी श्री जगजीवन राम ने दिसम्बर, 1969 अधिवेशन में सदन को बताया था कि केन्द्रीय सरकार को मिले कानूनी परामर्श के अनुसार राज्य विधान सभा भी चीनी मिलों का अभिग्रहण करने के बारे में कानून बनाने में सक्षम थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस स्थिति से अवगत किया गया था।

तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार को मिले कानूनी परामर्श के आधार पर उनकी यह धारणा थी कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के प्रयोजन के लिए चीनी कारखानों का अभिग्रहण करना राज्य विधान सभा के अधिकार में नहीं होगा, भले ही ऐसे कानून पर राष्ट्रपति की अनुमति

प्राप्त हो जाए। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की पुनः जांच की है और पुनः यह सलाह दी है कि संसद तथा राज्य विधान सभा ऐसे कानून बनाने के लिए सक्षम है जिसमें चीनी प्रतिष्ठानों का अभिग्रहण करने और राज्य द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों का कारोबार चलाने की व्यवस्था हो। यदि राज्य विधान सभा द्वारा ऐसा कानून पारित किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की मन्त्रणा और उनकी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अभिग्रहण करने के बाद भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को तदनुसार सूचित किया जा रहा है।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या को अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाने के लिए पूर्णतया जागरूक है और जैसा कि श्री जगजीवन राम ने इस सदन को बताया था, देश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में चीनी उद्योग के कार्यकरण की बारीकी से जांच करने और उसकी समस्याओं जिसमें त्रस्त मिलों की समस्या भी शामिल है, को कैसे सुलझाना चाहिये, के लिए एक समिति स्थापित की जा रही है। यह जांच शीघ्र ही शुरू किए जाने का विचार है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने के चार दिन पश्चात् ही एक वक्तव्य दिया था कि वह चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। अब जबकि केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को इस विषय में खुली छूट दे दी गयी है और महान्यायवादी का भी यही विचार है कि केन्द्र द्वारा विशेष शक्तियां दिये जाने के अभाव में भी राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही करने के लिये सक्षम है तो अब इसके उपरांत भी, अन्तिम निर्णय लेने के बजाय मुख्य मंत्री ने मामले को महाधिवक्ता के परामर्श के लिये भेजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतया मुख्यमंत्री को महान्यायवादी की योग्यता तथा परामर्श पर विश्वास नहीं है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा रहा है। समाचार-पत्रों से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि इसके साथ-साथ भारतीय क्रांतिदल के कुछ मंत्रियों ने विशेषतया कृषि मंत्री ने राज्य सरकार को कोई शीघ्रगामी कार्यवाही करने के प्रति सचेत किया है। कृषि मंत्री के विचार से मिल मालिक सरकार को दीर्घकाल तक मुकदमेबाजी में उलझा सकते हैं, इसी लिये उन्होंने सोच विचार कर कार्यवाही करने का परामर्श दिया है। यदि सरकार निहित स्वार्थों की मुकदमेंबाजी से डरेगी तब तो किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता। यदि केन्द्र को भी ऐसा ही भय रहा होता तो चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता था। केन्द्र सरकार इस तथ्य से परिचित थी कि कुछ प्रतिक्रियावादी मामले को उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय में ले जायेंगे। ऐसा ही हुआ भी और जब इस राष्ट्रीयकरण को अवैध घोषित कर दिया गया तब फिर एक विधेयक पारित किया गया जिसके अन्तर्गत चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और प्रतिक्रियावादी जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते थे, आज वही बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। संभवतया मुख्यमंत्री निहित स्वार्थों से प्रभावित होकर इस निर्णय को बदलना चाहते हैं। मुख्य मंत्री को भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी का परामर्श मानकर राष्ट्रीयकरण के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। उन्हें मुकदमेबाजी से नहीं डरना चाहिये। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

कर के गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये क्योंकि मिल मालिकों द्वारा उनका तथा चीनी मिलों में लगे अनेक मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री श्री गेंदा सिंह ने त्यागपत्र देते हुये कहा है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये तो मैं नक्सलवादी भी बन सकता हूं। वहां समिति में श्री पृथ्वी नाथ जैसे कुछ सदस्य हैं जिन्हें चीनी मिल मालिकों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है।

Shri Raghubir Singh Shastri (Baghpat) : Mr. Speaker, the Hon. Member is mentioning the name of certain persons who are not present here to defend themselves.

अध्यक्ष महोहय : उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं।

Shri Raghubir Singh Shastri : He has mentioned the names of Shri Prithvi Nath Seth, Shri Genda Singh and Shri Charan Singh. He has also made certain allegations.

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री बनर्जी ने कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाये हैं तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। श्री बनर्जी, आपने कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाये हैं·····**(व्यवधान)**

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम लिया है तथा वहां के कृषि मंत्री का नाम लिया है·····**(व्यवधान)**

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यहां पर राज्य सरकार की कार्यवाही पर चर्चा की जायगी।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले भारत सरकार के किसी निर्णय के प्रति लोक महत्व का प्रश्न उठाया गया है, उसी पर यहां चर्चा हो रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या महान्यायवादी के परामर्श के आधार पर चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के मामले में स्पष्ट निर्देश दिया जायगा। उन्हें इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिये कि उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय में क्या होगा। यदि न्यायपालिका द्वारा कोई विपरीत निर्णय दिया गया तो भी हम उसका समाधान करना जानते हैं। कृपया मंत्री महोदय यह बताएं कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा और क्या अन्य चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये भी शीघ्र ही कोई निर्णय किया जायगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The Food and agriculture Minister here should clarify in his reply the opinions of the Secretary and Joint Secretary of the Law Minister. He should also clarify the advice given by the Attorney General, and whether the Attorney General is of the view that the Supreme Court may not coincide to his views ? Beside this, it should also be made clear, why the subject dealt with by the Centre is being imposed on the State Government for implementation ? Why the Central Government is not having the resposibility on herself for Nationalizing sugar industry in the country as a whole and why the sugar industry is being nationalized only in one State.

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : Sugar Industry in the whole of India should immediately be nationalized.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय इस विभाग के मुझ से पहले मंत्री महोदय द्वारा संसद के गतसत्र में बता दिया गया था। वह निर्णय यह था कि

सरकार ने राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में चीनी मिलों की कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिये एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। हम उसी निर्णय पर अडिग हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य सरकार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिये सक्षम है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के कानूनी विशेषज्ञों की विचारधारा में मतभेद है। हमने हाल ही में केन्द्रीय सरकार के उच्चतम कानूनी अधिकारी से उनकी राय मालूम की है और इस विचारधारा को राज्य सरकार को भेजा जा रहा है और इसके अनुकूल कार्यवाही करने के लिये कहा जा रहा है।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह पूरे देश के लिये ऐसा कदम उठा सकती है केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही ऐसा नहीं कर सकती। उस उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की जा रही और समिति का प्रतिवेदन मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जहां तक कानूनी राय का सम्बन्ध है, इसे हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं। निर्देश देने का प्रश्न तभी उठता है जब सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे दे। जहां तक हमारे द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, हम उसी समय कार्यवाही कर सकते हैं जब हमें जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाय।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : खेद का विषय है कि राष्ट्रीयकरण किसी आर्थिक उद्देश्य के स्थान पर राजनैतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव में अपनी गिरती हुई स्थिति संभालने के लिये राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया है। यह राजनैतिक रूप से भी अनैतिक है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि एक जांच समिति बनाई जा रही है, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। अब तक यह समिति बना दी जानी चाहिये थी।

दूसरे जांच समिति के प्रतिवेदन को प्रतीक्षा करने के स्थान पर भारत सरकार को राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को शीघ्र ही निर्देश देना चाहिये था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार को 60 से 100 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में देनी होगी। इस राशि को मिलों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिये ऋण दे कर उत्तम ढंग से काम में लाना चाहिये। इस आशय की सिफारिशें राव समिति तथा विशेषज्ञों द्वारा भी की गई हैं।

इनमें से कुछ मिलों की मशीनें तो काफी पुरानी हैं। इन मिलों की स्थिति अच्छी नहीं है और आजकल यह भारी घाटे में जा रही हैं। यदि इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ले लेती है तो मैं इससे होने वाले परिणामों की कल्पना से चौंक उठता हूं। इसका परिणाम यह होगा कि नौकरशाही का बोलबाला होगा और कार्यकुशलता घटेगी। केन्द्रीय सरकार तो अपने सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। वह भला राज्य सरकार के क्षेत्रों को कैसे संभाल पायेगी? इसके परिणाम स्वरूप हानि में और कई गुणा वृद्धि होगी। इससे सबसे बड़ी हानि यह होगी कि गन्ने का उत्पादन करने वाले को किसी प्रकार का लाभ तो होगा नहीं अपितु उसकी कठिनाई और बढ़ेगी।

इसीलिये मैं केवल यही कहना चाहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीधे तथा स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिये कि किसी भी अखिल भारतीय उद्योग का राष्ट्रीयकरण कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती, चाहे वह उद्योग उसी के राज्य में ही क्यों न हो। आप जरा यह सोचिये कि यदि कल की कोई प्रतिक्रियावादी सरकार केरल या पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ हो जाती है, तो क्या होगा। हमारा विचार है कि राष्ट्रीयकरण केवल देश या राष्ट्र के आधार पर ही किया जाये और यह शक्ति केवल केन्द्रीय सरकार तक ही सीमित रहनी चाहिये।

अब हुआ क्या है ? राष्ट्रीयकरण के डर से चीनी मिलों के विस्तार पर, उनके आधुनिकीकरण और आवश्यक मरम्मत आदि पर कोई धनराशि खर्च नहीं की जा रही है। इसका प्रभाव उत्पादन क्षमता पर भी पड़ेगा और गन्ने का उत्पादन करने वालों पर भी। इसी सम्बन्ध में मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। महान्यायवादी को विधि सम्बन्धी राय को जितना महत्व दिया जाता था, वह भी अब दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। यह एक गम्भीर विषय है और हमें इस पर विचार करना चाहिये। यदि महान्यायवादी का मत भी राजनीतिक नेताओं की इच्छाओं से प्रभावित हो तो फिर भला उसके मत की क्या पवित्रता रहेगी ? संघ सूची की प्रविष्टि 52 और 51 से मालूम होता है कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त है। इस सम्बन्ध में महान्ययवादी का निर्णय ठीक नहीं लगता। मैं पूछता हूं कि चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो जांच समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव था, वह अभी तक क्यों नियुक्त नहीं की गई है ? क्या यह समिति इस बात की जांच भी करेगी कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना कहां तक जनहित में होगा ?

दूसरी बात यह कि क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध करेगी कि वह चीनी के राष्ट्रीयकरण का विचार त्याग दें क्योंकि यह न तो देश के हित में है और न ही जनता के। क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से यह पूछेगी कि वह इसके लिये अपेक्षित 60 करोड़ से 100 करोड़ रुपये की धनराशि कैसे जुटायेगी ? चीनी के राष्ट्रीयकरण के बारे में और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार की क्या नीति है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि नियन्त्रण, विनियमन और अर्जन में अन्तर होता है। जहां तक अर्जन का प्रश्न है, विधिवेत्ताओं के अनुसार उसके लिये राज्य तथा केन्द्र दोनों ही सरकारें विधान बना सकती हैं। परन्तु नियन्त्रण और विनियमन विधान बनाने का अधिकार केवल केन्द्र को ही प्राप्त है। इसीलिये श्री जगजीवनराम ने चीनी उद्योग का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने की घोषणा की थी। मुझे आशा है कि कुछ ही दिनों में यह समिति नियुक्त कर दी जायेगी और जब इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा तो फिर देश के न केवल किसी एक भाग अपितु सम्पूर्ण देश को चीनी नीति के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपया देंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : यह बहुत खेद की बात है कि आज राष्ट्रीयकरण से होने वाले परिणामों की अवहेलना करते हुये प्रत्येक राज्य में किसी एक या दूसरे उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने की बात चल रही है । परन्तु राष्ट्रीयकरण के परिणामों को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इससे उत्पादक, को लाभ है न श्रमिक को, न उपभोक्ता को और न ही सरकार को । मैं समझता हूं कि ऐसे उद्योग पर लगाई गई पूंजी व्यर्थ ही जाती है । जहां तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का सम्बन्ध है, वहां पांच या छः मिलें पहले ही राज्य सरकार के नियन्त्रण में चल रही हैं पहन्तु इनसे कोई लाभ नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीयकरण के बारे में स्वतन्त्र निर्णय लेने की छूट देने के परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इससे पृथक्करणकी वृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा और फिर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने वाले उद्योगों को रोकना कठिन हो जायेगा । अतः इस प्रकार की स्वतंत्रता बिलकुल नहीं दी जानी चाहिये ।

आज न केवल भारत में अपितु सम्पूर्ण विश्व में पूंजी और प्रबन्ध दोनों की कमी है । हमारे पास यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर उन पर धन लगाने कि क्षमता है तो हम उसे पहले चल रहे उद्योगों की अपेक्षा नये उद्योगों पर क्यों न लगायें ? इस वस्तु स्थिति को सामने रखते हुए मैं सरकार से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । प्रथम यह कि पूंजी के अभाव में और भूतपूर्व अनुभवों के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार गैर सरकारी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर उन पर पूंजी लगाने की अपेक्षा, अन्य आवश्यक क्षेत्रों पर धन लगायेगी ? दूसरे, क्या केन्द्रीय सरकार यह आश्वासन देगी कि भविष्य में वह किसी भी राज्य सरकार को स्वतन्त्र और एक पक्षीय निर्णय लेने की अनुमति नहीं देगी और उद्योगों के बारे में सभी निर्णय केन्द्रीय स्तर पर ही लिये जायेंगे ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि राज्य सरकार को किसी उद्योग को अपने हाथों में लेने का अधिकार है तो माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार से यह कैसे कह सकते हैं कि वह राज्य सरकार को बाध्य करे कि वह ऐसा काम न करे जो राज्य सरकार के अधिकार में है । मैं इस मामले में आपका आदेश चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दिए गये स्पष्टीकरण के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । यह मामला इस प्रस्ताव के अन्तर्गत है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : राष्ट्रीयकरण देश के हित में हो रहा है और भविष्य में इससे अधिक लाभ होगा । इसलिये मैं यह आश्वासन नहीं दूंगा कि सरकार राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी । जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो मत हमारे पास आये थे हमने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दिये हैं । उन मतों पर विचार करना राज्य सरकार का काम है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय-करण के मामले में प्रत्येक राज्य को स्वतन्त्रता देगी जिससे देश का विखण्डन हो जायेगा । परन्तु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

Shri Sharda Nand (Sitapur): Sir, Uttar Pradesh Government is the only State, producing sugar in abundance in the country. The move to nationailse the sugar industry in the State has created the state of uncertainty there. The Industrialists have stopped caring for the production. Government has made it a political issue rather than an economical one. Some time back Shri Jagjiwan Ram had given an assurance that a committee would be appointed to go into this matter and Government would decide on the lines of the opinions of the committee. I want to know from the Government whether, after taking over Sugar Mills, the management of the Industry would be given in the hands of the employees and the sugar-cane growers ?

Shri F. A. Ahmed : Amongst the two or three questions raised, one is that we have made U. P. a target of political game in the matter of nationalisation of Sugar Mills; which is altogether wrong. Secondly, regarding the appointment of a committee to go into the issue of nationalisation as was told by Shri Jagjiwan Ram, I have stated that we are going to announce the composition of a committee shortly. Thirdly, we have not given any opinion or directive to the Government of Uttar Pradesh. We had referred the matter to the Attorney General for his opinion and his opinion has been conveyed to the Government of Uttar Pradesh.

Shri Sharda Nand: I want to know from the Hon. Minister, whether, after taking over Sugar Mills, how they would manage to run them, what would be the structure of the management and whether it would be on the co-operative basis ? Nothing has been said about the demand that the management of the Sugar Industry should be given in the hands of the workers.

Shri F. A. Ahmed: We have not suggested anything in this matter. The opinion of Attorney Generel on the issue of legal competency was sent to the Government of Uttar Pradesh.

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थिति के बारे में
RE: SITUATION IN DELHI UNIVERSITY

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I am raising a question that three students of Delhi University are on hunger strike for the last seven days. Their demands are, (i) 21 students have been suspended in the University. (ii) The result of the examiation of Shri Raj Kumar Jain, who had attempted his paper of History in Hindustani, has not been declared ; and (iii) 200 seats in the Law Faculty have been curtailed as a result of which students are not getting admission. I request you; Sir, to ask Shri Bhakt Darshan and the Union Home Minister to give their statement by this evening. It is a very important issue and Government should accede to their demand so that students may withdraw their hunger strike.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Delhi University is a Central Unversity. If any student is declared failed simply because of his attempting examination papers in Hindi medium, the Ministry of Education shall have to take this responsibility.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग का प्रतिवेदन

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के बारे में विधि आयोग के 38वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3826/70]

वायदा करार (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं वायदा करार (विनियमन), अधिनियम 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1526 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3827/70]

निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल रखता हूं, जो दिनांक 3 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2362 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3828/70]

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक
CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : कल मैं यह कह रहा था कि···

श्री समर गुह (कन्टाई) * *

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। यह मेरे आदेश का उल्लंघन है।

श्री डी० संजीवैया : कुछ माननीय सदस्य चाहते थे कि इनकी संख्या 20 से घटाकर 15 या 10 कर दी जाय।

अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार को बताया कि जो भी विधान यहां तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं में पारित किए जाते हैं उनको सुचारु रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता। इसलिए जब हम किसी विधान के बारे में सोचते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह सुचारु रूप से कार्यान्वित हो सके। यदि संख्या 20 से घटाकर 10 या 15 कर दी जाए तो भी ये संस्थापनाएं बहुत अधिक रहेंगी और कार्यान्विति का प्रश्न फिर भी बहुत दुःसाध्य बन जायेगा।

सरकार को यह अधिकार है कि वह इस अधिनियम को 20 से कम व्यक्ति नियुक्त करने वाले ठेकेदारों पर भी लागू करे।

संयुक्त संसदीय समिति ने ठीक ही सुझाव दिया है कि श्रमिकों के प्रतिनिधि ठेकेदारों अथवा नियोक्ताओं से कम नहीं होने चाहिए। परामर्श बोर्डों में श्रमिकों के अधिक प्रतिनिधि लिए जाने की सम्भावना है।

** अध्यक्ष के आदेश से सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

मुख्य केन्द्रीय आयुक्त को केन्द्रीय परामर्श आयोग में नियुक्त करने का उद्देश्य यह है कि उसे श्रमिकों की सेवा को शर्तों एवं कार्य की शर्तों की जानकारी रहे ।

आशंका व्यक्त की गई है कि सरकारी प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम से मुक्त रखा जायेगा । यह ठीक नहीं है । जिन भी सरकारी विभागों में ठेकेदारी के माध्यम से कार्य होता है, उन पर यह अधिनियम लागू होगा ।

यह विधेयक आकस्मिक रूप से रखे गए श्रमिकों पर लागू नहीं होता । मैं वचन देता हूं कि मैं इस मामले को रेलवे मंत्री के साथ उठाऊंगा । हम देखेंगे की रेलवे के आकस्मिक रूप से रखे गए श्रमिकों को कुछ वर्षों की सेवा के पश्चात् स्थायी बनाया जाए । इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइसेंस देते समय वेतन निर्धारित किये जाते हैं ।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जिन श्रमिकों को रात भर कार्य पर रहना पड़ता है उनके लिये विश्राम-गृह बनाया जाए । खण्ड 17 में उसकी व्यवस्था की गई है । प्राथमिक चिकित्सा तथा पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : खण्ड 1 (5) में आकस्मिक रूप से रखे गये श्रमिक की परिभाषा की गई है कि जिसे वर्ष में 120 दिन अधिक के लिये नहीं रखा जाता ।

श्री डी० संजीवैया : यह विधेयक आकस्मिक रूप से रखे गये श्रमिकों पर कतई लागू नहीं होता । अन्तराज्यिक श्रमिकों के बारे में कहा गया है कि यदि पिछले वर्ष कार्य 120 दिन चला हो, तो यह विधेयक उन पर लागू होगा ।

कई बार ठेकेदार पूरा वेतन नहीं देते । श्रमिकों को दूर-दूर से लाया जाता है । खण्ड 21 में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि ठेकेदार नियत समय में वेतन नहीं देता तो प्रधान नियोक्ता को वेतन देने होंगे । रेलवे में यदि ठेकेदार है और संविद श्रमिक हैं तो यह विधेयक उन पर भी लागू होगा ।

डा० रानेन सेन : कुछ ठेकेदार छोटे ठेकेदार नियुक्त करते हैं जो श्रमिकों को वेतन दिये बिना भी भाग जाते हैं ।

श्री डी० संजीवैया : खण्ड 2 (ग) में उसके लिये व्यवस्था की गई है । उस दशा में दण्ड की व्यवस्था रखी गई है ।

नियमों की स्थापना के पश्चात् उन्हें सभा पटल पर रखना होता है । सभा को अधिकार है कि वे उनमें संशोधन करे । सभा से पारित होने के पश्चात् ही नियम लागू होते हैं ।

श्री रंगा : आपने उत्सादन की बात सोची परन्तु उस पर विशेष बल क्यों नहीं दिया ?

श्री डी० संजीवैया : खण्ड 10 के अनुसार संविद् श्रमिक व्यवस्था का उत्सादन किया जा सकता है । परन्तु यहां ऐसा नहीं किया जा सकता उसके लिये भी तो कुछ व्यवस्था इसे करनी है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 और 34 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 33 and 34 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि कतिपय स्थापनाओं में संविद् श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने तथा कतिपय परिस्थितियों में उसके उत्सादन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे तक के लिये स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री समर गुह (कन्टाई) : पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ से भारी क्षति हुई है। कई सौ मकान बह गये हैं। केवल ढाका में ही 100 व्यक्तियों की जाने गई हैं। इस विनाश का हमें बहुत दुःख है।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सद्भावना के रूप में वहां पर एक चिकित्सा दल एवं खाद्य सहायता भेजनी चाहिए।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : ऐसा समाचार मिला है कि श्री चारू मजूमदार ने श्री काकुलम जिले के लोगों को वियतनाम के ढंग का युद्ध प्रारम्भ करने के लिये कहा है। मैं नहीं कह सकता कि सरकार ऐसी कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करती है। यदि ऐसा है तो देश का क्या बनेगा ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने श्री चारू माजूमदार का उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि वह कौन है किन्तु वह यहां अपनी सुरक्षा के लिये उपस्थित नहीं है साथ ही माननीय सदस्य ने इस विषय में कोई सूचना नहीं दी है। अतः मेरा निवेदन है कि उसका नाम यहां नहीं लिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I desire that an important matter should be discussed now instead of this Bill.

On the 30th day of the month 15 tons of Ganja and Hashish, worth Rs. 55 lakhs, were seized in Bombay by the Department of Revenue Intelligence. I am sorry to say that since the said department is taken over by the Prime Minister, Shri Sriwastva has been divested of his post because of his loyalty to perform his duty. He was also pressurised not to oppose the matter of releasing Shri Mastan, the smuggler, on bail.

Besides, he was asked to surrender the charge although the Director was not even appointed. Sir, it is an important matter. Because certain Ministers want to shield the smugglers, they do not want to keep Shri Sriwastava there.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में अलग से सूचना देने का कष्ट करें। सभा के कार्य को नियमानुसार चलाने में मैं उनका सहयोग चाहता हूं यदि उन्होंने और कुछ कहा तो मुझे कहना पड़ेगा कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जाये। श्री सोंधी।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं श्री मधु लिमये का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था कि श्री सोंधी कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं।

श्री म० ला० सोंधी : मुझे श्री मधु लिमये का समर्थन करने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि देश में मूल्यों का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है और केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगी व्यक्तियों की दशा बड़ी दयनीय है। सभा में यह आश्वासन दिलाया गया था कि वेतन आयोग इस समस्या पर विचार करेगा किन्तु अब हमें ज्ञात हुआ है कि इस पर विचार नहीं किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेंशन भोगी भूखों मर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उनका सयर्थन करता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि श्री मधु लिमये ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। माननीय मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दें। मैंने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने सभा में यह निवेदन किया था कि सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दी जाय तथा भारत सरकार वेतन आयोग को इस आशय के निदेश दे। रेलवे कर्मचारी तथा अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी इस सम्बन्ध में अपनी मांगों पर बल दे रहे हैं। अतः वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे वक्तव्य दें तथा वेतन आयोग को इस आशय के निदेश शीघ्र दें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): It is heard very often that ruling party has been collecting crores of rupees for the ensuring elections in the name of nationalisation and the sanction of licences.

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोक सभा में इस प्रकार के निराधार आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : देश में कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तथा इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने माननीय सदस्यों को यह अवसर दिया था कि वे कुछ मामलों का उल्लेख कर सकें किन्तु मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य या सरकार एक दूसरे पर आक्षेप न लगायें।

Shri Kanwar Lal Gupta: Sir, I want to submit that so many industrialists also approach us and tell us that the Government are demanding a certain amount of money with threatening that their industry would be nationalised if they do not fulfil the demand of the Government. It is a matter of great concern. Such practices would certainly cause a serious set-back to the democratic system of the country. Government very well understand now that they do not enjoy the popular support and that is why they are trying to contest the elections by the influence of the money.**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं समझता था माननीय सदस्य कुछ ऐसी बातें कहेंगें जिस पर सभा विचार करेगी किन्तु *उन्होंने*

**सभा की कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**Not recorded.

एक दूसरे पर आक्षेप लगाने आरम्भ कर दिये। वह इस सभा के माननीय सदस्य हैं। कृपया वह इस बात पर ध्यान दें।

श्री कंवर लाल गुप्त :**

उपाध्यक्ष महोदय : किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। कार्य सूची में यह विषय सम्मिलित नहीं था। किन्तु कुछ माननीय सदस्य चाहते थे कि देश में होने वाली घटनाओं के बारे में ध्यान दिलाया जाये। इसी आशय से मैंने उसकी अनुमति दी थी। (**व्यवधान**)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : महोदय ! सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के श्री कुलकारनी और श्री चन्द्रशेखर ने राज्य सभा में यह वक्तव्य दिया था कि लाइसेंस देने के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा है। यह वक्तव्य रिकार्ड में भी है। सरकार इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। क्या हमें लाइसेंस देने के विषय पर वाद-विवाद करने की मांग करने का अधिकार नहीं है यदि वाद-विवाद होगा तो हमें यह सिद्ध करने का अवसर मिल जायेगा कि इस आधार पर धन इकट्ठा किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका अधिकार अवश्य है किन्तु इस सम्बन्ध में उचित रूप से सूचना देनी चाहिये। उनपर विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: The Hon. Minister should be asked to make a statement on the reasons for removing Shri Sriwastava from his post.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : महोदय ! आपको यह वचन देना चाहिये कि मधु लिमये और श्री कंवरलाल गुप्त ने जो बातें उठाई हैं उनपर शीघ्र ही चर्चा करायी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इनकी सूचना भेजिये।

Shri Sheo Narayan: Shri Madhu Limaye has submitted an adjournment motion. Kindly let the House discuss on it.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): We know that floods have come in most of the parts of the country and mostly they are in Assam and Bihar. I want to say specially, something about Bihar. The floods in Kamla and Kosi have caused a loss of crores of rupees.

One special point is that the Government have sanctioned many schemes for the last four years to check floods but those schemes have not been implemented. I have given a calling attention notice in this respect. You admit my calling attention notice or the Government should make a statement regarding the situation created by floods and should also state that what assistance is being given in this regard.

The Government is going to give licences to set up fertiliser plants in Meethapur and Goa to Tata and Birla respectively. This action of the Government is against the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. These should be discussed in the House. I have submitted a no-day-yet-named motion in this regard. Time should be given to have discussion over it.

I support the question raised by Shri Madhu Limaye regarding seizure of **ganja.**

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : आप अच्छी तरह जानते हैं कि मनीपुर को राज्य का

**सभा की कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

****Not recorded.**

दर्जा दिए जाने सम्बन्धी प्रश्न हरेक के दिमाग को परेशान कर रहा है, वहां के लोगों द्वारा आयोजित बन्द की सफलता से यह स्पष्ट होता है कि मनीपुर के सभी लोगों की यह मांग है, जब सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मांग को स्वीकार किया है तो मनीपुर और दिल्ली के सम्बन्ध में भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है।

संविद श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) विधेयक—जारी
CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 2 के संशोधन लिये जायें।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 में—

"2" के स्थान पर "2.(1)" रखा जाये (संख्या 4)

पृष्ठ 4, 26वीं पंक्ति के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाय:—

"(2) Any reference in this Act to a law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir shall, in relation to that State, be construed as reference to the corresponding law, if any, in force in that State."

"(2) जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो उस राज्य में लागू नहीं है, हवाले को उस राज्य में यदि कोई तदनुरूप विधि लागू है, तो उसके हवाले के रूप में समझा जाये (संख्या 5)"

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 22 और 23 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 60,61 और 62 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल : मेरी संशोधन संख्या 11 "वर्कमैन" की परिभाषा में 500 रुपये के स्थान पर 750 रुपये रखने के बारे में है, रुपये के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुये यह वांछनीय होगा कि 750 रुपये से कम पाने वाले पर्यवेक्षण कर्मचारी इस परिभाषा के अन्तर्गत आ जायें ताकि यह उपबन्ध अधिक लोगों पर लागू हो सके।

श्री लोबो प्रभु : मेरा पहला संशोधन उप-खण्ड (ङ) (दो) के बारे में है। मैंने यह प्रस्ताव किया है कि "निर्माण" कार्य, "उद्योग, व्यापार, व्यवसाय निर्माण" की तरह वर्णित शेष मदों के साथ जोड़ा जाय। निर्माण-कार्य ऐसा कार्य है जिसमें कि संविद श्रमिक लगते हैं, चाहे वह निर्माण-कार्य मकानों के निर्माण से सम्बन्धित हो अथवा रेलवे कार्य पर लोक निर्माण विभाग से, मैं इतना और कह दूं कि 1970 के श्रमिक आंकड़ों में "निर्माण" को एक पृथक मद के रूप में दिखाया गया है।

मेरा दूसरा संशोधन श्री गोयल के संशोधन से उल्टा है। यहां हम श्रमिकों से संबंधित हैं यदि हम उनको भी ले आयें जो श्रमिक नहीं हैं तो शायद इससे श्रमिकों के हितों की हानि होगी। कोई भी लिपिकों अथवा पर्यवेक्षण कर्मचारियों को "श्रमिकों" में शामिल नहीं करना चाहता। यदि आप किसी भी पर्यवेक्षण कर्मचारी को शामिल कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि उसका वेतन 300 रुपये सीमित कर दिया जाये।

Shri Shiv Chandra Jha : My amendment is to clause 2 It says that :

"any establishment of any railway, cantonment Board, major port; mine or oil field."

The word 'major' should be removed from here and all the ports should be brought under it. It has been mentioned in this Bill that it will be in force where 20 or more than 20 workers are engaged in work. May I know whether 20 workers are not engaged in your smallest port ? This is not right. You should omit the word "major".

My second amendment is that in the definition of "Workman" I want to insert "male" after "any", because Workman mean both male and female.

Shri Om Prakash Tyagi : My Amendment is the same as that of Shri Shiv Chandra Jha. When you have fixed the number of persons in labour contract and have made a definition then what is the necessity to differentiate between major and minor ports. You should make it any port.

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पडरौना) : श्री लोबो प्रभु ने "कन्स्ट्रक्शन" (निर्माण) शब्द शामिल करने तथा 500 तक सीमा निर्धारित करने के दो सुझाव सभा में रखे हैं। विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्य होते हैं और यदि किसी बड़े संस्थान के निर्माण-कार्य में अनेकों वर्ष लगते हैं तो उस निर्माण पर लगे श्रमिकों को नैमित्तिक या संविद् श्रमिक मानना न्यायोचित नहीं है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन 500 रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों को श्रमिक माना जाता है। श्री श्रीचन्द गोयल के इस सुझाव में कि इस वेतन सीमा को बढ़ा दिया जाये, काफी सार है क्योंकि रुपये के मूल्य में बहुत कमी हो गई है। अतः इन बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए मंत्री महोदय इस सीमा में वृद्धि कर दें। मंत्री महोदय इस बारे में कर्मचारी के वेतन के अनुसार नहीं बल्कि उसके कार्य के हिसाब से मान दण्ड निर्धारित करें।

श्री डी० संजीवैया : छोटे पत्तनों को भी शामिल करने के आशय वाले पिछले संशोधन के विषय में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खण्ड 2 में वर्णित विषय केन्द्र सरकार के अधीन आते हैं। अतः केन्द्र सरकार केवल प्रमुख पत्तनों को ही इसमें शामिल कर सकती है, छोटे पत्तनों को नहीं।

जहां तक वेतन की सीमा का सम्बन्ध है, सभी श्रम कानूनों में यह सीमा 500 रुपये है। परन्तु जब भी हम इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लेंगे तो इसमें भी उपयुक्त संशोधन कर देंगे। चाहे हम इसे 750 रुपए करें या 1,000 रुपये कर दें।

जहां तक क्लर्क कर्मचारियों का सम्बन्ध है न जाने श्री लोबो प्रभु उन्हें क्यों नहीं चाहते कि उन्हें लाभ हो । उन्हें लाभ मिलना ही चाहिए । अत: मैं इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता । साथ ही यह अधिनियम पुरुष तथा महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 27,—

"2" **के स्थान पर** "2. (1)" रखा जाय । (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए :—

"(2) Any reference in this Act to a law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir shall, in relation to that State, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that State."

"(2) जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो उस राज्य में लागू नहीं है, हवाले को उस राज्य में यदि कोई तदनुरूप विधि लागू है, तो उसके हवाले के रूप में समझा जाय । (संख्या 5)"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11,22 तथा 23 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendments Nos. 11, 22 and 23 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 60, 61 तथा 62 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendments Nos. 60, 61 and 62 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 as amended, was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं अपना संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बि० प्र० मंडल (माधेपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 73 तथा 74 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हेम राज : मेरा संशोधन बड़ा साधारण-सा है। उपखण्ड (3) में व्यवस्था है कि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रेणी के मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिये। अन्य श्रेणी के लोगों में सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, मुख्य श्रम आयुक्त तथा रेलवे, कोयला उद्योग खान उद्योग, ठेकेदार तथा कर्मचारी शामिल हैं। अब क्योंकि इस विधेयक का अभिप्राय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है तो बोर्ड में उनका बहुमत होना चाहिए ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इस कर्मचारी-हिताय संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री लोबो प्रभु : मैं तो फिर कर्मचारियों के विरोध में नहीं, प्रत्युत उनके हित में ही कह रहा हूं। क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधि स्वयं कर्मचारी न होंगे ? मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि कहने की बजाय उन्हें भी कर्मचारी ही कहें। इससे सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी। एक नैमित्तिक अथवा संविद श्रमिक लम्बी अवधि तक एक ही दर्जे पर अथवा इस निकाय के लिये उपयुक्त दर्जे पर नहीं रहता। तो फिर इसका सही हल क्या होगा ? क्या सलाहकार बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से कोई अन्तर पड़ेगा ? अत: विधेयक में तो सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में अनेक ऐसे नैमित्तिक श्रमिक रखे जायेंगे, जिनके पद के विषय में कोई निश्चितता नहीं रहेगी।

अत: सरकार किसी अन्य योजना के बारे में विचार करे अन्यथा इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ न हो सकेगा।

श्री बि० प्र० मंडल (माधेपुरा) : मेरे संशोधन में यह प्रस्ताव है कि इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों में से की जाये।

यहां इस विषय पर चर्चा में अनेक सदस्यों का मत है कि इस बोर्ड में अधिकतया स्वतन्त्र सदस्य हों तथा कम से कम अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें श्रमिकों तथा सरकार दोनों को ही पूरा विश्वास हो इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि सरकार को मेरा यह संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस बोर्ड का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हो।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I support the suggestion made by Lala Hem Raj since it is in the interest of labour. We should do maximum for the contract labour till this system is abolished. Until they are allowed to have their say, it will not be possible for them to carry on ; since the nominated Members of this Board would generally be their employers in the presence of whom these workmen will not be able to have their say. I hope that the Hon. Minister would consider this aspect.

I do not understand why Government always prefer to have the Chairman of their own choice. Why should he not be elected from amongst the Members. If at all some outsider has

to be appointed as chairman let he be a retired Judge of either a High Court or the Supreme Court of India, who would always uphold Justice. So instead of some official Member let some independent person be the Chairman of this Board. Let the Government agree with at least those persons who are with Shrimati Indira Gandhi's Government in the Congress Party.

श्री एस०एन० मिश्र (कन्नौज) : मैं श्री बि०प्र० मंडल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया जाये तो न्याय ठीक प्रकार से मिल सकता है। अतएव मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री डी० संजीवैया : श्री हेम राज का यह संशोधन है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या मालिकों के प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। यह एक त्रिपक्षीय निकाय है और इसमें सबको समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमने प्रवर समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या मालिकों के प्रतिनिधियों से कम नहीं होनी चाहिए। अतएव कर्मचारियों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिये जाने की संभावना है।

श्री लोबो प्रभु ने पूछा है कि स्वयं कर्मचारियों को ही क्यों न कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। कर्मचारी स्वयं ऐसा कर सकते हैं अथवा किसी अन्य को भेज सकते हैं, चूंकि नैमित्तिक मजदूर अथवा ठेके पर काम करने वाले मजदूर अशिक्षित होते हैं अतएव उनका प्रतिनिधित्व मजदूर संघों के नेता करते हैं। फिर भी यह कानून बना हुआ है कि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक बाहरी व्यक्ति नहीं होने चाहिए अतएव इसमें कर्मचारी स्वयं आकर अपनी शक्तियों को रख सकता है।

जहां तक यह बात उठाई गई है कि अध्यक्ष को न्यायिक अधिकारी होना चाहिए तो मैं इसमें कोई औचित्य नहीं पाता कि अध्यक्ष का न्यायिक अधिकारी होना आवश्यक है। सलाहकार बोर्ड का कार्य तो तथ्यों और आंकड़ों पर विचार करना होता है अतएव मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 47, 63, 73 और 74 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 47, 63, 73 और 74 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 47, 63, 73 and 74 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री हेमराज : मैं संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बि० प्र० मंडल : मैं संशोधन संख्या 75 और 76 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री हेमराज : केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के लिए मैंने जो कारण बताये हैं, वही यहां लागू होते हैं। इन शब्दों के साथ मेरा यह कहना है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री डी० संजीवैया : मैंने अभी एक संशोधन भेजा था इसमें छपाई की गलती है जिसको ठीक किया जाये। मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 23 में,—"central" (केन्द्रीय) शब्द के स्थान पर "State" (राज्य) शब्द रखा जाये।

खण्ड 4 राज्य सलाहकार निकाय के बारे में है अतएव सभी स्थानों पर 'राज्य' होना चाहिए। इसको छपाई की गलती से 'केन्द्र' कर दिया गया था परन्तु वास्तव में यह राज्य होना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु : मैंने यह स्पष्ट कह दिया है कि एक कर्मचारी और उसके प्रतिनिधि में अंतर होता है। उनका यह कहना है कि धार्मिक संघों में प्रतिनिधि रखे जाते हैं, न कि कर्मचारी। क्या आप कम से कम यह आश्वासन देंगे कि वहां कर्मचारियों को लाया जायेगा क्योंकि यदि उनको न लाया गया तो वहां इससे असंबंधित व्यक्ति आ जायेंगे जिनको इस वर्ग के लोगों में कोई रुचि नहीं है। यदि आप वस्तुतः कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व हेतु विधेयक को लाना चाहते हैं तो इस आशय का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि इसमें कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा अन्यथा इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी।

श्री बि० प्र० मंडल : मेरा पहला संशोधन यह है कि अध्यक्ष के पद पर न्यायपालिका का कोई सेवानिवृत्ति न्यायाधीश होना चाहिए। मेरा दूसरा संशोधन यह है कि इसमें संबंधित राज्यों की विधान सभाओं के कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। मेरे विचार में ये संशोधन स्पष्ट तथा विवेकयुक्त हैं। सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क विश्वसनीय नहीं है। मेरे संशोधनों का सभी सदस्यों ने समर्थन किया था। इस संशोधन को अस्वीकृत करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि वे अध्यक्ष की नियुक्ति करने जा रहे हैं तो उसको एक स्वतन्त्र व्यक्ति होना चाहिए। सरकार इसमें अपने ही आदमियों को नियुक्त करती है जो कि लोकतन्त्रात्मक कार्य नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री संजीवैया: मैंने खण्ड 3 का जो उत्तर दिया है, वह खंड 4 पर भी लागू होता है। मैं श्री लोबो प्रभु द्वारा उठाये गये एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी इच्छानुसार नामांकन करती है, यह गलत है। सरकार अपनी इच्छानुसार नामांकन नहीं करती है। सरकार हमेशा कार्मिक संघों और कर्मचारी संगठनों को कहती है कि वे अपना व्यक्ति भेजें, अतएव सरकार द्वारा अपनी इच्छानुसार व्यक्ति का नामांकन करने का प्रश्न ही नहीं उठता

है । वह तो केवल उनके सुझावों को स्वीकार करती है । यदि वे ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो कर्मचारी नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 48, 64, 75, और 76 सभा पटल पर मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 48, 64, 75 और 76 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 48, 64, 75 and 76 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 23 में, "central" (केन्द्रीय) शब्द के स्थान पर "state" (राज्य) शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 4 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

उड़ीसा के लिए एक नए इस्पात कारखाने की मांग के बारे में चर्चा
DISCUSSION RE : DEMAND FOR A NEW STEEL PLANT FOR ORISSA

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की कहानी उड़ीसा की जनता के प्रति उपेक्षा और अन्याय की कहानी है । इसके लिए 24 घंटे के 'बन्द' का भी आयोजन किया गया था । हम 'बन्द' के विरुद्ध हैं । परन्तु जब न्याय का उल्लंघन किया जाता है, राष्ट्रीय हितों की राजनीतिक इष्ट सिद्धि की वेदी पर बलि दी जाती है तथा ऐसे निर्णय लिये जाते हैं तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हानिकर हैं तो हमने 'बंद' के रुप में अपनी नाराजगी तथा क्रोध को शांतिपूर्ण ढंग से प्रकट किया है । मैं इस्पात कारखाना संघर्ष समिति और उड़ीसा सरकार को शांतिपूर्ण ढ़ंग से अपना विरोध प्रकट करने के लिए बधाई देता हूं ।

यदि हम विश्व के मानचित्र को देखें तो यह पायेंगे कि भारत के पास विश्व का सबसे अधिक इस्पात भंडार है, यथा 85,00 करोड़ टन अयस्क जिसका परिष्करण किया जाता है और 2130 करोड़ टन अयस्क जिसको अपरिकृत किये बिना सारे जहाज द्वारा भेजा जाता है । दूसरी ओर यदि आप देश में इस्पात की खपत देखें तो पायेंगे कि भारत की स्थिति कितनी गिरी हुई है । इस बारे में आंकड़े निम्न हैं– अमरीका 634 किलो ग्राम, रूस 415 किलोग्राम, जापान 513 किलोग्राम, पश्चिमी जर्मनी 476 किलोग्राम, चेकोस्लोवाकिया 583 किलोग्राम और भारत का केवल 13 किलोग्राम है । जापान का लोहा तथा इस्पात का उत्पादन इन बीस वर्षों में 12 गुना बढ़ा है । यही स्थिति रूस की भी है जिसने इसके उत्पादन में बहुत वृद्धि की है ।

इस्पात के उत्पादन के बारे में सरकार ठीक नीति निर्धारित नहीं करना चाहती, हालांकि इसके पास सभी संसाधन मौजूद हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानें बहुत अधिक घाटे में चल रहे हैं। सरकार ने इनके कार्य में सुधार की दृष्टि से कोई कार्यवाही नहीं की है। भारत में इस्पात का उत्पादन बढ़ा है। परन्तु हमें इसे अभी और बढ़ाना है। उड़ीसा ने राज्य में दूसरे इस्पात कारखाने के स्थापित किये जाने की मांग रखी है। इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिये।

इस्पात कारखाने के स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करते समय तकनीकी तथा आर्थिक बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस्पात औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी वस्तु है। इसके मूल्य पर छोटी और बड़ी वस्तुओं के मूल्य निर्भर हैं। इस्पात पर हमारा निर्यात व्यापार भी बहुत कुछ निर्भर करता है, अतः कारखाने की स्थापना के लिये स्थान का चयन करते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में बोनाई और क्योंझर जिले में नयागढ़ में कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वास्तव में कच्चे माल की उपलब्धता ही प्रमुख आधार होना चाहिये। उड़ीसा का उत्तरी भाग अर्थात बिहार के साथ लगता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें बड़ी मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है। इस समय वहां से जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर और रूरकेला के इस्पात कारखानों को खनिज लोहा सप्लाई किया जा रहा है।

मंत्री महोदय ने नयागढ़ का उल्लेख न करके सदन को गुमराह किया है। इस क्षेत्र में तथा मालांगतोली क्षेत्र में खनिज लोहे के बहुत क्षेत्र हैं। इसी प्रकार बोनाई भी जहां पर स्थित है, वहां से बहुत मात्रा में कोयला मिल सकता है। इन दो स्थानों पर दो इस्पात कारखाने बहुत ही लाभप्रद रहेंगे। वहां पर परिवहन की समस्या भी नहीं होगी। चूने का पत्थर और मैंगनीज आदि भी वहां पर उपलब्ध है। जो माल अन्य स्थानों से लाना पड़ेगा, उसके लाने पर भी दुर्गापुर संयन्त्र आदि की अपेक्षा कम खर्च होगा।

इस समय उड़ीसा में बिजली फालतू नहीं है। अगले वर्ष तालचेर प्लांट और उससे अगले वर्ष वालीमेला प्लांट के पूरा हो जाने पर राज्य की बिजली क्षमता में वृद्धि हो जायेगी। राज्य में सरकार की भूमि भी उपलब्ध है और लोगों को किसी स्थान से हटाने की समस्या भी नहीं होगी। बोनाई और नयागढ़ में पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नदियां पास ही हैं। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1964 में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञापन केन्द्रीय सरकार को भेजा था। केन्द्र ने उड़ीसा से कहा था कि वह स्थानों के चयन के लिये अध्ययन करे। इसी के अनुसरण में राज्य सरकार ने मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा यह अध्ययन कराया और उन्होंने एक व्यापक प्रतिवेदन दिया। उनका प्रतिवेदन अपनी तरह का एक ही अध्ययन है। इस प्रतिवेदन के पांच भाग हैं। पहले भाग में नयागढ़, बाराकाट और बोनाइगढ़ को इस्पात कारखानों के लिये उचित स्थान माना गया है।

इस बारे में प्रतिवेदन के भाग एक के पृष्ठ 28 पर उल्लेख किया गया है। मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट के अनुसार बोनाई और नयागढ़ का इस्पात दक्षिण भारत में बहुत सस्ता

पड़ेगा । इस्पात कारखाने सम्बन्धी हमारी मांग राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक तथा तकनीकी कारणों से है ।

इन दो स्थानों के अतिरिक्त पारादीप में भी एक संयन्त्र स्थापित किया जा सकता है । यहां देश का सबसे गहरा पत्तन है । हाल ही में लोहा तथा इस्पात उद्योग के एक अध्ययन दल ने भी पारादीप की सिफारिश की है । यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र सुदूर पूर्व आर्थिक विकास आयोग के तत्वावधान में हुआ था । इस संयन्त्र से विदेशों को इस्पात का निर्यात किया जायेगा और विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी । सरकार को इस पर विचार करना चाहिये ।

30 जुलाई, 1970 का श्री भगत का वक्तव्य बिलकुल गलत है । उन्होंने बड़े बड़े विशेषज्ञों की रिपोर्टों की उपेक्षा की है । उनके वक्तव्य में नयागढ़ का उल्लेख तक नहीं है । रूरकेला से बोनाई की दूरी को उन्होंने 25 मील बताया है । वास्तव में यह दूरी 40 मील की है । इस प्रकार सदन को गुमराह किया गया है । पश्चिम बंगाल में दो इस्पात कारखानें दुर्गापुर और बर्नपुर एक दूसरे से 20 मील की दूरी पर स्थित हैं । अतः उनके स्थानों के साथ-साथ होने की बात तर्कसंगत नहीं है ।

उड़ीसा सरकार द्वारा रूरकेला कारखाने को सभी सुविधाएं तथा सहयोग उपलब्ध किये जाने के बावजूद यदि वहां पर गड़बड़ है तो इसके लिये केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है । फिर भी सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों में रूरकेला का कार्य बहुत अच्छा है । रूरकेला के विस्तार से उड़ीसा के लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे । उड़ीसा में एक और इस्पात कारखाना स्थापित करना बहुत आवश्यक और लाभप्रद है । हमें आशा थी कि प्रजा समाजवादी दल, श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी जिसके नेता हैं, हमारी इस मांग का समर्थन करेंगे । परन्तु उनके ऐसा न करने पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ है । सरकार को इस्पात कारखाने के स्थान का निर्णय करते समय राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के दबाव में न आकर न्यायोचित निर्णय करना चाहिये । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा राज्य की सरकार को विदेशी सहायता से इस्पात संयन्त्र स्थापित करने की अनुमति देगी । हम वहां पर ऐसे तीन संयन्त्र स्थापित करना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में इस्पात कारखाना स्थापित करने में असफल रही है । इसकी मांग काफी समय से की जा रही थी । लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । शायद वह इस्पात कारखाने को गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित करना चाहती है । चूंकि सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित करने की मांग की जा रही है, सरकार इस विषय में रुचि नहीं ले रही है ।

उड़ीसा बन्द शान्तिपूर्ण था और इसे जनता का समर्थन प्राप्त था । इससे यह विदित होता है कि यह मांग प्रादेशिक नहीं है । यह मांग वास्तव में सरकार को यह सतर्क करने के लिए की गई थी कि इसकी इस्पात सम्बन्धी नीति और कार्यक्रम गलत हैं और इसी कारण देश को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ।

यद्यपि इस्पात के उत्पादन के मामले में अन्य देश प्रगति कर रहे हैं, हमारा देश इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है ।

रूरकेला में इस्पात कारखाना स्थापित करना उचित नहीं था। रूरकेला में इस्पात कारखाना स्थापित करने का निर्णय अध्ययन के आधार पर न कर स्थान की उपयुक्तता के आधार पर किया गया था। हमें इस्पात संयन्त्र की स्थापना ऐसे स्थान पर करनी चाहिए, जहां इस्पात की उत्पादन लागत कम आये और जहां परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध हों। जापान जिसे कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, इस्पात का उत्पादन और निर्यात बहुत सस्ते दामों पर करता है। जापान में यद्यपि कच्चा माल उपलब्ध नहीं है फिर भी वह हमारे देश, जहां कच्चा माल भारी मात्रा में उपलब्ध है, की तुलना में इस्पात का उत्पादन सस्ते मूल्य पर करता है। सरकार दक्षिण में तीन इस्पात कारखानों की स्थापना कर सकती है।

इस दिशा में अधिक से अधिक कार्य किया जाना चाहिए। इस्पात के कारखानों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए, जहां इस्पात का सस्ता उत्पादन किया जा सके। लेकिन सरकार ने इस्पात कारखाना स्थापित करने के स्थान के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

यह उल्लेख किया गया है कि इस्पात कारखाना स्थापित करते समय विभिन्न बातों, जैसे परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं, कच्चे माल, पानी और बिजली आदि की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने नयागढ़, बोनाई, और पारादीप में नये इस्पात कारखानें खोलने के सम्बन्ध में निर्णय किया था तो क्या उक्त सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं थीं। क्या उक्त सुविधाएं केवल वहीं उपलब्ध थीं, जहां उक्त तीनों कारखानों की स्थापना की गयी ?

यदि ऐसा था तो इस्पात के कारखानें स्थापित करते समय इन बातों पर विचार क्यों नहीं किया गया।

उड़ीसा सरकार द्वारा सम्भव्यता प्रतिवेदन की मांग करने पर सरकार ने उसे देने से इन्कार कर दिया था।

सरकार दबाव में आकर कार्य कर रही है। उड़ीसा की जनता की राज्य में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने की मांग न्यायोचित है। सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए।

बोकारो, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात कारखानों के विस्तार के बाद भी चौथी योजना के अन्त तक देश में 7 करोड़ टन इस्पात पिंड की कमी होगी। सरकार उस कमी को कैसे पूरा करेगी ?

चौथी पंच वर्षीय योजना में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के विस्तार की व्यवस्था की गई है लेकिन उसमें रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार के बारे उल्लेख नहीं किया गया है। उसमें केवल यही उल्लेख किया गया है कि जब रूरकेला इस्पात कारखाना अपना इस्पात का लक्ष्य पूरा कर लेगा, तब इस विषय पर विचार किया जायेगा।

उक्त निर्णय किये जाने पर क्या रूरकेला और भिलाई इस्पात कारखाने ने अपनी

निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली थी ? 1970-71 के आंकड़ों के अनुसार उसकी क्षमता 83 प्रतिशत है । विश्व के किसी भी इस्पात कारखाने में यदि 80 प्रतिशत उत्पादन क्षमता होती है तो वह सामान्य, नियमित और उचित समझी जाती है । यह कहना ठीक नहीं है कि इस्पात कारखानों के विस्तार करने से समस्या हल हो जायेगी ।

उड़ीसा में इस्पात कारखाना स्थापित न करने के लिए जो कारण दिया गया है, वह उचित नहीं है । क्या देश में स्थापित सब इस्पात कारखानों ने अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर ली है । यदि नहीं, तो नये इस्पात कारखानें स्थापित करने की कभी आवश्यकता है ? रूरकेला इस्पात कारखाने द्वारा निर्धारित क्षमता प्राप्त न करने के लिये सरकार दोषी है ।

यह दलील दी जाती है कि इस्पात कारखानों के विस्तार में नये कारखानें स्थापित करने की तुलना में कम खर्च आता है । यदि यह सच है, तो सरकार को कहीं भी नये इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में सहमत नहीं होना चाहिए था ।

सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अपनाई गई नीति आत्मघाती है और इससे भारतीय अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी । इस्पात मूल सामग्री है और बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है । यदि हमारे देश में ऊंची लागत पर इस्पात का उत्पादन होगा तो हम अन्य देशों से इस बारे में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे तथा दो या तीन वर्षों में 2 करोड़ टन इस्पात का निर्यात कैसे कर सकेंगे ?

एक इस्पात कारखाने को उत्पादन आरम्भ करने में कम से कम चार या पांच वर्ष का समय लगता है । रूरकेला इस्पात कारखानें की स्थापना 1954 में हुई थी लेकिन उसकी पहली धमन भट्टी ने 1959 में कार्य आरम्भ किया था । हास्पेट, सलेम और विशाखापत्तनम में नये इस्पात कारखानें स्थापित करने में भी 5-6 वर्ष का समय लगेगा । क्या सरकार नया कारखाना स्थापित करने के लिये तब तक प्रतीक्षा करेगी ? मैं यह कहना चाहूंगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 70 लाख टन की कमी को पूरा करने के लिये उड़ीसा में एक नया इस्पात कारखाना लगाना आवश्यक है । हम यह नहीं चाहते कि अन्य तीन स्थानों पर नये इस्पात कारखानें न लगाये जायें बल्कि हम यह चाहते हैं कि उड़ीसा को सम्मिलित करने के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाये । जब उड़ीसा में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उड़ीसा के सम्मिलित न किये जाने क्या कारण हैं ? इसके अतिरिक्त, यदि धन उपलब्ध करने की समस्या होती तो मंत्री महोदय पहले ही हमारी मांग को रद्द कर देते । इसके बजाय उनका कहना है कि वह देश में अन्य स्थानों के साथ साथ उड़ीसा पर भी विचार करेंगे । यह कोई बात नहीं है । उन्हें स्पष्टरूप से कहना चाहिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में इस्पात कारखाना स्थापित किया जायगा क्योंकि वे इस्पात की कमी को दूर करना चाहते हैं और उड़ीसा में इस्पात का उत्पादन कम लागत पर होगा और इससे अधिक लाभ होगा । यह बोनाई में न लगाकर निश्चय ही नयागढ़ में लगाया जायेगा । विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वहां उत्पादन की लागत न्यूनतम होगी ।

यदि केन्द्रीय सरकार ने इस आशय की घोषणा नहीं की तो उड़ीसा की जनता आन्दोलन

चलायेगी । यदि सरकार इस तर्क को स्वीकार नहीं करेगी तो इस प्रकार का दबाव ही उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने के लिये उनको सहमत करवा सकता है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हम विशाखापत्तनम, सलेम तथा हासपेट में इस्पात केतीन नये कारखाने स्थापित करने सम्बन्धी निर्णय का स्वागत करते हैं । मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि उपर्युक्त स्थानों पर इस्पात कारखाने स्थापित करने का यह अर्थ नहीं है कि वर्तमान कारखानों का विस्तार नहीं किया जायेगा अथवा अन्य स्थानों पर इस्पात कारखानें नहीं लगाये जायेंगे । इस्पात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए देश में इस्पात उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिये ये दोनों उपाय आवश्यक होंगे । उन्होंने हाल ही में बम्बई में दिये गये अपने वक्तव्य में कहा था कि उनका मंत्रालय शीघ्र ही एक युक्तियुक्त इस्पात नीति बनायेगा जिसका ध्येय आगामी दस वर्षों में 10 लाख मीटरी टन इस्पात का अतिरिक्त उत्पादन करना होगा । मुझे आशा है कि वह उड़ीसा की जनता की दूसरे इस्पात कारखाने सम्बन्धी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और शीघ्र ही प्रधान मंत्री उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार में एक-एक कारखाना स्थापित करने की घोषणा करेंगे । दस्तूर एण्ड कम्पनी ने देश में विभिन्न क्षेत्रों में 28 स्थान चुने थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि इन स्थानों में से इस्पात कारखाना लगाने के लिये नयागढ़ सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है । नयागढ़ में कम से कम विकास कार्य करना पड़ेगा और वहां पर इस्पात के उत्पादन की क्षमता 100-120 लाख टन तक बढ़ायी जा सकती है । उन्होंने उड़ीसा में बाराकोट, बोनाइगढ़, नयागढ़, तालचेर और पारादीप स्थानों को उपयुक्त बताया है । उनका कहना है कि ढलवें लोहे के उत्पादन और वितरण लागत की दृष्टि से उपर्युक्त 28 स्थानों में से नयागढ़ सबसे कम खर्च वाला स्थान है ।

इसलिये इस्पात उत्पादन का कार्यक्रम युक्तियुक्त तरीके से बनाया जाना चाहिए । जापान रूस और अमरीका में इस्पात का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा चुका है । उनकी अपेक्षा भारत में इस्पात उत्पादन की क्षमता अभी बहुत कम है । वर्तमान अनुमान के अनुसार 110 लाख टन इस्पात की कमी है । वर्ष 1975-76 में बोकारो सहित इस्पात की सप्लाई 138 लाख टन होगी और इसकी मांग 225 लाख टन हो जाने की आशा है, इस प्रकार 87 लाख टन की कमी रहेगी । इस कमी के कारण भारत ने गत तीन वर्षों में 200 करोड़ रुपये के मूल्य के लोहे और इस्पात का आयात किया है । हम अपने कीमती लौह-अयस्क का निर्यात कर रहे हैं । यह बहुत अनुचित बात है ।

इस्पात के कारखाने में उत्पादन आरम्भ करने में 7-8 वर्ष लग जाते हैं । अतः दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिये स्थान चुनने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये । मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उड़ीसा की उचित मांग पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा । मुझे विश्वास है कि सरकार उड़ीसा में इस्पात कारखाना स्थापित करने हेतु स्थान का सर्वेक्षण करने के बारे में शीघ्र ही आदेश जारी करेगी ताकि उस पर कार्य आरम्भ किया जा सके । इससे उड़ीसा के लोग संतुष्ट होंगे ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : देश में लोहा तथा इस्पात की अत्यधिक कमी है

और लोहा तथा इस्पात देश में बहुत ऊंचे मूल्यों पर बिक रहा है। इसमें न केवल इन्जीनियरिंग जैसे उद्योगों पर बल्कि कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

छोटे किसानों को भी कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसमें ऐसा लगता है कि उनको देश में लोहा तथा इस्पात की कमी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने इस बारे में भी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है कि रूरकेला का उत्पादन कब तक 18 लाख टन से बढ़कर 40 लाख टन हो जायेगा। लौह अयस्क चूने का पत्थर तथा मैंगनीज आदि को उड़ीसा से रूरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर तथा जापान भेजा जाता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए दूसरे इस्पात कारखाने के लिये उड़ीसा के दावे की केन्द्रीय सरकार द्वारा उपेक्षा किया जाना खेद की बात है। उड़ीसा के प्रतिनिधि जब प्रधान मंत्री से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि रूरकेला में अभी निर्धारित क्षमता तक उत्पादन होना शुरू नहीं हुआ है। इसलिये वहां पर दूसरा इस्पात कारखाना नहीं लगाया जा सकता। परन्तु इसके लिये राज्य के लोगों को दण्डित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना स्थापित करना राष्ट्र हित में है क्योंकि देश में इस्पात की बहुत कमी है। देश में औद्योगीकरण तथा कृषि के यन्त्रीकरण की बात को ध्यान में रखते हुये हमें इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पहले से ही कार्य शुरू कर देना चाहिए ताकि समय पर हम किसी कठिन स्थिति में न पड़ जायें।

विशेषज्ञों ने जो आंकड़े सप्लाई किये हैं तथा जिनका उल्लेख श्री प्र० के० देव तथा श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने किया है उनसे पता लगता है कि नयागढ़ एक स्थान है जहां पर लोहे तथा इस्पात का सबसे सस्ती दरों तथा लाभदायिक ढंग से उत्पादन किया जा सकता है।

हम जापान को लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं परन्तु हमारे इन्जीनियर बेकार हैं। क्या यह बेहतर न होगा कि हम लौह अयस्क को लौह पिण्डों आदि में बदलने के पश्चात् इसका निर्यात करें। इससे हमारे अपने देश के बेकार इन्जीनियरों को रोजगार मिलेगा और देश में अधिक तकनीकी जानकारी होगी और देश का और अधिक औद्योगीकरण भी होगा। देश में लोहे की खपत करने वालों को भी इससे लाभ होगा। अतः मैं माननीय मंत्री से एक बार पुनः अपील करूंगा कि वह इस बात को महसूस करें कि बोनाई एवं नयागढ़ में इस्पात कारखाना लगाना न केवल उड़ीसा बल्कि समूचे राष्ट्र के हित में है और इससे अनेक समस्यायें हल हो जायेंगी।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : उड़ीसा के लोग दूसरे इस्पात कारखाने के लिये बहुत समय से आन्दोलन कर रहे हैं। मुझे उनके साथ पूरी सहानुभूति है। औद्योगिक तौर पर उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां केवल इस्पात के कारखाने ही स्थापित किये जा सकते हैं क्योंकि वहां लौहअयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देश में इस समय लोहे की बहुत कमी है और आगामी कुछ वर्षों तक यह कमी बनी रहेगी अतः सरकार को यथासम्भव इस्पात

कारखाने स्थापित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार ने इस्पात के तीन नये कारखाने स्थापित करने की घोषणा की हैं परन्तु इससे उड़ीसा की समस्या हल नहीं होगी।

मैं सरकार की इस नीति से सहमत हूं कि रूरकेला कारखाने का विस्तार किया जाना चाहिए। मजदूरों के फालतू होने के कारण रूरकेला को बहुत हानि हो रही है। इस कारखाने का विस्तार होने से इसको होने वाली हानि समाप्त हो जायेगी। अत: मैं जानना चाहता हूं कि विस्तार कार्य कब आरम्भ किया जायेगा।

दूसरे सरकार को उड़ीसा में कुछ बेलन मिले तथा स्मेल्टिंग संयन्त्र स्थापित करने के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वहां पर उपलब्ध लौह अयस्क से इस्पात बनाया जा सके। ऐसी मदों के उत्पादन के लिये अनेक पार्टियां आगे आने को तैयार हो जायेंगी क्योंकि देश में इस्पात की भारी कमी है। सरकार को ऐसी मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करने चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को पांचवी योजना में 20 लाख टन की क्षमता का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में अभी से घोषणा कर देनी चाहिए ताकि लोगों को पता लग जाये कि उनके राज्य में इस्पात का कारखाना कब स्थापित होगा। मुझे आशा है कि सरकार मेरे सुझावों पर विचार करेगी और पिछड़े हुये इस भाग को देश के अन्य भागों के समान लाने के लिये कुछ कदम उठायेगी।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यह एक ऐसी मांग है जिसका उड़ीसा के सभी दलों द्वारा समर्थन किया गया है और मैं समझता हूं देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस मांग का समर्थन करना चाहिए। उड़ीसा बन्द पूर्णतया सफल था। इससे भी पता लगता है कि वहां के लोगों का इस मांग के बारे में क्या दृष्टिकोण है, इस मांग का देश के राष्ट्रपति द्वारा भी समर्थन किया गया है।

उड़ीसा के लोग बहुत अधिक गरीब हैं, हालांकि वहां पर पर्याप्त खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। भारतीय भूगर्भीय विभाग ने भी अभी तक उड़ीसा का पूरी तरह सर्वेक्षण नहीं किया है। यदि ऐसा हो जाये तो हमें पता लग सकेगा कि यह राज्य देश को समृद्ध बनाने में कितना योगदान दे सकता है।

उड़ीसा के दावे का एक विशेष महत्व है। उड़ीसा में असीमित संसाधन उपलब्ध हैं परन्तु वहां के लोग अत्यन्त गरीब हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के मामले पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

उड़ीसा में स्रोत उपलब्ध हैं, अत: उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

सलेम, हास्पेट और विशाखापत्तनम में इस्पात संयन्त्र लगाने का निर्णय लिया जा चुका है। यदि हम अपनी योजना में उचित प्राथमिकताएं दे पाते हैं तो इससे हम उसमें आवश्यक निष्ठा व्यक्त करते हैं। हमें 1970 की आवश्यकताओं पर ही दृष्टि नहीं रखना चाहिए अपितु सन् 1980, 1990 और 2000 को भी ध्यान में रखना चाहिए।

हमें अपने सम्पूर्ण देश के हित को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को आरम्भ करना चाहिए।

कटक के 'समाज' पत्र में इस मांग के औचित्य पर विस्तार से चर्चा की गई है और पूरे तथ्य भी प्रकाशित किये गये हैं। वास्तव में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य-प्रदेश के पूरे क्षेत्र में ऐसे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके उपयोग के लिये तकनीकी तैयारी की आवश्यकता है। यदि इसके लिये धन का अभाव है तो उसे हमें किसी प्रकार जुटाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चे० मु० पुनाचा (मंगलौर) : इस्पात संयन्त्र के लिये उड़ीसा की मांग, वहां के स्रोतों, क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए समर्थन के योग्य है।

हमारे देश के विकास कार्यों की कहानी विषम् रही है और इस्पात सम्बन्धी कार्यों में तो विषमता और भी गहन है। हम सहसा ही किसी इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। उसके लिए कई प्राथमिक कार्य करने होते हैं जिनमें कई वर्ष लग जाते हैं।

सरकार समझती है कि पांचवी योजना की समाप्ति पर हमारी इस्पात की कितनी आवश्यकता होगी, इसका उसे आभास है। मुझे इसमें सन्देह है। अपनी इस्पात जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में हमें पूरा विचार करना चाहिए। दीर्घकालीन इस्पात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी योजनाएं बनानी चाहिये। इस समय इस्पात का अभाव-सा हो गया है। हमें इस्पात आयात करना पड़ता है। पांच वर्ष पहले निर्मित इस्पात के निर्यात करने में हमें कठिनाई थी। इस्पात के मामले में यह अवैज्ञानिक दृष्टिकोण सोचनीय है। एक बार इस सम्बन्ध में गहरा अध्ययन करने के पश्चात् हमारे सम्मुख उत्पन्न समस्याएं सरल हो जायेंगी। देश की आर्थिक दशा सुधारने तथा इस्पात आदि की आवश्यकताओं को आंकने में यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा।

रूरकेला के विस्तार की बातें की जा रही हैं। परन्तु प्रस्तावित विस्तार में कई कठिनाइयां हैं। आप 18 लाख टन की क्षमता को 40 लाख टन तक कैसे बढ़ा सकते हैं।

आने वाले वर्षों में इस्पात की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाएंगी तथा प्रस्तावित तीन नए संयंत्र लगने पर भी मांग पूरी न की जा सकेगी। इससे हमारे उद्योगों को भारी क्षति पहुंचेगी। हमें लम्बी अवधि के लिये इस्पात की क्षमता निर्धारित करनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार विचार पूर्वक तैयार की गई योजनाओं में उड़ीसा के लिये इस्पात संयंत्र की मांग को माना जायेगा।

श्री के० सूर्यनारायण (एल्लूरु) : मुझे अपने पड़ौसी राज्य, उड़ीसा की इस्पात संयंत्र की मांग का समर्थन करने में प्रसन्नता है। इस्पात की बढ़ी हुई मांगों को देखते हुये इस कार्य के सम्पादन द्वारा सरकार अपना कर्तव्य निभा रही होगी। हम इस्पात के कुछ उत्पादनों का आयात कर रहे हैं और इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि हम खनिज लोहे का निर्यात कर रहे हैं। इस्पात संयंत्र लगा कर हम इन दोनों बातों से बच सकेगें और साथ ही बेरोजगारी की समस्या हल करने में ही सहयोगी बन सकते हैं।

अभी हाल ही में सरकार ने सहकारी क्षेत्र में 36 चीनी फैक्टरियों की मंजूरी दी है। उनके लिये धन भी जुटाया जा चुका है । परन्तु चीनी मशीनरी निर्माता फैक्टरियों ने वर्ष 1970 तक मशीनरी देने में असमर्थता प्रकट की है। इस्पात की कमी को देखते हुये हम विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित सहायता का उपयोग क्यों नहीं करते ? इस्पात क्षमता के अभाव में चीनी मिलों के लिये हमें 6 करोड़ रुपया अधिक व्यय करना पड़ेगा । मैं नहीं कह सकता कि देश में इस्पात की वास्तविक कमी है अथवा कृत्रिम मुझे लगता है कि यह कमी कृत्रिम है। सरकार को इस्पात के मूल्यों पर भी दृष्टि रखनी चाहिये । हमारे सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग के साथ इस्पात संयंत्र स्थापित करने चाहिये जिससे इस्पात की मांग पूरी की जा सके।

तेलुगु में एक कहावत है कि " सब कुछ सुलभ होते हुये भी हालात हमें अवसर से लाभ नहीं उठाने देते।"

इस्पात की काफी मांग है। उड़ीसा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

मैं मंत्री महोदय से इस बारे में आश्वासन चाहता हूं। अन्य देशों द्वारा प्रस्तावित सहयोग प्रस्तावों से लाभ उठाया जाना चाहिये।

Shri Brij Bhushan Lal (Bareilly) : The progress of our country largely depends on steel. Having established three steel plants 11-12 years ago it was hoped that the country's demand for 9 million tons of steel would be met. But that did not happen. Then how the demand for sixteen million tons of steel set up for the fourth plan can be met ? Either the plants should work to the full capacity or some new plants should be set up. Taking in view the availability of resources there can be no two openions regarding setting up of a steel plant in Orissaa.

About 1200 crores of rupees is invested on these three steel plants. This amount represent 42% of the total investment on public sector undertakings. Even now these plants are running at a loss of 190 crores of rupees. The loss in the initial stages in workshops is justifiable. But losses in these plants even now at 30 to 40 crores of rupees are not understandable. Many committees were formed and various short falls were pointed out but the Government has not taken any action to remove these shortcomings. These plants are not working to their rated capacity. The surplus staff should be utilised in expansion programmes. There are heavy losses and mismanagement in the existing steel plants. The prices of steel have risen. These matters should be looked into. The demand for the setting up of a steel plant in Orissa is justified.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि अभाव के कारण इस्पात के मूल्य बढ़ हैं। इसलिये इस्पात की कमी पूरी करने के लिये हमें नये इस्पात संयंत्र लगाने चाहिये।

मैं समझता हूं कि स्रोतों की उपलब्धि, उचित स्थान तथा इलाके का पिछड़ापन ये बातें नए कारखाना लगाने के लिये उपयुक्त हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश निर्धन राज्य हैं, अतः वहां इस्पात संयंत्र लगाये जाने चाहिये। इन राज्यों की अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय कम है।

हैवी इंजिनियरिंग प्लांट स्थापित करने का हमारा उद्देश्य प्रति वर्ष एक इस्पात संयंत्र लगाना ही था। दक्षिण में तीन इस्पात संयंत्र स्थापित करना अच्छी बात है। परन्तु उड़ीसा की

मांग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस्पात मशीनरी निर्माण के कार्य की गति तीव्र करें जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हो और राज्यों की मांगें भी मानी जा सकें ।

क्षमता के अनुरूप उत्पादन न हो पाने के लिये प्रबन्धक जिम्मेदार है । नये संयंत्रों के निर्माण से उत्पादन बढ़ेगा ही । इसलिये उड़ीसा की मांग को माना जाना चाहिये ।

श्री एस० कन्डप्पन (मेंटूर) : इस प्रकार की मांगों का सभी क्षत्रों एवं सभी दलों के सदस्यों द्वारा स्वागत किया जाता है । सरकार भी यदि केवल मौखिक सहानुभूति ही व्यक्त करती हैं तो इससे काम नहीं चलेगा ।

अभी श्री पुनाचा जी ने कहा कि सरकार की कोई दीर्घकालीन इस्पात नीति नहीं है । वह स्वयं मंत्रिमण्डल में रहे हैं । उनके समय में जब प्रश्न उठाया गया था तो हमें बताया गया कि इस्पात की विश्व बाजारों में मांग कम हो गई है और यदि हम अपना उत्पादन बढ़ाते रहे तो कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी ।

इसके पश्चात जब उनसे एक और यह प्रश्न किया गया कि वे बोकारो को ही क्यों चाहते हैं तो उन्होंने एक दूसरा ही स्पष्टीकरण दिया । परन्तु अब हमने पता लगाया है कि बहुत से इंजीनियरिंग उद्योग बन्द हो रहे हैं अथवा विभिन्न प्रकार के इस्पात की कमी के कारण वे पूरी क्षमता से नहीं चल रहे हैं । यह विशेषकर कोयम्बटूर में हो रहा है जहां कृषि के लिए मोटर इंजन बहुतायत में बनाये जाते हैं, जिनका विदेशों में भी निर्यात होता है । विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि यदि इन्हें इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये आवश्यक कच्चे माल की पूरी सप्लाई की जाए तो अतिरिक्त क्षमता के बिना ही एक दिन में हजारों इंजीनियरों को काम मिल सकता है । क्योंकि क्षमता तो पहले से ही बेकार पड़ी है । इस सबके लिए सारा दोष सरकार पर ही जाता है । अब तो कम से कम उन्हें हमारी इस्पात की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट नीति के रूप में सोचना चाहिये ।

दक्षिण में इस्पात कारखाने की स्थापना करने का स्वागत तो किया गया परन्तु बाद में पता चला कि तकनीकी आधार पर अन्य स्थानों की बजाय उड़ीसा का मामला उपयुक्त है । परन्तु जहां तक तकनीकी अध्ययनों का सम्बन्ध है, दस्तूर समिति ने बताया था कि सलेम में विशेष प्रकार की मिश्रित धातु, जिसमें गन्धक की बहुत कम मात्रा होती है, उपलब्ध होने के कारण वहां इस्पात कारखाने की स्थापना करना अनिवार्य है । परन्तु बाद में एक अन्य समिति ने विशाखापत्तनम को उपयुक्त बताया । इससे पता चलता है कि ये निर्णय तकनीकी जांच के आधार पर नहीं किये जाते आपितु राजनीतिक दबाव में किये जाते हैं । क्योंकि सेतु-समुद्रम परियोजना को दूसरी परियोजना माना गया था, और मुदलियार समिति ने बताया था कि यह बहुत अच्छी परियोजना होगी क्यों कि तूतीकोरिन पत्तन का अत्यधिक विकास होने से वहां विदेशी जहाज आकर रुकेंगे जिससे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकेगी । दो प्राक्कलन समितियों के सिफारिश करने पर भी अभी तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ है । अतः केन्द्रीय सरकार राजनीतिक दबाव में आ गई है इसलिये किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया है ।

जहां तक तीन इस्पात कारखानों के बारे में घोषणा करने का सम्बन्ध है, हमको कुछ आशंकाएं हैं और हमें आशा है कि माननीय मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। चतुर्थ योजना में इन तीन कारखानों के लिये केवल 110 करोड़ रुपये का नियतन किया है । 110 करोड़ रुपये में इस्पात के तीन कारखानें कैसे लग सकते हैं, जब कि सरकार एक अन्य कारखाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने जा रही है।

मुझे इस बात का विश्वास है कि मंत्री महोदय को यह अवश्य पता होगा कि मेरे राज्य ने इस इस्पात कारखाने के कार्य संचालन में अपने हिस्सों की मांग की है । मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस पर अभी तक विचार कर रही है । और राज्य सरकार के इस सुझाव के पक्ष में विचार किया जायेगा। हमारा अपना एक औद्योगिक निवेश निगम है और हमारा यह सुझाव है कि यह निगम इस कारखाने के कार्यसंचालन में सहायक हो सकता है । जहां तक हिन्दुस्तान स्टील के कार्य संचालन का सम्बन्ध है, वह तो हानि में चल रहा है। मेरा तो यही कहना है कि अन्य राज्यों में भी इस्पात कारखानों के मामले में ऐसा ही किया जाना चाहिये, यद्यपि सम्बन्धित राज्य सरकारों से इस प्रकार के अनुरोध आते हैं।

इस्पात कारखानों के बारे में घोषणा केवल कुछ राज्यों को राजी करने के लिए नहीं की जानी चाहिये, बल्कि इसे यथार्थरूप देना चाहिये। सरकार को गम्भीरता से इस मामले को अपने ऊपर लेना चाहिये। सरकार को सम्पूर्ण नीति का दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों प्रकार से मूल्यांकन करना चाहिये और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।

श्री प० राममूर्ति (मदुरै) : उड़ीसा के लोगों की मांग के प्रति मेरी सहानुभूति है। परन्तु मुझे भारत सरकार की वर्तमान स्थिति पर करुणा आती है । यद्यपि भारत सरकार उड़ीसा की मांग के बारे में कोई आश्वासन देती है कि वह उड़ीसा में यह कार्य करने जा रही है तो, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई मूल आर्थिक नीतियों को देखते हुए, ये आश्वासन केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगे।

लगभग 65 लाख मीट्रिक टन की क्षमता की योजना बनाई गई थी परन्तु आज लगभग 35 लाख मीट्रिक टन का ही उत्पादन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ? यह केवल इसलिए हो रहा है कि हमारी सरकार विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर है । सरकार की समग्र योजना का मूलधार है कि सरकार की दृष्टि में भारतीय ऐसे कार्य करने में सक्षम नहीं हैं और यह कि सारी बुद्धि अमरीकी, रूसी अथवा कुछ अन्य लोगों तक ही केन्द्रित है । भारतीयों में बुद्धि है ही नहीं। प्रत्येक बात के लिये सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, यहां तक कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात भी, प्रत्येक छोटी सी बात के लिये सहयोग लेने जाते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रायोजनाओं की बातें करने का लाभ क्या है ?

फिर, उद्योगों की समग्र पूंजी-आधार अनावश्यक रूप से बढ़ गया है। जब किसी सहयोग के लिये करार किया जाता है तो यह स्वीकृत तथ्य है कि विदेशी सहयोगकर्त्ता जो मशीन देते हैं उनके मूल्य में 75 से 100 प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि हुई है। जब पूंजी आधार में 75 से 100

प्रतिशत तक मूल्य वृद्धि होती है तब मशीनों के पुर्जे बाजार से खरीदने के लिये उतना ही अधिक मूल्य देना पड़ता है, तो इस्पात या अन्य सामग्री के उत्पादन के लिये आवश्यक सर्वोत्तम लौह अयस्क और अन्य तत्वों के उपलब्ध होने पर भी भारत किस प्रकार इस्पात का उत्पादन सस्ती दर पर कर सकता है ? दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समस्त उद्योगों में नौकरशाही का बोलबाला है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के हाथों में इन उद्योगों का प्रबन्ध है। जबकि यहां तकनीकी विशेषज्ञों को होना चाहिये । जब तक ये कागजी कार्यवाहियां वास्तविक फलदायक कार्यों में परिवर्तित नहीं की जातीं, जब तक हम अपनी ही क्षमता में और अपने लोगों और उनकी रचनात्मक एवं निर्माण कुशल क्षमता में विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस सभा में चाहे कितने वचन क्यों न दिए जाएं । इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद भी तीन पंचवर्षीय योजनाएं आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी हैं। इसलिए मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब तक भारत सरकार को अपनी समस्त आर्थिक योजना सम्बन्धी नीति में गम्भीरता से मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा और हम उत्तरोत्तर रूप में विदेशों पर आश्रित रहेंगे। इसलिये भारत सरकार को चाहिए कि वह अपनी समस्त आर्थिक नीति पर गम्भीरता से पुनर्विचार करे और उसी आधार पर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तुत करे।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, almost every Hon. member who has participated in this debate has supported that a Steel Plant should be set up in Orissa during the fourth plan period. This credit must go to the people of Orissa for their peaceful and non-violent agitation for this purpose. But great injustice has been done and step-motherly treatment has been given to Orissa. Instead of giving due consideration to the criterion formulated by the Bureau of Public Enterprises suggestig certain proposals of investment and setting up of a Steel Plant the Hon. Prime Minister had declared during the Budget Session, to set up Steel Plants in Hospet, Visakhapatanam, and Salem, but ignored the case of Orissa. Not only this, the reports of Dastur & Co. ; and that of Experts Committee were also ignored. A second Steel Plant should be set up in Orissa. Government should have also, along with the announcement of these Steel Plants to be set up in the South, declared about the setting up of a second Steel Plant in Orissa. Fortunately Orissa is rich in minerals such as Iron Ore. Dolomite, Lime Stone etc.

Government of Orissa has been demanding since 1964 for a second steel plant in the State. Inspite of numerous representations for the purpose since 1964 the Hon. Prime Minister has totally ignored the case of Orissa while announcing that three Steel Plants would be set up in the South. This is political conspiracy of the Prime Minister against the Government of Orissa and its people.

श्री एस० कन्डप्पन : मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। यह तो सच हैं कि हमने सलेम में इस्पात कारखाने की स्थापना के लिये राजनीतिक दबाव डाला था, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसके लिये तकनीकी सम्भाव्यता नहीं देखी गई थी अथवा इसकी उपयुक्तता के बारे में पूर्व विचार नहीं किया गया था।

Shri Rabi Ray : I have already said that I welcome all the three steel plants to be set up in the South, but my objection is why the Hon. Prime Minister has ignored the legitimate demand of Orissa.

A fertilizer factory at Talcher in Orissa was established why because a feasibility *study* had been done by Orissa Government. The Government of India does not fulfil *its* national responsibility and incites the States to put forward their demands.

The Experts have recommended that industries should not be established in metropolitan cities, but in spite of the recommendations industries are being established in metropolitan cities. The Prime Minister has stated that there has been huge Central investment in the State during the last 23 years and as such a second steel plant can not be established there. It is absolutely wrong argument.

In all the foreign countries such as Russia and Japan, steel plants are established on the basis of metallurgical base. At Nayagarh an integrated factory with a capacity of 12 million tons may be established.

The people of Orissa have now become alive to their interests. The Government should not ignore the feelings of the people and announce their decision to set up a steel plant at Nayagarh or Bonai in the Fourth Plan in pursuance of the recommendations of the experts.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की स्थापना किये जाने की मांग का सभी दलों और व्यक्तियों को समर्थन करना चाहिये । उड़ीसा में इस्पात कारखाने की स्थापना की मांग आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से भी उचित और न्यायपूर्ण है । उड़ीसा खनिज पदार्थों और कच्चे माल की दृष्टि से सम्पन्न है । वहां उद्योगों का विकास भी किया जा सकता है । यातायात की सुविधायें भी वहां उपलब्ध हैं और इससे इस्पात के उत्पादन पर कम लागत आयेगी । इसके साथ उड़ीसा से इस्पात का निर्यात भी सुविधाजनक है ।

उड़ीसा में इस्पात कारखाने की स्थापना किये जाने की मांग का समर्थन करते समय, हम इस बात का भी ध्यान रखें कि सलेम, होस्पेट, विशाखापत्तनम और बेलाडिल्ला में इस्पात कारखाने स्थापित करने के कार्य में ढील न हो । उद्योगों की स्थापना राजनैतिक दबाव और मांगों के आधार पर नहीं बल्कि रोजगार प्रधान होनी चाहिए । अगर देश में व्याप्त बेरोजगारी समस्या को हल करना है, तो देश के सभी क्षेत्रों में विशाल उद्योगों की स्थापना की जाय । जहां बेरोजगारी अधिक से अधिक हो, वहां उद्योगों की स्थापना की जाय, बशर्ते वे स्थान तकनीकी दृष्टि से योग्य स्थान हों ।

प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि इस्पात का उत्पादन किसी भी राष्ट्र के विकास का मानदण्ड है । यह विकासशील राष्ट्र की रीढ़ है । जापान जैसे छोटे देश का इस्पात का उत्पादन 9 करोड़ टन है, सोवियत रूस और अमेरिका का इस्पात उत्पादन क्रमश: 11 करोड़ टन और 13 करोड़ 50 लाख टन है । यह अफसोस की बात है कि हमारा इस्पात उत्पादन केवल 60-70 लाख टन ही है ।

हमारे देश के उद्योग, प्रतिरक्षा, सिंचाई और विद्युत, आवास, जहाज-निर्माण सभी इस्पात पर आधारित हैं और देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करके इन जरूरतों की पूर्ति की जानी चाहिए । इसके साथ साथ उद्योगों की देश के सभी हिस्सों में संतुलित रूप से स्थापना की जानी चाहिए, जिससे किसी क्षेत्र विशेष की जनता में असन्तोष की भावना पैदा न हो ।

Shri Shinkre (Panjim): It is very unfortunate that Government does not rise to the occasion unless there is any movement for a steel plant or other industries. I congratulate the people of Orissa that they have supported this demand iunitedly.

While we suported the demand for a steel plant in Orissa, it was unfortunate that none of the Members who spoke made a reference to Goa. Goa had long been pressing its claim for a steel plant. Goa has all the facilities and resources required for a steel plant. It has huge deposits of iron ore and has enough manpower. A port like Marmagoa is also there. The people of Goa would, of course, not go in for any kind of agitation or bundh in support of a steel plant, but they would certainly urge upon the Government to keep Goa alongwith Orissa in their mind while deciding the question of setting up steel plants in the fourth plan.

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : उड़ीसा में इस्पात कारखाने की स्थापना की मांग न्यायोचित है, क्योंकि उसका सभी ने समर्थन किया है। मैं इस तथ्य से भी अवगत हूं कि सरकार की भी अपनी सीमायें हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि जो भी आयोजना कार्य हुआ है, वह आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा सैद्धान्तिक रूप में किया गया है, व्यावहारिक आधार पर नहीं। यही कारण है कि योजना-कार्य में हम अभी तक अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं।

उड़ीसा की ओर से इस्पात कारखाने की मांग इस आधार पर की गई है कि वहां कच्चा माल और साधन उपलब्ध है। कच्चा माल और खनिज सामग्री तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी उपलब्ध है। प्रश्न तो यह है कि इस्पात कारखाने की स्थापना का निर्णय राजनैतिक आधार पर अथवा हड़ताल और बन्द के दबाव में नहीं होनी चाहिये। स्थापना का आधार होना चाहिये खनिज सामग्री और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि के आधार पर।

आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है अधिकाधिक उत्पादन की और उत्पादन वृद्धि के लिए हमें हर सम्भव उपाय करना चाहिए। हमें लौह अयस्क बाहर न भेजकर अपने देश के अन्दर ही इस्पात का उत्पादन करना चाहिए।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : उड़ीसा में दूसरे इस्पात कारखाने की स्थापना से सम्बन्धित मांग का समर्थन किया जाना चाहिये। बहस के दौरान यह कहा गया कि तीन नये इस्पात कारखानों की स्थापना करने का निर्णय एक राजनैतिक निर्णय है। यह सही नहीं है। यह एक आर्थिक निर्णय है जो 1962 में ही ले लिया गया था, परन्तु कुछ अज्ञात कारणों से इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। 1962-63 में इस मामले पर परामर्शदात्री समिति में चर्चा की गई थी और सरकार ने दो कारखानें स्थापित करने का निर्णय किया था। एक गोआ और होस्पेट तथा दूसरे बेलाडिल्ला और विशाखापत्तनम में स्थानों का चुनाव करने के लिये दो समितियां नियुक्त की गईं। 1964 में ये निर्णय हो चुके थे। अब सरकार के निर्णय का अन्य सभी के साथ मैं भी स्वागत करता हूं। अन्य मांगें उठाये जाने के कारण इन तीन कारखानों की स्थापना के कार्य में ढील नहीं आनी चाहिए।

देश में इस्पात की अत्यधिक मांग है। 1962 में जापान में इस्पात का उत्पादन 330 लाख टन था। अब हमारा उत्पादन 330 लाख टन हो पाया है, तो जापान का उत्पादन 830 लाख टन हो गया है। अमेरिका और रूस के स्तर पर उत्पादन करने पर ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इस्पात हो सकता है। तभी हम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को इस्पात का निर्यात कर सकने की स्थिति में होंगे। अगर हम अच्छी किस्म के इस्पात का कम लागत पर उत्पादन कर सकें, तो विकसित देश भी हमसे इस्पात खरीदेंगे।

हमें पन्द्रह बीस साल की अवधि की दीर्घकालिक योजनायें बनानी चाहिए । जिससे हमारे निर्यात बाजार और आन्तरिक मांग की पूर्ति हो सके । तकनीशियनों को यह कार्य सौंप दिया जाना चाहिए और पार्टियों अथवा मंत्रियों के बदले जाने से इस कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं उड़ीसा की इस्पात कारखाने की मांग का समर्थन करता हूं ।

श्री दे० अमात (सुन्दरगढ़) : भारत के मानचित्र में उड़ीसा की स्थिति अद्वितीय है । संविधान के अन्तर्गत उड़ीसा के 60000 वर्गमील में से 22000 वर्गमील क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। इस क्षेत्र में 62 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां रहती हैं । इस क्षेत्र में न केवल भूखी और नंगी जनजातियों के लोग ही रहते हैं अपितु यह क्षेत्र लौह अयस्क, मैंगनीज, डोलोमाइट और मोनेजाइट से भरा पड़ा है ।

उड़ीसा में लौह अयस्क सतह तल से ही निकाला जा सकता है जबकि अन्य राज्यों में इसे खानों से निकाला जाता है । एक जर्मन मित्र जो भ्रमण के लिये वहां गये थे, उन्होंने घूमने के बाद कहा कि "यदि उनके यहां इतने शुद्ध लौह अयस्क का निक्षेप होता, तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वह समूचे संसार के स्वामी बन जाते" । उनके इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि उड़ीसा में कितने अधिक लौह अयस्क के निक्षेप भरे पड़े हैं और इस तथ्य पर तो संसद के सभी सदस्य भी एक मत हैं । मुझे इसके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है ।

लौह अयस्क तो मूलभूत पदार्थ है, जो न केवल इन्फास्ट्रक्चर की दृष्टि से अपितु सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । प्रस्तावित स्थान के बिल्कुल निकट कच्ची सामग्री की उपलब्धता और पानी, बिजली और भूमि आदि की उपलब्धता के कारण उड़ीसा सबसे कम मूल्य पर इस्पात का उत्पादन कर सकता है । अतः उड़ीसा ही एक मात्र राज्य है, जो सस्ती दर पर इस्पात का उत्पादन कर सकता है इसीलिये दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये उड़ीसा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मैं सलेम, होस्पेट और विशाखापत्तनम आदि स्थानों पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना का स्वागत करता हूं ।

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस्पात संयंत्र का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसने उड़ीसा के लोगों और इस सभा के सदस्यों—सभी को उत्तेजित कर दिया है । परन्तु जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो देश में लोकतन्त्र के भविष्य की बातें करते हैं, उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम ढंग क्या है ? क्या यह सही ढंग है कि एक बन्द अथवा एक हड़ताल का आयोजन करवाना या उड़ीसा विधानसभा में एक संकल्प पारित करवाना या इससे सम्बद्ध चर्चा करवाना ? किसी इस्पात संयंत्र में एक दिन का बन्द आयोजित करने से उत्पादन 10 दिन पीछे पड़ जाता है ।

कुछ सदस्यों ने जापान की असाधारण प्रगति का उल्लेख किया है । उन्हें मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जापान में श्रमिक हड़ताल नहीं करते और अगर यदि कभी करते भी हैं तो वह केवल उसके लेबल लगा लेते हैं, माल का उत्पादन वह फिर भी करते रहते हैं । परन्तु यहां स्थिति बिल्कुल विपरीत है । दुर्गापुर में श्रमिक पहले ही हड़ताल की स्वर्ण जयंती मना चुके हैं आज उन्होंने फिर हड़ताल की हुई है । हम कुछ नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या स्थिति होगी ।

मेरे वक्तव्य के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं और यह भी कहा गया है कि यह वक्तव्य उचित नहीं है। परन्तु जितने भी आक्षेप लगाये गये हैं वे सब अनुचित है। वक्तव्य के अन्तिम अनुच्छेद में यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भारत में इस्पात प्रक्रिया का अभी श्री गणेश हुआ है, उसका अन्त नहीं हुआ। यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उड़ीसा को कई सुविधायें प्राप्त हैं। जब हम भावी इस्पात संयंत्रों के बारे में विचार करेंगे तो निश्चय ही उन पर ध्यान दिया जायेगा। वास्तव में कठिनाई यह है कि हमारे पास बहुत अधिक अच्छे स्थान हैं परन्तु हम उन सभी को एक ही समय नहीं ले सकते। उड़ीसा को इस बार केवल इसीलिये नहीं चुना गया कि पहले हम वर्तमान संयंत्रों का पूरी क्षमता के साथ विस्तार करना चाहते हैं। इस विस्तार के बाद हम उड़ीसा पर पुनः विचार करेंगे, उड़ीसा में और इस्पात संयंत्र लगाने पर कोई प्रतिबन्ध थोड़े ही है।

कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि क्या इसके बारे में हमारी कोई विशेष नीति है या क्या हम इस्पात के विकास आदि के लिये कोई दीर्घकालीन भारी योजना बनाना चाहते हैं या बनायी है ? हमारा ध्येय इस सभा के समक्ष एक संगठित इस्पात नीति प्रस्तुत करने का है। इस नीति में सभी अपेक्षित तत्व यथा दीर्घकालीन नीति, मांगें तथा अन्य बातें सम्मिलित होंगी। इस प्रकार की नीति प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य यह है कि इससे देश में ऐसा वातावरण पैदा हो जाये जिससे प्रत्येक राज्य यह अनुभव करने लगे कि उसे राष्ट्रीय विकास कार्य में उचित भूमिका प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का पूरा अवसर भी प्रदान किया जाये।

इस समय इस्पात की अनुमानित मांग का जो अनुमान लगाया गया है, वह 1978-79 तक 1 करोड़ 90 लाख टन होगी। यह मांग अगले 4 वर्षों के लिये होगी। इसके बाद यह मांग एक दम 110 लाख टन हो जायेगी और 1983-84 तक यह मांग 300 लाख टन हो जाने की संभावना है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस्पात संयंत्र सात-आठ वर्ष से चल रहे हैं, हमें नये स्थानों के चयन का काम भी हाथ में ले लेना चाहिये क्योंकि दो एक वर्षों में हमें नये इस्पात संयंत्रों के लिये स्थानों का चयन करना पड़ सकता है और इस सम्बन्ध में समय रहते सभी प्रयत्न किये जाने चाहिये। अब हम निश्चित रूप से इस्पात संयंत्रों के लिये स्थान निश्चित करने का कार्य करेंगे। इस सम्बन्ध में व्यवहार्य अध्ययन का कार्य हम बाद में करेंगे। स्थानों को चुनने के लिये हम सामन्यतया कच्चे माल की उपलब्धि, आर्थिक लागत तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद जब स्थान का चयन हो जाता है तब व्यवहार्य अध्ययन जो कुछ कठिन होता है, बाद में किया जाता है।

कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह वक्तव्य देश के हित में नहीं है। मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो तीन स्थान चुने गये हैं वह केवल तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर ही चुने गये हैं। इसलिए यह कहना कि प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य कुछ राज्यों को खुश करने के लिये है, उचित नहीं है। यदि कोई राज्य इस्पात संयंत्र पाने के फलस्वरूप हर्ष मनाता है तो इसमें केन्द्रीय सरकार का क्या दोष है ?

मेरे ऊपर आक्षेप लगाया गया है कि मैंने दस्तूर समिति के प्रतिवेदन का कोई उल्लेख नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यही है कि यह इस्पात संयंत्र के बारे में नहीं है अपितु कच्चा लौह कम्प्लेक्स के बारे में है। इसी कारण से मैंने उसका यहां उल्लेख नहीं किया, इसका कोई अन्य कारण नहीं है।

मुझे से यह भी पूछा गया है कि जिन छः स्थानों का इस्पात संयंत्रों के लिए चयन किया गया है, उनमें उड़ीसा का चयन क्यों नहीं किया गया। उड़ीसा में संसाधनों और उसकी आवश्यकताओं के बारे में हमें मालूम है। भविष्य में, स्थान चयन करते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे।

Shri G. C. Naik (Keonjhar) : We represent Adiwasis, Harijans and Backward Classes. We are very peace loving people. We are against Bandhs and Gheraoes. The Government has already seen the peace loving people at the time of Orissa Bandh demonstration. In view of these facts I hereby seek an assurance from the Government that second steel plant will be set up in Orissa in a year or two. If we failed to get such an assurance we will again launch an agitation. If steel plant is not given to us we will not give iron required by other steel plants.

श्री ब० रा० भगत : इसी सन्दर्भ में मुझसे एक बात यह भी पूछी गई कि इस योजना में राउरकेला के विस्तार को क्यों शामिल नहीं किया गया, यद्यपि भिलाई के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि विस्तार तो तभी किया जाता है जब संयंत्र निर्धारित क्षमता प्राप्त कर चुका हो। भिलाई की स्थिति यह है कि इसकी निर्धारित क्षमता 25 लाख टन की है जबकि यह 22 लाख टन उत्पादन की दर प्राप्त कर चुका है। शेष 3 लाख टन की कमी आक्सीजन लानसिंग से पूरी की जायेगी। इसके लिये उष्मसह मशीनों की आवश्यकता है और इनके उपलब्ध होते ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। दूसरी ओर राउरकेला की क्षमता 18 लाख टन है। इसका वर्तमान उत्पादन लगभग 11 लाख टन है। यह संयंत्र काफी आधुनिक ढंग का है। जैसे ही यह अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त करेगा, हम इसके विस्तार कार्यक्रम में लग जायेंगे।

इसके साथ ही यह बात भी कही गई है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नये इस्पात संयंत्रों के लिये 110 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सभा को मालूम है कि इस दिशा में प्रारम्भिक अध्ययन कार्य करने पर ही काफी धनराशि खर्च हो गई थी। अब भी हमारा एक दल वास्तविक स्थान निर्धारित करने के लिये दौरा कर रहा है। इसके उपरान्त इस दिशा में सम्भावनाओं पर विचार किया जायेगा और एक अनुसूचित कार्यक्रम बनाया जायगा। इस सम्पूर्ण कार्य की इतिश्री पर ही हम परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रस्तुत सम्पूर्ण कार्य 1972 तक चलेगा और इमारत का काम इसके बाद ही आरम्भ किया जायगा। अतः इसी आधार पर हमने यह अनुमान लगाया है कि इस योजना के अन्तर्गत 110 करोड़ रुपया काफी होगा, अधिकांश व्यय तो पांचवीं योजना के अन्तर्गत ही होगा।

केरल राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा तथा राज्यपाल का प्रतिवेदन
PROCLAMATION IN RELATION TO THE STATE OF KERALA AND GOVERNOR'S REPORT

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 4 अगस्त, 1970 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति, जो दिनांक 4 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1124 में प्रकाशित हुई ।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये 4 अगस्त, 1970 के आदेश की एक प्रति, जो 4 अगस्त, 1970 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1125 में प्रकाशित हुआ ।

(2) 1 अगस्त, 1970 को राष्ट्रपति को दिये गये केरल के राज्यपाल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 अगस्त 1970/14 श्रावण 1892 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 5, 1970/Sravana 14, 1892 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 3-1-71—340